



सत्यमेव जयते

Hkkj r

ds

fu; =d&egkys[kki j h{kd
dk

31 ekp/ 2004 dks / eklr gq o"kl dk
i fronu

(fl foy)

fcgkj l j dkj



सत्यमेव जयते

Hkkj r

ds

fu; =d&egkys[kki j h{kd
dk

31 ekp/2004 dks / eklr gq o"kl dk
i fronu

(fl foy)

fcgkj l j dkj

fo"k; -I ph

	I nHkz	
	dMdk	i "B
प्राक्कथन		IX
विहंगावलोकन		XI-XIX
v/; k; &I		
jkt; I j dkj dk fo'k		
सारांश		1
प्रस्तावना	1.1	2
पूर्व वर्ष की तुलना में वित्त की प्रवृत्तियाँ	1.2	3
वर्ष के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.3	3-4
लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	1.4	4-5
मात्रा एवं स्रोतों द्वारा संसाधन	1.5	5-8
संसाधनों का उपयोग	1.6	8-12
आवंटीय प्राथमिकताओं द्वारा व्यय	1.7	12-14
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व	1.8	14-18
घाटों का प्रबंधन	1.9	18-19
राजकोषीय अनुपात	1.10	19-21
v/; k; &II		
vkolu grq ckFkfedrk, i rFkk fofu; kstu		
प्रस्तावना	2.1	23
विनियोजन लेखाओं का सारांश	2.2	23-24
आवंटन हेतु प्राथमिकताओं की पूति	2.3	24-28
बजटीय कार्यवाही तथा व्यय नियंत्रण	2.4	29

	I nHkz	dMdk	i "B
v/; k; &III fu"i knu eh{k{k, i			
LokLF; foHkkx			
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का कार्यकलाप	3.1	31-40	
xkeh.k fodkl foHkkx			
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी. एम. जी. एस. वाई.)	3.2	41-49	
Je] fu; kstu rFkk cf' k{k.k foHkkx			
बाल श्रम का कार्यान्वयन (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986	3.3	50-57	
fpfdrI k f' k{k rFkk i fjokj dY; k.k foHkkx			
भारतीय औषधि एवं होमियोपैथी पद्धति	3.4	58-65	
m kx foHkkx			
उद्योग विभाग के कार्यकलाप	3.5	66-75	
v/; k; &IV Ei knu ys[kki jh{k{k			
di Vi@k[fudkl h@nfofu; kstu@xcu@gkfu	4.1	77	
xkeh.k fodkl foHkkx			
सरकारी राशि का दुर्विनियोजन	4.1.1	77	
i Fk fuekLk foHkkx			
कार्य का संदेहास्पद सम्पादन	4.1.2	78-79	
xkeh.k fodkl foHkkx			
सरकारी धन का दुर्विनियोजन तथा लेखाकरण नहीं किया जाना	4.1.3	79-80	
दुर्विनियोजन, कम लेखाकरण तथा व्यय की अनियमित प्रविष्टि	4.1.4	80-81	

	I nHkz	
	dMdk	i *B
xkeh.k fodkl foHkkx		
सरकारी धन का लेखाकरण नहीं होना	4.1.5	81-82
<i>fu"Qy@0; FkI 0; ; , oa vflkd Hkxrku</i>	4.2	82
xkeh.k fodkl foHkkx		
पम्प हाउस के निर्माण पर निष्फल व्यय	4.2.1	82
ty l d k/ku foHkkx		
नहर कार्य पर निष्फल व्यय	4.2.2	83
<i>ek/; fed] ckFkfed rFkk o; Ld f' k{kk foHkkx</i>		
वेतन का अधिक भुगतान	4.2.3	83-84
<i>ifjgk; l@vlf/kD; @fu"Qy 0; ;</i>	4.3	84
fof/k foHkkx		
अनियमित नियुक्त कर्मियों को अनधिकृत भुगतान	4.3.1	84-85
<i>ek/; fed] ckFkfed rFkk o; Ld f' k{kk foHkkx</i>		
अनुदान का परिहार्य भुगतान	4.3.2	85-86
xg 1dkj k/ foHkkx		
स्वास्थ्य संरक्षा के सामानों पर निष्फल व्यय	4.3.3	86-87
fof/k foHkkx		
जिला न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्फल व्यय	4.3.4	87-88
vki nk cc/ku foHkkx		
सहायता कोष का दुरुपयोग	4.3.5	88
jktLo , oa Hkfe l qkj foHkkx		
सरकारी प्राप्तियों एवं अनुदान का अनधिकृत उपयोग	4.3.6	88-89
i Fk fuekZ k foHkkx		
पथ कार्य का निम्नस्तरीय निष्पादन	4.3.7	89-90

		I nHkz	
	dflMdk	i "B	
पथ निर्माण पर निष्फल व्यय	4.3.8	90-91	
xg ॥vkj {kh॥ foHkkx			
अधिभार के भुगतान पर परिहार्य व्यय	4.3.9	91	
fuf"Ø; fuos'k@fuf"Ø; LFkk i uk@fuf/k dk vojk&ku	4.4	92	
df"k foHkkx			
अकार्यशील कृषि यांत्रिकी (अनुसंधान) कारखाना	4.4.1	92	
v/; k; & v			
आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था	5	93-99	
i fjf' k"V			
I बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सार	1.3	101	
II वर्ष 2003–04 की प्राप्तियों एवं संवितरण का सार	1.4	102-103	
III निधि का स्रोत एवं उपयोग	1.4	104	
IV राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध ऑँकड़े	1.4	105-106	
V अध्याय—I में प्रयुक्त शब्दावली तथा उनके गणना का आधार	1.4	107	
VI मार्च 2004 तक भुगतान किए गए सहायता अनुदान जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सितंबर 2004 तक अप्राप्त थे	1.7.2	108-109	
VII स्वायत्तशासी निकायों द्वारा राज्य विधायिका को सौंपे गए लेखाओं की वस्तुस्थिति का विवरण	1.7.3	110	
VIII अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की सूची जहाँ बहुत पूँजी अवरुद्ध थीं	1.8.1	111	
IX विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक / अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रम, जिन्होंने स्थापना काल से ही प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया है	1.8.4	112	
X विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक / अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम जिनके प्रोफार्मा लेखे बकाया हैं	1.8.4	113	
XI नियमन की अपेक्षा वाले आधिक्य अनुदान / विनियोजन की विवरणी	2.3.1	114	
XII क्षेत्र जिसमें मुख्य बचत हुई	2.3.2	115-119	
XIII मामले जहाँ व्यय बजट प्रावधान से रूपये 2 करोड़ से अधिक से कम थे तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक थे	2.3.3	120-123	

		I nHkz	
		dMdk	i "B
XIV	प्रत्येक मामले में रुपये 2 करोड़ से अधिक लगातार बचत के मामले	2.3.4	124-125
XV	1977-78 से 2002-03 तक आधिक्य	2.3.5	126
XVI	लघु शीर्ष में प्रावधान से अधिक व्यय (रुपये 5 करोड़ एवं अधिक और कुल प्रावधान के 50% से भी अधिक)	2.3.5	127-129
XVII	बिना बजट प्रावधान के लघु शीर्ष में व्यय	2.3.5	130-131
XVIII	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए	2.3.8	132-134
XIX	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुए (प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये से अधिक)	2.3.8	135
XX	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकता से कम साबित हुए (प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये से अधिक)	2.3.8	136
XXI	निधियों के अनावश्यक पुनर्विनियोजन (रुपये 1 करोड़ से अधिक का आधिक्य)	2.3.9	137-140
XXII	अधिक अभ्यर्पण की विवरणी	2.3.9	141
XXIII	प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित नहीं किए गये	2.3.10	142-143
XXIV	मार्च 2004 माह के अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि	2.3.10	144-145
XXV	अनुदान में वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण	2.3.11	146
XXVI	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन	2.3.11	147
XXVII	मार्च 2004 में व्यय की तीव्रता	2.3.12	148
XXVIII	वर्ष 2003-04 के दौरान निम्नलिखित लेखा में समाशोधित नहीं मिलान किया गया।	2.3.13	149-150
XXIX	योजनागत योजना के अन्तर्गत बचत की विवरणी	2.3.4	151-161
XXX	महाविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारीयों का स्वीकृत एवं पदस्थापित बल	3.4.7	162
XXXI	महाविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक कर्मचारीयों का स्वीकृत एवं पदस्थापित बल	3.4.7	163
XXXII	31.03.2004 तक पाँच वृहत विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त निधि एवं व्यय की विवरणी	3.5.10	164
XXXIII	लघु विकास केन्द्र	3.5.11	165
XXXIV	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत प्राप्त निधि का विवरण	5.6.1	166

		। नहीं	
		dMdk	i *B
XXXV	क्रय सामग्री का विवरण	5.6.2	167

ckDdFku

- 1 यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
- 2 इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।
- 3 शेष अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और विभिन्न विभागों में सम्पादन लेखापरीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था से संबंध रखते हैं।
- 4 सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उठी टिप्पणियों वाला प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी टिप्पणियाँ रखने वाला प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।
- 5 प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2003–04 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा उनमें से जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके, वर्ष 2003–04 की बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक हैं, भी शामिल किये गए हैं।

fOgakoyksdu

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2003–04 से सम्बन्धित बिहार सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखों के निष्कर्षों पर दो अध्याय तथा तीन अन्य अध्यायों में छः निष्पादन समीक्षाएँ, 18 कंडिकायें तथा सरकारी विभागों में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर समीक्षा शामिल है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अन्तर्निहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में सन्निहित है।

1 jkT; I jdkj dk foÙk

-  o"kl 2003&04 ds nkjku jktLo i kflr; k ½12456 djkm+ #i ; ½ e 1 10Z ds o"kl e jktLo 0; ; ½12711 djkm+ #i ; ½ e 4 ifr'kr dh of) ds fo:) 14 ifr'kr dh of) gbj ftl Is jktLo ?kkvk ½255 djkm+ #i ; ½ 80 ifr'kr de gvkA jktLo ?kkvk ds I kfk i thxr 0; ; ½1549 djkm+ #i ; ½ e 0; ki d of) Is 4363 djkm+ #i ; s dk jktdksh; ?kkvk gvk tks fd I dy ?kj syw mRi kn ½th , I Mh i h dk I kr çfr'kr FkkA
-  26 ifr'kr jktLo i kflr; k jkT; ds vi us I d k/kuka Is gjpA dñnz I jdkj Is I gk; rk vupku dk ; kxnu i 10Z o"kl dh rgyuk e o"kl 2003&04 e 16 ifr'kr c<+ x; kA dñnh; dj gLrkj.k dk ; kxnu Hkh o"kl 2002&03 ds N% ifr'kr Is c<dj o"kl 2003&04 e 16 ifr'kr gks x; kA
-  dj jktLo ds I k/kuka e fcØh dj ½57 ifr'kr½ epkak , oa fucdku 'kvd ½14 ifr'kr½ jkt; mRi kn ½vkB ifr'kr½ vkj okgu dj ½1 kr ifr'kr½ e[; vdknkrk FkkA djÙkj jktLo I k/kuka e vyk@ [kuu , oa /kkrdeZ m|ks ½23 ifr'kr½ vkj C; kt i kflr; k ½1 kr ifr'kr½ e[; vdknkrk FkkA
-  jkT; dk I dy 0; ; o"kl 2002&03 e 13972 djkm+ #i ; s Is o"kl 2003&04 e 2045 çfr'kr dh of) nj Is c<dj 16829 djkm+ #i ; s gks x; kA jktLo 0; ; ½12711 djkm+ #i ; ½ dy 0; ; dk 76 çfr'kr FkkA
-  jktdksh; nkf; Üo ½#i ; s 37453 djkm½ o"kl 2003&04 ds nkjku i 10Z o"kl Is N% ifr'kr c<+ x; k tks fd jktLo i kflr; k dk rhu xuk FkkA çfrHkkfr; k ds : i e vkdflEd nkf; Üoka ds I kfk I kfk ; s nkf; Üo tks fd th , I Mh i h dk 63 çfr'kr Fkk] fopkjuh; gA
-  ?kkVs ds foÙki k;k.k grq e[; r% m/kj ij tkjh fuHkjrk ds dkj.k C; kt Hkxrku o"kl 2002&03 e 3022 djkm+ #i ; s Is 11 ifr'kr c<dj o"kl 2003&04 e 3343 djkm+ #i ; s gks x; kA

jkt dks'kh; ?kkVk tks fd I jdkj ds dy m/kkjka rFkk bl ds dy l d k/ku vUrj dks i nf'kr djrk gS o"kl 2002&03 e 2988 djkM+ #i ; s l s 46 i fr'kr c<dj o"kl 2003&04 e 4363 djkM+ #i ; s gks x; k tks __.k , oa vfxekl ds Hkxrku dk o"kl 2002&03 e 747 djkM+ #i ; s l s 244 çfr'kr c<dj o"kl 2003&04 e 2569 djkM+ #i ; s gks ds dkj.k gvkA jktLo ?kkVk rFkk jkt dks'kh; ?kkVk dk vuq kr o"kl 2003&04 e N% çfr'kr FkkA

fuos k ij de vFkok 'kW; i frQy ds l kfk o"kl nj o"kl Hkkjh jkt dks'kh; ?kkVk dk gksuk yxkrkj jkt dks'kh; vI ryu dks n'kkjh gA th , l Mh ih l s jkt dks'kh; nkf; Ro dk c<k vuq kr i nf'kr djrk gS fd jkT; /khj&/khjs __.k tky e Qd rk tk jgk gA jkT; ds dy foUkh; i fj l Ei fuk; ka , oa nkf; Uoka dk vuq kr Hkh fxjk gS tks ; g bfrxr djrk gS fd nkf; Uoka dk , d cmk Hkkx i fj l Ei fuk; ka ds fcuk l efi r gA

2 fofu; kstu , oa vko/kku gsrq i kFfedrk, W

o"kl 2003&04 ds nkjku jkT; l jdkj us dy ctV i ko/kku 21993-75 djkM- : i ; ds fo:) 22481-90 djkM- : i ; s dk 0; ; fd; ka 488-15 djkM- : i ; s dk l dy vf/kd; 3294-19 djkM- : i ; s dk cpr rFkk 3782-34 djkM- : i ; s ds v'kr% vf/kd; ds i fj .ke Lo: i gvkA

o"kl 1997&98 l s 2003&04 ds fy, 11249-96 djkM- : i ; s ds vf/kdkbz 0; ; dks fu; fer ugha fd; k x; k tks Hkkjr ds l fo/kku ds ?kkjk 205 ds rgr~ okfNr FkkA 3966-13 djkM- : i ; s dk 0; ; 24 ekeyka e 5 djkM- : i ; s ; k ml ds vf/kd , oa i ko/kku ds 50 i fr'kr l s Hkh vf/kd rFkk N% ekeyka e 1249-22 djkM- : i ; s dk 0; ; fouk ctV i ko/kku ds fd; k x; ka

36 ekeyka e 2 djkM- : i ; s l s vf/kd , oa dy ctV i ko/kku ds 10 i fr'kr l s Hkh vf/kd dh l rr~cpr gpa

vxLr 2003 l s ekpZ 2004 ds nkjku 58 ekeyka e l jdkj }kj k i klr 635-19 djkM- : i ; s ds i jd i ko/kku i wkr% vuko'; d l kfcr gpo D; kfd bu ekeyka e 0; ; ey i ko/kku rd Hkh ugha gks i k; k FkkA

jktLo i Hkkx ds vunuku@fofu; kstu ds 27 ekeyka rFkk i Hkkx ds 10 ekeyka e i R; kf'kr cpr 1560-79 djkM- : i ; s vi R; sd ekeys e , d djkM- : i ; s l s vf/kd% dk vH; i Zk ugha fd; k x; k tcfd 8 ekeyka e 26-13 djkM- : i ; s dk vH; i Zk vf/kd , oa 5 ekeyka e 545-69 djkM- : i ; s dk vH; i Zk vuqpr FkkA 71 ekeyka e 3294-19 djkM- : i ; s e l s 2297-46 djkM- : i ; s ekpZ 2004 ds vfUre fnu vH; fi r fd; k d; ka

3 *fu"iknu / eh{kk, ;*

xteh.k LokLF; / okvka dk dk; bdyki

ग्रामीण स्वास्थ्य देख—रेख इकाइयाँ न्यूनतम बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने तथा रेफरल संयोजन में सुधार लाने में विफल रहीं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख पूर्णतः अपर्याप्त थी। चिकित्सा पदाधिकारियों तथा अर्द्ध-चिकित्सा कर्मियों की 95 प्रतिशत तक कमी थी। भारत सरकार के मानकों की तुलना में स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों की काफी कमी थी। ज्यादातर स्वास्थ्य इकाइयों में अंतःसंरचनात्मक सुविधाओं यथा भवन, पेयजल, विद्युत, प्रसुति—गृह सुविधाओं, उपकरणों एवं जाँच सुविधाओं का अभाव था।

- ॥; ure vko'; d dk; Øe ds ekudk dh rgyuk e; jT; e; xteh.k LokLF; ns[kHkky bldkbz k dh I a;k vi ;k;r FkkA deh dk çfr'kr 29 | s 88 çfr'kr ds chp FkkA
 - vf/kdkd k mi dñnk çkFfed LokLF; dñnk@vfrfjDr çkFfed LokLF; dñnk rFkk jQjy vLirkyk e; vr% jpuKRed I fo/kk, ; Fkk ,DI &js bdkbz k vko'; d mi dj.kk rFkk tkp I fo/kvka dk vHkko FkkA
 - ueuk tkfpr ftyk e; 49 çfr'kr mi dñnk rFkk 41 çfr'kr çk- Lok- ds@vk- çk- Lok- ds ds i kl dkbz Hkou ugha FkkA 45 çfr'kr mi dñnk rFkk 36 çfr'kr çk- Lok- ds@v- çk- Lok- ds ,oa 38 çfr'kr jQjy vLirky ds Hkou {kfrxLr voLFkk e; FkkA
 - 'khr Ja[kyk mi dj.kk ds vfØ; kfJor jgus I s çfrj{k.k dk; Øe çHkkfor gvkA jT; e; ckydk ds çfrj{k.k dk Hkkfrd çn'ku 20 çfr'kr ds fuEu Lrj ij FkkA
 - LokLF; ns[kj{k bldkbz k e; fpfdRI k ,oa v) &fpfdRI k dfez k rFkk rduhf'k; uk dk vHkko FkkA o"KZ 2002&04 ds nk'ku 39 v- çk- Lok- ds ds i kl dkbz fpfdRI d ugha Fks rFkk nok, i v) &fpfdRI k dfez k }jk k fy[kh tkrh FkkA
 - ueuk&tkfpr 10 ftyk e; foedr fd, x, 10-11 djkm+ #i ; s ds dñnk; jkf'k e; I s 8-68 djkm+ #i ; s vI fud tek e; tek Fk 0-50 djkm+ #i ; s nokvka ds Ø; e; [kpz fd, x, Fks rFkk 0-93 djkm+ #i ; s VH; fi]r FkkA
- %dfMdk 3-1%*

ç/kkuezh xte / Md ; kstu k /i h , e- th- , l- okbz/

बिहार में 500 या उससे अधिक आबादी के 17920 निवास स्थलों को 9628 सड़कों (33351 किलोमीटर) का निर्माण कर सर्वश्रद्धा पथ से जोड़ना अपेक्षित था। परंतु मात्र कुछ निवास स्थलों (10 प्रतिशत) को ही दो चरणों में 969 सड़कों (2400 किलोमीटर के निर्माण द्वारा) द्वारा जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके विरुद्ध मात्र 172 सड़कों (466 किलोमीटर) का निर्माण किया जा सका। विभाग के पास इन सड़कों से

लाभान्वित निवास स्थलों की संख्या का कोई आंकड़ा नहीं था। त्रुटिपूर्ण परियोजना प्रतिवेदनों, अनुचित योजना तथा प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अभाव के कारण योजना प्रभावित हुई।

- ॥ i h , e th , l okbZ pj.k I rFkk pj.k II ds fy, Lohdfr 149-90
dj kM+ #i ; s rFkk 302-98 dj kM+ #i ; s eI s ebZ 2004 rd Øe' k% 95-
06 dj kM+ ½3 çfr' kr½ rFkk 91-75 dj kM+ ½1 çfr' kr½ gh [kpZ fd,
tk I ds FkA
- ॥ pj.k I ds rgr 629 fuokl LFkyka dks tkMts gsrq Lohd'r 299
I Mdk ka ½860 fd- eh-½ eI s ek= 280 I Mdk i j dk; Z vkJkk fd,
x, ftI eI 127 I Mdk i wkl fd, x, rFkk pj.k II eI 1236 fuokl
LFkyka dks tkMts gsrq Lohd'r 670 ½1540 fd-eh-½ I Mdk eI s ek=
45 I Mdk gh ebZ 2004 rd i wkl fd, x, FkA
- ॥ Hkkj r I j dkj ½Hkk- I -½ ds rduhdh ekudka dks fn'kk funkk dks
mYyku dj i fj; kstuk çfronu rskj fd, x, A
- ॥ N% vfHkdj .kk dks mudh I eFkjk I s i js dk; Z I kks s x, ftI ds
i fj. kkeLo: i 32-87 yk[k #i ; s eW; ds dk; Z v/kjs i M\$ jgA
- ॥ 449 I Mdk dk; kka i j 21-20 dj kM+ #i ; s ds cld xkjkh ugha fy,
tkus ds i fj. kkeLo: i I vndkka dks I Mdk dk; kka ds ns[k&jsk ds
I cdk eI dkbZ fteokjh ugha FkA
- ॥ I kr ftyka dks uks i skstka eI 4-26 dj kM+ #i ; s ds dk; Z dks uDI y
I eL; k] vydrjk@Hkfe dh vuq yC/krk] Hkxrku eI foyc vkn
dkj .kk I s NkM+fn; k x; kA
- ॥ jk"Vh; xq koUkk çcksdkdks }kj k fujhf{kr 226 I Mdk eI s ek= 10
çfr'kr gh ekudka dks vk/kkj i j fufelr FkA
½dfMdK 3-2½

cky Je dk dk; klo; u ½fu"vk rFkk fofu; eu½ vf/kfu; e] 1986

बाल श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम) एक केन्द्रीय अधिनियम है जिसे सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। यह अधिनियम अन्य सह-अनिधनियमों के साथ तथा इसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत 14 वर्षों की आयु से कम के बालकों की नियुक्ति कारखानों, खानों तथा सांयोगिक पेशाओं में करने से मना करना है। निषिद्ध पेशाओं तथा प्राक्रियाओं की अनुसूची में संशोधन करने, बालकों के कार्य की शर्त को नियंत्रित करने तथा सजा बढ़ाने हेतु यह अधिनियम एक कार्यविधि की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु आरम्भ किये गये अभियोजन मामलों पर अनुपालन प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी। तदन्तर, बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण निधि को (बा. श्र. पु. क. नि.) प्रभावित परिवारों को नियोजन प्रदान करने हेतु उन्नत नहीं किया जा सका। बाल श्रमिक की शिक्षा हेतु विशेष विद्यालय की स्थापना भारत सरकार (भा.स.) के दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं की गयी।

- vkB o"kkä ds foyc ds ckn Qjojh 1996 eä jkT; I jdkj }jk k bl vf/kfu; e dks vf/kl fpr fd; k x; hA
 - cky Je mYyku ds 17]632 ekeyka ds fo:) ek= 1]468 ¼vkB çfr'kr½ 1999&2004 ds nkjku vflk; kftr fd; s x; hA
 - 38 ftyka eä l s ek= rhu ¼vkB çfr'kr½ eä jk- ck- J- i- ds vUrxt ykxw gøkA
 - I kä kfxd i\$kk ds cnys xg vk/kkfjr i\$kkvka l s fo'ks"k fo | ky; kä us ckydkä dh oki l h dj yhA
 - fdl h Hkh çHkkfor i fjokj ds o; Ld I nL; dks u rks ukSdjh nh x; h u jkT; I jdkj }jk k dY; k.k fuf/k eä dkbz jkf'k gh tek dh x; hA

1/4 df Mdk 3-3½

Hkkjrh; vkskf/k , oagkse; ksfkh i) fr

सरकार ने भारतीय औषधि एवं होमियोपैथी पद्धति (आई. एस. एच.) की स्थापना इन पद्धतियों में चिकित्सा प्रदान करने हेतु चिकित्सा की उपलब्धता एवं सामान्य जन को समुचित मुल्य पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु की थी। विभाग भारतीय औषधि एवं होमियोपैथी पद्धति (आई. एस. एच.) में पर्याप्त शैक्षिक तथा अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान करने में विफल रही तथा राज्य में स्वास्थ्य संरक्षा सेवाएँ भी रुग्न अवस्था में थीं। महाविद्यालयों तथा चिकित्सालयों के कार्यकलाप आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं, अपर्याप्त शिक्षण/गैर शिक्षण तथा चिकित्सीय/परा-चिकित्सीय कर्मियों एवं औषधि हेतु निधि की कमी तथा अनुश्रवण एवं उपस्करों की अनुपलब्धता से बाधित थे।

- vk; p^fnd] ; wukuh rFkk gkfe; k^skh fpfdRI k egkfo | ky; k^a rFkk fpfdRI ky; k^a us f' k{k.k} x^j f' k{k.k} fpfdRI dh; rFkk i jk&fpfdRI h; dfel; k^a ds i fjfu; kstu l^ckh Hkjrh; vks^kf/k ds d^lnh; i fj"kn rFkk gkfe; k^skh ds d^lnh; i fj"kn] u; h fnYyh }kjk foegr vko'; d ekunM dks i jk ugha fd; kA
 - jkt dh; gkfe; k^skh fpfdRI k egkfo | ky; rFkk fpfdRI ky; ejt[¶]Qj i j l s ; Fks^V l a[; k e^a fo | kFkhZ gj o"kl i <k^bZ NkM+ns^s FksA
 - vk; p^fnd egkfo | ky; l g fpfdRI ky;] cxi^a jk; ,oa jkt dh; fr^cch egkfo | ky;] i Vuk dk dk; Zdyki vi; k^ar euyHkr l j pukRed l fo/kkvka ds dkj .k ckf/kr FkkA
 - jkt dh; vk; p^fnd egkfo | ky; @fpfdRI ky;] i Vuk ds f' k' kq vkdflEd ,oa vu^ddkku foHkkx e^a o"kl 1999&2003 dh vof/k e^a dk^bZ Hkh jks^kh dk bykt ugha fd; k x; k FkkA

Hkkjr | jdkj }kjk vk; pfnd , oa ; ukuh egkfo | ky; k@QkefI ; k ds vr% jpukeRd | n<hdj.k gsq fn; s x; s 1-25 dj kM+ #i ; s es | s 0 ; fd; s x; s 73-22 yk[k #i ; s fuj Fkld jgA

Hkk- vks gks foHkkx }kjk vk; pfnd] gkse; k\$Fkd , oa ; ukuh egkfo | ky; k rFkk vksk/kky; k ds dk; Idyki ds vuqlo.k , oa eW; kdu gsq dkbz LFkkfi r 0; oLFkk ugha FkhA

1/dfMdK 3-4½

m/kx foHkkx ds dk; Idyki

उद्योग विभाग का वित्तीय प्रबंधन, अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण प्रणाली यथा वृहत बचत, बजट प्रावधानों के बगैर निधियों की अनावश्यक निकासी आदि से ग्रस्त था। औद्योगिक विकास योजनाओं का अनुपालन अव्यवहत निधियों, निधियों के दुरुपयोग एवं विचलन, अपूर्ण तथा कालातित योजनाओं पर व्यय एवं कम संख्या में रोजगार सृजन के मामलों से बुरी तरह प्रभावित था। राज्य में नये उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में भी विभाग विफल रहा। राज्य में वृहत विकास केन्द्रों एवं लघु विकास केन्द्रों के प्रयास भी निष्फल रहे। हाजीपुर में औद्योगिक पार्क की स्थापना नहीं की जा सकी। औद्योगिक प्रक्षेत्र विकास प्राधिकरण वर्ष 1999 तथा 2004 के मध्य औद्योगिक प्रक्षेत्रों के विकास में विफल रहा एवं इसी अवधि में आवंटित प्रक्षेत्रों में 1236 कार्यरत उद्यमियों में से 675 उद्यमियों ने अपने इकाई बंद कर लिये थे।

foHkkx dk ctV okLrfod vko'; drk ij vk/kkfjr ugha FkkA QyLo: i 1999&2004 ds nkjku 200-02 dj kM+ #i ; s dh ogr cpr gpa fuf/k; k ds vHkkko ea 14 jkt; rFkk , d d\$hnz | a kf"kr ; kstukvka dks vkjEHk rd ugha fd; k x; kA

3-11 dj kM+ #i ; s dh jkf'k dh vfu; fer fudkl h] fuf/k; ks dks l ekir gkus l s cpkus gsq funskd] rduhdkh fodkl rFkk m|kx funskd }kjk 1ekpz 2001 rFkk ekpz 2003½ dj yh x; h rFkk rc l s bl s fl foy tek ea j [kk x; kA bl ds vyko} ; kstuk en ea n'kkz k x; k 32-25 dj kM+ #i ; s dk 0; ; okLro ea vks| kfxd c{ks= fodkl ckf/kdj .kka rFkk vks| kfxd MkVk c{ks= ds [kkrk ea i M k jgkA

m|kx funskd us , d dj kM+ #i ; s dk Hkkxrku fcgkj i \$ofy; u ds fuekZ k dksydkrk ea djus gsq ekpz 1998 ea Hkkjr rh; xkeh.k f'KYi U; kI dksydkrk dks fd; kA dkbz fuekZ k dk; z U; kI }kjk ugha fd; k x; k vks jkf'k dk mi ; kx U; kI }kjk fd; k x; kA

vkbz , - Mh- , - }kjk fodfl r Hkkfe ij dk; jjr 1236 m|fe; kA ea l s 675 m|fe; kA us 1999&2004 ds nkjku viuh bdkb; kA dks cUn vi ; kI r vks| kfxd m|ku dk fuekZ k vkjEHk gh ugha gqkA

Hkk&vtlu ugha gkus ds dkj.k 12 o"kl 0; rhr gks tkus ij Hkh dkbz ogr fodkl d\$hnz i wkl ugha gks ik; kA gkthi j ea fu; kI r mUfr vks| kfxd m|ku dk fuekZ k vkjEHk gh ugha gqkA

jkt; e[॥] detkj vkkjHkr I j puk ds dkj.k vks] kfxd fodkl I jdkj dh ?kfs"kr uhfr ds m[॥]s; Is dkQh de FkkA jkt; e[॥] ek= 20 çfr'kr vks] kfxd bdkb; k[॥] dk; Jr FkhA ?kjsyw m|ks {ks=k[॥] ds vUrxr 1999&2003 ds nk[॥]ku fuos k dks 37-24 djkm+ #i ; s Is 46-38 djkm+ #i ; s dj fn; k x; k tcfld ml h vof/k e[॥] jkstxkj I tu 15475 Is ?kvdj 13622 gks x;kA

1/dfMdk 3-5½

4 I Eiknu yqkkijh{kk

4-1 di Viwk[॥]fudkl h@nfofu; kstu@xcu@gfku

vi ; k[॥]r i ; b[॥]kdh; fu; a.k ds dkj.k 2-54 yk[k #i ; s ds nfofu; kstu ds vykok 19-08 yk[k #i ; s ds vfxe dk vfhlkJok[॥] ds ox[॥] I ek; kstuA

1/dfMdk 4-1-1½

nks fofoHku dk; Z ftI ds vrxxr ckDI e[॥] iFk I kefxz; k[॥] bMka vkn ds Hkjuk 'kkfey Fkk ds fy, 1-14 djkm+ #i ; s dk Hkxrku fd; k x; k tcfld ckDI dkVus ds fy, feeh dh dvkbz vki'kd gip[॥] FkhA

1/dfMdk 4-1-2½

jkdm+ i ath ds I akkj.k Is I cf/kr fu; e ds çko/kuka ds vuqkyu e[॥] ch- Mh- vks] pfcl; k dh foQyrk ds QyLo: i 45-99 yk[k #i ; s dk nfofu; kstu gvk rFkk 1-02 djkm+ #i ; s dk ys[kkd[॥]j.k ugha fd; k x; kA

1/dfMdk 4-1-3½

jkdm+ i ath rFkk vU; ys[kk vfHkys[kk ds vI akkj.k Is 64-65 yk[k #i ; s dk nfofu; kstu de ys[kkd[॥]j.k rFkk 0; ; dh vfu; fer çfot"V gpa

1/dfMdk 4-1-4½

4-2 fu"Qy@0; FkZ 0; ; , o[॥] vf/ld Hkxrku

iEi gkml dks I e; Is ijik gkus dks I fuf'pr djus e[॥] ch- Mh- vks] ij[॥] k dh foQyrk Is 87-03 yk[k #i ; s dk fu"Qy 0; ; gvkA

1/dfMdk 4-2-1½

fuf/k dh mi yC/krk dks I fuf'pr djus ds fy, mfpr ; kstuk ds cx[॥] dk; Z vkJEHk fd; s tkus ds QyLo: i v/kj s dk; Z ij 1-77 djkm+ #i ; s dk fu"Qy 0; ; gvkA

1/dfMdk 4-2-2½

4-3 *i fjjgk; l@v kf/kD; @fu"Qy Ø; ;*

*f t y k U; k; ky;] u o k n k e s o " k k l s v L F k k; h : i l s f u; ; 124
d f e l; k s d s j g u s d s Q y L o: i 4-05 d j k M+ # i ; s d k v u f / k d r
H k x r k u g v k A*

1/2 Mdk 4-3-1½

86 v; k k; l l d r f o | k y; k s d k s l e; i j v e k U; d j u s e s c h- , l - , l - c h- d h f o Q y r k d s d k j . k m u d s f' k { k . k r F k k x & f' k { k . k d f e l; k s d s o s u H k x r k u i j 6-80 d j k M+ # i ; s d k i f j g k; l 0; ; g v k A

1/2 Mdk 4-3-2½

I e k g U k k l i V u k u s 1-34 d j k M+ # i ; s d h j k t L o c k f l r; k s @ v u n k u d k k l y; 0; ; i j v u f / k d r : i l s m i ; k x f d; k A

1/2 Mdk 4-3-6½

i F k Ø L V e s v k o'; d o L r y k s d k i k o / k u u g h a g k u s d s Q y L o: i 1-94 d j k M+ # i ; s d k i F k d k; l f u E u L r j h; g v k A

1/2 Mdk 4-3-7½

= f V i w k l ; k s t u k d s d k j . k i F k d s f u e k l k i j 1-54 d j k M+ # i ; s d k f d; k x; k 0; ; f u " Q y F k k A

1/2 Mdk 4-3-8½

4-4 *f u f " Ø; f u o s k @ f u f " Ø; L F k k i u k @ f u f / k d k v o j k s k u*

i V u k d s , d v d k; l k h y d f " k ¼; k f = d h ½ d k j [k k u k i j 2-61 d j k M+ # i ; s d k 0; ; f d; k x; k A

1/2 Mdk 4-4-1½

5 *v k a r f j d f u; k r k r f k k v k a r f j d y s k k i j h { k k c. k k y h*

आंतरिक नियंत्रण तंत्र प्रबंधन तकनीक का एक अभिन्न अंग है जिसके द्वारा संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाकलापों का प्रभावी ढंग से संचालन करती है। आंतरिक नियंत्रण में सन्निहित नियमों, विनियमों संहिताओं तथा अनुदेश पुस्तिकाओं के अनुपालन से त्रुटियों और अनियमितताओं की संभावना कम होता है। प्राथमिक और जन शिक्षा विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र के जाँच में पाया गया कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावशाली रूप से कार्यरत नहीं थी।

o k L r f o d t: j r k s d k s /; k u e s j [k s f c u k o " k l 2000&04 d s c t V v u n k u c u k; s x; s F k k A

I E i w k l l k { k j r k v f h k; k u v k j l o l f' k { k k v f h k; k u d s d k; k l o; u e s v u p o. k v k j v k a r f j d l e l o; d k v H k k o F k k A

- ବିହାରି ଜାତିକାନ୍ ପରିଷଦ୍ ଯେଉଁ ଏହାରେ ଆମେ କଥା କହିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ଆମେ କଥା କହିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ଆମେ କଥା କହିବାକୁ ପାଇଁ
- ବିହାରି ଜାତିକାନ୍ ପରିଷଦ୍ ଯେଉଁ ଏହାରେ ଆମେ କଥା କହିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ଆମେ କଥା କହିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ଆମେ କଥା କହିବାକୁ ପାଇଁ

v/; k; &I

jkt; | jdkj dk foUk

/ kjkdk

वर्ष 2003–04 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (12456 करोड़ रुपये) में पूर्व के वर्ष में राजस्व व्यय (12711 करोड़ रुपये) में 4 प्रतिशत की वृद्धि के विरुद्ध 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे राजस्व घाटा (255 करोड़ रुपये) 80 प्रतिशत कम हुआ। राजस्व घाटा के साथ पूंजीगत व्यय (1549 करोड़ रुपये) में व्यापक वृद्धि से 4363 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा हुआ जो कि सकल घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का सात प्रतिशत था।

केवल 26 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के अपने संसाधनों से आई जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान का योगदान राजस्व प्राप्तियों में 74 प्रतिशत था। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान का योगदान पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2003–04 में 16 प्रतिशत बढ़ गया। केन्द्रीय कर हस्तांतरण का योगदान भी वर्ष 2002–03 के छः प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2003–04 में 16 प्रतिशत हो गया।

कर राजस्व के साधनों में बिक्री कर (57 प्रतिशत), मुद्रांक एवं निर्बंधन शुल्क (14 प्रतिशत), राज्य उत्पाद (आठ प्रतिशत) और वाहन कर (सात प्रतिशत) मुख्य अंशदाता थे। करेतर राजस्व साधनों में अलौह/खनन एवं धातुकर्म उद्योग (23 प्रतिशत) और ब्याज प्राप्तियाँ (सात प्रतिशत) मुख्य अंशदाता थे।

राज्य का सकल व्यय वर्ष 2002–03 में 13972 करोड़ रुपये से वर्ष 2003–04 में 20.45 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़कर 16829 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व व्यय (12711 करोड़ रुपये) कुल व्यय का 76 प्रतिशत था। राजकोषीय दायित्व (रुपये 37453 करोड़) वर्ष 2003–04 के दौरान पूर्व वर्ष से छः प्रतिशत बढ़ गया जो कि राजस्व प्राप्तियों का तीन गुना था।

घाटे के वित्तपोषण हेतु मुख्यतः उधार पर जारी निर्भरता के कारण ब्याज भुगतान वर्ष 2002–03 में 3022 करोड़ रुपये से 11 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2003–04 में 3343 करोड़ रुपये हो गया।

राजकोषीय घाटा जो कि सरकार के कुल उधारों तथा इसके कुल संसाधन अन्तर को प्रदर्शित करता है वर्ष 2002–03 में 2988 करोड़ रुपये से 46 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2003–04 में 4363 करोड़ रुपये हो गया जो ऋण एवं अग्रिमों के भुगतान का वर्ष 2002–03 में 747 करोड़ रुपये से 244 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2003–04 में 2569 करोड़ रुपये होने के कारण हुआ। राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा का अनुपात वर्ष 2003–04 में छः प्रतिशत था।

निवेश पर कम अथवा शून्य प्रतिफल के साथ वर्ष दर वर्ष भारी राजकोषीय घाटा का होना लगातार राजकोषीय असंतुलन को दर्शाता है। यह राज्य के लिए असामान्य नहीं है कि वह सामाजिक एवं आर्थिक अंतःसंरचना आधार को बढ़ाने के लिए उधार लें। यद्यपि जी एस डी पी से राजकोषीय दायित्व का बढ़ा अनुपात प्रदर्शित करता है कि राज्य धीरे-धीरे ऋण जाल में फँसता जा रहा है। बिहार में राजकोषीय दायित्व से जी एस डी पी का 63 प्रतिशत अनुपात लंबी अवधि में ऋण की अधारणीयता को प्रदर्शित करता है।

1-1 *çLrkouk*

बिहार सरकार के वित्त लेखे राज्य सरकार की संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में राजस्व एवं पूँजीगतवार प्राप्तियाँ एवं व्यय को दर्शाती है जिसे 19 विवरणियों में तैयार किया जाता है। वित्त लेखे की रूपरेखा प्रकोष्ठ 1.1 में प्रदर्शित है।

çdkš'B 1-1

foÙk ys[ks dh # i & j s[kk

विवरणी सं. 1 राज्य के संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में राज्य सरकार के लेन-देनों – प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व एवं पूँजीगत, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं वितरण आदि का सारांश प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 2 वर्ष 2003–04 के अंत तक उत्तरोत्तर व्यय को दर्शाती पूँजीगत परिव्यय के संक्षिप्त विवरणी को अंतर्विष्ट करती है।

विवरणी सं. 3 कृषि कार्यों के वित्तीय परिणामों, उनके राजस्व प्राप्तियों, क्रियान्वयन व्यय तथा रखरखाव प्रभारों, पूँजीगत परिव्यय, सकल लाभ व हानि आदि की सूचना देती है।

विवरणी सं. 4 राज्य की ऋण स्थिति जिसमें आंतरिक ऋण, भारत सरकार से कर्ज, अन्य दायित्व व ऋण निर्माचन शामिल है, का सार प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 5 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कर्ज एवं पेशगियों, उनकी वसूली, बकाए वसूली आदि का सार प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 6 सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा उगाहे गए ऋणों आदि के अदायगी हेतु सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का सार प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 7 रोकड़ शेषों तथा वैसे शेषों से किए गए निवेशों का सार प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 8 31 मार्च 2004 को संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में शेषों का सार प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 9 सकल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2003–04 के लिए विभिन्न शीर्षों के तहत राजस्व एवं व्यय को दर्शाती है।

विवरणी सं. 10 वर्ष के दौरान भारित एवं दत्तमत व्यय का वितरण दर्शाती है।

विवरणी सं. 11 लघु शीर्षों के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 12 दीर्घ शीर्ष वार पूँजीगत व्यय तथा गैर-योजना, राज्य योजना एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय का लेखा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 13 वर्ष 2003–04 के दौरान तथा अंत तक पूँजीगत व्यय का विस्तृत व्यौरा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 14 वर्ष 2003–04 के अंत तक सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कंपनियों, सहकारी बैंकों एवं संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेशों का विवरण दर्शाता है।

विवरणी सं. 15 वर्ष 2003–04 के अंत तक पूँजीगत एवं अन्य व्यय को दर्शाते हुए उन व्ययों के लिए मुहैया की गयी निधियों के मुख्य स्रोत का विवरण प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 16 ऋण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से संबंधित शीर्षों के तहत प्राप्तियाँ/वितरण एवं अधिशेषों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 17 बिहार सरकार के ऋणों एवं ब्याज धारित दायित्वों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 18 बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त कर्जे एवं पेशगियों, वर्ष के दौरान ऋण अदायगी की राशि, 31 मार्च 2004 को शेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 19 सुरक्षित निधियाँ के विनिर्दिष्ट अधिशेषों का व्यौरा प्रस्तुत करती है।

1-2 *i n̄l o"kl dī rgyuk ei folk dī cōfr; k̄*

पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार का वित्त निम्नवत् था:

144 i ; s djklM+ek

2002-03	Øe a	o gr ef"V; k̄	2003-04
10968	1.	j kt Lo ckflr; k̄ (2+3+4)	12456
2761	2.	कर राजस्व	2890
261	3.	करेतर राजस्व	320
7946	4.	अन्य प्राप्तियाँ	9246
16	5.	xj _____.k i pthxr ckflr; k̄	10
16	6.	जिसमें ऋणों की वसुली	10
10984	7.	dly ckflr; k̄ (1+5)	12466
10901	8.	xj ; kst uk 0; ; (9+11+12)	11683
10901	9.	राजस्व लेखे पर	11627
3022	10.	जिसमें ब्याज भुगतान	3343
नगण्य	11.	पूँजीगत लेखे पर	56
-	12.	वितरित ऋण एवं पेशगियाँ	-
3071	13.	; kst uk 0; ; (14+15+16)	5146
1354	14.	राजस्व लेखे पर	1084
970	15.	पूँजीगत लेखे पर	1493
747	16.	वितरित ऋण एवं पेशगियाँ	2569
13972	17.	dly 0; ; (8+13)	16829
2988	18.	j kt dkskh; ?kkVk (17-1-5)	4363
1287	19.	j kt Lo ?kkVk (9+14-1)	255
(-) 34	20	ckFfed ?kkVk (+) / vlf/kD; (-) (18-10)	1020

1-3 *o"kl ds ckflr; k̄, o/ forj. k̄ dk / k̄*

सारणी I वर्ष 2003–04 के लिए बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करती है जिसमें वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं व्यय, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण तथा लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं संवितरण समाहित हैं जो वित्त लेखे के *i fjf' k"V&I* एवं अन्य विस्तृत विवरणियों से परिलक्षित होते हैं।

I kj . kh & I o"kl 2003&04 ds fy, ckflr; ka , oa I forj . kka dk I kj
14#i ; s ckfM+e1

2002-03	ckflr; kj	2003-04	2002-03	I forj . k	2003-04		
[kM&v % jktLo					xj & ; kst uk	; kst uk	dy
10968.42	I. jktLo ckflr; kj	12455.56	12255.13	I. jktLo 0; ;	11627.29	1083.54	12710.83
2761.05	कर राजस्व	2889.69	6574.14	सामान्य सेवाएँ	7151.13	24.33	7175.46
260.82	करेतर राजस्व	320.38	3915.71	सामाजिक सेवाएँ	3367.15	666.28	4033.43
6549.23	शुल्कों में संघीय राज्यांश	7627.87	1763.46	आर्थिक सेवाएँ	1105.25	392.93	1498.18
1397.32	भारत सरकार से अनुदान	1617.62	1.82	सहायतानुदान/ अंशदान	3.76	--	3.76
[kM&C % i /t h							
-	II विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	969.74	II पूँजीगत परिव्यय	56.30	1492.87	1549.17
15.58	III. ऋण एवं पेशगियों की वसूली	10.45	747.19	III संवितरित ऋण एवं पेशगियाँ	--	2568.92	2568.92
4189.80	IV लोक ऋण प्राप्तियाँ*	5068.51	1526.35	IV लोक ऋण अदायगी	--	--	2801.64#
5584.15	V लोक लेखा प्राप्तियाँ	7440.06	4822.34	V लोक लेखा संवितरण	--	--	5788.95#
- 344.35	आरंभ शेष	92.85	92.85	अंत शेष	--	--	- 352.08
20413.60	; kx	25067.43	20413.60	; kx			25067.43

* निवल अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफटों को शामिल करते हुए।

1-4 yqfkkijh{k k dk; L. kkyh

वित्तीय लेखे पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ प्राप्तियों एवं व्यय के मुख्य राजकोषीय समिटियों में प्रवणता दर्शाती हैं तथा वर्ष 2003–04 के वित्तीय लेखे की विवरणी से और जहाँ कही भी आवश्यक हो, इन्हें कालबद्ध ऑकड़ों के आलोक में (i f f' k"V I | s IV) तथा आवर्ती तुलनाओं में प्रदर्शित करती है।

राज्य वित्त के विश्लेषण हेतु अपनाए गए मुख्य सूचक हैं (i) मात्रा एवं स्रोत के आधार पर संसाधन (ii) संसाधनों का उपयोग (iii) परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व तथा (iv) घाटा प्रबंधन। लेखापरीक्षा टिप्पणियों ने संसाधन जुटाने के प्रयासों, ऋण निर्माचन तथा सुधारात्मक राजकोषीय उपायों के संयुक्त प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया है। राज्य सरकार का एक निगम निकाय के रूप में सकल वित्तीय प्रदर्शन अनुपातों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे राजकोषीय समिटियों के संबंधात्मक व्याख्या के लिए साधारणतया अपनाया गया है।

पुनर्गठन अधिनियम के तहत 15 नवंबर 2000 की प्रभावी तिथि से पूर्वकालिक बिहार राज्य उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड राज्यों में विभाजित कर दिया गया है। अतः सरकार के वित्तीय प्रदर्शनों के सूचकों द्वारा 14.11.2000 तक बिहार एवं झारखण्ड संयुक्त राज्य के वित्तीय लेखे के ऑकड़े तथा 15.11.2000 से उत्तरवर्ती बिहार राज्य संदर्भित ऑकड़ों को ध्यान में रखा गया है। प्रतिवेदन का प्राचल प्रकोष्ठ 1.2 में दर्शाया गया है।

**çdkkB 1-2
çfronu dk ckpy**

राजकोषीय राशियाँ यथा कर एवं करेतर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटों को चालू बाजार मूल्यों पर जी. एस. डी. पी. के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नई जी. एस. डी. पी. श्रृंखला, जैसा कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा ‘बजट एक झलक में’ दिखाया है, का उपयोग किया गया है।

कर राजस्व, करेतर राजस्व, राजस्व व्यय आदि के लिए उत्पादक प्रक्षेपण भी प्रदान किए गए हैं जिससे कि जी. एस. डी. पी. द्वारा प्रतिनिधित्व आधार की तुलना में उतार-चढ़ावों के और आगे के विस्तार का आंकलन किया जा सके।

अधिकांश श्रृंखलाओं के लिए वर्ष 1999–2004 के दौरान विकास के रुझान को दर्शाया गया है जी. एस. डी. पी. के सापेक्ष अनुपातों को भी दर्शाया गया है। यहाँ प्रयोग की गयी कुछ शब्दावलियाँ *i fjf' k"V&V* में विवरणित हैं।

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों यथा (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा में रखा जाता है जैसा कि प्रकोष्ठ 1.3 में परिभाषित किया गया है।

çdkkB 1-3 jkt; / jdkj dñ fuf/k , oñ ykd ysñkk

I fpr fuf/k	vkdfLedrk fuf/k	ykd ysñkk
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर उगाहे गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत स्थापित ‘राज्य की संचित निधि’ शीर्षित एक संचित निधि का निर्माण करेंगे।	संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय के रूप में राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में रहती है जिससे कि वे विधायिका के प्राधिकार के बगैर ही आवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए पेशगियाँ दे सकें। ऐसे व्यय तथा संचित निधि से समान राशि के निकासी हेतु विधायिका से तदनन्तर स्वीकृति ली जाती है जिससे कि आकस्मिकता निधि से दी गयी पेशगियों की प्रतिपूर्ति की जा सके।	संचित निधि से संबंधित सरकार के सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अलावा कुछ अन्य लेन-देन भी सरकारी लेखे में प्रवेश पाते हैं जिसके संबंध में एक सरकारी बैंकर की तरह कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंद्ध लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार से प्राप्त लोक धन को अनुच्छेद 266 (2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है और उससे संबंधित वितरण किये जाते हैं।

बिहार और झारखण्ड के परवर्ती राज्यों के मध्य परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की पूर्णता के बाद 14 नवंबर 2000 के बाद के बिहार के परवर्ती राज्य के वित्तीय प्रदर्शन के सूचकों में परिवर्तन हो सकता है।

1-5 ek=k , oñ / krkñ }kjk / d k/ku

राज्य सरकार के संसाधन राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियों से समायुक्त हैं। राजस्व प्राप्तियाँ कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदानों से समायुक्त हैं। पूँजीगत प्राप्तियाँ विविध

पूँजीगत प्राप्तियों यथा बिक्रियों से लाभ, ऋणों एवं पेशगियों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ, यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों आदि से उधार तथा भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियों के साथ-साथ लोक लेखे के उपार्जनों से समाविष्ट हैं।

सारणी 2 यह दर्शाती है कि वर्ष 2003–04 के लिए राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ 24974.58 करोड़ रुपये थीं जिसमें से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ मात्र 12455.56 करोड़ रुपये थीं जो कुल प्राप्तियों का 49.87 प्रतिशत था। शेष प्राप्तियाँ उधार एवं लोक लेखा प्राप्तियों की थीं।

I kj . kh&2 & fcgkj ds | d k/ku

~~#i ; s djkm+ei#~~

I jktLo ckflr; k;	12456
II i thxr ckflr; k;	5079
अ विविध प्राप्तियाँ	-
ब ऋण एवं पेशगियों से वसूली	10
स लोक ऋण प्राप्तियाँ	5069
III ykd ykk ckflr; k;	7440
क लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	987
ख सुरक्षित निधि	-
ग जमा एवं पेशगियाँ	3154
घ उचंत एवं विविध	2079
ड जमा	1220
dly ckflr; k;	24975

1-5-1 jktLo ckflr; k;

वित्तीय लेखे की विवरणी-11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 1999–2000 (पूर्ववर्ती समग्र राज्य) में 10659 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2003–04 में (परवर्ती राज्य) 12456 करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष 2003–04 के दौरान पूर्व वर्ष से राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 14 प्रतिशत, मुख्यतः संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश की 16 प्रतिशत वृद्धि तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान में 16 प्रतिशत वृद्धि के कारण थी।

समग्र राजस्व प्राप्तियाँ, उसकी वार्षिक वृद्धि दर, इन प्राप्तियों और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.) का अनुपात एवं उनकी उत्प्लावकता सारणी 3 में प्रदर्शित है।

I kj . kh 3 % jktLo ckflr; k; & eiy ikpy


~~ykfk djkm+i; sei, oivll; ifr'kr el#~~

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
राजस्व प्राप्तियाँ	10659	11177	9839	10968	12456
निजी कर	28.94	25.13	23.57	25.17	23.20
करेत्तर राजस्व	10.94	6.37	2.91	2.38	2.57
केन्द्रीय कर स्थानांतरण	46.55	58.84	62.78	59.71	61.24
सहायता अनुदाने	13.57	9.66	10.74	12.74	12.99
वृद्धि दर	14.66	4.86	(-)11.97	11.47	13.57
राजस्व प्राप्तियाँ/ जी. एस. डी. पी.	14.79	22.63	19.30	19.35	20.81
राजस्व उत्प्लावकता	1.666	-0.154	-3.686	1.026	2.42
जी. एस. डी. पी. वृद्धि	8.80	(-) 31.49	3.25	11.18	5.60

सारणी में रिक्त स्थान ऋणात्मक उत्प्लावकता को प्रदर्शित करते हैं।

कर राजस्वों में, माल एवं यात्रियों पर करों में 16 प्रतिशत की वृद्धि, वाहन करों में 18 प्रतिशत की वृद्धि तथा निबंधन एवं मुद्रांक शुल्कों में 20 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष के दौरान राजस्व में उच्च वृद्धि के मुख्य कारक थे। अन्य प्रशासनिक सेवा प्राप्तियों में 431 प्रतिशत की उछाल तथा गैर-लौह खनन् एवं धातुकर्मीय उद्योगों से प्राप्तियों में 20 प्रतिशत की वृद्धि तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में 145 प्रतिशत की वृद्धि, करेतर राजस्व में वृद्धि के प्रमुख कारक थे।

राज्य के अपने कर राजस्व का बहुत स्रोत बिक्री कर था जिसका कर राजस्व में 57 प्रतिशत का योगदान था, जिसके बाद मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क (14 प्रतिशत), माल एवं यात्रियों पर कर (11 प्रतिशत), राज्य उत्पाद (8 प्रतिशत) थे। करेतर राजस्व स्रोतों में गैर-लौह खनन् एवं धातुकर्म उद्योग (23 प्रतिशत) तथा व्याज प्राप्तियाँ (7 प्रतिशत) मुख्य कारक थे।



राज्य का करेतर राजस्व वर्ष 2002–03 में 261 करोड़ रुपये से वर्ष 2003–04 में 320 करोड़ रुपये हो गया।

जबकि लगभग औसत 26 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के अपने संसाधनों से आई, केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान का कुल राजस्व में लगभग 74 प्रतिशत अंशदान रहा।

31 मार्च 2004 तक राजस्व के आठ¹ मुख्य शीर्षों के तहत संग्रहण–लंबित राजस्व का बकाया, जैसा विभाग द्वारा प्रतिवेदित था, 1356.87 करोड़ रुपये था जिसमें 813.79 करोड़ रुपये पाँच वर्षों से अधिक दिनों तक बकाया रहा।

वर्ष 1999–2004 के दौरान विभिन्न शीर्षों तथा जी. एस. डी. पी. के तहत राजस्व प्राप्तियों के स्रोत सारणी 4 में प्रदर्शित है।

¹ बिक्री व्यापार आदि पर कर; वाहन कर; गैर लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों पर कर; राज्य उत्पाद कर; विद्युत शुल्क एवं कर; गन्ना कर; प्रवेश कर; मनोरंजन कर।

I kj . kh 4 & çkflr; ka ds I kr % çofr; kj

#i ; s djkm+e#

o"kl	jktLo çkflr; kj	i thxr çkflr; kj	djy çkflr; kj	I dy jkt; ?kj yw mRi kn Vth-, I -Mh-i h-½
x§ m/kkj çkflr; kj	m/kkj çkflr; kj	yksd ys[kk e# tek		
1999-2000	10659	12	3476	31087
2000-01	11177	11	3528	10462
2001-02	9839	13	3758	7719
2002-03	10968	16	4190	5584
2003-04	12456	10	5069	7440
				24975
				59862

1-6 I d k/kuka dk mi; kx

1-6-1 of) dli çofr

राज्य का कुल व्यय वर्ष 1999–2000 में पूर्ववर्ती समग्र राज्य के लिए 16667 करोड़ रुपये से थोड़ी वृद्धि होकर वर्ष 2003–04 में नए पुनर्गठित राज्य के लिए 16829 करोड़ रुपये हो गये।


राज्य का कुल व्यय, उसकी प्रवृत्ति तथा वार्षिक वृद्धि, व्यय और राज्य के जी. एस. डी. पी. के व्यय का अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियाँ और जी. एस. डी. पी. के संबद्ध उसकी उत्प्लावकता तथा राजस्व प्राप्तियाँ सारणी 5 में नीचे दर्शायी गयी हैं :

I kj . kh 5 % djy 0; ; & ely çkpy

Vj kf'k djkm+i ; se rFkk vll; çfr'kr e#

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
कुल व्यय	16667	15263	12435	13972	16829
वृद्धि दर	28.54	(-) 8.42	(-) 18.53	12.36	20.45
कुल व्यय/जी एस डी पी	23.12	30.91	24.39	24.65	28.11
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	63.95	73.23	79.12	78.50	74.02
fuEukfdr I s djy 0; ; dli mRlykodrk					
जी एस डी पी	3.24	0.27	-5.70	1.10	3.65
राजस्व प्राप्तियाँ	1.95	(-) 1.73	1.55	1.08	1.51

पूर्व वर्ष से वर्ष 2003–04 में राज्य का कुल व्यय 20.45 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2003–04 के दौरान राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का 74.02 प्रतिशत थी।



कार्यकलाप के संदर्भ में कुल व्यय को ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय तथा ऋणों एवं पेशगियों से समायुक्त माना जा सकता था। कुल व्यय में इन घटकों के पारस्परिक अंश को सारणी-6 में दिखाया गया है।


I kj. kh 6 % 0; ; ds ?Vd & I cf/kv vik ½fr'kr e%

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
सामान्य सेवाएँ	39.10	45.81	51.00	47.63	42.77
सामाजिक सेवाएँ	33.48	32.05	28.75	29.04	24.93
आर्थिक सेवाएँ	20.71	17.66	15.94	17.96	17.01
सहायता अनुदाने	0.28	0.02	0.02	0.02	0.02
ऋण एवं पेशगियाँ	6.43	4.46	4.29	5.35	15.27

व्यय के इन घटकों का संचलन यह दर्शाता था कि जहाँ कुल व्यय में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं का अंश वर्ष 1999–2000 में 20.71 प्रतिशत तथा 33.48 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2003–04 में क्रमशः 17.01 प्रतिशत तथा 24.93 प्रतिशत हो गया, जबकि इस अवधि के दौरान सामान्य सेवाओं का अंश 39.10 प्रतिशत से बढ़कर 42.77 प्रतिशत हो गए। इस अवधि में ऋण तथा अग्रिम 6.43 प्रतिशत से बढ़कर 15.27 प्रतिशत हो गया।

1-6-2 jktLo 0; ; dk çHkko

वित्त लेखे की सारणी सं. 12 लघु शीर्षों द्वारा विस्तृत राजस्व व्यय तथा दीर्घ शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय प्रदर्शित करती है। कुल व्यय में राजस्व व्यय का सर्वाधिक अंश था। राजस्व व्यय सामान्यतया परिसंपत्तियों एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं तथा यह राज्य सेवा प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि को नहीं दर्शाते हैं।



निम्नांकित सारणी 7 में राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि दर, राजस्व व्यय तथा राज्य के जी. एस. डी. पी. का अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियाँ और उसकी जी. एस. डी. पी. और राजस्व प्राप्तियाँ दोनों के साथ उत्पादकता दर्शायी गयी है :

I kj . kh 7 % jktLo 0; & I kekU; i kpy

kjkr'k djkm+i; segrfkk vU; ifr'kr ekk

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
राजस्व व्यय	14362	13507	11159	12255	12711
वृद्धि दर	24.21	(-) 5.95	(-) 17.38	9.82	3.72
राजस्व व्यय/ जी. एस. डी. पी.	19.92	27.35	21.89	21.62	21.23
राजस्व व्यय – कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	86.17	88.50	89.74	87.71	75.53
राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	134.74	120.85	113.42	111.73	102.05
<i>fueukfdr IsjktLo 0; dh mRlykodrk</i>					
जी. एस. डी. पी.	2.75	0.19		0.88	0.66
राजस्व प्राप्तियाँ	1.65		1.45	0.86	0.27

सारणी में रिक्त स्थान ऋणात्मक उत्पावकता को प्रदर्शित करते हैं।

राज्य का राजस्व व्यय 1999–2000 में 14632 करोड़ रुपये (संयुक्त राज्य के लिए) से घट कर वर्ष 2003–04 में 12711 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2003–04 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय (16829 करोड़ रुपये) का 75.53 प्रतिशत था।

हाँलाकि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात वर्ष 1999–2000 में 134.74 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2003–04 में 102.04 प्रतिशत हो गया, अपने चालू व्यय की पूर्ति हेतु राज्य की उधार पर निर्भरता बनी रही।

➤ i dkU Hkkrkuka ij 0; ;

वर्ष 1999–2000 में 1241 करोड़ रुपये के पेंशन भुगतान 83 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2003–04 में 2269 करोड़ रुपये हो गए हैं। वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2003–04 के दौरान पेंशन भुगतानों पर किए गए व्यय की वर्षवार विवरणी निम्नवत थी :

I kj . kh 8 % i dkU ij 0; ;

#i; s djkm+ek

o"kl	0; ;	dgy jktLo dk çfr'kr
1999-2000	1241	11.64
2000-2001	2011	17.99
2001-2002	2273	23.10
2002-2003	2049	18.68
2003-2004	2269	18.22

सेवानिवृत्तों की संख्या में वृद्धि के साथ भविष्य में पेंशन दायित्व के और बढ़ने की संभावना है। राज्य सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के तेजी से बढ़ते पेंशन दायित्वों के परिपूर्ति हेतु कोई निधि का निर्माण नहीं किया है। विगत कुछ वर्षों में पेंशन दायित्वों के बढ़ते दर को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पेंशन योजनाओं में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है।

➤ C; kt Hkxrku


रायरहवें वित्त आयोग (अगस्त 2000) ने अनुशंसा की है कि मध्यावधि लक्ष्य के रूप में राज्यों को राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान, 18 प्रतिशत पर रखने का प्रयास करना चाहिए। हाँलाकि यह पाया गया कि राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान विगत पाँच वर्षों के दौरान 26 से 28 के मध्य विस्तृत था।

I kj. kh 9

o"kl	C; kt dk Hkxrku	fuEukfdr ls C; kt Hkxrku dh çfr'krkk	
	%i ; s djkm+ek%	jktLo ckflr;kj	jktLo 0;
1999-2000	2867	26.90	19.96
2000-2001	3142	28.11	23.26
2001-2002	2629	26.72	23.56
2002-2003	3022	27.55	24.66
2003-2004	3343	26.84	26.30

निरपेक्ष तौर पर राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु उधार पर लगातार निर्भरता के कारण ब्याज भुगतान वर्ष 1999–2000 में 2867 करोड़ रुपये से 16.60 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2003–04 में 3343 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार ब्याज भुगतान राज्य के स्वयं के राजस्व का शत प्रतिशत था तथा राज्य की बड़ी जनसंख्या के विकास की जरूरतों की प्रतिपूर्ति हेतु कुछ नहीं छोड़ गया।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान 6.14 प्रतिशत के भारित औसत दर से 2125.78 करोड़ रुपये के बाजार ऋणों की उगाही की, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि के 10.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 2068.55 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार से 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 819.71 करोड़ रुपये उधार लिया। 31 मार्च 2004 तक लगभग 46 प्रतिशत बकाए बाजार ऋण 11 प्रतिशत से अधिक के ब्याज दरों पर थे। इस प्रकार, उनके पिछले ऋणों पर उधार के वास्तविक दर वर्तमान में उनके द्वारा बाजार से उगाहे जा सकने वाले संसाधनों की दरों से काफी अधिक थे। राज्य सरकार के बाजार ऋणों की परिपक्वता रेखाचित्र यह दर्शाती है कि कुल बाजार ऋणों का लगभग 35 प्रतिशत अगले पाँच वर्षों के अंदर भुगतेय है जबकि शेष ऋणों को 5 से 10 वर्षों के अंदर भुगतान किया जाना है। इस प्रकार ब्याज के भुगतान पर व्यय में वृद्धि निकट भविष्य में कम नहीं होने वाली है।



भविष्य निधि पर ब्याज भुगतान हेतु बजट प्रावधान अनुमानित तथा अपर्याप्त था। यह सरकार द्वारा निर्धारित भविष्य निधि के ब्याज दरों पर आधारित नहीं था। वर्ष 1999–2004 के दौरान आदि एवं अंत शेष के औसत पर आधारित सूद भुगतान की राशि लेखा में प्रदर्शित 2211.92 करोड़ रुपये के विरुद्ध 3583.79 करोड़ रुपये होना चाहिए था जिसका विवरण निम्नवत है :

| k j . k h 10

### i ; s d j k M + e #							
o"kl	Hkfo"; fuf/k i j l n dk ns nj %cfr'kr e#	y[kk e# fn, x, l n Hkxrku dh j kf'k	j kT; Hkfo"; fuf/k	v kfn 'ks'k	v r 'ks'k	I n ds ns nj y[kk e# nt l n dh U; ure j kf'k	d k y e 7 r Fkk 3 dk v r j
1	2	3	4	5	6	7	8
1999-2000	12.00	536.75	6117.99	7115.21	6616.60	794.00	257.25
01.4.2000 – 14.11.2000	11.00	335.47	7115.21	7403.39	7259.30	499.08	163.61
15.11.2000 – 31.03.01	11.00	122.03	7403.39	7504.91	7454.15	307.48	185.45
2001-02	9.50	329.00	7504.91	7639.62	7572.27	719.37	390.37
2002-03	8.00	427.00	7639.62	7918.92	7779.27	622.34	195.34
2003-04	8.00	461.67	7918.92	8119.07	8018.99	641.52	179.85
; kx		2211.92				3583.79	1371.87

(आदि एवं अंतशेष के औसत पर गणना की गई)

1-7 v k o d / h ; c k F k f e d r k v k a } k j k 0 ; ;

वित्त लेखे की विवरणी सं. 12 से उद्भूत योजना व्यय, पूँजीगत व्यय तथा विकास व्यय के रूप में राज्य का वास्तविक व्यय राज्य की आवंटीय प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इन अवयवों का कुल व्यय से जितना ज्यादा अनुपात होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाती है।

निम्न में सारणी सं. 11 व्यय के इन अवयवों का राज्य के कुल व्यय* में प्रतिशत के अंश को प्रस्तुत करती है।

I k j . k h I a 11 % 0 ; ; d h x q k o U k k % d y 0 ; ; * d k i f r ' k r %

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
योजना व्यय	17.79	13.13	13.52	17.57	18.07
पूँजीगत व्यय	7.91	7.38	6.23	7.33	10.86
विकास व्यय	57.91	52.04	46.69	49.66	49.50

* कुल व्यय में क्रम एवं पेशगियों पर किए गए व्यय शामिल नहीं हैं।

योजना व्यय कुल व्यय को वर्ष 1999–2000 में 17.79 प्रतिशत से वर्ष 2003–04 में 18.87 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष के दौरान विकास व्यय (7058.55 करोड़ रुपये) में सामाजिक सेवाओं (4196.87 करोड़ रुपये) का अंश 59.46 प्रतिशत था। सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जल एवं आपूर्ति स्वच्छता सामाजिक क्षेत्र में व्यय का 88 प्रतिशत था।

I kj . kh & 12 & I kekftd {ks= ij 0; ;

###i ; s djkm+ek

0gUk 'kh"kl	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	3916.89	3288.06	2501.70	2750.20	2875.92
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	786.36	680.18	518.61	571.64	539.03
जलापूर्ति एवं स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	392.80	264.88	153.33	294.13	276.23
; kx	5096.05	4233.12	3173.64	3615.97	3691.18

इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं (2861.68 करोड़ रुपये) पर व्यय विकास व्यय का 40.54 प्रतिशत था। इसमें से आर्थिक क्षेत्र पर व्यय का 76.93 प्रतिशत व्यय ग्रामीण विकास (1094.97 करोड़ रुपये), कृषि एवं बाढ़ नियंत्रण (840.45 करोड़ रुपये) तथा परिवहन (266.14 करोड़ रुपये) पर था।

I kj . kh & 13 & vkkfklid {ks= ij 0; ;

###i ; s djkm+ek

0gUk 'kh"kl	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
ग्रामीण विकास	1343.65	992.92	814.74	1126.55	1094.97
कृषि एवं बाढ़ नियंत्रण	1052.54	827.63	624.25	666.62	840.45
परिवहन	426.15	331.87	127.75	285.05	266.14
; kx	2822.34	2152.42	1566.74	2078.22	2201.56

इसके अलावा, बिहार सरकार ने वर्ष के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों पर 2568.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसमें से 2468.30 करोड़ रुपये (96 प्रतिशत) बिहार राज्य विद्युत निगम (बि. एस. ई. बी.) को भुगतान किए गए।

1-7-1 LFkkuh; fudk; ka , o1 vll; / LFkkukdks foUkh; / gk; rk

स्वायत्त निकाय तथा प्राधिकरण लोक हित सेवाओं के गैर-वाणिज्यिक कार्यकलापों को निष्पादित करते हैं। ये निकाय/प्राधिकरण सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अन्य संस्थानों जैसे जो राज्य के सहकारी समिति अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 1956 आदि के तहत निर्बंधित होते हैं, को भी पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2003–04 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में विभिन्न निकायों को प्रदत्त सहायता राशि निम्नवत् थी :

I kj . kh & 14

###i ; s djkm+ek

Øe a	fudk; @ckf/kdj.k vkfn	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान	518.65	463.00	369.13	461.13	545.94
2.	नगर निगम एवं नगर पालिकाएँ	115.44	57.18	28.99	99.98	83.71
3.	जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थान	6.93	2.90	106.60	292.34	133.92
4.	विकास अभिकरण	34.76	61.32	12.87	34.81	3.87

1-7-1 ; s dj kM+e

Øe l a	fudk; @ckf/kdj. k vkfn	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
5.	अन्य संस्थानें (सांविधिक निकायों सहित)	29.29	49.20	47.05	133.45	20.99
	; kx	705.07	633.60	564.64	1021.71	788.43

1-7-2 mi ; kfxrk çek. k&i =k ds çLrfrdj. k e,foyc

सरकार के वित्तीय नियम यह विहित करते हैं कि जहाँ निश्चित प्रयोजनों के लिए अनुदान दिए जाते हैं, वहाँ विभागीय पदाधिकारियों को अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर तथा जाँच कर स्वीकृति की तिथि से 15 महीनों के अंदर महालेखाकार (म.ल.) को अग्रसारित कर देना है जबतक ऐसा नहीं करने का निर्देश न हो।

वर्ष 2003–04 के दौरान भुगतान किए गए 1664.88 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से 30 जून 2004 तक महालेखाकार को 105.30 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किए गए थे तथा 1559.58 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाए थे। i fjj' k"V&VI में विभाग वार एवं आयु वार विवरण दिया गया है।

1-7-3 Lok; ûk fudk; k }kjk ys[kk tek fd, tkus e,foyc

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे जमा किए जाने तथा तत्पश्चात राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा किए जाने की वस्तुस्थिति i fjj' k"V&VII में दी गयी है।

1-8 i fjj' j fûk; k , oan kf; Uo

सरकार की लेखा प्रणाली अचल संपत्तियों यथा सरकार द्वारा अधिकृत भूमि, भवन आदि के व्यापक लेखाकरण का प्रयास नहीं करती है। हालांकि सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्तियों को जरूर दर्शाते हैं। वित्त लेखे की विवरणी 17 के विवरणों के साथ सहपठित विवरणी 16 ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के तहत वर्षात अंतर्शेषों को दर्शाते हैं जिसमें दायित्व एवं परिसंपत्तियाँ ज्ञात की जाती हैं। 31 मार्च 2003 के सदृश स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2004 को दायित्वों एवं परिसंपत्तियों का सार परिशिष्ट—I प्रस्तुत करता है। जहाँ इस विवरणी में दायित्व मुख्यतः राज्य सरकार के देनदारी धन यथा आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ लोक-लेखा एवं सुरक्षित निधि से प्राप्तियों से निर्मित होती है, परिसंपत्तियाँ मुख्यतः राज्य सरकार पूँजीगत व्यय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं पेशगियों से निर्मित होते हैं।

वित्त लेखे में प्रदर्शित राज्य सरकार के दायित्वों में हालांकि पेंशन, कार्यरत / सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को भुगतेय अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी गारंटियों / आश्वासन पत्र आदि शामिल नहीं हैं। i fjj' k"V&IV वर्ष 1999–2004 की अवधि के लिए राज्य सरकार के वित्तों पर कालबद्ध आँकड़ा प्रस्तुत करता है।

1-8-1 *vi wkl ifj; kst ukl, i*

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 31 मार्च 2004 तक 22 अपूर्ण परियोजनाएँ थीं, जिनमें 1174 करोड़ रुपये अवरुद्ध पड़े थे। (द्रष्टव्य : *i fjf' k"V&VIII*)

1-8-2 *fuos'k , oIçfrQy*

31 मार्च 2004 तक, सरकार ने सांविधिक निगमों, संयुक्त पूँजी कंपनियों एवं सहकारिता संस्थानों में 700.01 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इस निवेश पर सरकार का प्रतिफल नगण्य था जैसा कि निम्न सारणी 15 में प्रदर्शित है :

I kj.kh 15 % fuos'k ij çfrQy

o"kl	o"kl ds vr eI fuos'k	çfrQy	çfrQy dk çfr'kr	<i>I jdkjh cktkj</i>
				<i>—.kka ij Hkkfjr</i>
1999-2000	646.90	1.10	0.17	11.38
2000-2001	685.47	रुपये 4500/- मात्र	शून्य	11.41
2001-2002	686.67	0.01	शून्य	9.00
2002-2003	694.34	0.02	शून्य	7.20
2003-2004	700.01	0.04	0.01	6.14

1-8-3 *jkt; I jdkj }jkj çnÜk __.k , oI vfxE*

अपने निवेश के अलावा, सरकार अनेक निकायों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती आ रही है। 31 मार्च 2004 तक प्रदत्त ऋणों का कुल बकाया अंतःशेष 10764 करोड़ रुपये था (सारणी-16)। वर्ष 1999-2004 के दौरान इन अग्रिमों के विरुद्ध प्राप्त ब्याज अत्यल्प था जो बकाए ऋणों एवं अग्रिमों का 0.12 प्रतिशत से 0.65 प्रतिशत तक था।

*I kj.kh 16 % jkt; I jdkj }jkj çnÜk __.kka**ij vks r C; kt dh çkflr**##i ; s djkm+eI*

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
आदि शेष	5223.26	6282.97	6952.84	7473.60	8205.21
वर्ष के दौरान पेशगी की राशि	1071.79	680.46	533.71	747.19	2568.92
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	12.08	10.59	12.95	15.58	1045
<i>vr 'ksk</i>	6282.97	6952.84	7473.60	8205.21	10763.68
कुल योग (+)/कमी (-)	1059.71	669.87	520.76	731.61	2558.47
प्राप्त ब्याज	22.31	8.58	11.75	53.01	23.08
बकाए ऋणों एवं पेशगियों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	0.36	0.12	0.16	0.65	0.21

1-8-4 *okf.kft; d dk; dyki*

foHkkxh; okf.kft; d mi Øekia ei ykd fuf/k;k ds mi;kx ds fy, mÜkjnkf; Uo dk vHkkO

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्द्धवाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलाप किए जाते हैं। इन उपक्रमों को वित्तीय परिचालन के परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित

प्रपत्र में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखा तैयार करना पड़ता है जिससे सरकार उनके कार्यों के परिणाम को निर्धारित कर सके। सरकार के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे उपक्रम, जो बजटीय प्रावधानों द्वारा निधि प्रदत्त हैं, कालबद्ध तरीके से लेखा तैयार करें तथा समय पर उसे महालेखाकार को लेखापरीक्षा हेतु जमा करें।

मार्च 2004 तक, राज्य में 29 विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रम थे। इनमें से **i f j f' k"V&IX** में विवरणित 26 उपक्रमों ने आरंभ से ही प्रोफार्मा लेखा नहीं तैयार किया था। संबंधित प्रशासकीय विभागों तथा वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर इस मामले को उठाया गया था।

मार्च 2003 तक तीन अन्य उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखा 16 से 26 वर्षों तक बकाए थे। तत्संबंधी विवरण **i f j f' k"V&X** में दिया गया है।

यह देखा गया कि कोई भी उपक्रम अपने वाणिज्यिक लेखे (दोहरी लेखा प्रणाली में लेखे) का संधारण नहीं कर रहा था जैसा विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध—वाणिज्यिक उपक्रम के संबंध में विहित था।

1-8-5 jk dM+ 'ks'k dk çcaku

सामान्यतया यह वांछित होता है कि राज्य के संसाधनों का प्रवाह उसके व्यय के दायित्वों के सदृश हो। हाँलांकि, संसाधनों के प्रवाह तथा व्यय के दायित्वों के बीच अस्थायी प्रतिकूलता की प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों (डब्लू एम ए) की एक प्रणाली की व्यवस्था की गयी है। बिहार को 3 मार्च 2003 से 305 करोड़ रुपये की अर्थोपाय पेशगियों की सीमा प्राप्त थी।

**I kj .kh 17 %jkT; ds vFkk;k; i \$kfx; k; rFkk
vkpj MkpV vkj ml ij cnUk C; kt
##i ;s djM+e#**

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
vFkk;k; i \$kfx; k;					
वर्ष के दौरान लिए गए	3076.07	2144.41	2593.23	7.12	1708.45
बकाये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदत्त ब्याज	6.42	10.70	7.86	0.13	3.71
vkpj MkpV					
वर्ष के दौरान लिए गए	109.93	1224.55	3229.53	शून्य	1142.89
बकाये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदत्त ब्याज	0.03	1.36	3.94	शून्य	1.42
दिनों की संख्या जबतक राज्य ओवरड्राफ्ट में था	2	63	123	शून्य	44

1-8-6 vfuo kgr nkf; Uo

jkt dks'kh; nkf; Uo & ykd __.k , oaxkjfV; k;

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य अपने संचित निधि को ऋणाधार बनाकर समय—समय पर विधायिका के अधिनियम द्वारा निर्धारित वैसी सीमा के अंदर भारत के प्रादेशिक सीमा के भीतर ऋण ले सकता है। हाँलांकि, ऐसी सीमा के निर्धारण हेतु राज्य द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया। वित्त लेखे की विवरणियाँ 16 तथा 17 सहपठित विवरणी 4 ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के तहत वर्षात अंतःशेष प्रदर्शित करती हैं जिससे दायित्व ज्ञात किये जाते हैं। यह देखा जाएगा कि राज्य का कुल


राजकोषीय दायित्व वर्ष 1999–2000 में 30612 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2003–04 में 37453 करोड़ रुपये हो गया। जी. एस. डी. पी. के अनुपात के रूप में ये दायित्व वर्ष 1999–2000 में 42.50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2003–04 में 62.60 प्रतिशत हो गए तथा राजस्व प्राप्तियों के तीन गुना तथा अपने कर एवं करेतर राजस्व से निर्मित संसाधनों के 11.67 गुना था। निम्न सारणी सं. 18 राज्य के वित्तीय दायित्वों, उसके वृद्धि दर, इन दायित्वों का जी. एस. डी. पी. राजस्व प्राप्तियों एवं स्वयं के संसाधनों के प्रति अनुपात एवं इन प्राचलों के प्रति इन दायित्वों की उत्प्लावकता दर्शाती है।

| kj . kh 18 & jkt dks'kh; vI rgyu & eiy ckpy /#i ; s dj KM+ea , oa vuq kr cf'r'kr e#

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
राजकोषीय दायित्व	30612	28444	31883	35249	37453
वृद्धि दर	14.11	(-) 7.08	12.09	10.56	6.25
jkt dks'kh; nkf; Uo dk fuEufyf[kr l s vuq kr					
जी. एस. डी. पी.	42.50	57.60	62.50	62.20	62.60
राजस्व प्राप्तियाँ	287.20	254.50	324.00	321.37	300.70
स्वयं के संसाधन	720.01	807.80	1223.90	1166.46	1166.80
fuEukfdr l s jkt dks'kh; nkf; Uo dk mRlykodrk					
जी. एस. डी. पी.	1.60	0.22	3.72	0.94	1.12
राजस्व प्राप्तियाँ	0.96			0.92	0.46
स्वयं के संसाधन	1.28	0.41		0.66	1.00

सारणी में रिक्त स्थान ऋणात्मक उत्प्लावकता को प्रदर्शित करते हैं।

इन दायित्वों के अलावा, सरकार ने विभिन्न निगमों एवं अन्य के लिए ऋणों की गारंटियाँ दी थी जो वर्ष 2003–04 में 470.72 करोड़ रुपये थी। ये गारंटियाँ राज्य के आकस्मिक दायित्वों की प्रकृति के हैं तथा ऋणों के भुगतान नहीं होने की दशा में राज्य पर वचनबद्धता के सम्मान का दायित्व आ सकता है। वर्तमान में, आकस्मिक दायित्वों सहित राजकोषीय दायित्व राज्य के राजस्व प्राप्तियों का तीन गुना से अधिक है। राज्य का प्रत्यक्ष राजकोषीय दायित्व जी. एस. डी. पी. के वृद्धि दर की तुलना में अति तीव्रता से बढ़ा।



ऋण के सुदृढ़ता का अन्य मुख्य घोतक आरंभ के अनुबंधित दायित्वों संबंधित मूलधन एवं ब्याज के भुगतानोपरांत निधियों की कुल उपलब्धता है। सारणी सं. 19 विगत 5 वर्षों में आंतरिक ऋण के प्राप्तियों एवं पुनर्भुगतान की स्थिति दर्शाता है। ब्याज एवं

पुनर्भुगतानों की देयता के बाद आंतरिक ऋणों एवं भारत सरकार द्वारा ऋणों एवं पेशागियों से संबंधित कुल उपलब्ध निधियाँ वर्ष 1999–2000 में 9.93 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 2003–2004 में ऋणात्मक 12 प्रतिशत हो गयी।

I k j . k h & 19 % m/kk j y h x ; h fuf/k ; ka dh fuoy mi yf c/k
#i ; s djkm+ek

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
vkrfjd __.k*					
प्राप्तियाँ	427	2045	2681	2935	4249
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	948	1029	987	923	1766
निवल उपलब्ध निधियाँ	(-) 521	1016	1694	2012	2483
निवल उपलब्ध निधियाँ (प्रतिशत)	(-) 122.00	50.00	63	69	58
Hkkj r I jdkj I s __.k , oa i s kf x ; k					
प्राप्तियाँ	3046	1246	1077	1255	820
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	2180	2264	1926	3195	3894
निवल उपलब्ध निधियाँ	866	(-) 1018	(-) 849	(-) 1940	(-) 3074
निवल उपलब्ध निधियाँ (प्रतिशत)	28	(-) 82	(-) 79	(-) 155	(-) 375
dly ykd __.k					
प्राप्तियाँ	3473	3291	3758	4190	5069
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	3128	3293	2913	4118	5660
निवल उपलब्ध निधियाँ	345	(-) 2	845	72	(-) 591
निवल उपलब्ध निधियाँ (प्रतिशत)	9.93	(-) 0.06	22.49	1.72	(-) 12

* अर्थोपाय पेशागियों को छोड़कर आंतरिक ऋण

1-9 *?kkVka dk ccaku*

1-9-1 *jkt dks"kh; v/ryu*


सरकारी लेखा में घाटा उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेकशीलता का सूचक है। इसके अलावा, घाटे का अर्थप्रबंधन का तथा संसाधनों के उगाहने एवं प्रयुक्ति किए जाने का तरीका राजकोषीय स्वारूप्य का मुख्य परिचायक है।

राज्य का राजस्व (वित्त लेखे की विवरणी सं. 1), जो कि राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का आधिक्य है, वर्ष 1999–2000 में 3703 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2003–04 में 255 करोड़ रुपये हो गया। राजकोषीय घाटा, जो कि राज्य का कुल ऋण एवं कुल संसाधनों में कमी को दर्शाता है, वर्ष 2001–02 में 2583 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2003–04 में 4363 करोड़ रुपये हो गया। राज्य को प्रारंभिक घाटा भी था जो वर्ष 1999–2000 में 3129 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2003–04 में 1020 करोड़ रुपये हो गया। इस घाटे में, 1999–2004 के दौरान राज्य भविष्य निधि पर 1372 करोड़ रुपये के सूद भुगतान की कम प्रविष्टि नहीं शामिल है।

I kj.kh & 20 & jkt dkskh; vI rgyu & eiy ckpy

वैव; % djkM- #i ; s ea rFkk vuqkr i fr'kr eI

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
राजस्व घाटा	3703	2330	1320	1287	255
राजकोषीय घाटा	5996	4075	2583	2988	4363
प्रारंभिक घाटा (-)/ लाभ (+)	3129	933	(-) 46	(-) 34	1020
आर डी/जी. एस. डी. पी.	5.10	4.70	2.60	2.27	0.43
एफ डी /जी. एस. डी. पी.	8.30	8.30	5.10	5.27	7.29
पी डी /जी. एस. डी. पी.	4.30	1.90	(-)0.10	(-)0.06	1.70
आर डी / एफ डी	62	57	51	43	6



राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा का अनुपात वर्ष 1999–2000 में 62 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2003–04 में 6 प्रतिशत हो गया था। वर्ष 2003–04 में जी. एस. डी. पी. के अनुपात में राजस्व घाटा घट कर 0.43 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटा 7.29 प्रतिशत हो गया था।

1-10 jkt dkskh; vuqkr

राज्य के वित्त को सुदृढ़, नम्य एवं असंवेदनशील होना चाहिए। निम्न सारणी सं. 21 कुछ सूचकों के सापेक्ष वर्ष 1999–2004 के दौरान सरकार के वित्तों की सार-स्थिति दर्शाती है जो उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता व अदेयता तथा उनकी प्रयुक्तिता को निर्धारित करने व महत्व के क्षेत्रों को उजागर करने तथा उसके प्रमुख पहलुओं को समझने में मदद करते हैं।

राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता कर व्यवस्था की प्रकृति तथा जी. एस. डी. पी. के वृद्धि के साथ राज्य का संसाधनों के प्रति बढ़ते पहुँच को दर्शाती है। राजस्व प्राप्तियों और राज्य के अपने करों का जी. एस. डी. पी. के प्रति अनुपात संसाधनों की पर्याप्तता दर्शाता है। इन अनुपातों ने वर्ष 1999–2004 के दौरान सुधार दर्शाया जो संसाधनों के परिचालन और उसकी दृढ़ता को दर्शाता था।

राज्य के व्यय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न अनुपात संसाधनों के परिचालन के सापेक्ष उनके व्यय की गुणवत्ता तथा दृढ़ता दर्शाता है। वर्ष 2000–03 तक राजस्व व्यय और

कुल व्यय का अनुपात 86–90 प्रतिशत के करीब स्थिर रहा परन्तु वर्ष 2003–04 में घटकर 75.53 प्रतिशत हो गया। विकास व्यय और कुल व्यय का अनुपात वर्ष 1999–2000 में 57.91 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2001–02 में 46.69 प्रतिशत तथा वर्ष 2003–04 में बढ़कर 49.50 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1999–2004 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 6.23 प्रतिशत से 10.86 प्रतिशत तक विस्तारित था।

I kj . kh&21 % jkt dkskh; {kerk dk vuq kr %fr'kr e%

jkt dkskh; vuq kr	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
I d k/ku ?kvu					
राजस्व प्राप्तियाँ/ जी. एस. डी. पी.	14.79	22.63	19.30	19.35	20.81
राजस्व उत्पावकता	1.67			1.02	2.42
स्वयं का कर/ जी. एस. डी. पी.	4.28	5.69	4.55	4.87	4.83
0; ; cca/ku					
कुल व्यय/ जी. एस. डी. पी.	23.12	30.91	24.39	24.65	28.11
राजस्व प्राप्तियाँ/ कुल व्यय	63.95	73.23	79.12	78.50	74.02
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	86.17	88.50	89.74	87.71	75.53
पूँजीगत व्यय	7.91	7.38	6.23	7.33	10.86
विकास व्यय/ कुल व्यय (राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय)	57.91	52.04	46.69	49.66	49.50
राजस्व प्राप्ति के साथ कुल व्यय की उत्पावकता	1.95		1.55	1.08	1.51
राजस्व प्राप्ति के साथ राजस्व व्यय की उत्पावकता	1.65		1.45	0.86	0.27
jkt dkskh; vI rgyu dk i cca/ku					
राजस्व घाटा (करोड़ रुपये में)	3703	2330	1320	1287	255
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	5996	4075	2583	2988	4363
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपये में)	3129	933	(-) 46	(-) 34	1020
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)	62	57	51	43	6
jkt dkskh; nkf; Uok dk cca/ku					
राजकोषीय दायित्व/ जी. एस. डी. पी.	42.50	57.60	62.50	62.20	62.60
राजकोषीय दायित्व/ राजस्व प्राप्ति	287.20	254.50	324.00	321.37	300.70
राजकोषीय दायित्व का राजस्व प्राप्ति से उत्पावकता	0.96			0.92	0.46
राजकोषीय दायित्व का अन्य प्राप्तियों के प्रति उत्पावकता	1.28	0.41		0.66	1.00
ब्याज विस्तार	(-)1.18	(-)42.13	(-)5.47	2.18	- 3.59
निवल उपलब्ध निधि	9.93	(-)0.06	22.49	1.72	(-)12
vU; jkt dkskh; LokLF; I ipd					
निवेश पर प्रतिफल	1.10	शून्य	0.01	0.02	0.04
चालू राजस्व से शेष (रुपये करोड़ में)	(-) 3418	(-) 2387	(-) 1246	(-) 1039	(-)638
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/ दायित्व	64	73	72	72	72

सारणी में रिक्त स्थान ऋणात्मक उत्पावकता को प्रदर्शित करते हैं।

fu'd'॥

राज्य के लिए अपनी सामाजिक एवं आर्थिक अंतःसंरचना सुदृढ़िकरण एवं अतिरिक्त आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों के सृजन हेतु ऋण लेना असामान्य बात नहीं है। हाँलांकि, वर्ष दर वर्ष वृहत राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के साथ-साथ निवेशों पर निम्न अथवा शून्य प्रतिफल यह इंगित करता है कि राज्य धीरे-धीरे ऋण जाल में फँसता जा रहा है। राज्य के निवेश पर लगातार निम्न अथवा शून्य प्रतिफल अंतर्निहित सख्तिडी तथा निवेशों हेतु उच्च दर के ऋणों के उपयोग, जो बहुत कम लाभ देता है को दर्शाता है। घाटे पर चलने वाली कंपनियों में निवेश धारणीय नहीं है। राज्य के सकल वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति दायित्वों के अनुपात में भी सुधार नहीं हुआ है जिससे स्पष्ट है कि दायित्वों का अधिकांश भाग परिसंपत्तियों से समर्थित नहीं था। यह दर्शाता है कि या तो राज्य को अपने वर्तमान परिसंपत्तियों से अधिक राजस्व का सृजन करना होगा अथवा चालू राजस्व से ऋण भार के भुगतान का प्रावधान करना होगा। चालू राजस्व से शेष (बी सी आर) योजना विस्तार के निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है तथा ऋणात्मक बी सी आर उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा अतिरिक्त अंतः संरचनात्मक सहायता तथा अन्य राजस्व सृजन करने वाले निवेश हेतु निधियों की उपलब्धता को कम करता है। राज्य का चालू राजस्व से शेष भी ऋणात्मक रहा है।

V/; k; & II

vkclu gsrq ckFkfedrk, j rFkk fofu; kst u

2-1 cLrkouk

विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर पूँजीगत एवं राजस्व व्ययों को दर्शाने हेतु प्रतिवर्ष विनियोग लेखाएँ तैयार की जाती हैं साथ ही उनमें भारित एवं दत्तमत मदवाले दोनों व्यय भी शामिल होते हैं जो विनियोजन अधिनियम के अन्तर्गत होते हैं।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार में हैं तथा संविधान के अन्तर्गत जो व्यय प्रभारित किया जाना अपेक्षित है, उसे इस प्रकार प्रभारित किया गया है अथवा नहीं। यह इसे भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है अथवा नहीं।

2-2 fofu; kst u ysdkkvks dk / kjkdk

52 अनुदानों/विनियोजनों के विरुद्ध वर्ष 2003–04 के दौरान किया गया वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति निम्नवत है :

	0; ; dh çdfr	ely vumku@ fofu; kst u	i jd vumku@ fofu; kst u	dy	okLrfod 0; ;	cpr 1&h vklf/kD; 1\$%
दत्तमत	I. राजस्व	11034.81	529.92	11564.73	9341.80	- 2222.93
	II. पूँजीगत	1742.23	633.26	2375.49	1549.17	-826.32
	III. ऋण एवं अग्रिम	1088.17	89.95	1178.12	2568.92	+1390.80
dy nükter		13865.21	1253.13	15118.34	13459.89	-1658.45
भारित	IV. राजस्व	3448.88	3.03	3451.91	3369.03	-82.88
	V. पूँजीगत	शून्य	0.08	0.08	शून्य	-0.08
	VI. ऋण एवं अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	VII. लोक ऋण	3421.07	2.35	3423.42	5652.98	+2229.56
dy Hkkfj r		6869.95	5.46	6875.41	9022.01	+2146.60
vkdfLed fuf/k 1/ fn dkbl gk dk fofu; kst u		--	--	--	--	--
dy ; kx		20735.16	1258.59	21993.75	22481.90	+488.15

कुल व्यय को कम से कम 7.08 करोड़ रुपये तक कम वर्णित किया गया जिसके विरुद्ध वर्ष 2003–04 के दौरान कोषागारों से अभिश्रव प्राप्त नहीं किये गये तथा व्यय को राज्य की समेकित निधि में लेखांकित नहीं किया गया एवं महालेखाकार (ले. एवं ह.) के उचन्त खाता में रखा गया।

कुल व्यय 546.92 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया क्योंकि संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा इनका आहरण किया गया था ; लेकिन उनके विस्तृत आकस्मिक विपत्र नहीं प्रस्तुत किये गये। 7.28 करोड़ रुपये की राशि (राजस्व—5.24 करोड़ रुपये तथा पूँजीगत—2.04 करोड़ रुपये) का हस्तांतरण मुख्य शीर्ष “8443 सिविल जमा” “800 अन्य जमा” में शून्य भुगतान अभिश्रवों के माध्यम से किया गया तथा इसे भी व्यय के आँकड़ों में ले लिया गया जबकि वास्तव में सकल राशि सरकार द्वारा रोक ली गयी थी।

2-3 *vkcl/u grq ckf fedrkvka dh i llk*

2-3-1 *vkcl/u grq ckf fedrkvka }jk l fofo; kst u*

488.15 करोड़ रुपये (कुल प्रावधान का दो प्रतिशत) का समग्र आधिक्य 21,993.75 करोड़ रुपये का कुल अनुदान के विरुद्ध 3,294.19 करोड़ रुपये की बचत तथा 3782.34 करोड़ रुपये के आधिक्य का निवल परिणाम था। संविधान की धारा 204 (3) के प्रावधानों का उल्लंघन कर राज्य सरकार ने पाँच दत्तमत अनुदानों में 1550.55 करोड़ रुपये तथा 2003–04 में चार भारित विनियोजनों में 2,231.79 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया जिसे संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमित करने की आवश्यकता है जिसे *i f j f' k"V&XI* में दर्शाया गया है। बचत/आधिक्य के विवरण नियंत्री पदाधिकारियों को उनके महत्वपूर्ण विचलन के स्पष्टीकरण हेतु भेजे गये थे किन्तु प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2004)।

2-3-2 *ogr cpr*

विगत तीन वर्षों के अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति, वास्तविक व्यय आदि को ध्यान में रखकर विभागों को अपने प्रावकलन तैयार करने की आवश्यकता थीं। बजट निर्माण तथा बजट प्रबंधन के सिद्धान्तों को नहीं लागू करने के कारण निधियों के अवैधानिक विनियोग के फलस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, लोक निर्माण आदि के अन्तर्गत बहुत बचत हुई। प्रत्येक मामलों में 100 करोड़ रुपये या अधिक की सारभूत बचत नौ अनुदानों के 11 मामलों में कुल 2425 करोड़ रुपये (कुल बचत का 74 प्रतिशत) पाया गया जिसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है :

I kj . kh

Øe I a	I a rFkk vunuku ds uke	0; ; dk Lo: i	vunuku			okLrfod 0; ;	cpr
			eiy	i jd	dly		
<i>%djkM+#i ; seti</i>							
1.	3 — भवन निर्माण तथा आवास विभाग	पूँजीगत— दत्तमत	98.45	55.33	153.78	40.51	113.27
2.	20— स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग	राजस्व — दत्तमत	697.02	19.52	716.54	530.98	185.56
3.	22— गृह विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	1050.96 100.00	34.68 2.52	1085.64 102.52	949.09 0.28	136.55 102.24

०e ।।	।। rFkk vunuku ds uke	0; ; dk Lo: i	vunuku			okLrfod 0; ;	cpr
			eiy	i jd	dy		
4.	36— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	पूँजीगत दत्तमत	169.16	17.56	186.72	72.94	113.78
5.	42— ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व दत्तमत	776.46	138.37	914.83	627.00	287.83
		पूँजीगत दत्तमत	421.60	171.91	593.51	473.30	120.21
6.	44— माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा	राजस्व दत्तमत	3006.26	38.00	3044.26	2347.51	696.75
7.	49— जल संसाधन विभाग	पूँजीगत दत्तमत	650.78	10.99	661.77	346.14	315.63
8.	50— लघु सिंचाई विभाग	राजस्व दत्तमत	130.30	144.57	274.87	105.50	169.37
9.	51— कल्याण विभाग	राजस्व दत्तमत	414.41	27.88	442.29	258.70	183.59
		dy	7515.40	661.33	8176.73	5751.95	2424.78

इन नौ अनुदानों के 69 योजनाओं में 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बहुत बचत हुई जिसके विवरण **i f j f' k"V&XII** में दिये गये हैं। 69 मामलों में से 26 में सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयुक्त रहे।

केन्द्र संरक्षित योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा निधियों को मुक्त नहीं किया जाना, योजनाओं में कमी, रिक्त पद तथा राज्य सरकार द्वारा रोक लगाये जाने के कारण निधियों का अनाहरण आदि बचत का कारण बतलाये गये। इसके अलावा विभागों द्वारा बचत के कारणों को नहीं सूचित किया गया।

2-3-3 cpr ds vll; ekeys

42 मामलों में दो करोड़ रुपये या उससे अधिक के व्यय की कमी हुई तथा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक 2909.79 करोड़ रुपये की भी कमी हुई जिसे **i f j f' k"V&XIII** में दर्शाया गया है।

2-3-4 l rr cpr

36 मामलों के 30 अनुदान एवं विनियोजनों में कुल प्रावधानों का दस प्रतिशत तथा दो करोड़ रुपये से अधिक की सतत बचत पायी गयी जिसे **i f j f' k"V&XIV** में दर्शाया गया है।

2-3-5 vlf/kD; ds fofu; eu dh vko'; drk

➤ vlf/kD; l s vf/kd ck0/kku ds fofu; eu dh vko'; drk

भारत के संविधान की धारा 205 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार का यह सांवैधानिक दायित्व है कि वह अनुदान/विनियोग से आधिक्य के व्यय को राज्य विधानसभा से विनियमित कराये तथापि वर्ष 1997-98 से 2003-04 तक 11,249.96

करोड़ रुपये के अधिक व्यय का विनियमन नहीं कराया गया था (नवम्बर 2004)। यह विनियोग पर विधायिका के नियंत्रण का खुला उल्लंघन था। विस्तृत विवरण **i f j f' k"V&XV** में दिया गया है।

➤ *y?kq' kh"kkh e॥ ckō/kku | s vf/kd dk 0; ;*

11 अनुदानों तथा विनियोजन व्यय के 24 मामलों में स्वीकृत प्रावधान से 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक तक का व्यय किया गया एवं प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक कुल 3,966.13 करोड़ रुपये का भी अधिक व्यय किया गया जिसका विस्तृत विवरण **i f j f' k"V&XVI** में दिया गया है।

➤ *ckō/kku ds cxj 0; ;*

बजट नियमावली के अनुसार किसी योजना/सेवा पर निधियों के प्रावधान के बगैर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि मूल प्राक्कलन में प्रावधान अथवा पूरक माँग या किसी पुनर्विनियोजन आदेश के बगैर छ: मामलों में 1249.22 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जिसे **i f j f' k"V&XVII** में दर्शाया गया है।

2-3-6 / rr~vkf/kD;

15-पेंशन अनुदान में 2000-01 से 2003-04 तक क्रमशः 364.97 करोड़ रुपये की राशि, 491.24 करोड़ रुपये, 9.68 करोड़ रुपये तथा 60.00 करोड़ रुपये सतत रूप से महत्त्वपूर्ण आधिक्य की स्थिति थी। सतत आधिक्य पर सुधार हेतु सरकार द्वारा जाँच की आवश्यकता है।

2-3-7 ey ctV , o i j d ckō/kku

वर्ष के दौरान 1258.59 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान किये गये थे जो मूल बजट प्रावधान (20735.16 करोड़ रुपये) का 6.07 प्रतिशत तथा पिछले वर्ष की तुलना में 11.68 प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान 1256.24 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान (लोक ऋण को छोड़कर) प्राप्त किया गया जबकि अंतिम कुल बचत (लोक ऋण को छोड़कर) 1741.41 करोड़ रुपये था।

2-3-8 vuko'; d@vr; f/kd@vi ; kl r i j d ckō/kku

➤ अगस्त 2003 से मार्च 2004 की अवधि में 58 मामलों में 635.19 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान किये गये थे जो पूर्णतः अनावश्यक थे क्योंकि इन मामलों में व्यय अपने मूल प्रावधानों तक भी नहीं हो पाया था जिसे **i f j f' k"V&XVIII** में दर्शाया गया है।

➤ पाँच मामलों में मात्र 82.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 207.48 करोड़ रुपये के अनुदान/विनियोजनों को प्राप्त करने के फलस्वरूप प्रति मामला 10 लाख रुपये से अधिक की बचत से कुल 125.08 करोड़ रुपये शेष रहे जिसे **i f j f' k"V&XIX** में दर्शाया गया है। अनुदान सं. 42 में सिर्फ बचत के 120.21 करोड़ रुपये शामिल हैं।

- पाँच मामलों में 376.80 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान से 1471.50 करोड़ रुपये का अधिक व्यय अपर्याप्त साबित हुआ जिसे **i fj' k"V&XX** में दर्शाया गया है। सिर्फ अनुदान सं.-10 में 1409.92 करोड़ रुपये के आधिक्य शामिल है।

2-3-9 *fuf/k dk vr; f/kd@vuko'; d i μfofu; kstu*

पुनर्विनियोजन में निधि का हस्तांतरण एक ही अनुदान के अन्तर्गत एक इकाई जहाँ बचत का अनुमान हो, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, में की जाती है। 20 अनुदानों तथा विनियोजनों के अन्तर्गत 38 मामले अनुचित थे क्योंकि वहाँ एक करोड़ रुपये से अधिक की बचत पायी गयी थी, विवरण **i fj' k"V&XXI** में दिया गया है। साथ ही पाँच मामलों के अनुदान एवं विनियोगों में अत्यधिक अभ्यर्पण के फलस्वरूप अधिक व्यय हुआ जिसका विस्तृत विवरण **i fj' k"V&XXII** में दिया गया है।

2-3-10 *vupkfur cpr dk vh; i zk ugh/fd; k tkuk*

नियमानुसार व्यय करने वाले विभागों को अपनी बचत का अनुमान होते ही उन अनुदानों/विनियोगों अथवा उसके किसी भाग को वित्त विभाग में समर्पित किया जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2003-04 के अंत में राजस्व प्रभाग के अनुदानों/विनियोजनों के 27 मामलों तथा पूँजीगत प्रभाग के अनुदानों एवं विनियोजनों के 10 मामलों में 1560.79 करोड़ रुपये की भारी बचत, प्रत्येक मामला में एक करोड़ रुपये से अधिक का अभ्यर्पण विभागों द्वारा नहीं किया गया था ; **i fj' k"V&XXIII**।

71 मामलों में कुल बचत 3294.19 करोड़ रुपये में से 2297.46 करोड़ रुपये मार्च 2004 के अन्तिम दिन अभ्यर्पित किये गये थे जो व्यय के अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को दर्शाते हैं। विस्तृत विवरण **i fj' k"V&XXIV** में दिया गया है।

2-3-11 *okLrfod cpr /s vf/kd dk vh; i zk*

आठ मामलों में अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत की अपेक्षा अधिक थी। 81.17 करोड़ रुपये की बचत के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि 107.30 करोड़ रुपये होने के फलस्वरूप 26.13 करोड़ रुपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ (**i fj' k"V&XXV**)। तदनन्तर, पाँच मामलों में 545.69 करोड़ रुपये के अभ्यर्पण किये गये यद्यपि 7124.56 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान से 10904.12 करोड़ रुपये का व्यय के फलस्वरूप पुनर्विनियोजन के बाद 4325.25 करोड़ रुपये अधिक होना ; अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण का द्योतक है। **i fj' k"V&XXVI**।

2-3-12 */; ; dh rhortk*

वित्तीय नियमों के अनुसार शासकीय व्यय का वितरण पूरे वर्ष एक समान होना चाहिए। विशेषकर वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय की तीव्रता उक्त प्रावधान का सरासर उल्लंघन माना जाता है। वर्ष के चारों तिमाही एवं मार्च 2004 की व्यय विवरणी (पूँजीगत एवं राजस्व) **i fj' k"V&XXVII** में दर्शायी गयी है जिससे यह पता चलता है कि मार्च 2004 को समाप्त होने वाली तिमाही में किया गया व्यय, वर्ष के कुल व्यय का 47 प्रतिशत था जो बजट का उपयोग वित्तीय वर्ष के अन्त में करने की प्रवृत्ति का द्योतक है।

2-3-13 *v/ ek'kkf/kr 0;*

वित्तीय नियमों के अनुसार विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा व्यय के विभागीय आँकड़ों का मिलान महालेखाकार द्वारा दर्ज आँकड़ों से समय—समय पर कराया जाना चाहिए। वर्ष 2003–04 की अवधि के अन्तर्गत विभिन्न नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा 40 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 11893.65 करोड़ रुपये के व्यय असमाशोधित रहे। विस्तृत विवरण *i f j f' k"V&XXVIII* में दिया गया है। असमाशोधित व्यय कुल व्यय का 53 प्रतिशत रहा।

2-3-14 *; kstuk dk fu"iknu*

सरकारी व्यय का वर्गीकरण मुख्यतः योजना तथा गैर—योजना एवं राजस्व तथा पूँजीगत में किया गया है। योजना तथा पूँजीगत व्यय सम्पत्ति के निर्माण से जबकि गैर योजना तथा राजस्व व्यय संस्था पर व्यय, रखरखाव तथा सेवाओं से जाना जाता है।

राज्य सरकार ने बाजार ऋण (उधार) (2125.78 करोड़ रुपये) बढ़ा लिया तथा केन्द्रीय ऋण (819.71 करोड़ रुपये) 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर एवं अनुदान (1169.28 करोड़ रुपये) केन्द्र सरकार से (कुल प्राप्तियाँ : 4114.77 करोड़ रुपये) 2003–04 के दौरान योजना मदों के लिए प्राप्त किया। इसके विरुद्ध मात्र 2545.27 करोड़ रुपये ऋणों तथा अग्रिमों सहित योजना मद पर व्यय किया गया।

वर्ष 2003–04 के लिए राज्य सरकार की विनियोग लेखा में यह भी पाया गया कि बजट प्रावधानों में से राज्य सरकार 756.92 करोड़ रुपये (21 प्रतिशत), विभिन्न राज्य योजना मदों के अन्तर्गत (455.70 करोड़ रुपये), केन्द्र संपोषित योजनाओं (299.83 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय योजना मदों (1.39 करोड़ रुपये) को खर्च करने में विफल रही। *i f j f' k"V&XXIX*।

राज्य सरकार 39 मामलों में 264.04 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान तथा 636.89 करोड़ रुपये की भारी निधि (प्रत्येक मामला में एक करोड़ रुपये से अधिक) 53 मामलों में कुल 900.63 करोड़ रुपये का उपयोग करने में विफल रही।

2-3-15 *cpr@vlf/kD; ds fy, Li "Vlhdj. kka dh vclf/r*

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अन्तिम अनुदानों/विनियोगों, वास्तविक व्यय तथा उपशीर्षवार विचलनों को दर्शाते हुए विस्तृत विनियोग लेखा महत्वपूर्ण विचलनों को स्पष्ट करने हेतु नियंत्री पदाधिकारियों को महालेखाकार (ले. एवं ह.) द्वारा भेजा जाता है।

2003–04 के दौरान 3782.34 करोड़ रुपये का आधिक्य व्यय तथा 3294.19 करोड़ रुपये की बचत पाया गया जो कुल बजट प्रावधान का 15 प्रतिशत था। नियंत्री पदाधिकारी जो अनुदानों का सतत प्रबंध करते हैं, आधिक्य/बचत के लिए स्पष्टीकरण देने के अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में विफल रहे।

2-4 *c tVh; dk; bkh rFkk l; ; fu; #.k*

2-4-1 *c tV cukus ds fy, yslkk c. kkyh dh vunslkh*

सतत बचत, सतत आधिक्य, निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक विनियोग, अनुमानित बचत का अभ्यर्पण नहीं होना, व्यय की तीव्रता आदि के मामले जिसकी चर्चा इस अध्याय में पहले की गयी है ; बजटीय व्यय नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है।

2-4-2 *ol fy; ka rFkk m/kkjka dh çofuk*

बजट के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार संबंधित सेवा शीर्ष के अन्तर्गत (राजस्व तथा पूँजीगत) व्यय की कुल राशि के लिए अनुदानों/विनियोगों हेतु माँग किया जाना चाहिए तथा वसूलियों को ‘प्राप्तियों एवं वसूलियों की कटौती व्यय की कमी के रूप में बर्ताव’ के तरह शीर्ष के नीचे अलग से दर्शाया जाना चाहिए। बिहार सरकार का बजट इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया फलस्वरूप व्यय में से वसूलियों के विस्तार की सुनिश्चितता नहीं पायी गयी।

2-4-3 *l; ; dk xyr oxhdj.k*

‘राष्ट्रीय सम विकास योजना’ केवल नये आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु निधियों का प्रावधान करती है जिसे बजट तथा लेखा के पूँजीगत खण्ड के अन्तर्गत होना चाहिए। लेकिन अनुदान सं. 50 लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 2003–04 के दौरान “राजकीय सम विकास योजना” (कम गहरा चापाकल योजना) हेतु इस योजना से वित्त प्रदत्त 144.57 करोड़ रुपये को मुख्य शीर्ष 4702 पूँजीगत खण्ड में लघु सिंचाई के बदले राजस्व खण्ड में शामिल किया गया।

v/; k; &III

fu"i knu | eh{kk, j

LokLF; foHkkx

3-1 xkeh.k LokLF; I okvka dk dk; dyki

ey'; kd"kk

ग्रामीण स्वास्थ्य देख-रेख इकाईयों न्यूनतम बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने तथा रेफरल संयोजन में सुधार लाने में विफल रहीं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख पूर्णतः अपर्याप्त थी। चिकित्सा पदाधिकारियों तथा अर्द्ध-चिकित्सा कर्मियों की 95 प्रतिशत तक कमी थी। भारत सरकार के मानकों की तुलना में स्वास्थ्य देखभाल इकाईयों की काफी कमी थी। ज्यादातर स्वास्थ्य इकाईयों में अंतःसंरचनात्मक सुविधाओं यथा भवन, पेयजल, विद्युत, प्रसुति-गृह सुविधाओं, उपकरणों एवं जाँच सुविधाओं का अभाव था।

U; ure vko'; d dk; Øe ds ekudka dh rgyuk e; jkT; e; xkeh.k LokLF;
ns[khkky bdkb; ka dh I a; k vi; klr FkkA deh dk çfr'kr 29 I s 88
çfr'kr ds chp FkkA

%dMdk 3-1-7½

vf/kdkk mi dñnk çkfled LokLF; dñnk@vfrfjDr çkfled LokLF;
dñnk rFkk jQjy vLi rkyka e; vr% jpuKRed I fo/kk, j ; Fkk , DI &j s
bdkb; k vko'; d mi dj .kka rFkk tkp I fo/kkvka dk vHkko FkkA

%dMdk 3-1-7½

ueuk tkfpr ftyka e; 49 çfr'kr mi dñnk rFkk 41 çfr'kr çk- Lok-
ds@vk- çk- Lok- ds ds i kl dkbl Hkou ugha FkkA 45 çfr'kr mi dñnk rFkk
36 çfr'kr çk- Lok- ds@v- çk- Lok- ds ,oa 38 çfr'kr jQjy vLi rky ds
Hkou {kfrxLr voLFkk e; FksA

%dMdk 3-1-7½

'khr Ja[kyk mi dj .kka ds vfØ; kfUor jgus I s çfrj{k.k dk; Øe çHkkfor
gqkA jkT; e; ckydk ds çfrj{k.k dk Hkkfrd çn'klu 20 çfr'kr ds fuEu
Lrj ij FkkA

%dMdk 3-1-7½

LokLF; ns[kj[s[k bdkb; ka e; fpfdRI k ,oa v) &fpfdRI k dfe; ka rFkk
rduhf' k; uka dk vHkko FkkA o"kl 2002&04 ds nlku 39 v- çk- Lok- ds ds
i kl dkbl fpfdRI d ugha Fks rFkk nok, j v) &fpfdRI k dfe; ka }kj k fy[kh
tkrh FkkA

%dMdk 3-1-12½

ueuk&tkfpr 10 ftyk es foep fd, x, 10-11 djkm+ #i ; s ds dlnh;
jlf'k es l s 8-68 djkm+ #i ; s vI fud tek es tek fkj 0-50 djkm+ #i ; s
nokvk ds Ø; es [kpz fd, x, Fks rFkk 0-93 djkm+ #i ; s vH; fi j FkA
1dMdk 3-1-5½

3-1-1 cLrkouk

प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख का लक्ष्य उप केन्द्रों (उ. के.) तथा रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा. स्वा. के.) तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (अ. प्रा. स्वा. के.) के तन्त्र द्वारा ग्रामीणों को उनके निवास स्थान पर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैय्या कराना था। प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के मुख्य घटक हैं – (i) समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा (ii) मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (iii) आरोग्यकारी सेवाएँ (iv) जनसांख्यिकीय सेवाओं का संधारण (v) स्थानीय महामारी की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा (vi) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ 397 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 1350 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 7024 उप-केन्द्रों तथा 70 रेफरल अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की गयीं।

3-1-2 /xBukled <kpk

एक निदेशक प्रमुख, तीन निदेशकों, सात अतिरिक्त निदेशकों तथा 10 अन्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा सहायतित सरकार के आयुक्त–सह–सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। जिला स्तर पर असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (अ. श. चि. सह मु. चि. पदा.) रेफरल अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों द्वारा प्रदत्त ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करते हैं।

3-1-3 yqkkijh{k ds mis'

लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित को सुनिश्चित करना था कि

- क्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मानव बल सहित अंतः संरचनात्मक सेवाएँ उपलब्ध थीं;
- क्या स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ संतोषप्रद थीं तथा प्रतिरक्षण लक्ष्य प्राप्त किए गए थे;
- क्या ग्रामीण अस्पतालों में आवश्यक तथा जीवन रक्षक दवाएँ, मशीन एवं उपकरण उपलब्ध थे;

3-1-4 yqkkijh{k dk foLrkj

अगस्त 2003 तथा मार्च 2004 के दौरान 10 असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों¹ के साथ–साथ 21 रेफरल अस्पतालों, 511 प्रा. स्वा. के./अ.

¹ भागलपुर, भोजपुर, गया, कटिहार, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णियाँ, समस्तीपुर तथा वैशाली

प्रा. स्वा. के. तथा 3318 उप-केन्द्रों का वर्ष 1999–2004 के अभिलेखों का नमूना जाँच किया गया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा तथ्य निम्नवत् थे :

3-1-5 *foUk; çcaku*

jkt; / jdkj }jk çnuk fufk; k;

वर्ष 1999–2004 के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर निधियों का प्रावधान एवं व्यय निम्नवत् था :

ogr cpr

o"kl	ctV çko/kku			0; ;			cpr %&%@vfk/kD; %\$%		
	; kst uk		xj & ; kst uk	; kst uk		xj & ; kst uk	; kst uk		xj & ; kst uk
	<i>YdjkM+ #i; se</i>								
1999–2000	396.02	348.02	744.04	247.57	234.51	482.08	(-)148.45	(-)113.51	(-)261.96
2000–01	413.67	244.89	658.56	225.89	195.09	420.98	(-)187.78	(-)49.80	(-)237.58
2001–02	159.43	172.91	332.34	147.22	151.19	298.41	(-)12.21	(-)21.72	(-)33.93
2002–03	189.96	179.65	369.61	147.85	139.96	287.81	(-)42.11	(-)39.69	(-)81.80
2003–04	182.55	143.98	326.53	165.66	134.88	300.54	(-)16.89	(-)09.10	(-)25.99
; kx	1341.63	1089.45	2431.08	934.19	855.63	1789.82	1/1407.44	1/1233.82	1/1641.26

(स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

djh/ / jdkj }jk çnuk fufk; k;

बिहार सरकार ने वर्ष 2001–04 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई) के तहत केन्द्रीय निधियों से प्राप्त राशियों में से कुल 58.92 लाख रुपये दवाओं एवं उपकरणों के क्रय हेतु (29.40 करोड़ रुपये) तथा रेफरल अस्पताल तथा प्रा. स्वा. केन्द्रों के रखरखाव, मरम्मति, जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु (29.52 करोड़ रुपये) विमुक्त किया।

nok] mi dj .k rFkk
vr% jpu k fufeUk
dy 9-85 djkM+ #i ; s
vo:) Fks

दस नमूना जाँचित जिला पदाधिकारियों को विमुक्त किए गए 10.11 करोड़ रुपये में से 8.60 करोड़ रुपये असैनिक जमा में जमा किया गया, 0.50 करोड़ रुपये औषधि के क्रय में व्यय किया गया तथा 0.93 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किए गए।

नमूना जाँचित प्रमण्डलों के प्रा. स्वा. के. और रे. अ. के रख-रखाव, जीर्णोद्धार, जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु प्राप्त 5.86 करोड़ रुपये में से मार्च 2004 तक 261 कार्यों (पूर्ण : 209 ; अपूर्ण : 52) पर 4.69 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इनमें से 2.47 करोड़ रुपये के 143 कार्यान्वित कार्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं थे। व्यय आवासीय भवनों के निर्माण, उनके परिसर दीवारों तथा पथों की मरम्मति पर किए गए थे। मार्च 2004 तक प्रमण्डलों के पास 1.17 करोड़ रुपये अनुपयोगित पड़े थे।

Ldkok }jk 22-96
dkM+ #i ; s dh
vuf/kdr jkd

भारत सरकार (भा. स.) ने वर्ष 1999–2004 के दौरान प्रजनन शिशु एवं स्वास्थ्य (आर. सी. एच.) कार्यक्रम के तहत 36.18 करोड़ रुपये स्टेट कमिटि ऑन वोलंटरी एकशन (स्कोग) (एक निर्बंधित संस्था) को प्रतिरक्षण, शीत-शूखला के रख-रखाव, दाई प्रशिक्षण, आर सी एच कैंपों, ए एन एम जागरूकता प्रशिक्षण आदि के लिए विमुक्त किया। इसके विरुद्ध, स्कोग ने जिलों को 22.96 करोड़ रुपये मई 2004 तक विमुक्त नहीं किया था।

3-1-6 *dk; De çcaku*

प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख अंतःसंरचना ग्रामीण आबादी तथा स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने वालों के मध्य प्राथमिक संबंध प्रदान करती है तथा सभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सेतु का निर्माण करती है। हालांकि, ग्रामीणों की

आवश्यकता पूर्ति हेतु आवश्यक संख्या में ग्रामीण अस्पताल नहीं थे। दवाओं, आवश्यक मशीन एवं उपकरणों, अंतरंग एवं बहिरंग स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल, स्वच्छता एवं बिजली की उपलब्धता परवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

3-1-7 vi; klr vr% jpu&

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कालबद्ध रूप से वर्ष 2004 तक प्रत्येक पाँच हजार की आबादी के लिए एक उपकेन्द्र, प्रत्येक तीस हजार की आबादी के लिए एक प्रा. स्वा. के. तथा प्रत्येक चार प्रा. स्वा. केन्द्रों (प्रत्येक एक लाख की आबादी पर) के लिए एक रेफरल अस्पताल प्रदान किया जाना था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की 7.31 करोड़ की ग्रामीण आबादी थी। इसके विरुद्ध, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, प्रा. स्वा. के. तथा रेफरल अस्पतालों की मानकों के अनुसार आवश्यकता तथा वास्तविक उपलब्धता निम्न सारणी में दी गयी है :

LokLF; nſ[kj ſk bdkbk; kj	ekudks ds vuf kj vko'; drk	mi yC/krk	dehi	i fr'kr dehi
1/ ॥ ; k e॥				
उप-केन्द्र	14620	7024	7596	52
प्रा. स्वा. के. / अ. प्रा. स्वा. के.	2436	1727	709	29
रेफरल अस्पताल	609	70	539	88

xkeh.k vkcknh dh
vko'; drk i frl grq
xkeh.k Lok- nſ[kj ſk
bdkbk; kj vi ; klr

राज्य में स्वास्थ्य देखरेख इकाईयाँ बिहार के ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य देखरेख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1981–82 तथा वर्ष 1987–88 की अवधि के दौरान सृजित 1330 अ. प्रा. स्वा. के. को वर्ष 1993–94 तक राज्य नीति के तहत उन्नयन किया जाना था परंतु उन्हें उन्नयित नहीं किया गया था (जून 2004)।

Hkou

10 जिलों के अ. श. चि. सह मु. चि. पदा. के अभिलेखों तथा 21 रे. अ. 51 प्र. स्वा. के./अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों के नमूना जाँच ने निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आया :

1612 स्वा. केन्द्रों (49 प्रतिशत), 210 प्रा. स्वा. के./अ. प्रा. स्वा. के. (41 प्रतिशत) तथा एक रे. अ. (5 प्रतिशत) के पास कोई भवन नहीं था। 1489 उप केन्द्र (45 प्रतिशत), 185 प्रा. स्वा. के./अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों (36 प्रतिशत) तथा आठ रे. अ. (38 प्रतिशत) के भवन जीर्ण-शीर्ण या क्षतिग्रस्त स्थिति में थे। 1987 में शुरू किया गया एक रे. अ. भवन पूर्ण नहीं हुआ था।



çkFkfed LokLF; dññ ykyxat] oſ kkyh dk Hkou

vr% j puk ds vHkkko
e@ 13 j Qjy
vLi rky vf0; k' khy
Fks

LokLF; l dk bdkbZ k@
e@ 'k; kVka dh vYi
mi yC/krk

राज्य में विद्यमान 70 रेफरल अस्पतालों के अतिरिक्त जनवरी 1991 तथा फरवरी 2000 के मध्य 5.06 करोड़ रुपये की लागत पर निर्मित 13 रेफरल अस्पताल चिकित्सा/अर्द्ध-चिकित्सा कर्मियों तथा उनके परिचालन हेतु आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण कार्यरत नहीं थे।

'k; k, j

मरीजों को बहिरंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य-उप-केन्द्र निर्मित किए गए थे जबकि प्रा. स्वा. के./अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों तथा रे. अ. को अंतरंग तथा बहिरंग दोनों सेवाएँ प्रदान करनी थी। तदनुसार, प्रा. स्वा. केन्द्रों/अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों को छ: शय्याओं के तथा रेफरल अस्पतालों की 30 शय्याओं का बल होना था। नमूना जाँचित 10 जिलों में 493 प्रा. स्वा. के./अ. प्रा. स्वा. के. तथा 20 रे. अ. के लिए कुल 3558 स्वीकृत शय्याओं के विरुद्ध 136 प्रा. स्वा. के./अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों तथा 19 रे. अ. में कुल 787 शय्याएँ (22 प्रतिशत) ही उपलब्ध थीं।

mi dj.k

32 प्रा. स्वा. केन्द्रों में मात्र कुछ मशीनें तथा उपकरण यथा शीतलक, भारमापक मशीन, परिश्रावक, ऑक्सीजन सिलिंडर आदि उपलब्ध थे। 10 नमूना जाँचित जिलों के 377 अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों में शल्य क्रियाओं हेतु कोई शल्य उपकरण नहीं थे। प्रा. स्वा. केन्द्रों/अ. प्रा. स्वा. के. द्वारा भेजे गए मरीजों के विशेष उपचार हेतु रेफरल अस्पताल के पास मशीन और उपकरण नहीं थे। सात रेफरल अस्पतालों के पास एक्स-रे मशीनें नहीं थीं जबकि 12 रेफरल अस्पतालों में उपलब्ध एक्स-रे मशीनें (मूल्य : 8.22 लाख रुपये) प्रतिष्ठापित नहीं किए जाने की वजह से ही परिचालित नहीं थीं।

tkp ç; kx' kkyk e@
vr% j puk dk vHkkko

किसी भी प्रा. स्वा. केन्द्रों/अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों/रेफरल अस्पतालों में रोगात्मक परीक्षणों के लिए जाँच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। प्रयोगशाला में जाँच के लिए आवश्यक तकनीशियनों, मशीनों तथा रसायनों का अभाव था।

3-1-8 LokLF; nqkjsfk / dk, j

वर्ष 1999–2004 के दौरान बुनियादी अंतःसंरचना के अभाव में 493 में से 482 प्रा. स्वा. के./अ. प्रा. स्वा. के. तथा 20 में से 5 रेफरल अस्पतालों में कोई मरीज भर्ती नहीं किया गया था। शेष 11 प्रा. स्वा. के. तथा 15 रेफरल अस्पतालों में भी बहुत कम मरीज भर्ती किए गए जैसा सारणी में प्रदर्शित है :

0"kl	ç- Lok- ds@v- ck- Lok- ds		jQjy vLi rky					
	mi yC/k 'k; k	HkrhZ ejht	çfr fnu %vkl r%	çfr ck- Lok- ds çfr fnu %vkl r%	mi yC/k 'k; k	HkrhZ ejht	çfr fnu %vkl r%	çfr ck- Lok- ds çfr fnu %vkl r%
1999–2000	66	1405	4	0.36	235	5036	14	0.93
2000–01	66	1892	5	0.45	235	6219	17	1.13
2001–02	66	2443	7	0.64	235	6440	18	1.20
2002–03	66	2637	7	0.64	235	6318	17	1.13
2003–04	66	2115	6	0.55	235	5593	15	1.00

² अस्थामा, अमोर, धमदाहा, डुमरिया, शेरधाटी, सुल्तानगंज और पिरपेंती।

³ अरेराज, बारसोई, बारारी, चकिया, ढाका, इस्लामपुर, खाजेचांद छपरा, लालगंज, राजगीर, शाहपुर, सकरा तथा संदेश

यह पाया गया कि प्रा. स्वा. केन्द्रों तथा रेफरल अस्पतालों में केवल परिवार नियोजन हेतु शल्य क्रिया ऑपरेशन की जा रही थी।



vfrfjDr ckFkfed LokLF; dññ] Hkxokui j jÜkh] oS kkyh dk 'kY; &fpfdRI k d{k



jQj y vLi rky] ykyxit] oS kkyh dk okMz



vfrfjDr ckFkfed LokLF; dññ] Hkxokui j jÜkh] oS kkyh dk okMz

नमूना जाँचित कोई भी उप-केन्द्र प्राथमिक उपचार भी प्रदान करने हेतु सुसज्जित नहीं थे। अधिकांश उप-केन्द्रों के पास दवाईयाँ, सिरिजें तथा सुईयाँ नहीं थी। यह पाया गया कि स्वास्थ्य देखरेख इकाईयों द्वारा खरीदी गयी दवाएँ साल में मात्र दो या तीन माह ही टिक सकीं जबकि (1999–2004 के दौरान प्रावधानिक 7.48 करोड़ रुपये में से) 1.47 करोड़ रुपये दवाओं के क्रय पर व्यय नहीं किए गए तथा वर्षात में निधियाँ विमुक्त किए जाने से तथा दरों के समय पर सुनिश्चित नहीं किए जाने से व्यपगत हो गए थे।

Hkkst u I fo/kk
vnuq yC/k

किसी भी प्रा. स्वा. उ. केन्द्रों पर भोजन सामग्री की व्यवस्था नहीं थी।

कोई भी स्वास्थ्य केन्द्र तथा रेफरल अस्पताल मरीजों के आपात सेवा नहीं प्रदान करते थे। सरकार के विहित निदेशों के अनुसार स्वास्थ्य देखरेख हेतु एक चिकित्सा पदाधिकारी को सप्ताह में एक बार ओ पी डी स्वास्थ्य उप-केन्द्र का निरीक्षण करना था।

vki krdkyhu | sk
I fo/kk ugha rFkk
LokLF; mi & dlinka ea
, u , e }kj k
nokbZ k fy[kh tkrh
Fkh

किसी भी प्रा. स्वा. केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी (चि. प.) ने कभी भी स्वास्थ्य उप-केन्द्रों का निरीक्षण नहीं किया। इनके अनुपस्थिति में सहायिका नर्स एवं प्रसूति-दात्री (ए. एन. एम.) मरीजों को दवाईयों का नुस्खा लिखा करती थीं। 31 अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों में देशी चिकित्सा (होमियोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी) के 38 चिकित्सक पदस्थापित थे। हालांकि अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों को कोई दवाएँ नहीं दी जा रही थीं जिससे मरीजों के स्वास्थ्य देखरेख, गुणवत्ता प्रभावित हुई।

सरकार के अपर सचिव ने बताया (दिसंबर 2004) कि अपर्याप्त अंतः संरचनात्मक सुविधा के कारण ग्रामीण स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ नगण्य हैं। हालांकि स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं के उन्नयन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

3-1-9 *ctuu f'k'kq, o/LokLF; n[kj.]/k VVkj- / h , p-*

व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यू आई पी) का लक्ष्य पोलियो, टेटनस, डी पी टी, डी टी, चेचक आदि के रोकथाम, टीकाकरण द्वारा शिशुओं तथा तरुण बच्चों में मृत्यु तथा अस्वस्थता दर घटाना था। वर्ष 2000 तक पोलियो को जड़ से समाप्त करने हेतु आरंभ किया गया पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान (1995) ने इस कार्यक्रम को सम्पूरित किया। नमूना जाँचित 10 जिलों में लक्ष्य के विरुद्ध भौतिक उपलब्धि निम्नांकित थी :

<i>VVkj. /k ea</i>										
o"kl	Mhi hVh		vksí hkh		chh hth		ppd		V\$ul	
	y	m	y	m	y	m	y	m	y	m
1999–2000	8.29	3.41 (41)	8.29	3.64 (44)	8.29	4.95 (60)	8.29	3.20 (39)	8.69	2.27 (26)
2000–01	8.00	5.35 (66)	8.00	5.13 (64)	8.00	6.33 (79)	8.00	4.60 (58)	8.22	3.79 (40)
2001–02	8.31	5.34 (63)	8.31	5.20 (63)	8.31	6.52 (78)	8.31	4.40 (53)	9.08	3.67 (40)
2002–03	8.17	4.94 (60)	8.17	5.41 (66)	8.17	6.61 (81)	8.17	4.57 (56)	9.19	3.77 (41)
2003–04	9.12	4.11 (45)	9.12	4.21 (46)	9.12	5.21 (57)	9.12	2.70 (30)	14.25	2.89 (20)

(लःलक्ष्य ; उः उपलब्धि तथा कोष्ठक में आँखें प्रतिशतता इंगित करते हैं)

çfrj{.k. k dk; Øe ds
vrxlr n; uh;
Hkksfd çxfr

vfØ; k'khy 'khr
J[kyk mi dj.k ds
dkj.k çfrj{.k.
ckf/kr gvk

दसवीं योजना के अभिलेखों के अनुसार सकल भारतीय स्तर के 42 प्रतिशत के विरुद्ध बिहार के प्रतिरक्षण का स्तर 20 प्रतिशत था। आवश्यक सुविधाओं यथा शीत शृंखला उपकरण, दाई प्रशिक्षण, लघु असैनिक कार्य आदि के अभाव ने जैसा नीचे विवरणित है प्रतिरक्षण की दयनीय प्रगति में योगदान दिया।

दो से आठ डिग्री सेंटीग्रेड पर टीकाओं की अंतःशक्ति को सुरक्षित रखने के लिए शीत शृंखला सुविधा की आवश्यकता थी। नमूना जाँच से पता चला कि मरम्मति, विद्युत और तकनीकि कर्मियों हेतु निधियों के अभाव के कारण वर्ष 1995 के पहले से ही 10 जिलों के प्रा. स्वा. केन्द्रों में क्रमशः 77 प्रतिशत आईस लाइन्च रेफ्रीजेरेटर (आई एल आर), 73 प्रतिशत डीप फ्रीजर तथा 63 प्रतिशत वैकिसन डे कैरियर अक्रियाशील थे। परिणामस्वरूप प्रतिरक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावित था तथा वर्ष 1995 से पल्स

पोलियो अभियान के 33 चक्रों के बावजूद मई 2004 तक इसका संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सका था।

çf' kf{kr nkbz k dks
nkbz fdV ughfn; k
x; k

1000 की आबादी वाले प्रत्येक गाँव में ग्रामीण प्रसूति महिला के स्वास्थ्य देखरेख की आवश्यकता पूर्ति हेतु कम से कम एक प्रशिक्षित दाई उपलब्ध कराने हेतु वैसी दाईयों के प्रशिक्षण तथा किट आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा स्कोवा को 1.18 करोड़ रुपये की राशि (वर्ष 2000–01) प्रदान की गयी थी। नमूना जाँच ने दर्शाया कि आठ जिलों⁴ में 1597 दाई को प्रशिक्षण दिया गया था परंतु प्रशिक्षित दाईयों को कोई किट नहीं प्रदान किया गया था। इस प्रकार सात जिलों में दाईयों के प्रशिक्षण पर व्ययित 0.23 करोड़ रुपये का खर्च निष्फल साबित हुआ जबकि दो जिलों (मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया)⁵ में जून 2004 तक कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

3-1-10 voekud nokvka dk forj.k

ejhtk dks voekud
nok, j forfjr

तीन जिलों में औषधि निरीक्षकों ने दवाओं की गुणवत्ता जाँच हेतु नमूना प्राप्त किया (1999–2000) परंतु उसके परिणाम अ. श. चि. सह. मु. चि. पदा. को दो से तीन वर्षों के विलंब के उपरांत भेजा गया। 23.06 लाख रुपये की दवाएँ (पूर्णियाँ : 1.04 लाख रुपये ; मुजफ्फरपुर : 4.80 लाख रुपये ; समस्तीपुर : 17.22 लाख रुपये) औषधि जाँच प्रयोगशाला, पटना में अवमानक पायी गयी। तब तक सभी दवाएँ, जिनके नमूने प्राप्त किए गए थे, मरीजों में वितरित किए जा चुके थे। उत्तरदायिता निर्धारित किये जाने हेतु अवमानक दवाओं के भंडार की जाँच अपेक्षित थी।

3-1-11 nok Hkkkj vflkyqfkk dk =fVi wklz / dkkj.k

vol kfur nok, j
ejhtk e forfjr

दवाओं के सामयिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भंडार में ली गयी सभी दवाओं की अवसान तिथि लिखी जानी चाहिए। दवा भंडार में प्रभारी पदाधिकारी को दवाओं के उत्तरजीविका का आवधिक (त्रैमासिक) निरीक्षण करना चाहिए ताकि अवसानित दवाएँ भंडार में न हो। नमूना जाँच से पता चला कि मानकों के अनुसार चि. प. (प्र.) द्वारा दवाओं की अवसान तिथि नहीं दर्ज की गयी थी तथा भंडार का त्रैमासिक निरीक्षण भी नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, 3.88 लाख रुपये मूल्य की अवसानित (1999–2004) दवाईयाँ मरीजों को वितरित कर दी गयी।

nok, j de yskfif r
gpl

नमूना जाँचित नौ जिलों⁵ में 6.98 लाख रुपये मूल्य की दवाएँ जो अ. श. चि. सह. मु. चि. पदा. से प्रा. स्वा. केन्द्रों तथा प्रा. स्वा. केन्द्रों से अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों को निर्गत की गयी थी, को अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों के भंडार में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 6.98 लाख रुपयू मूल्य की दवाओं का कम लेखांकन हुआ।

3-1-12 ekuo / dkku ccdku

vi ; klr LokLF;
ns[kj sk çnkrk

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 के मानकों के अनुसार राज्य में एक चिकित्सक, एक महिला स्वास्थ्य निरीक्षक (एल एच बी), एक ए एन एम क्रमशः प्रत्येक दो हजार, पाँच हजार तथा तीन सौ की आबादी पर आवश्यक है तथा प्रत्येक तीन चिकित्सकों पर एक फार्मासिस्ट जरूरी है।

⁴ भोजपुर, भागलपुर, गया, कटिहार, मोतिहारी, नालंदा, समस्तीपुर तथा वैशाली

⁵ भागलपुर, भोजपुर, कटिहार, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया, समस्तीपुर एवं वैशाली

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा तथा अर्द्ध-चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत पदों की भारी कमी थी जिसे सरकार के अपर सचिव द्वारा उनके जवाब में स्वीकार (दिसंबर 2004) भी किया गया था। उन्होंने सूचित किया कि कमी को दूर करने हेतु विभाग चिकित्सा तथा अर्द्ध-चिकित्सा कर्मियों को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। नमूना जाँचित जिलों के (जनसंख्या 2.76 करोड़) ग्रामीण आबादी के विरुद्ध मानकों के अनुसार 13800 चिकित्सकों तथा 1.02 लाख अर्द्ध-चिकित्सा कर्मियों (एल एच वी : 5520 ; ए एन एम : 92000 ; फार्मासिस्ट : 4600) की आवश्यकता थी। इसके विरुद्ध अप्रैल 2004 तक स्वीकृत बल तथा पदस्थापितों की संख्या निम्नवत् थी :

LokLF; nſ[kj ſk bdkbꝫ k	fpfdrI d	v) &fpfdrI d	; kx			
	Lohd'r in	i nLFkkfi r	Lohd'r in	i nLFkkfi r	Lohd'r in	i nLFkkfi r
॥ १ ; k e ॥						
प्रा. स्वा. केन्द्र (स्वा. उप केन्द्र शामिल)	519	386 (74)	4011	3110 (78)	4530	3496 (77)
अ. प्रा. स्वा. के.	754	436 (58)	1678	652 (39)	2432	1088 (45)
रेफरल अस्पताल	84	73 (87)	189	79 (42)	273	152 (56)
; kx	1357	895	5878	3841	7235	4736

(कोष्ठक के आँकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं)

LokLF; dñntka ei
dfez; k dhl deh

मानकों के अनुसार 13800 चिकित्सकों तथा 1.02 लाख अर्द्ध-चिकित्सा कर्मियों की आवश्यकता के विरुद्ध दोनों कर्मियों के श्रेणियों में स्वीकृत पदों की संख्या क्रमशः 1357 तथा 5878 थी। पदस्थापितों की संख्या उससे भी कम 895 चिकित्सकों तथा 3841 परा चिकित्सकीय कर्मियों की थी।

आठ नमूना जाँचित जिलों⁶ में 39 अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों में वर्ष 2002–04 के दौरान कोई चिकित्सक नहीं थे, अर्द्ध-चिकित्सकीय कर्मियों द्वारा दवाएँ लिखी जाती थी। स्पष्टतः स्वास्थ्य देखरेख इकाईयाँ पूर्णतः कार्यशील नहीं थे।

राज्य में प्रत्येक रेफरल अस्पतालों में सरकार द्वारा प्रासविकी, स्त्री रोग, शिशु रोग, शल्य क्रिया तथा औषधि क्षेत्र के चार विशेषज्ञ पद स्वीकृत किये गये थे जिससे मरीजों को विशेषज्ञों द्वारा इलाज हो सके। तदनुसार नमूना जाँचित जिलों के 19 कार्यरत रेफरल अस्पतालों में 76 विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। इसके विरुद्ध मार्च 2004 तक मात्र 30 विशेषज्ञ (39 प्रतिशत) पदस्थापित थे। 447 (493 में से) प्रा. स्वा. के./अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों में महिला चिकित्सकों की सेवा प्राप्त नहीं थी।

दस जिलों के 64 प्रा. स्वा. के./अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों तथा तीन रेफरल अस्पतालों में मात्र 73 महिला चिकित्सक पदस्थापित थीं जबकि 447 प्रा. स्वा. के./अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों तथा 17 रेफरल अस्पताल बिना महिला चिकित्सक के थे।

छ: प्रा. स्वा.⁷ के. में अंतरंग तथा बहिरंग सुविधा नहीं थी। परिणामस्वरूप इन प्रा. स्वा. केन्द्रों में पदस्थापित चि. पदा. तथा 24 अन्य कर्मियों ने कोई कार्य नहीं किया तथा वर्ष

⁶ भागलपुर, गया, कटिहार, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, वैशाली।

⁷ प्रा. स्वा. केन्द्र : अमौर (पूर्णिया) ; लालगज (वैशाली) ; कटिहार, पीरपेंटी (भागलपुर) ; शेरधाटी (गया) ; सुलतानगंज (भागलपुर)।

fuf"Ø; dfel k i j
10-24 dj kM+ #i ; s dk
fu"Qy Ø; ;

1999–2004 के दौरान इन वेतन एवं भत्ते पर 0.91 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ। 17 रेफरल अस्पतालों में 17 एक्स–रे तकनीशियन, एक रेफरल अस्पताल (लालगंज) का एक रेडियोलॉजिस्ट बिना कार्य के थे क्योंकि मरम्मति, एक्स–रे फिल्मों, रसायनों तथा अंतरंग सुविधाओं के अभाव में सभी रेफरल अस्पतालों में एक्स–रे मशीने या तो अनुपलब्ध (3 रेफरल अस्पताल) थीं या निष्क्रिय (14 अस्पताल) पड़ी थीं। इसके अलावा, 19 रेफरल अस्पतालों में 24 खानसामें/सहायक खानसामें तथा रेफरल अस्पताल, मनिहारी (कटिहार) में कुछ तृतीय वर्गी तथा चतुर्थवर्गीय कर्मचारी अकार्यशील थे। परिणामतः वर्ष 1999–2004 के दौरान उनके वेतन भत्तों पर 2.04 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 1999–2004 के दौरान 158 अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों में जहाँ कोई शाय्या सुविधा तथा अंतरंग मरीज नहीं थे, 237 से 249 वार्ड–सेवक पदस्थापित थे। वे बिना कार्य के बने रहे और परिणामतः वर्ष 1999–2004 के दौरान उनके वेतन भत्ते पर 7.29 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

3-1-13 fu"d"‰

LokLF; ns[kj]k dh
n; uh; xqkolkk

स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की विशेषता बजट प्रावधानों के विरुद्ध कम व्यय थी जिससे आधारभूत एवं आवश्यक अंतःसंरचनाओं यथा भवनों, विद्युत, जल, स्वच्छता, मशीन एवं उपकरण, मानव बल, प्रसूति गृह आदि का अभाव हुआ। राज्य में अपर्याप्त संख्याओं के स्वास्थ्य देखरेख इकाईयों की अनुपलब्धता के बावजूद अंतरंग मरीजों के रूप में भर्ती किए गए मरीजों की संख्या काफी कम थी जो इन इकाईयों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव को दर्शाती थी। प्रतिरक्षण कार्यक्रम अपने लक्ष्य का कुछ अंश ही प्राप्त कर सके। अवमानक दवाओं के वितरण तथा चिकित्सकीय भंडारों के त्रुटिपूर्ण प्रबंधन के भी उदाहरण थे। विविध स्वास्थ्य देखरेख इकाईयों में पदस्थापित चिकित्सकों तथा अर्द्ध–चिकित्सा कर्मियों के वेतन पर भारी राशि व्यय की गयी थी परन्तु अंतःसंरचनात्मक सुविधाओं के बगैर वे मरीजों का इलाज करने की स्थिति में नहीं थे।

vui/kd k

- मूलभूत एवं आवश्यक अंतःसंरचनाओं यथा भवन, जल, विद्युत, स्वच्छता, मशीन एवं उपकरण, मानव बल तथा दवाओं में सुधार व प्रदान कर ग्रामीण स्वास्थ्य देखरेख इकाईयों को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है;
- ग्रामीण महिलाएँ, जो ग्रामीण आबादी का 46 प्रतिशत हैं, को स्वास्थ्य देखरेख सेवा प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्रा. स्वा. केन्द्र तथा रेफरल अस्पताल में कम से कम एक महिला चिकित्सक पदस्थापित करना चाहिए;
- प्रा. स्वा. केन्द्रों, अ. प्रा. स्वा. केन्द्रों तथा उप केन्द्रों का रेफरल अस्पतालों के साथ सम्पर्क स्थापित की जानी चाहिए तथा रेफरल अस्पतालों में दवाओं एवं उपकरणों की सुविधा प्रदान कर विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना की जानी चाहिए;
- चिकित्सकीय भंडार प्रबंध, दवाओं की जाँच प्रक्रिया तथा अनुवर्ती कार्रवाईयों में सुधार की जानी चाहिए।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2004) ; उत्तर प्राप्त हुए (दिसम्बर 2004) जिसे समीक्षा में उचित स्थानों पर शामिल कर लिया गया है।

Je] fu; kstu rFkk cf' k{k.k foHkkx

3-3 cky Je dk dk; klo; u fu"ks/k rFkk fofu; eu% vf/kfu; e]
1986

eq; kd"klk

बाल श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम) एक केन्द्रीय अधिनियम है जिसे सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। यह अधिनियम अन्य सह-अनिधनियमों के साथ तथा इसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत 14 वर्षों की आयु से कम के बालकों की नियुक्ति कारखानों, खानों तथा सांयोगिक पेशाओं में करने से मना करना है। निषेध पेशाओं तथा प्रक्रियाओं की अनुसूची में संशोधन करने, बालकों के कार्य की शर्त को नियंत्रित करने तथा सजा बढ़ाने हेतु यह अधिनियम एक कार्यविधि की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु आरम्भ किये गये अभियोजन मामलों पर अनुपालन प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी। तदन्तर, बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण निधि को (बा. श्र. पु. क. नि.), प्रभावित परिवारों को नियोजन प्रदान करने हेतु उन्नत नहीं किया जा सका। बाल श्रमिक की शिक्षा हेतु विशेष विद्यालय की स्थापना, भारत सरकार (भा.स.) के दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं की गयी।

vkB o"kk ds foyc ds ckn Qojoh 1996 e] jkt; I jdkj }kj k bl
vf/kfu; e dks vf/kl fpr fd; k x; kA
%dMdk 3-3-7%

cky Je mYyku ds 17]632 ekeyka ds fo:) ek= 1]468 %vkB cf'r kr%
1999&2004 ds nkjku vfHk; kftr fd; s x; A
%dMdk 3-3-10%

38 ftyka e] s ek= rhu %vkB cf'r kr% e] jk- ck- J- i- ds vUrxIr ykxw
gwkA
%dMdk 3-3-11%

I ka kfxd i \$ kk ds cnys xg vk/kkfj r i \$ kkvka I s fo'ksk fo | ky; ka us ckydk
dh oki l h dj yhA
%dMdk 3-3-12%

fdl h chkkfor i fjokj ds o; Ld I nL; dks u rks ukdjh nh x; h u jkt;
I jdkj }kj k dY; k.k fuf/k e] dkbl jkf'k gh tek dh x; hA
%dMdk 3-3-13%

3-3-1 cLrkouk

बाल श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 का मुख्य उद्देश्य 14 वर्षों की आयु से कम के बालकों का शोषण से बचाव की प्राप्ति तथा उन्हें कारखानों, खानों तथा सांयोगिक पेशाओं में नियुक्ति से मना करना एवं अन्य नौकरियों में बालकों के कार्य की

शर्त को नियंत्रित करना है। फरवरी 1996 में राज्य सरकार द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया। भारत सरकार ने सांयोगिक प्रक्षेत्रों से बाल श्रमिक को हटाने का लक्ष्य 10वीं योजना के अन्त तक रखा। परियोजना क्षेत्र में बाल श्रमिक के लाभ हेतु राजकीय बाल श्रम परियोजना (रा. बा. श्र. प.) ने विभिन्न विकासात्मक तथा कल्याण कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला।

बाल श्रमिक के कल्याण हेतु बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (बि. रा. बा. श्र. आ.) अधिनियम, 1996 लागू किया गया (सितम्बर 2003)।

चूंकि बाल श्रम पर राजकीय नीति का कार्यान्वयन प्रभावी नहीं हो पा रहा था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तदन्तर निम्नांकित के लिए निर्देश (दिसम्बर 1996) जारी किया :

- कार्यरत बालकों की पहचान ;
- सांयोगिक नौकरियों में कार्यरत बालकों की वापसी तथा उचित संस्थानों में उनकी शिक्षा ;
- अहित करने वाले बाल श्रमिक के नियोक्ता द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये बा. श्र. पु. क. नि. में अंशदान एवं इस अभिप्राय हेतु इसकी स्थापना ; तथा
- काम से वापस लिये गये बालक के परिवार के एक वयस्क सदस्य को नौकरी तथा यदि यह संभव न हो तो बा. श्र. पु. क. नि. में राज्य सरकार द्वारा 5000 रुपये का अंशदान।

3-3-2 *clv Je vfl/fu; e] 1986 ds e[; fo'ks'krk,;*

- विनिर्दिष्ट पेशाओं तथा प्रक्रियाओं में 14 वर्षों से कम आयु के बालकों की नियुक्ति पर रोक ;
- निषिद्ध पेशाओं अथवा प्रक्रियाओं की अनुसूची में संशोधन के निर्णय हेतु एक कार्यविधि का निर्धारण ;
- जहाँ बालकों के कार्य की मनाही नहीं है वैसी नौकरियों में उनके कार्य की शर्त को नियंत्रित करना ;
- इस अधिनियम के प्रावधानों तथा अन्य अधिनियमों जो बालकों की नौकरी को मना करते हैं, का उल्लंघन कर बालकों की नियुक्ति हेतु दंड को बढ़ाना ; तथा
- संबंधित नियमों में “बालक” की परिभाषा में एकरूपता लाना।

3-3-3 *I xBukRed </p>*

बिहार में, इस अधिनियम को श्रम, नियोजन तथा प्रशिक्षण विभाग के प्रधान आयुक्त-सह-सचिव, बिहार सरकार के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। तथापि,

श्रमायुक्त, बिहार को राज्य में 'निरीक्षक' का पद प्राप्त है, जिसे 'निरीक्षक' के रूप में नियुक्त अन्य पदाधिकारियों¹ की सहायता प्राप्त है।

रा. बा. श्र. प. परियोजना समितियों² के माध्यम से चलाया जाता है जिसके प्रधान क्षेत्र के जिलाधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा परियोजना निदेशक द्वारा नियंत्रित होता है। परियोजना समितियों का संगठन ऐसा होता है जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। अधिकारियों/प्रतिनिधियों में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कल्याण तथा श्रम विभाग आते हैं।

3-3-4 *yʃkki jh{k k ds mɪs'*;

लेखापरीक्षा समीक्षा के उद्देश्य मुख्य रूप से यह जाँच करना था कि :

- बाल श्रम कानून के विनियमन तथा प्रवर्तन से संबंधित अधिनियम के कार्यान्वयन की परिसीमा ;
- बाल श्रमिक पर राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत उठाये गये कदम तथा बाल श्रमिक के निषेध तथा पुनर्वास हेतु कार्यक्रम एवं प्राप्त परिणाम।

3-3-5 *yʃkki jh{k k ds {ks=*

अप्रैल से जुलाई 2004 के दौरान तीन रा. बा. श्र. प. समितियों, श्रम विभाग के तीन जिला पदाधिकारी (सहरसा, जमुई तथा नालंदा) के कार्यालयों एवं सचिवालय का वर्ष 1999–2004 के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई।

3-3-6 *foʊlkh; ccaɪku*

रा. बा. श्र. प. हेतु शत प्रतिशत निधि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत किया गया। रा. बा. श्र. प्र. द्वारा प्राप्त निधि बैंक की बचत खाता में रखा गया।

भारत सरकार द्वारा निर्गत निधि तथा तीन रा. बा. श्र. प. में किया गया व्यय के विवरण निम्नवत है :

1/4\$5\$ 7\$8½										
j k- ck- J- i - dk uke	o"kl	Hkkj r l j dkj }kj k vkcVr fuf/k; k̄	çkj flikd 'k̄k	fuxk̄ fuf/k; k̄	fuxk̄ fuf/k; k̄ de½&½ @ vf/kd ½\$½	vftk̄ C; kt	vll;	dly	0; ;	'k̄k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सहरसा	2000-01	67.01	73.72	22.34	(-) 44.67	2.88	--	98.94	5.51	93.43
	2001-02	85.94	93.43	--	(-) 85.94	2.02	--	95.45	28.95	66.50
	2002-03	85.94	66.50	--	(-) 85.94	1.70	--	68.20	54.39	13.81
	2003-04	85.94	13.81	61.41	(-) 24.53	0.16	--	75.38	58.19	17.19
dly		324.83		83.75	(-) 241.08	6.76	--		147.04	

¹ 1. सभी जिलाधिकारी/विकास आयुक्त 2. कारखानों के मुख्य निरीक्षक, 3. निदेशक, कृषि श्रम, 4. सभी संयुक्त श्रम आयुक्त, 5. सभी उप श्रम आयुक्त, 6. कारखानों के सभी उप-मुख्य निरीक्षक 7. सभी अवर प्रमण्डल पदाधिकारी 8. सभी सहायक श्रम आयुक्त (कृषि श्रम) 9. सभी कारखाना निरीक्षक 10. सभी श्रम पदाधिकारी 11. सभी अंचल पदाधिकारी, 14. सभी पंचायत पर्यवेक्षक, 15. सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी

² 1. सहरसा 2. जमुई तथा 3. नालंदा।

jk- ck- J- i- dk uke	o"kl	Hkj r l j dkj }kj k vlcfvf r fuf/k; k	çkj flkd 'k;k	fuxr fuf/k; k	fuxr fuf/k; k de1&½ @ vf/kd ¼\$½	vft r c; kt	vll;	dly ¼\$5\$ 7\$8½	0; ;	'k;k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जमुई	2000-01	59.91	69.37	19.64	(-) 40.27	1.13	--	90.14	34.20	55.94
	2001-02	74.66	55.93	31.19	(-) 43.47	4.76	--	91.88	54.81	37.07
	2002-03	71.16	37.07	35.58	(-) 35.58	1.56	--	74.21	49.21	25.00
	2003-04	71.16	25.00	58.28	(-) 12.88	0.42	--	83.70	65.80	17.90
dly	276.89		144.69	(-)132.20	7.87	--			204.02	
नालन्दा	2000-01	74.29	25.94	24.76	(-) 49.53	0.75	3.90	55.35	37.64	17.71
	2001-02	88.68	17.71	63.84	(-) 24.84	0.69	0.81	83.05	76.82	6.23
	2002-03	92.18	6.23	99.01	(+) 06.83	0.39	2.68	108.31	88.55	19.76
	2003-04	92.18	19.76	88.24	(-) 03.94	1.29	--	109.29	62.25	47.04
dly		347.33		275.85	(-)71.48	3.12	7.39		265.26	
dly ; kx		949.05		504.29	(-)444.76	17.75	7.39		616.32	

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में रा. ब. श्र. प. में भारत सरकार द्वारा निर्गत सम्पूर्ण निधि का इस्तेमाल नहीं कर पायी यद्यपि भारत सरकार राज्य सरकार को इस मद में बहुत ही कम निधि प्रदान की थी।

3-3-7 *vf/kfu; e 1986 ds vllrxr fu; ked dr;*

यद्यपि अधिनियम 1986 में पारित किया गया तथा संबंधित बाल श्रम (निषेध तथा विनियमन) नियमावली भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में बनाया गया, नियमावली को आठ वर्षों के विलम्ब के बाद फरवरी 1996 में राज्य में लागू करने हेतु बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। बाल श्रमिक समस्या को सुलझाने हेतु निश्चित कदम नहीं उठाना अधिसूचना में विलम्ब का सूचक है। तथापि, आयुक्त तथा सचिव ने कहा (नवम्बर 2004) कि बाल श्रमिक के विलोपन हेतु कार्यवाही योजना भारत सरकार को शीघ्र प्रस्तुत किया जायगा।

3-3-8 *fc- jk- ck- J- vk- vf/kfu; ej 1996 ds vllrxr fu; ked dr;*

उन्मूलन तथा बाल श्रमिक के कल्याण तथा पुनर्वास हेतु बि. रा. बा. श्र. आ. अधिनियम, 1996 को निम्नलिखित मुख्य कार्यों को करने हेतु सितम्बर 2003 में अधिसूचित किया गया :

- बाल श्रमिक के कल्याण हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पारित विभिन्न नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा ;
- कल्याण एवं पुनर्वास कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत एन. जी. ओ. तथा शिक्षण संस्थानों एवं बाल श्रमिक के अधिकारों की सहायता तथा बढ़ावा देना ;
- बाल श्रमिक हेतु अनिवार्य, मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मुख्य कार्यक्रम की तैयारी तथा कार्यान्वयन में शिक्षा विभाग को परामर्श देना ;
- राज्य में सांयोगिक तथा अ-सांयोगिक पेशा में नियुक्त बाल श्रमिक से संबंधित तथ्यों तथा आँकड़ों को संग्रहित, संकलित तथा प्रकाशित करना ;
- विशेष कर सांयोगिक पेशा में बाल श्रमिक के नये आगन्तुकों को रोकने हेतु निदान बताना।

यह पाया गया कि राज्य में सांयोगिक तथा असांयोगिक पेशाओं में नियुक्त बाल श्रमिक से संबंधित तथ्यों तथा ऑकड़ों को संग्रहित, संकलित तथा प्रकाशित करने हेतु किये गये प्रयासों को दिखलाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं था। तथापि, आयुक्त तथा सरकार के सचिव ने कहा (नवम्बर 2004) कि आयोग एक स्वायत्त संस्था है तथा राज्य सरकार आयोग को निर्देश जारी नहीं कर सकता है।

3-3-9 / oɪk.k. k vfu/fu; e ds vfu/rxJ fu"kykkRed dr;

मई 1997 में जिलाधिकारी द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि राज्य में 21,281 बालक सांयोगिक तथा 27,761 बालक असांयोगिक पेशाओं से जुड़े थे। जुलाई 2004 के बाद से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। तथापि, आयुक्त तथा सरकार के सचिव ने कहा (नवम्बर 2004) कि बाल श्रमिक की पहचान हेतु सर्वेक्षण के लिए निर्देश जारी किये गये थे।

3-3-10 fujhfk.k rFkk vfu/k; kstu

श्रमायुक्त द्वारा निरीक्षणों का मासिक यथांश निर्धारित किया गया जैसे – श्रमाधीक्षक के लिए 10 निरीक्षण, सहायक श्रमायुक्त के लिए पाँच, अम उपायुक्त के लिए दो। तथापि, निरीक्षण की संख्या, अधिनियम का उल्लंघन तथा अभियोजन निम्नवत था :

0"kl	fujhfk.k	mYyku	vfu/k; kstu	cfr'krkk
1999-2000	14,313	581	234	40.3
2000-01	20,552	1,836	136	7.4
2001-02	48,415	3,719	315	8.5
2002-03	48,276	6,065	398	6.6
2003-04	36,835	5,431	385	7.1
dly	1,68,391	17,632	1,468	8.1

वर्ष 1999–2004 के दौरान राज्य में किये गये 1,68,391 निरीक्षण में से विभाग द्वारा पकड़े गये 17,632 उल्लंघन के मामलों के विरुद्ध 1468 अभियोजन मामले (आठ प्रतिशत) दायर किये गये। अभियोजन हेतु मामला दायर करने के बाद किये गये प्रयास के संबंध में पूछने पर कोई जबाब नहीं दिया गया। आयुक्त तथा सरकार के सचिव ने कहा (नवम्बर 2004) कि यह सुनिश्चित करना कठिन था कि उल्लंघन तथा अभियोजन के मामले अधिनियम से संबंधित थे अथवा नियामक प्रावधान से। 1,468 अभियोजन मामलों के निष्पादन के संबंध में उच्छ्वासोंने कोई सूचना नहीं दिया। सरकार के पास भी सांयोगिक तथा असांयोगिक उद्योगों में किये गये निरीक्षण के संबंध में कोई अलग सूचना उपलब्ध नहीं थी।

1999–2004 के दौरान रा. बा. श्र. प. जिलाओं में निरीक्षण, उल्लंघन तथा अभियोजन की संख्या निम्नवत था :

0"kl	fujhfk.k				mYyku				vfu/k; kstu			
	I gjl k	tepl	ukynk	dly	I gjl k	tepl	ukynk	dly	I gjl k	tepl	ukynk	dly
1999-2000	52	300	20	372	21	63	--	84	14	09	--	23
2000-01	50	150	60	260	10	35	05	50	02	03	02	07
2001-02	73	200	811	1084	26	54	59	139	02	08	03	13
2002-03	255	120	1117	1492	57	15	84	156	08	02	10	20
2003-04	223	135	796	1154	49	21	100	170	05	11	08	24
; kx	653	905	2804	4362	163	188	248	599	31	33	23	87

4,362 निरीक्षणों में से उल्लंघन के 599 मामले पकड़े गये किन्तु, दोषियों के विरुद्ध मात्र 87 अभियोजन मामले दायर किये गये।

3-3-11 *jk ck J- i- eɪ iʊəl dk; ðe*

रा. बा. श्र. प. का मुख्य उद्देश्य सांयोगिक पेशाओं में कार्यरत बालकों की वापसी थी तथा विशेष विद्यालयों में उनकी शिक्षा के माध्यम से उन्हें पुनर्वासित करना जहाँ उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा, पोषण आदि प्रदान किया जाता हो।

परियोजना आधारित अभिक्रिया की योजना के अन्तर्गत रा. बा. श्र. प. मुख्य दबाब, परियोजना क्षेत्र में बाल श्रमिक की घटना को कम करना था जिसके द्वारा बाल श्रमिक का विलोपन तेजी से हो सके। इन परियोजनाओं में की जाने वाली क्रिया विधि इस प्रकार थी :

- बाल श्रम कानून के प्रवर्तन को बढ़ाना ;
- औपचारिक / अनौपचारिक शिक्षा ;
- व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान ;
- आय तथा रोजगार जनित क्रियाकलाप ;
- बाल श्रमिक का प्रत्यक्ष पुनर्वास ;
- जन जागरूकता बढ़ाना ; तथा
- सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन

*jk ck J- i- ds
vʊrxt 38 eɪ l s ek=*
3 ft yk eɪ ylkxw gɪk

*0; kol kf; d cf' k{k.k.
I gj l k ft yk eɪ
çkj EHk ugha gɪk*

तथापि, बिहार के 38 जिलों में से मात्र तीन जिला (सहरसा, जमुई तथा नालंदा) में रा. बा. श्र. प. लागू हुआ क्योंकि अधिकांश बाल श्रमिक इन जिलों में पाये गये। रा. बा. श्र. प. के उद्देश्य उपेक्षित रहे जो नीचे वर्णित हैं :

- 2002–03 तक सहरसा में बालकों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण का आरम्भ दक्ष शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण परियोजना समिति ने नहीं किया था। आयुक्त तथा सरकार के सचिव ने कहा (नवम्बर 2004) कि सहरसा में व्यावसायिक प्रशिक्षण योग्य शिक्षकों के अभाव में बालकों को नहीं प्रदान किया गया।
- समिति के प्रारम्भ से रा. बा. श्र. प. नालंदा में एक क्षेत्र पदाधिकारी तथा एक आशुलिपिक की कमी थी। आयुक्त तथा सरकार के सचिव ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया (नवम्बर 2004) तथा सूचित किया कि उनकी नियुक्ति हेतु प्रयास किया जा रहा है।

3-3-12 *jk ck J- i- ds vʊrxt fo'ks'k fo/ky;*

*xg vɪk/kfj r i s kkvka
l s ckydkə dks fo'ks'k
fo/ky; kə }kj k
fudkyk x; k*

सरकार के निर्देशानुसार औपचारिक / अनौपचारिक शिक्षा तथा पूर्व व्यावसायिक / शिल्प प्रशिक्षण देने हेतु रचेच्छिक प्रयास के द्वारा सांयोगिक पेशा से वापस हुए बाल श्रमिक के पुनर्वास हेतु विशेष विद्यालयों की स्थापना की जानी थी। बालकों को पूरक पोषण, वजीफा, स्वास्थ्य सेवा आदि प्रदान किया जाना था।

सहरसा तथा जमुई में प्रति 2000 बाल श्रमिक पर 40 विशेष विद्यालयों एवं नालंदा जिला में 2500 बाल श्रमिक विद्यार्थियों पर 25 विद्यालय स्थापित किये गये। प्रावधान के

अनुसार सांयोगिक कार्य के बाल श्रमिक को रा. बा. श्र. प. विद्यालयों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि गृह आधारित पेशाओं से निकले बालकों का नामांकन इन विद्यालयों में किया गया।

बाल श्रमिक की संख्या जिनका नामांकन विशेष विद्यालयों में किया गया, पढ़ाई पूरा होने पर मुख्य धारा में आये तथा विशेष विद्यालयों से अध्ययन के दौरान छोड़कर जाने वाले निम्नवत थे :

ftyk dk uke	cky Jfed dh f; k	ukekfdr ef; /kjk es; vkl; srfkk Nkm; gq cky Jfed dh f; k											
		1999-2000			2000-01			2001-02			2002-03		
		i q	L=h-	dly	i q	L=h-	dly	i q	L=h-	dly	i q	L=h-	dly
सहरसा	नामांकित	1995	05	2000	1995	05	2000	1995	05	2000	1995	05	2000
	मुख्य धारा	1249	05	1254	--	--	--	--	--	--	--	--	1576
	छोड़ा हुआ	572	--	572	--	--	--	--	--	--	--	--	228
जमुई	नामांकित	883	1017	1900	883	1017	1900	883	1017	1900	937	1063	2000
	मुख्य धारा	--	--	--	--	--	--	--	--	--	895	1057	1952
	छोड़ा हुआ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	28	48
नालंदा	नामांकित	1259	952	2211	1213	1287	2500	1163	1338	2501	1174	1326	2500
	मुख्य धारा	185	182	367	952	831	1783	250	130	380	267	293	560
	छोड़ा हुआ	07	04	11	48	78	126	05	08	13	07	06	13
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

जाँच से तदन्तर ज्ञात हुआ कि इन रा. बा. श्र. प. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव था जैसे :

- सहरसा में 22 विद्यालय एक कमरा में चार कक्षाओं को संचालित अपर्याप्त स्थान में कर रहे थे। आयुक्त तथा सरकार के सचिव ने कहा (नवम्बर 2004) कि गाँवों में आवश्यक आवास स्थान अनुपलब्ध था।
- 2001-02 तथा 2002-03 में भारत सरकार से निधियों की अप्राप्ति के कारण दिन का भोजन नहीं प्रदान किया गया।
- 1999-2004 के दौरान बाल श्रमिक छात्राओं के नामांकन के बावजूद विशेष विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी। आयुक्त तथा सरकार के सचिव ने कहा (नवम्बर 2004) कि विशेष विद्यालयों के सुदूर ग्राम्य क्षेत्रों में अवस्थित होने के कारण इन विद्यालयों में शौचालय सुविधा मुहैया कराना सम्भव नहीं था।

3-3-13 dY; k.k fuf/k dk xBu ughfd;k tkuk

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायाल के निर्देशानुसार अहित करने वाले बाल श्रमिक के नियोक्ता को प्रति बालक 20,000 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना था तथा इस राशि को बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा कराना था। काम से वापस लिये गये बालक के परिवार के एक वयस्क सदस्य को नौकरी देना यदि संभव न हो तो प्रति बालक 5,000 रुपये की दूसरी राशि राज्य सरकार द्वारा इस निधि में जमा कराना था।

तथापि, यह पाया गया कि जुलाई 1997 में पटना के चार मामलों में मात्र 0.80 लाख रुपये नियोक्ता से संग्रहित हुआ। किसी प्रभावी परिवार के वयस्क सदस्य को न तो नौकरी दी गयी न कल्याण कोष में राज्य सरकार द्वारा कोई राशि ही जमा करायी गयी। तथापि, आयुक्त तथा सरकार के सचिव ने कहा (नवम्बर 2004) कि विधि विभाग

द्वारा जारी अनुदेश के आलोक में बाल श्रमिक को क्षतिपूर्ति कानूनी रूप में 20,000 रुपये की दर से दिया जाना चाहिए। तथापि, सत्य यह है कि कल्याण कोष को उन्नत नहीं किया गया (मार्च 2004)।

3-3-14 *vuplo.k rFkk eW; kou*

: Xu vuplo.k

रा. बा. श्र. प. के क्रियाकलाप श्रम मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा तथा श्रम विभाग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अनुश्रवण किया जाना अपेक्षित था। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के वरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर परियोजना स्थल का निरीक्षण अपेक्षित था। राज्य सरकार से भी अपेक्षा थी कि परियोजना समितियों से निरंतर संपर्क बनाये रखे तथा समय पर लेखापरीक्षित लेखा, उपयोगिता प्रमाणपत्र परियोजना समिति से प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। बाल श्रम कार्यक्रम की प्रगति को वर्ष में दो बार राज्य सरकार को समीक्षा करनी थी।

तथापि, यह पाया गया कि राज्य स्तर पर मानदंडों के अनुरूप अनुश्रवण नहीं किया गया। विद्यालयों में बाल श्रमिक छात्रों को भोजन की निरंतर आपूर्ति हेतु इसके पूर्व वार्ता (फरवरी 2002) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मई 2003 में राज्य अनुश्रवण संगठन की बैठक हुई। तथापि, आयुक्त तथा सरकार के सचिव ने कहा (नवम्बर 2004) कि प्रवर्तक एजेन्सियों को राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

3-3-15 *fu"d"kl*

jk- ck- J- i- ds
vUrxkr ftyk dk
vYi vkPNknu

बाल श्रमिक की वास्तविक संख्या, मई 1997 से अनुगामी सर्वेक्षण के अभाव में निर्धारित नहीं की जा सकी। राज्य के 38 जिलों में से मात्र तीन में रा. बा. श्र. प. परिचालन में था। बाल श्रम अधिनियम के उल्लंघन के लिए अनुगामी कार्रवाई करने हेतु प्रशासन तंत्र को मजबूत नहीं बनाया गया। फलस्वरूप 1999–2004 के दौरान उल्लंघन मामलों के विरुद्ध मात्र आठ प्रतिशत अभियोजन था।

vupkl

- राज्य में अधिनियम के असर के सही आकलन हेतु आवधिक अन्तराल पर सर्वेक्षण करना चाहिए तथा राज्य में योजना का कार्यान्वयन होना चाहिए।
- राज्य के सभी जिलों में क्रमबद्ध रूप में रा. बा. श्र. प. विद्यालयों को आरम्भ कराना चाहिए तथा योजना के पथ प्रदर्शन के अन्तर्गत रा. बा. श्र. प. संचालित विद्यालयों में केवल सांयोगिक पेशाओं से वापस बालकों का नामांकन होना चाहिए।
- विशेष विद्यालयों में बाजारोन्मुख व्यावसायिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। एन. जी. ओ. के साथ-साथ परियोजना समितियों के लिए विशेष विद्यालय के बालकों का अनुवर्ती मुख्य धारा अनुश्रवण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- रा. बा. श्र. प. विद्यालयों के अभिक्रियाओं की समीक्षा तथा अनुश्रवण परियोजना समिति, निदेशालय तथा विभाग द्वारा निरंतर तथा प्रभावी बनाना चाहिए।

बिंदुओं को सरकार को संदर्भित किया गया (सितम्बर 2004) ; उनके उत्तर प्राप्त हुए (नवम्बर 2004), तथा शामिल कर लिया गया जहाँ आवश्यकता थी।

fpfdrI k f' k{kk rFkk i fj okj dY; k. k foHkkx

3-4 Hkkj rh; vkskf/k , oa gkfe; kis kh i) fr

ejf; kd"kk

सरकार ने भारतीय औषधि एवं होमियोपैथी पद्धति (आई. एस. एम. एच.) की स्थापना इन पद्धतियों में चिकित्सा प्रदान करने हेतु चिकित्सक की उपलब्धता एवं सामान्य जन को समुचित मुल्य पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु की थी। विभाग भारतीय औषधि पद्धति तथा होमियोपैथी (आई. एस. एम. एच.) में पर्याप्त शैक्षिक तथा अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान करने में विफल रही तथा राज्य में स्वास्थ्य संरक्षा सेवाएँ भी रुग्न अवस्था में थी। महाविद्यालयों तथा चिकित्सालयों के कार्यकलाप आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं, अपर्याप्त शिक्षण/गैर शिक्षण तथा चिकित्सीय/परा-चिकित्सीय कर्मियों एवं औषधि हेतु निधि की कमी तथा अनुश्रवण एवं उपर्करण की अनुपलब्धता से बाधित थे।

vk; pfnd] ; wkuh rFkk gkfe; kis kh fpfdRI k egkfo | ky; k a rFkk fpfdRI ky; k a us f' k{kk. k] xj f' k{kk. k] fpfdRI dh; rFkk ijk&fpfdRI h; dfez; k a ds i fj fu; kstu l ckh Hkkj rh; vkskf/k dfUnz; i fj "kn rFkk gkfe; kis kh dfUnz; i fj "kn] u; h fnYyh }jk fofo vko'; d ekunM dks ijk ugha fd; kA

I jdkjh gkfe; kis kh fpfdRI k egkfo | ky; rFkk fpfdRI ky;] ejt@Qj ij Is ; Fk"V I a; k ea fo | kFkhZ gj | ky i <kbl Nkm+ns;s FkA

%d Mdk 3-4-7½

vk; pfnd egkfo | ky; I g fpfdRI ky;] cxi jk; , oa jkt dh; frch egkfo | ky;] i Vuk dk dk; dyki vi; klr euyhkr I jpuKRed I fo/kkvka ds dkj .k ckf/kr FkA

jkt dh; vk; pfnd egkfo | ky; @fpfdRI ky;] i Vuk ds f' k' kq vkdflEd , oa vuq alku foHkkx e o"kl 1999&2003 dh vof/k e alkbZ Hkh jkxh dk bykt ugha fa; k x; k FkA

%d Mdk 3-4-8½

Hkkj r I jdkj }jk v k; pfnd , oa ; wkuh egkfo | ky; k a QkefI ; k a ds v@% jpuKRed I q<hdj .k gsrq fn; s x; s 1-25 djkm+ #i ; s es I s 0; ; fd; s x; s 73-22 yk[k #i ; s fuj Fkld jgA

%d Mdk 3-4-10½

Hkk- vks gks foHkkx }jk v k; pfnd] gkfe; kis kh , oa ; wkuh egkfo | ky; k a rFkk vksk/kky; k a ds dk; dyki ds vuqo.k , oa eW; kdu gsrq alkbZ Lfkkfi r 0; oLFkk ugha FkA

%d Mdk 3-4-11½

3-4-1 *çLrkouk*

सरकार ने भारतीय औषधि एवं होमियोपैथी पद्धति (आई. एस. एम. एच.) की स्थापना इन पद्धतियों में चिकित्सा प्रदान करने हेतु चिकित्सक की उपलब्धता एवं सामान्य जन को समुचित मूल्य पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु की थी। इन पद्धतियों में आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी, प्राकृतिकपैथी तथा होमियोपैथी शामिल हैं।

राज्य में पाँच राजकीय आयुर्वेदिक, एक युनानी तथा एक होमियोपैथिक चिकित्सकीय महाविद्यालय/चिकित्सालय हैं। यहाँ एक आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विभाग (राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सकीय महाविद्यालय, पटना), एक आयुर्वेदिक, एक युनानी अनुसंधान इकाई तथा एक आयुर्वेदिक एवं युनानी फार्मसी भी हैं। आई. एस. एच. के तहत शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ प्रदान करने हेतु इन संस्थानों की स्थापना का विनियमन भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद (भा. औ. के. प.) तथा होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद (हो. के. प.), नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। 69 आयुर्वेदिक, 30 युनानी एवं 28 होमियोपैथिक डिस्पेन्सरी के अलावा राज्य में एक दस शय्या वाला राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल भी है।

3-4-2 *dk; ðe dk mís'*

राज्य सरकार का भा. औ. प. हो. विभाग उन्नयन तथा औषधि की इन पद्धतियों के प्रचार हेतु निम्नलिखित उद्देश्य से कार्यरत रहा है :

- अच्छी शैक्षिक तथा अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान करने हेतु ;
- जनसमूह को समुचित मूल्य पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करने हेतु ;
- पर्याप्त आधारभूत संरचना तथा सुविधाएँ सुनिश्चित कराने हेतु ; तथा
- औषधियों के निर्माण में कच्चा माल हेतु वनस्पति उद्यानों को विकसित करने में।

3-4-3 */ æBukRed < kpk*

आई. एस. एम. एच. विभाग, का सचिव स्वास्थ्य शिक्षा (परिवार कल्याण) के अधीन कार्य करता है जिसे एक निदेशक तथा तीन उप-निदेशकों की सहायता सचिवाल स्तर पर प्राप्त होते हैं। जिला स्तर पर 27 जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी (डी आई एम ओ) हैं जो जिला मुख्यालय स्तर पर संयुक्त औषधालय, जिसमें आयुर्वेद, युनानी और होमियोपैथिक चिकित्सक थे तथा राज्य औषधालय (प्रखंड स्तर पर) जिसमें आयुर्वेद या युनानी या होमियोपैथिक चिकित्सक थे, के प्रभार में भी थे।

3-4-4 *yʃkki jh{k ds mís'*

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन करना था कि क्या :

- चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सालयों के कार्य संपादन हेतु आई. एस. एम. एच./सी. सी. एच., नई दिल्ली द्वारा वर्णित नियामकों का अनुपालन किया गया था।

- भा. औ. प. हो. संस्थानों को प्रभावी सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचना सुविधाएँ प्रदान की गई थी।
- रोगियों को समुचित मूल्य पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध की जा रही थी।
- चिकित्सालयों में उपयोग हेतु आवश्यक गुण वाले आयुर्वेदिक एवं युनानी औषधियों का उत्पादन किया जा रहा था।

3-4-5 *ySikkijhkk dk {k=*

वर्ष 1999–2004 की अवधि के लिए तीन आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सालयों (पटना, बेगूसराय तथा भागलपुर में), राजकीय तिब्बी महाविद्यालय (यूनानी), पटना, आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर विभाग, पटना, राजकीय आयुर्वेद तथा यूनानी अनुसंधान प्रतिष्ठान, पटना, राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी फार्मसी, पटना, राय बहादुर टुनकी साह (रा. ब. टु. सा.) सरकारी होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सालय, मुजफ्फरपुर एवं आठ² जि. दो. चि. प. के कार्यकलाप निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच मई से अक्टूबर 2004 के दौरान की गयी।

3-4-6 *foUkk; ck: i rFkk 0; ;*

वर्ष 1999–2004 के दौरान आवंटन तथा व्यय की स्थिति निम्नवत थी :

<i>o"kl</i>	<i>vko\lu</i>	<i>0; ;</i>	<i>cpr</i>
1999–2000	24.22	22.31	1.91
2000–2001	23.24	21.32	2.12
2001–2002	17.07	10.25	6.82
2002–2003	16.36	9.48	6.88
2003–2004	20.02	15.72	4.30
कुल	101.11	79.08	22.03

(स्रोत : विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 1999–2004)

3-4-7 *dk; De cruk*

सी. सी. आई. एम. तथा सी. सी. एच., नई दिल्ली द्वारा निर्धारित विनियमों एवं मानक के अंतर्गत राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को कार्य करना था। अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित ज्ञात हुए :

f'k{k.k rFkk xf f'k{k.k dfe; k; dh vuj yCkrk

नमूना जाँचित आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों तथा चिकित्सालयों में से कोई भी सी. सी. आई. एम. तथा सी. सी. एच., नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शिक्षण तथा गैर शिक्षण से संबंधित आवश्यक मानदंड को पूरा नहीं करता था (संदर्भ : परिशिष्ट–XXX तथा XXXI)। यहाँ स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल (प्रोफेसर : 88 प्रतिशत, रीडर : 76 प्रतिशत एवं व्याख्याता : 35 प्रतिशत) कम था।

² बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया, औरंगाबाद, नवादा तथा विहारशरीफ

jKT; eɪ vɪk; pʃɪnd
fpfdRl k egkfo|ky; k
eɪ funɪkld ds i n
ugha Fks

प्रत्येक आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय में निर्देशक के 27 पदों की आवश्यकता के विरुद्ध राज्य के किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों में एक भी पद की स्वीकृति नहीं की गयी।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का स्नातकोत्तर विभाग राज्य में एकमात्र संस्थान है जिसे स्नातकोत्तर के लिए द्रव्यगुण एवं रसशास्त्र विद्या के शिक्षण सुविधा प्राप्त है। सी. सी. आई. एम., नई दिल्ली ने शिक्षण, प्रायोगिक प्रशिक्षण तथा आधारभूत संरचना की उपलब्ध सुविधाओं पर विचार करने के बाद 1997–98 सत्र के लिए छात्रों के नामांकन की आज्ञा नहीं देने का निर्णय लिया तथा छात्र और छात्राओं हेतु खतंत्र छात्रावास सुविधा निर्माण हेतु सलाह दिया (सितम्बर 1997)। तथापि, सी. सी. आई. एम. ने प्रोफेसर (एक) तथा रीडर (एक) के रिक्त पदों को भरने तथा एक वर्ष के अन्दर ‘द्रव्य गुण’ तथा ‘रस शास्त्र’ में स्नातकोत्तर मानदंड का एक प्रयोगशाला के निर्माण की शर्त पर प्रत्येक विभाग में चार छात्रों के नामांकन की स्वीकृति (अक्टूबर 1998) दी। यद्यपि, इन पाठ्यक्रमों को उपरोक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराये बिना जारी रखे गये। आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटना के स्नातकोत्तर विभाग में सत्र 2002–03 के बाद विद्यार्थी का नामांकन सरकार द्वारा आरक्षण नीति 2000 के आधार पर आरक्षित संख्या को निर्धारित नहीं करने के कारण लंबित था।

egkfo|ky; k@fpfdRl ky; k eɪ vɪk/kkjHkɪr / jpuk / fo/kk

बिजली, चिकित्सा उपकरणों तथा शस्याओं के अभाव जैसी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव के कारण आयुर्वेदिक महाविद्यालय सह चिकित्सालय, भागलपुर की कार्यवाही बाधित थी। अन्तः रोगी विभाग (आई. पी. डी.) कार्यकारी नहीं होने के कारण 2001 में महाविद्यालय को सी. सी. आई. एम., नई दिल्ली ने असंबद्ध कर दिया था। आई. पी. डी. अबतक कार्यरत नहीं था।

Nk=k dk ukelkdu

fpfdrI k egkfo|ky; k
eɪ Nk=k dk ukelkdu
ekunM l s de j gk

औषधि की यूनानी पद्धति में डिग्री प्रदान करने हेतु सरकारी तिब्बी महाविद्यालय, पटना, 40 छात्रों के नामांकन बल के साथ राज्य का एकमात्र प्रतिष्ठान ने सी. सी. आई. एम., नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रति छात्र तीन शस्या, छात्र एवं छात्राओं हेतु अलग छात्रावास तथा वनस्पति उद्यान जैसा छोटा मानदंड को भी पूरा नहीं किया। इन कमियों के बावजूद भी वर्ष 1999–2003 के दोरान 106 छात्रों का नामांकन हुआ।

सी. सी. आई. एम., नई दिल्ली द्वारा बी. ए. एम. एस. डिग्री पाठ्यक्रम हेतु 30 छात्रों के नामांकन के लिए राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय को अनुमति दी गयी (अगस्त 2001)। 30 छात्रों की क्षमता के विरुद्ध 2002–2003 तथा 2003–04 में क्रमशः मात्र 17 एवं 14 छात्रों का नामांकन हुआ। सत्र 2002–03 तथा 2003–04 की परीक्षा नहीं ली गयी। इस सम्बन्ध में कोई कारण नहीं बतलाया गया।

यह भी पाया गया कि आर. बी. टी. एस. राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय सह चिकित्सालय, मुजफ्फरपुर में 2003–04 के दोरान पूर्ण संख्या बल तक छात्रों का नामांकन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त छात्रों की यथेष्ट संख्या बीच सत्र में ही हर साल पढ़ाई छोड़ देते थे जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है।

॥५॥

०"॥	।॥-।॥- , p- }jkjk Lohdr	ukekldr Nk=	NkM+fn; s gq Nk=
1999–2000	60	38	9
2000–2001	60	60	26
2001–2002	60	60	28
2002–2003	60	55	28
2003–2004	60	12	5

शिक्षण तथा गैर शिक्षण कर्मियों की कमी एवं महाविद्यालयों सह चिकित्सालयों में अपर्याप्त अंतःसंरचनात्मक सुविधायें नामांकन में कमी एवं बीच सत्र में छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ देने का मुख्य कारण था।

3-4-8 *jkt dh; vkl; pfnd] gkfe; kslkh rFkk ; wkuhi fpfdRI ky; ksl dsh; klyki*

आयुर्वेदिक, होमियोपैथी तथा यूनानी चिकित्सालयों के कार्यकलाप चिकित्सीय/परा चिकित्सीय कर्मियों के अभाव, रुग्ण आधारभूत संरचना तथा औषधियों की अनुपलब्धता के कारण बाधित था जिसकी चर्चा निम्नवत है :

vkl; pfnd
egkfo | ky; ksl s
l gyXu fpfdRI ky; ksl
es fpfdRI h; @ijk
fpfdRI h; dfet; ksl dsh
desh

चिकित्सकीय एवं गैर चिकित्सकीय कर्मियों की स्वीकृति/पदस्थापना नहीं होने के कारण नमूना जाँचित तीन महाविद्यालयों तथा चिकित्सालयों⁴ के कार्यकलाप निम्नवत तालिकाबद्ध थे :

॥६॥

i n	।॥-।॥- vkbz , e- ekunM	। jdkj }jkjk Lohdr	dk; jyry dhl voLdk
हाउस फिजीसीयन	30	शून्य	शून्य
निश्चेतक	3	शून्य	शून्य
नैदानिक निबंधक	3	शून्य	शून्य
दुर्घटना पदाधिकारी	3	शून्य	शून्य
सहायक अधीक्षिका	3	शून्य	शून्य
परिचारिका	9	1	शून्य

परिणामतः इन चिकित्सालयों द्वारा वर्ष 1999–2004 की अवधि में किसी प्रकार की चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा नहीं प्रदान की गई।

बिहार सरकार द्वारा 1981 में आर. बी. टी. एस. राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सालय, मुजफ्फरपुर अधिग्रहीत किया गया तथा सी. सी. एच., नई दिल्ली द्वारा 1999 में प्रस्वीकृत किया गया। महाविद्यालय से संलग्न चिकित्सालय की क्षमता 60 शय्या की थी। सी. सी. एच. के मानदंड के अनुसार एक चिकित्सा उपाधीक्षक, चार आवासीय चिकित्सा पदाधिकारी तथा आठ गृह कर्मियों के पदस्थापना की आवश्यकता चिकित्सालय में थी किन्तु अकट्टूर 2004 तक इन पदों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गयी। 1999–2000 से 2001–02 तक कोई रोगी दाखिल नहीं हुआ जबकि 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान तीन तथा 20 रोगी दाखिल हुए।

⁴ राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय तथा चिकित्सालय, पटना, बैगुसराय तथा भागलपुर

fpfdrI ky; k^a eⁱ : Xu vkkkjHkr I jpu^k I fo/kk

vk; pfnd
egkfo|ky;] cx|| jk;
eⁱ vk/kkjHkr I jpu^k
I fo/kkv^a dk vHko

राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय तथा चिकित्सालय, बेगूसराय पंचकर्म, एक्स-रे, शल्य गृह, प्रसव गृह, परिवार नियोजन तथा आपातकालीन बाल कल्याण इकाई के बगैर कार्य कर रहा था। द्रव्यगुण तथा रसशास्त्र विभाग एक ही कमरा में चल रहे थे।

राजकीय तिब्बी महाविद्यालय, पटना से संलग्न चिकित्सालय का भवन स्नानागार, शौचालय तथा जलापूर्ति रहित था। इस चिकित्सालय में शल्यक्रिया कक्ष भी उपलब्ध नहीं था।

अन्तःशाल रोगियों की सुविधा हेतु आवश्यक चादर, तकिया, मच्छरदानी, गद्दे आदि का भी अभाव था।

औषधि के उत्पादन साथ ही साथ चिकित्सकीय पौधों के अध्ययन तथा कच्चा माल प्राप्त करने हेतु सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सालयों को एक वनस्पति उद्यान का संधारण करना आवश्यक था। यह पाया गया कि केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के पास लगभग तीन एकड़ क्षेत्र का एक वनस्पति उद्यान था जो निधि के अभाव के कारण उपेक्षित रहा। फलस्वरूप इससे कच्चा माल की प्राप्ति नहीं होती थी।

युनानी एवं आयुर्वेदिक औषधियों से संबंधित प्रयोगशालाएँ कार्यशील नहीं थी। वर्ष 2000–03 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पटना के स्नातकोत्तर विभाग में पूर्ण शय्या क्षमता का उपयोग नहीं हुआ था। वर्ष 1999–2003 की अवधि में शिशु, आकस्मिक एवं अनुसंधान विभाग में किसी भी रोगी को भर्ती नहीं किया गया था।

vkSkf/k; k^a ij ux.; 0; ;

- ◆ आबंटित निधियों की उपलब्धता के बावजूद अधिकांश प्रतिष्ठान क्रय के अभाव के कारण औषधियों, यंत्रों तथा उपकरणों की कमी से ग्रस्त थे; जो नीचे दर्शाया है :

çfr"Bku dk uke	o"kl	vkcl/u dk vflkçk;	vkcl/u dli jkf' k	mi ; kx dli xbl jkf' k
सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटना	2000–2001 से 2003–2004	औषधि यंत्र तथा उपकरण	1.04 1.85	— —
आयुर्वेद तथा यूनानी औषधि निर्माण इकाई	1999–2000 से 2002–2003 1999–2004	कच्चा माल	6.40	0.88
स्नातकोत्तर विभाग, पटना	1999–2000 से 2003–2004	यंत्र तथा उपकरण	6.40 2.28 0.63	0.08 0.41 —
आयुर्वेदिक तथा यूनानी अनुसंधान इकाई, पटना	1999–2000 से 2003–04	पथ्य औषधि उपकरण	1.06 1.50 2.32	— 0.30 —
आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सालय, बेगूसराय	2001–2002 से 2003–2004	यंत्र, उपकरण तथा माल	3.60	—
dy			27-08	1-67

स्नातकोत्तर विभाग के प्रधान द्वारा यह कहा गया कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा दर निर्धारण हेतु होने वाली बैठक नहीं किया जा सका था।

3-4-9 *VlSk/kky; kq ds dk; Idyki*

जि. दे. चि. प. के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला संयुक्त औषधालयों तथा राजकीय औषधालय थे। आठ जिला संयुक्त औषधालयों तथा 36 राजकीय औषधालयों में से नमूना जाँचित सात जिला संयुक्त औषधालयों तथा 32 राजकीय औषधालयों को निजी भवनों में चलाये जा रहे थे। केवल सात राजकीय औषधालयों में बिजली की सुविधा थी तथापि, केवल नौ में जल तथा तीन में शौचालय की सुविधा थी।

किसी भी औषधालयों में पैथोलोजिकल, एक्स—रे तथा अन्तःशाल चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं था। मुजफ्फरपुर में एक यूनानी औषधालय मई 2001 से चिकित्सा पदाधिकारी के बगैर चल रहा था।

1999—2004 के दौरान 10.29 करोड़ रुपये में से औषधि हेतु औषधालयों को नगण्य निधि (एक प्रतिशत) प्रदान किया गया।

राजकीय औषधालयों द्वारा इलाज किए गये बाह्य रोगियों की संख्या तथा अनुशंसित की गई औषधियों से संबंधित किसी भी प्रकार के अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे।

कर्मियों का अभाव एवं रूगण अंतःसंरचनात्क सुविधाओं के कारण चिकित्सालयों एवं औषधालयों के द्वारा लक्षित जनसमान्य हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं उपलब्ध हो पाए ही थी।

3-4-10 *V//jjs@Vuq; kx vr% jpuq ij vykHdkjh 0; ;*

भारत सरकार द्वारा आयुर्वेदिक एवं युनानी महाविद्यालयों/फार्मेसियों के अंतःसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण हेतु 1.20 करोड़ रुपये दिये गये, जिसमें से 73.22 लाख रुपये का व्यय अधूरे/अनुपयोगी सुविधाओं के कारण अलाभकारी रहा, जैसा नीचे की तालिका में दर्शाया गया है :

०० ।।	fuelk dk uke	tkjh dh xbz jkf'k %#i ; s yk[k e%	o"kl %tkjh fd; k x; k 0; %#i ; s yk[k e%	fd; k x; k 0; %#i ; s yk[k e%	vH; fä
1	राजकीय आयुर्वेदिक एवं युनानी फार्मेसी, पटना	75.00	2000—01	25.00	5 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि के अभाव में पटना में फार्मेसी भवन के निर्माण पर किया गया 25 लाख रुपये अलाभकारी रहा। अन्य 50 लाख रुपये जो मशीन एवं यंत्रों के क्रय हेतु था, अनुपयुक्त पड़ा रहा था।
2	आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटना में हॉस्टल भवन	15.00	2000—01	15.00	यह भवन 15 लाख रुपये के अतिरिक्त निधि के अभाव में अधूरा पड़ा था।
3	राजकीय तिब्बी महाविद्यालय, पटना के लिए चिकित्सालय भवन	10.00	1997—98	10.00	निधि के अभाव के कारण नवम्बर 2003 में शुरू की गई भवन निर्माण की प्रक्रिया अधूरी पड़ी थी।

०े । ॥	fuelk dk uke	tkjh dh xbz jkf'k /#i ; s yk[k e॥	o"kl /tkjh fd; k x; k॥	fd; k x; k 0; ; /#i ; s yk[k e॥	vH; fä
4	रा. ब. टु. शा. होमियोपेथिक महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में छात्राओं हेतु हॉस्टल निर्माण	15.00	2000–01	13.32	सरकार द्वारा किराये का निर्धारण एवं सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण जुलाई 2003 में निर्मित हॉस्टल भवन उपयोग में नहीं लाया जा रहा था। शेष 1.68 लाख रुपये की राशि कार्यकारी एजेन्सी द्वारा वापस नहीं की गई थी।
5	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटना में कम्प्युटर प्रयोगशाला	10.00	2001–02	9.90	प्रशिक्षित कर्मियों के अभाव में जुलाई 2002 से स्थापित कम्प्युटर प्रयोगशाला अनुपयोगित था।
	dy	125.00		73.22	

शेष 51.78 लाख रुपये कार्यकारी एजेन्सी के पास पड़े थे।

3-4-11 fu"d"॥

आई. एस. एम. एच. विभाग इन पद्धतियों में मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव, शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मियों की कमी के कारण चिकित्सा महाविद्यालयों के द्वारा शिक्षा प्रदान करने में विफल रहा। चिकित्सालयों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ भी औषधि, अंतःसंरचनात्मक सुविधाओं एवं चिकित्सकीय एवं गैर-चिकित्सकीय कर्मियों के अभाव के कारण रुग्ण अवस्था में थी। औषधियों के निर्माण हेतु कच्चा माल भी हर्बल उद्यानों के खराब रखरखाव के कारण उपलब्ध नहीं हो सका।

3-4-12 vuʃkd k

- सी. सी. आई. एम./सी. सी. एच. मानदंडों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
- चिकित्सालयों/औषधालयों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए औषधि, यंत्र तथा अन्य आधारभूत संरचना के लिए पर्याप्त निधि प्रदान किया जाना चाहिए।
- आयुर्वेदिक एवं युनानी औषधियों के गुणात्मक नियंत्रण हेतु तंत्र क्रियाशील किया जाना चाहिए।
- आई. एस. एम. एच. के कार्यकलाप को प्रभावी बनाने हेतु उचित अनुश्रवण प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

बिन्दुएँ सरकार को संदर्भित की गयी (नवम्बर 2004) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (फरवरी 2005)।

xkeh.k fodkl foHkkx

xkE; vfHk; e.k I xBu

3-2 ç/kkue= h xke I Md ; kst uk ¼ h- , e- th- , I - okb½

eq; kd"kk

बिहार में 500 या उससे अधिक आबादी के 17920 निवास स्थलों को 9628 सड़कों (33351 किलोमीटर) का निर्माण कर सर्वऋतु पथ से जोड़ना अपेक्षित था। परंतु मात्र कुछ निवास स्थलों (10 प्रतिशत) को ही दो चरणों में 969 सड़कों (2400 किलोमीटर के निर्माण) द्वारा जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके विरुद्ध मात्र 172 सड़कों (467 किलोमीटर) का निर्माण किया जा सका। विभाग के पास इन सड़कों से लाभान्वित निवास स्थलों की संख्या का कोई आंकड़ा नहीं था। त्रुटिपूर्ण परियोजना प्रतिवेदनों, अनुचित योजना तथा प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अभाव के कारण योजना प्रभावित हुई।

i h , e th , I okb pj.k I rFkk pj.k II ds fy, Lohdfr 149-90 dj kM+ #i ; s rFkk 302-98 dj kM+ #i ; s e 1 s ebz 2004 rd Øe' k% 95-06 dj kM+ ¼ 63 çfr'kr½ rFkk 91-75 dj kM+ ¼ 61 çfr'kr½ gh [kpz fd, tk I ds FkA
1/dfMdk 3-2-5½

pj.k I ds rgr 629 fuokl LFkyka dks tkM+us gsrq Lohdfr 299 I Mdka ¼ 860 fd- eh-½ e 1 s ek= 280 I Mdka i j dk; z vkj fd, x, ft 1 e 127 I Md i wkl fd, x, rFkk pj.k II e 1 1236 fuokl LFkyka dks tkM+us gsrq Lohdfr 670 ¼ 1540 fd-eh-½ I Mdka e 1 s ek= 45 I Md gh ebz 2004 rd i wkl fd, x, FkA
1/dfMdk 3-2-6 vkj 3-2-8½

Hkkjr I jdkj ¼ 1kk- I -½ ds rduhdh ekudka ds fn'kk funkk dk mYyku dj i fj; kst uk çfronu rskj fd, x, A
1/dfMdk 3-2-9½

N% vfHkdj. kka dks mudh I eFkjk I s i js dk; z I kks x, ft 1 ds i fj. kkeLo: i 32-87 yk[k #i ; s e 1; ds dk; z v/kjs i M+ jgA
1/dfMdk 3-2-9½

449 I Md dk; kka i j 21-20 dj kM+ #i ; s ds cdk xkj@h ugha fy, tkus ds i fj. kkeLo: i I oodka dks I Md dk; kka ds ns[k&j s[k ds I cdk e 1 dkbz ftEoskjh ugha FkA
1/dfMdk 3-2-13½

I kr ftyka ds uks i sdska e 1 4-26 dj kM+ #i ; s ds dk; z dks uDI y I eL; k] vydrjk@Hkfe dh vuq yC/krk] Hkkxrku e 1 foyr vkfn dkj. kka I s NkM+ fn; k x; kA
1/dfMdk 3-2-10½

j k"Vh; xq koUkk çcks/kdks }kj k fujhf{kr 226 | Mdkka es | s ek= 10 çfr' kr
gh ekudks ds vkl/kkj i j fufelr FkA
%dMdk 3-2-13%

3-2-1 cLrkouk

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं की सुगमता को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2003 तक 1000 की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र के तथा 10वीं योजना (2007) के अंत तक 500 तथा अधिक आबादी वाले असंयोजित निवास स्थलों को सर्वऋतु सड़क के माध्यम से जोड़ने के लिए दिसंबर 2000 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) को आरंभ किया। बिहार में 24,321 निवास स्थलों (36,625 कि. मी. सड़क) को असंयोजित ग्रामीण निवास स्थलों के रूप में चिह्नित किया गया है जिसमें से 11,717 (26,687 कि. मी. सड़क) में 1000 से अधिक आबादी थी जबकि शेष की आबादी 250 से 1000 तक थी।

3-2-2 /xBurkRed </p>

ग्रामीण विकास विभाग पी एम जी एस वाई के क्रियान्वयन हेतु शीर्ष विभाग है। सचिव, आर ई ओ द्वारा शीर्षित ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (आर ई ओ) विभाग का एक अंग है, जो सचिवालय स्तर पर दो अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव तथा एक मुख्य अभियंता द्वारा सहायतित होता है। क्षेत्रीय स्तर पर वह दो मुख्य अभियंताओं तथा रेंज स्तर पर वह 10 अधीक्षण अभियंताओं द्वारा सहायतित होता है। कार्य 38 जिलों में विस्तृत कार्यपालक अभियंताओं द्वारा शीर्षित 45 परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों (पी आई यू) द्वारा कार्यान्वित होता है। आंतरिक प्रणाली, जिला पंचायतों द्वारा प्राप्त वार्षिक परियोजना प्रस्तावना तथा पी आई यू द्वारा निर्मित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी पी आर) की जाँच हेतु मुख्य सचिव द्वारा शीर्षित एक राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एस एल एस सी) का भी गठन किया गया है। भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने एक मुख्य अभियंता द्वारा शीर्षित बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (बी आर आर डी ए) का सृजन किया।

3-2-3 yqkkijh{k dk mis;

लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नांकित देखना था कि क्या :

- योजना हेतु सभी असंयोजित निवास स्थलों को समय-सीमा के अंदर समायोजित करने हेतु योजना बनाई गयी है।
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय पी एम जी एस वाई के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा गया है।
- योजना के कार्यान्वयन के समय आर्थिक पक्ष का ध्यान दिया गया है।
- योजना का क्रियान्वयन दक्ष एवं प्रभावी है।

3-2-4 *yſlkkijhſkk foLrkj*

अगस्त 2004 से अक्टूबर 2004 के दौरान 14 (38 में से) जिलों¹ में पी एम जी एस वाई के कार्यान्वयन का नमूना जाँचित किया गया। नमूना जाँचित जिलों का चयन व्यक्ति के मानकों तथा भौगोलिक स्थिति पर आधारित था। पाए गए तथ्य परवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

3-2-5 *fuf/k dh jpuk*

योजना के तहत केन्द्र द्वारा चार किश्तों में शत प्रतिशत सहायता प्रदान करना है। इसमें 25 प्रतिशत की विमुक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण पथ विकास अभियान द्वारा स्वीकृति के बाद तथा शेष किश्त का भुगतान पूर्व वर्ष तक प्राप्त उपलब्ध निधि के 60 प्रतिशत उपयोग के बाद करना था। भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि तथा राज्य में मई 2004 तक चरण I (2000–01) तथा चरण II (2001–02) पर किए गए खर्च निम्नवत थे :

1#i ; s djkm+e#

	Lohdr jkf'k	foepr jkf'k	ebz 2004 rd 0; ;	0; ; dh çfr'krrk
चरण I	149.90	149.90	95.06	63
चरण II	302.98	150	91.75	61

pj.k I rFkk II e#
vuiq ; kfxr fuf/k

- राज्य सरकार ने मार्च 2001 में ही चरण I के लिए 149.90 करोड़ रुपये प्राप्त की थी परंतु उप विकास आयुक्तों (डी डी सी) को मई 2001 में यह राशि विमुक्ति किया गया जिन्होंने पी आई यू को मई 2002 में निधियाँ विमुक्ति किया। इस प्रकार निविदा में निर्णय लिए जाने में विलंब के कारण डी डी सी के पास एक वर्ष से अधिक अवधि तक निधि अवरुद्ध पड़ी रही।
- राज्य द्वारा पूर्व वर्ष में प्राप्त निधि के उपयोग नहीं किए जाने के कारण भारत सरकार द्वारा मार्च 2004 तक चरण II के लिए 152.98 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि विमुक्ति नहीं की गयी थी।

3-2-6 *dk; ðe çcaku*

बिहार में 1000 तथा 500 से अधिक आबादी वाले क्रमशः 11717 तथा 6205 निवास स्थलों असंयोजित निवास स्थलों के रूप में चिह्नित किया गया है। इन निवास स्थलों को जोड़ने हेतु 33351 कि.मी. लंबाई के साथ 9628 सड़कों के निर्माण की आवश्यकता थी। परंतु 1865 निवास स्थलों (10 प्रतिशत) को जोड़ने हेतु दोनों चरणों (चरण I : 2000–01 तथा चरण II : 2001–02) में 2400 कि.मी. लंबाई की मात्र 969 सड़के ही (10 प्रतिशत) निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी। इन सड़कों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गए 299.90 करोड़ रुपये (दिसंबर 2003 तक) में से मई 2004 तक मात्र 186.81 करोड़ रुपये (62 प्रतिशत) ही खर्च किए जा सके थे।

¹ अररिया, बेगुसराय, भागलपुर, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, समस्तीपुर, सारण, सिवान तथा वैशाली

3-2-7 ; kstuk

ग्रामीण सड़क परिक्षेत्र में आंतरिक संरचना का निर्माण सभी योजनाओं का आधार होता है। जिला पर्षद द्वारा चिह्नित तथा अनुमोदित सड़कों का आंतरिक संरचना² को राज्य स्तरीय अभिकरण तथा एन आर आर डी ए को सुपुर्द किया जाना चाहिए। पी एम जी एस वाई के तहत सड़कों को आंतरिक संरचना का एक हिस्सा बनना चाहिए। हालांकि चरण I के अंतर्गत निर्माण की जाने वाली सड़कों के चयन के समय किसी सड़क की आंतरिक संरचना विद्यमान नहीं थी। यहाँ तक कि 38 जिलों में चरण I (सड़कों के चयन के बाद) तथा चरण II के लिए निर्मित आंतरिक संरचना जो जिला पर्षद से अनुमोदित थी, मई 2004 तक एन आर आर डी ए को सुपुर्दगी हेतु लंबित थी।

vkrfjd | jpuik dk
fuekIk fd, fcuk gh
| Mdka dk pukko
fd; k x; k

दिशानिर्देशों के अनुसार पी एम जी एस वाई के अंतर्गत निर्माण की जाने वाली सड़कें आंतरिक संरचना का हिस्सा होनी चाहिए। आंतरिक संरचना का निर्माण चुने हुए जन प्रतिनिधियों द्वारा पंचायत स्तर से लेकर विधायकों एवं सांसदों से विधिवत् राय लेकर किया जाना चाहिए। फिर भी, चरण I में निर्माण किए जाने वाली सड़कों का चुनाव आंतरिक संरचना को तैयार किए बगैर किया गया।

3-2-8 dk; klo; u

i lk fuekIk e;n; uh;
cxfr

पी एम जी एस वाई के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा योजना तिथि स्वीकृति की तिथि से 10 माह के अंदर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाना था। राज्य में चरण I तथा चरण II के लिए स्वीकृत पैकेजों की संख्या तथा उनके विरुद्ध उपलब्धियाँ निम्नानुसार थीं :

	y{:			mi yfc/k			mi yfc/k %cfr'kr e%		
	i Dst 1/1 1/2	I Md 1/1 1/2	I Md 1/1d-eh-1/2	i Dst 1/1 1/2	I Md 1/1 1/2	I Md 1/1d-eh-1/2	i Dst 1/1 1/2	I Md 1/1 1/2	I Md 1/1d-eh-1/2
चरण I	108	299	860	31	127	364	29	42	42
चरण II	183	670	1540	6	45	102	3	7	7
dky	291	969	2400	37	172	466	32	49	

कमी मुख्यतया नक्सली, भूमि अधिग्रहण समस्या, बाढ़ एवं अन्य कारणों से हुई।

vf/kd 0; ; ds
ckotin Hkh | a kstu
| fuf' pr ugha gvk

चौदह नमूना जाँचित जिलों में भारत सरकार ने 20.10 लाख रुपये प्रति किलोमीटर (कुल लागत : 227.16 करोड़ रुपये) की खर्च से मार्च 2003 तक चरण I तथा चरण II के अंतर्गत पूर्ण होने वाले 1130 कि.मी. सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी थी। इसके विरुद्ध, 21.24 लाख रुपये प्रति कि. मी. (कुल लागत : 211.99 करोड़ रुपये) के औसत खर्च से 998 कि.मी. (449 संख्या) की सड़कों का निर्माण कार्य आरंभ किया गया जिसके परिणामस्वरूप निर्माण लागत में 11.38 करोड़ रुपये की वृद्धि हुयी। इस लागत वृद्धि को समायोजित करने तथा व्यय को स्वीकृत सीमा के अंदर रखने हेतु बिना भारत सरकार के पूर्वनुमति के सड़कों की लंबाई 132 किमी कम कर दी गयी जिससे कम निवास स्थलों को जोड़ा जा सका।

Hkkfrd y{:; d||
ckflr e;d||

चौदह नमूना जाँचित जिलों के 736 निवास स्थलों को 998 किमी (449 सं.) सड़कों द्वारा जोड़ने का लक्ष्य था। हालांकि मार्च 2004 के चरण I तथा चरण II में यह पाया गया कि मात्र 178 निवास स्थलों (23 प्रतिशत) को ही 211 किमी (83 सं.) की सड़कों

² आंतरिक संरचना सड़कों की वह न्यूनतमक संरचना है जो चुने गए क्षेत्रों में कम से कम एक एकल सर्व-ऋतु पथ से जोड़ने के माध्यम से सभी निवास्य निवास स्थल को आवश्यक सामाजिक-आर्थिक सेवाओं की मौलिक सुगमता प्रदान करने हेतु आवश्यक है।

(21 प्रतिशत) द्वारा जोड़ा गया। 12 जिलों में उपलब्धियों में कमी 13 से 94 प्रतिशत तक थी। दो जिलों (गया और अररिया) में कमी शत-प्रतिशत थी। कमी मुख्यतया नक्सल प्रभावित क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण समस्या तथा वैसे अभिकरणों को कार्य सौंपे जाने जिनको कार्यक्षमता से ज्यादा कार्य आवंटित किया गया के कारण था।

3-2-9 xkeli.k | M_d fu; ekoyh rFkk ih , e th , / okbZ ds fn'kk
funskka dk mYydku

पी एम जी एस वाई के दिशा निर्देशों के अनुसार सड़कों का निर्माण ग्रामीण सड़क नियमावली के अनुसार किया जाना था। यह पाया गया कि नमूना जाँचित 14 जिलों में 998 किमी सड़कों के निर्माण में भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जैसा निम्नांकित है :

M_b i h vkj e rVcalk
d_b ÄpkbZ dks
mPpre ck<+Lrj ds
vud kj ugha cuk; k
x; k

vkcknh okys fuokl
LFkyka | s xqjtj us
okyh | M_d
| hevhdr ugha

MCyWch , e | rg ij
çkbkj dkV ugha
fn; k x; k

dk; l oJ s vfHkdaj . kks
dks çnku fd; k x; k
ftudh {kerk ugha Fkh
i fj . kkeLo: i dk; l
v/kjs jgs

- ग्रामीण सड़क नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सड़क तटबंध उच्चतम बाढ़ स्तर से 0.6 मीटर से एक मीटर ऊँचा होना था। जबकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय इस बात को अनदेखा कर दिया गया। इसके कारण निर्मित सड़कों को बाढ़ से क्षति का खतरा था।
- पी एम जी एस वाई के दिशा निर्देशों के अनुसार, घनी आबादी से होकर गुजरने की दशा में सड़कों को या तो पत्थर खड़जित या सीमेंट का होना चाहिए (निवास स्थलों के 50 मी. आरंभ तथा 50 मी. बाद तक)। किनारे पर प्रवाह तंत्र का भी प्रावधान होना चाहिए था जो परियोजना प्रतिवेदनों में नहीं था। इसके अभाव में सड़कों को पानी तथा निवास स्थलों के घरों से जाने वाले कचरों से क्षति की संभावना थी।
- सड़कों तथा पुल कार्यों – एम ओ आर टी एच के मापदंडों के अनुसार डब्लू बी एम सतह के ऊपर टैक कोट दिए जाने से पूर्व प्राईमर कोट दिया जाना था। परंतु मुजफ्फरपुर, रोसेडा तथा समस्तीपुर प्रमंडलों (आर ई ओ मुजफ्फरपुर पैकेज सं. 23-01, 23-02 तथा 23-03, आर ई ओ, रोसरा का पैकेज सं. 30-03, 30-04 तथा 30-5 एवं आर ई ओ, समस्तीपुर का पैकेज सं. 30-01, 30-02) में चरण I के 23 सड़कों के निर्माण संबंधी परियोजना प्रतिवेदन में डब्लू बी एम सतह पर प्राईमर कोट दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया जिसके कारण 11.41 करोड़ रुपये लागत का सड़क कार्य मापदंड से निम्न स्तर का हुआ।

पी आई यू ने बताया (अक्टूबर 2004) कि सड़कों का प्राक्कलन एस टी ए द्वारा अनुमोदित था। जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि दिशा निर्देशों के उल्लंघन में प्राक्कलन तैयार किए गए थे। चरण II में डब्लू बी एम सतह पर प्राईमर कोट का प्रावधान किया गया था।

- पी एम जी एस वाई के दिशा निर्देशों के अनुसार निविदा में भाग लेने वाले संवेदकों के पास एक गर्म-मिश्रण संयंत्र, एक सड़क रॉलर तथा पानी टंकीयुक्त एक ट्रैक्टर होना चाहिए था। संवेदकों को सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच हेतु कार्य स्थल पर एक कार्य प्रयोगशाला स्थापित करना तथा उनके पास समय पर आवश्यक मापदंडों के अनुसार कार्य पूरा करने हेतु तकनीकी स्टाफ सहित पर्याप्त मानव बल होना अपेक्षित था। परंतु 6 जिलों में एक संवेदक को एक पैकेज से अधिक सड़क कार्य अनुमोदित किया गया जबकि उसके पास एक साथ सभी पैकेजों में कार्य पूरा करने हेतु पर्याप्त मात्रा में उपकरण तथा मानव

बल नहीं था। यह पाया गया कि 6 जिलों³ में अधीक्षण अभियंता द्वारा छः संवेदकों को उनके सामर्थ्य से परे 54 सड़क कार्य के 23 पैकेज सौंपे गए थे। इसके परिणामस्वरूप 32.87 करोड़ रुपये के 23 पैकेजों के सड़क कार्य अधूरे पढ़े रहे (कुल व्यय : 16.73 करोड़ रुपये)। संवेदकों को उनके समर्थता की जाँच किए बगैर कार्य सौंपे जाने के अलावा कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथियों (मार्च 2002 से मार्च 2003 तक विस्तारित) के बाद भी मार्च 2004 तक कार्य अपूर्ण थे।

3-2-10 /fjR; ä / Md dk; /

i fjR; ä / Md dk; /
i j fu"Qy 0; ;

आठ आर ई ओ प्रमण्डल ने आठ विभिन्न संवेदकों को 8.73 करोड़ रुपये के लागत मूल्य पर 43.10 किमी सड़क निर्माण कार्य सौंपा। बाढ़ से मिट्टी कार्यों में क्षति तथा उसके क्षतिपूर्ति की मांग, क्षेत्र में नक्सल समस्या, अलकतरे की अनुपलब्धता, भुगतान में विलंब, भूमि की अनुपलब्धता, सड़क की अपर्याप्त चौड़ाई तथा क्षतिग्रस्त कार्यों में सुधार नहीं किए जाने के कारणों से मार्च 2003 से ही इन सड़कों का निर्माण कार्य छोड़ दिया गया था। इस परिणामस्वरूप छोड़े गए सड़क कार्यों पर 4.26 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ। विवरण निम्नांकित थे :

çeMy	i ñdst a	Mdka dh a	çkDdyu	okLrfod Hkrku	dkj.k
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(4)
मुजफ्फरपुर	3	2.21 किमी	0.23	0.08	बाढ़ से क्षति की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं
गया	12-04 तथा 12-07	17.05 किमी	4.11	1.07	नक्सल समस्या
मुंगेर	24-01	9.36 किमी	1.03	0.65	अलकतरे की अनुपलब्धता
पूर्णियाँ	27-01	6.40 किमी	1.27	0.98	अलकतरे की अनुपलब्धता
पटना	26-11 एवं 26-14	1.48 किमी	0.46	0.11	भुगतान में विलंब
बेनीपट्टी	21-1	4.45 किमी	1.22	1.02	भूमि की अनुपलब्धता
मसौढ़ी	26-01	1.5 किमी	0.27	0.22	सड़कों की अपर्याप्त चौड़ाई
समस्तीपुर		0.65 किमी	0.14	0.13	क्षतिग्रस्त कार्यों का सुधार नहीं
; kx		43.10 किमी	8.73	4.26	

3-2-11 / ñnd dñs vns / gk; rk

I ñndka dñs foi =k| s
[kuu~mi dj dh de
ol myh

बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अप्रैल 2001 के प्रभाव से संवेदक के विपत्रों से ज्ञामा पत्थर (स्टोन मेटल) के उपभाग पर 100 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खनन् उपकर वसूला जाना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि तीन प्रमण्डलों में (रोसड़ा, मधुबनी तथा बेगूसराय) संवेदकों के विपत्रों से पथ कार्य हेतु खनन् उपकर 25 से 50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से वसूले गए थे जिससे 17.91 लाख रुपये की कम वसूली हुई तथा संवेदकों को अदेय वित्तीय लाभ मिला।

³ बेगूसराय, गोपालगंज, मोतिहारी, समस्तीपुर, सारण, वैशाली।

I vnd dks njLFk
[knkuks I s fxēh
<ykbz dh vufpr
vufpr fn, tkus I s
vfrfjDr 0; ;

पूर्वी चम्पारण जिला के लिए अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार पी एम जी एस वाई के तहत सड़क कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले गिट्टी को नजदीक के भिखनाठोरी खदान से प्राप्त किया जाना था। इसके विपरीत, पूर्वी चंपारण जिला के दो प्रमंडलों (मोतिहारी एवं ढाका) के तहत 4 पैकेजों (सड़कों की सं. 10) में निर्माण कार्य में विलंब से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में अनुमोदित खदान से भिन्न, अन्य खदान से गिट्टी की ढुलाई की अनुमति दिए जाने से 75.66 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। कार्यपालक अभियंताओं (मोतिहारी एवं ढाका) ने बताया (अक्टूबर 2004) की भिखनाठोरी का खदान बंद हो चुका था। अतः संवेदक को शेखपुरा खदान से गिट्टी लाने की अनुमति दी गयी।

3-2-12 vuprkk ds nMkRed 'kūklykxw ugha fd, x,

nMkRed 'kūklykxw
ugha fd, tkus I s nM
j kf'k vol fyr

कार्य क्रियान्वयन के चूक संबंधी मामले में साधारण अनुबंध के शर्त 2 के अनुसार अधूरे कार्य लागत का आधा प्रतिशत प्रतिदिन जो अधिकतम अनुबंध लागत का 10 प्रतिशत तक परिसीमित था, के दर से दंड आरोपण विहित था। यह देखा गया कि 14 जिलों में 366 संख्या के सड़क कार्य के 123 पैकेज निर्धारित अवधि (मार्च 2002) तक पूरे नहीं किए गए थे परंतु उनपर दंडात्मक शर्त लागू नहीं किए गए जिसके परिणामस्वरूप 73 अभिकरणों से 12.95 करोड़ रुपये की दंड राशि अवसूलित रही।

3-2-13 xqkoUkk fu; &. k rFkk vklw&ykbu ccaiku c. kkyh

गुणवत्ता नियंत्रण तीन स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली परिकल्पित करता था – पहला पी आई यू के स्तर पर, दूसरा पी आई यू से स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रक सूचक तथा तीसरा एन आर आर डी ए नियंत्रित राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचक (एन. क्यू. एम.) था। राजकीय गुणवत्ता समन्वयक या राजकीय गुणवत्ता नियंत्रण अभिकरण के पदाधिकारियों द्वारा क्रियान्वित कार्यों की औचक जाँच की जानी थी परंतु राज्य गुणवत्ता नियंत्रण अभिकरण द्वारा मार्च 2004 तक ऐसी कोई जाँच नहीं की गयी थी।

पी एम जी एस वाई के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण सड़कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवेदक सामग्री प्रतिस्थापन करे अथवा निर्धारित अवधि में कार्य में हुए दोष में सुधार लाए। परंतु यह पाया गया कि 5 जिलों⁴ में 3.65 करोड़ रुपये मूल्य के सात पूर्ण निर्मित सड़कों को बहुत अच्छा के बदले अच्छा का दर्जा दिया गया था।

, u- D; w , e- ds cgf
vPNs ekud ds fo:)
90 cf'r'kr fujhf{kr
I Mds vPNh ntz dh
x; h

इसके अलावा, मई 2004 तक राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकों (एन क्यू एम) द्वारा निरीक्षित 226 सड़कों में से 10 प्रतिशत सड़कों को ही बहुत अच्छा का दर्जा दिया गया था। शेष सड़कों को अच्छा (72 प्रतिशत), साधारण (17 प्रतिशत) तथा दयनीय (एक प्रतिशत) का दर्जा दिया गया था। साधारण तथा दयनीय दर्जों के सड़क कार्य कराने वाले अभिकरणों को काली सूची में दर्ज किया जाना था। कोई अभिकरण काली सूची में दर्ज नहीं किए गए तथा मानकों के अनुसार बहुत अच्छी सड़कों नहीं बनायी जाने के उत्तरदायिता निर्धारण के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

पी एम जी एस वाई के दिशानिर्देशों अनुसार विपत्रों का भुगतान गुणवत्ता जांच के बाद होनी चाहिए। यह पाया गया कि जनवरी से जून 2004 के दौरान पटना आर ई ओ द्वारा पथ कार्य (33.83 किमी) के छ: पैकेजों (पैकेज सं. 26-02, 03, 04, 05, 08, 15)

⁴ वैशाली, गोपालगंज, सारण, मधुबनी, समस्तीपुर

का भुगतान गुणवत्ता जांच के बिना किया गया। हालांकि प्रमण्डल ने भविष्य में गुणवत्ता जांच के लिए 1.88 लाख रुपये रोक लिया।

पटना जिला (मोरियामा से शिवगढ़ पथ) के 15.89 लाख रुपये मूल्य के पथ कार्य (0.815 किमी) पैकेज सं. 26–11 की गुणवत्ता जांच एन. क्यू. एम. द्वारा की गई। एन. क्यू. एम. ने अपने प्रतिवेदन में पुनः कार्य करने का सुझाव दिया (मई 2003) जो मार्च 2004 तक पूरा नहीं किया गया। संवेदक ने सिर्फ सड़क का मरम्मतिकरण किया। सरकार द्वारा संवेदक, अभिकरण तथा अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

, u- D; w , e- ds
fn' k'kfun' k'ks ds
ckotin vf/kdkfj ; k'
i j mnkgj . kh; nM
dl dk; bkgj ugha dl
x; h

I M d dk; k' ds fy,
c'd xkj/h ugha fy,
x; s

vku ykbblu çcll/ku
ç. kkyh dk vdk; l khy
j guk

पूर्वी चम्पारण जिला के 3.66 किमी पथ निर्माण कार्य पैकेज सं. बी आर 11–05 के 62.60 लाख रुपये के लागत मूल्य पर किया गया जिसका गुणवत्ता जांच (अक्टूबर 2002) एन. क्यू. एम. द्वारा की गयी। यह पाया गया कि मिट्टी कार्य का लगत मूल्य बढ़ा हुआ था तथा तटबंध की ऊँचाई प्राक्कलित 5.97 मीटर ऊचाई के विरुद्ध सिर्फ 3 फीट पाया गया। इसके अलावे पथ रेखन के अनुसार पुराने सड़कों पर तीन फीट मिट्टी कार्य का सुझाव दिया जबकि कार्य स्थल पर सिर्फ 9 इंच का नया मिट्टी कार्य किया गया। हालांकि एन. क्यू. एम. (नवम्बर 2002) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उदाहरणीय दंड का सलाह दिया था ; अप्रैल 2004 तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई।

पी एम जी एस वाई के दिशानिर्देशों के अनुसार सड़के बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली बननी थी जिसपर पाँच वर्षों तक मरम्मति की आवश्यकता न हो। तदनुसार, एन आई टी में गुणवत्ता सुनिश्चितता के प्रावधान किया जाना था तथा कार्य सौंपे गए संवेदकों द्वारा कार्य लागत का 10 प्रतिशत 5 वर्षों के लिए बैंक गारंटी के रूप में दिया जाना था। जबकि जिलों में 211.99 करोड़ रुपये लागत के 449 सड़क कार्यों (998 किमी) के लिए ऐसा कोई प्रावधान एन आई टी में नहीं किया गया था और विभाग 21.20 करोड़ का बैंक गारंटी प्राप्त करने में विफल रहा। इस प्रकार सड़कों का निर्माण गुणवत्ता आश्वासन तथा कार्य गारंटी के बगैर किया गया।

दिशानिर्देशों के अनुसार, आन लाईन प्रबन्धन प्रणाली का मापक विकसित करना था, जिसमें दो स्तरीय अनुश्रवकों (एक पी. आई. यू. द्वारा तथा दूसरा स्वतंत्र अनुश्रवक) द्वारा किया गया नमूना परिणाम को अभिलेखित करना था।

यह पाया गया कि सभी आर. ई. ओ. प्रमण्डल को भारत सरकार द्वारा दो कम्प्यूटर के आपूर्ति के बावजूद कम्प्यूटर संचालकों तथा विद्युत के अभाव में आन लाईन प्रबन्धन प्रणाली शुरू नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त किसी प्रमण्डल में इन्टरनेट सुविधा नहीं थी। इस प्रकार नमूना जाँचित प्रमण्डलों में आन लाईन प्रबन्धन प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी।

3-2-14 fu" d" %

पी एम जी एस वाई लक्षित निवास स्थलों को सर्वऋतु सड़क से जोड़ने में विफल रहा क्योंकि इसकी प्रगति बहुत धीमी थी। नमूना जाँचित 14 जिलों में 20.30 लाख आबादी वाले 763 निवास स्थलों को 998 किमी (449 सं.) की सड़कों द्वारा जोड़ना था। हालांकि यह पाया गया कि 4.46 लाख (22 प्रतिशत) आबादी के 178 निवास स्थलों (23 प्रतिशत) को 211 किमी (83 सं.) की सड़कों (21 प्रतिशत) द्वारा जोड़ा जा सका।

vujkd k

- प्राथमिकता के आधार पर अधूरे तथा परित्यक्त सड़क कार्यों की प्रगति में तेजी लाइ जानी चाहिए।
- भारत सरकार के मानकों तथा समय पर कार्य संपादन हेतु सड़क कार्य का प्रभावी अनुश्रवण किया जाना चाहिए।
- निर्मित सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय अनुश्रवकों द्वारा समय-समय पर सड़कों तथा सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच की जानी चाहिए।
- ऑन लाईन प्रबंधन अविलंब आरंभ कर देना चाहिए।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (दिसंबर 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

m | kx foHkkx

3-5 m | kx foHkkx ds dk; dyki

eq; kd'kk

उद्योग विभाग का वित्तीय प्रबंधन, अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण प्रणाली यथा वृहत बचत, बजट प्रावधानों के बगैर निधियों की अनावश्यक निकासी आदि से ग्रस्त था। औद्योगिक विकास योजनाओं का अनुपालन अव्यवहृत निधियों, निधियों के दुरुपयोग एवं विचलन, अपूर्ण तथा कालातित योजनाओं पर व्यय एवं कम संख्या में रोजगार सृजन के मामलों से बुरी तरह प्रभावित था। राज्य में नये उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में भी विभाग विफल रहा। राज्य में वृहत विकास केन्द्रों एवं लघु विकास केन्द्रों के प्रयास भी निष्फल रहे। हाजीपुर में औद्योगिक पार्क की स्थापना नहीं की जा सकी। औद्योगिक प्रक्षेत्र विकास प्राधिकरण वर्ष 1999 तथा 2004 के मध्य औद्योगिक प्रक्षेत्रों के विकास में विफल रहा एवं इसी अवधि में आवंटित प्रक्षेत्रों में 1236 कार्यरत उद्यमियों में से 675 उद्यमियों ने अपने इकाई बंद कर लिये थे।

foHkkx dk ctV okLrfod vko'; drk ij vk/kkfjr ugha FkkA OyLo: i
1999&2004 ds nkjku 200-02 dj kM+ #i ; s dh ogr cpr gpa
%dMdk 3-5-5½

3-11 dj kM+ #i ; s dh jkf'k dh vfu; fer fudkl h] fuf/k; ks dks l ekIrl gksus l s cpkus grq funs'kd] rduhdh fodkl rFkk m | kx funs'kd }kj k %ekpZ 2001 rFkk ekpZ 2003½ dj yh x; h rFkk rc l s bl s fl foy tek ea j [kk x; kA bl ds vyko ; kstuk en ea n'kk; k x; k 32-25 dj kM+ #i ; s dk 0; ; okLro ea vks| kfxd ç{ks= fodkl çkf/kdj. kks rFkk vks| kfxd MkVk cld ds [kkrk ea i M k jgkA
%dMdk 3-5-6 rFkk 3-5-8½

m | kx funs'kd us , d dj kM+ #i ; s dk Hkxrku fcgkj i sofy; u ds fuekZ k dksydkrk ea dj us grq ekpZ 1998 ea Hkkj rh; xkeh.k f'kyi U; kl dksydkrk dks fd; kA dkbl fuekZ k dk; Z U; kl }kj k ugha fd; k x; k vks| jkf'k dk mi ; kx U; kl }kj k fd; k x; kA
%dMdk 3-5-9½

vkbz , - Mh- , - }kj k fodfl r Hkfe ij dk; jr 1236 m | fe; ka ea l s 675 m | fe; ka us 1999&2004 ds nkjku vi uh bdkb; ka dks cUn vi ; kl r vk/kkj Hkr I j puk ds dkj.k dj fn; kA
%dMdk 3-5-15½

Hk&vtlu ugha gksus ds dkj.k 12 o"kl 0; rhr gks tkus ij Hkh dkbl ogr fodkl dUz i wkl ugha gks i k; kA gkthi j ea fu; k r mUfr vks| kfxd m | ku dk fuekZ k vkJ Ehk gh ugha gvkA
%dMdk 3-5-10 rFkk 3-5-12½

j kT; ea detkj vkJ Hkr I j puk ds dkj.k vks| kfxd fodkl l j dkj dh ?kks"kr uhfr ds m's; l s dkQh de FkkA j kT; ea ek= 20 qfr'kr

vks| kfxd bdkb; kj dk; J r FkhA ?kj syw m | kx {ks=k_a ds vUrxt 1999&2003
ds nk_g ku fuos k dks 37-24 dj kM+ #i ; s l s 46-38 dj kM+ #i ; s dj fn; k x; k
tcfd ml h vof/k eajkst xkj l tu 15475 l s ?kVdj 13622 gks x; kA
14dfMdk 3-5-20%

3-5-1 *çLrkouk*

राज्य में भारी, मध्यम तथा लघु उद्योगों के साथ-साथ ग्रामीण शिल्प आधारित उद्योगों की स्थापना तथा व्यापक नेटवर्क के विकास हेतु उद्योग विभाग कार्यरत रहा है। इसके अलावे रुग्न/बन्द पड़े औद्योगिक इकाइयों हेतु राज्य तथा केन्द्र संपोषित योजनाओं एवं विभिन्न पुनरुद्धार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना भी इसका काम है।

राज्य ने सहाय्य, ऋण, बिक्री कर में छूट आदि नकद प्रोत्साहनों पर आधारित “राजकीय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति” 1993 को राज्य में पाँच वर्षों के लिए (मार्च 1998 तक) लागू किया। इस बीच सरकार द्वारा सितम्बर 1995 में एक औद्योगिक नीति को प्रारम्भ किया गया जिसके द्वारा पूर्व के नकद प्रोत्साहनों को वापस ले लिया गया तथा उद्यमियों को आधारभूत संरचना सुविधाएँ प्रदान करने पर बल दिया गया। हालांकि, यह नीति (1995) शासकीय राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो सकी। बिहार एवं झारखण्ड के रूप में राज्य के बैंटवारे के बाद सरकार ने एक नये औद्योगिक नीति की आवश्यकता महसूस की और औद्योगिक नीति 2003 को लागू किया जिसने भी आधारभूत संरचना सुविधाओं तथा उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने हेतु सुधारात्मक प्रयासों पर बल दिया। नवीनतम नीति में सरकार ने विशेष ध्यान देने हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों पर बल दिया (उदाहरण स्वरूप : संचार तकनीकी, बिजली उत्पादन, जैव-तकनीकी, निर्यात, कृषि आधारित उद्योग आदि)।

3-5-2 *I &BukRed </pk*

उद्योग विभाग आयुक्त सह सचिव द्वारा प्रशासित होता है जिसे सचिवालय स्तर पर एक विशेष सचिव, एक संयुक्त सचिव, दो उप सचिव, एक अवर सचिव तथा तीन निदेशकों¹ तथा जिला स्तर पर सात प्रबंध निदेशकों² तथा 27 महाप्रबंधकों (जिला उद्योग केन्द्रों³ में) द्वारा सहयोग प्राप्त होता है।

उद्योग निदेशक सरकार द्वारा लागू की गयी औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होता है तथा एकल विन्डो पद्धति का कार्यभारी भी होता है। हस्तकरघा तथा रेशम संवर्धन के निदेशक, हस्तकरघा तथा रेशम संवर्धन उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही बुनकरों तथा रेशम उत्पादकों के कल्याण हेतु योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। ग्रामीण तथा लघु उद्योग (ग्रा. ल. उ.) प्रक्षेत्रों से संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण भी उसे करना होता है। एक औद्योगिक डाटा बैंक (औ. डा. बै.) निदेशक, तकनीकी विकास के अन्तर्गत संग्रहण के उद्देश्यों, भंडारण तथा नये उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक ऑकड़ा/सूचना के लेखन के लिए कार्यरत था।

¹ उद्योग निदेशक, तकनीकी विकास निदेशक तथा हस्तकरघा एवं रेशम संवर्धन उद्योग निदेशक

² भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना तथा सहरसा।

³ आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, गोपालगंज, जहानाबाद, खगड़िया, कटिहार, मध्यपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुगेर, नालंदा, नवादा, पूर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर, सीतामढी, सीवान, वैशाली तथा उपरोक्त सात जिलों सहित।

इसके अलावा, भारी तथा मध्यम उद्योग (एल. एम. आई.) प्रक्षेत्र का क्रियान्वयन भी उसके पर्यवेक्षण के अन्तर्गत था।

3-5-3 *yqkkijh{k dk mis'; rFkk fof/k*

राज्य में उद्योगों के विकास से संबंधित विभाग के प्रभाव एवं कर्तव्य पालन को सुनिश्चित करने हेतु उद्योग विभाग की समीक्षा की गयी। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि क्या निम्नांकित कार्य अर्थव्यवस्था, कुशलता तथा प्रभाव के साथ किये गये थे :

- ◆ वित्तीय प्रबंधन ;
- ◆ कार्यक्रम प्रबंधन ; तथा
- ◆ अनुश्रवण तथा मूल्यांकन।

लेखापरीक्षा समीक्षा के लिए इकाइयों का चुनाव, बजट प्रावधान, व्यय तथा राज्य के औद्योगिक विकास में उनके सामाजिक-आर्थिक महत्व के आधार पर किया गया। औद्योगिक नीतियों, सचिवालय तथा जिला स्तरीय कार्यालयों में संघारित योजनाओं के भौतिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनों से संबंधित अभिलेखों की जाँच पर लेखापरीक्षा निरीक्षण आधारित था।

3-5-4 *yqkkijh{k dk {ks*

औद्योगिक नीतियों का निर्माण तथा क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेखों की जाँच सचिवालय में की गयी। तीन निदेशालयों के बजट प्रावधान तथा व्यय की समीक्षा की गयी। जिला स्तर पर तीन प्रबंध निदेशालयों (भागलपुर, मुजफ्फरपुर तथा पटना) तथा दस जिला उद्योग केन्द्रों⁴ (जि. उ. के.) के अभिलेखों की जाँच नवम्बर 2003 से अगस्त 2004 के दौरान की गयी। नमूना जाँच का अवधि 1999—2004 था।

foukh; ccaku

1999—2004 के दौरान उद्योग विभाग की स्थापना तथा योजनाओं पर बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नवत थे :

o"kl	ctV iko/kku			0; ;			cpr		
	; kstuk	xj ; kstuk	dly	; kstuk	xj ; kstuk	dly	; kstuk	xj ; kstuk	dly
1999—2000	81.93	37.59	119.52	27.65	22.11	49.76	54.28	15.48	69.76
2000—01	52.67	73.08	125.75	15.98	45.84	61.82	36.69	27.24	63.93
2001—02	22.04	31.21	53.25	10.30	17.30	27.60	11.74	13.91	25.65
2002—03	25.48	69.27	94.75	22.74	53.74	76.48	2.74	15.53	18.27
2003—04	28.36	49.43	77.99	12.67	42.71	55.38	15.69	6.72	22.41
dly	210.48	260.58	471.06	89.34	181.70	271.04	121.14	78.88	200.02

(स्रोत : 1999—2004 का विनियोग लेखा)

3-5-5 *rnfkl vkl/kkj ij ctV rskj fd;k x;k*

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि :

ctV vokLrfod Fkk

⁴ भागलपुर, बैगूसराय, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, मधुबन्दी, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ तथा वैशाली

व्यय की विवरणी, बलों की स्थिति तथा स्वीकृत बल सचिवालय स्तर पर संकलित नहीं किया गया तथा बजट तदर्थ आधार पर तैयार किया गया; फलस्वरूप 1999–2004 के दौरान 200.02 करोड़ रुपये की वृहत बचत हुई जो पाँच वर्षों के दौरान कुल बजट प्रावधान का 42.46 प्रतिशत था। 200.02 करोड़ रुपये की बचत में राजस्व शीर्ष के 132.20 करोड़ रुपये तथा पूँजीगत शीर्ष के 67.82 करोड़ रुपये शामिल थे।

सरकार ने कहा (फरवरी 2005) कि मुख्यरूप से योजना में कटौती के कारण बचत हुई। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि योजनाओं पर कम व्यय तथा सरकार द्वारा योजनाओं की अस्वीकृति के कारण बचत हुई।

3-5-6 fuf/k; kɔ dk cʃdʒ fl foy tek eɪ vfu; fer j[k]ko

बिहार कोषागार संहिता के अनुसार यदि तत्काल संवितरण की आवश्यकता नहीं हो, तो कोषागार से किसी राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए। संहिता के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए 3.11 करोड़ रुपये की राशि की अनियमित निकासी, निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा (0.30 करोड़ रुपये) तथा उद्योग निदेशक द्वारा (2.81 करोड़ रुपये) क्रमशः मार्च 2001 तथा मार्च 2003 में की गयी एवं सिविल जमा में अनियमित रूप से रखा गया।

तदन्तर, तीन निदेशालयों ने पटना सचिवालय कोषागार से 1999–2004 के दौरान योजनाओं की कार्यान्वयन हेतु 64.50 करोड़ रुपये की निकासी की जिसमें से 59.38 करोड़ रुपये की निकासी सिर्फ मार्च माह में की गयी तथा राशि को बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखा गया। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष के अन्त में (1999–2004) नकद अन्तर्शेष तीनों निदेशालयों में 3.98 से 11.22 करोड़ रुपये था ; जो यह दर्शाता है कि संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए तत्काल आवश्यकता के बगैर निधियों की निकासी की गयी।

3-5-7 fl ʃy folMks fDy; jʃl ds vʃrxt fuf/k; kɔ dk dʒɪxdu

उद्योगों की स्थापना हेतु पूर्ण सहायता, सूचना तथा उद्यमियों को पथ प्रदर्शन प्रदान करने के लिए उद्योग निदेशक के अन्तर्गत 1994 में एकल विन्डो पद्धति (ए. वि. प.) की स्थापना की गयी। मार्च 1998 में ए. वि. प. इकाई एक निबंधित समिति में परिवर्तित हो गयी तथा उद्योग निदेशक इसके पदेन अध्यक्ष हुए। उद्योग निदेशक, बिहार ने पटना सचिवालय कोषागार से विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 37.48 करोड़ रुपये की निकासी की तथा मार्च 1998 से अक्टूबर 2002 तक की अवधि के दौरान कुल राशि को सिंगल विन्डो सिस्टम में हस्तांतरित कर दिया। संबंधित वर्षों की निधियों के कालातीत हो जाने से बचाव के लिए कोषागार से निधि की निकासी की गयी। इसमें से संस्था ने 34.56 करोड़ रुपये विभिन्न कार्यवाहक एजेन्सियों को वितरित किया (जि. उ. के., औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारियों, राज्य द्वारा अधिगृहित निगमों आदि) तथा 1.54 करोड़ रुपये की शेष राशि अक्टूबर 2002 से उद्योग निदेशक के वैयक्तिक खाता में जमा रहा। महालेखाकार (ले. एवं ह.) से पी. एल. खाता खुलवाने हेत अनमति नहीं ली गयी। मार्च 2004 तक 0.65 करोड़ रुपये समिति के बैंक लेखा में पड़ा हुआ था। अतः तत्काल आवश्यकता के बगैर कोषागार से निधियों की निकासी, सरकारी निधियों का सरकारी लेखे से बाहर की किसी समिति में हस्तांतरण तथा समिति के बैंक खाता में योजना निधियों को रखा जाना अनियमित था।

3-5-8 *Lok; Ùk / 1Fkkvka e gLrkrfjr ; kstu fufk; k vØ; oâr jgh*

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 32.25 करोड़ रुपये की राशि जिसे व्यय के रूप में दर्शाया गया, वास्तव में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना (6.99 करोड़ रुपये), दरभंगा (7.87 करोड़ रुपये), मुजफ्फरपुर (14.77 करोड़ रुपये) तथा औद्योगिक डाटा बैंक, पटना (2.62 करोड़ रुपये) में अव्यवहृत रहा। 31 मार्च 2004 तक इन उपक्रमों के विभिन्न बैंक खाताओं में ये राशियाँ पड़ी रही।

3-5-9 *fufk; k dk nq i ; kx rFkk fopyu*

उद्योग निदेशक, बिहार, ने एक करोड़ रुपये की निकासी (मार्च 1998) भारतीय शिल्प ग्रामीण न्यास (भा. शि. ग्रा. न्या.) कोलकता द्वारा कोलकता में बिहार पैविलियन के निर्माण हेतु किया। न्यास ने राशि को बाद में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सावधिक जमा खाता में नियेशित कर दिया। सरकार ने पैविलियन को नहीं बनाने तथा राज्य की निधियों का दुरुपयोग के कारणों को न्यास से पूछा तक नहीं। विभाग ने उत्तर दिया (2/05) कि जाँच करने पर विभाग के संयुक्त निदेशक ने पाया (7/04) कि निर्माण कार्य आरम्भ ही नहीं किया गया तथा विभाग ने भा. शि. ग्रा. न्या., कोलकाता से व्याज सहित राशि लौटाने के लिए आग्रह किया।

तदन्तर, खादी की रियायती बिक्री के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की सहायता हेतु उद्योग निदेशक ने 3.50 करोड़ रुपये (मार्च 1995 : दो करोड़ रुपये; मार्च 1999 : 1.50 करोड़ रुपये) की निकासी की। तथापि, अगस्त 2004 तक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को 1.75 करोड़ रुपये का वितरण किया गया तथा शेष 1.75 करोड़ रुपये की राशि का मई 1999 से अप्रैल 2000 के दौरान आकस्मिक तथा मिश्रित भुगतान (49.04 लाख रुपये), पटना में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भवन के नगरपालिका कर के भुगतान (19.42 लाख रुपये) तथा सरकार द्वारा प्रत्याभूत बिहार झग एण्ड केमिकल लि. की देयता निपटाने हेतु भारत के औद्योगिक विकास बैंक के ऋणों की अदायगी पर दुरुपयोग किया गया। विभाग का उत्तर (2/05) कि 3.50 करोड़ रुपये में से 2.43 करोड़ रुपये छूट के लिए वितरित किये गये तथा 1.09 करोड़ रुपये पी. एल. खाता में जमा किया गया; स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि छूट पर 2.43 करोड़ रुपये का व्यय तथा पी. एल. खाता में 1.09 करोड़ के जमा के विवरण उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

dk; Ðe çcalku

राज्य में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा मजबूत करने हेतु विभिन्न राज्य तथा केन्द्र संपोषित योजनाओं (प्र. रो. यो. सहित) को उद्योग विभाग द्वारा 1999–04 के दौरान लागू किया गया। ये योजनाएँ वृहत् एवं मध्यम उद्योग प्रक्षेत्र (एल. एम. आई.) के साथ-साथ ग्रामीण तथा लघु उद्योग प्रक्षेत्र के रूप में थी।

योजनाओं का क्रियान्वयन अनुचित योजना एवं निकासी प्रणाली से ग्रस्त था। अभिलेखों की जाँच से क्रियान्वयन, लक्ष्य तथा प्राप्ति, अकर्मक योजनाएँ, बन्द योजनाएँ, लक्ष्य की कम प्राप्ति, विभाग के विभिन्न निकायों में असहयोग जैसी अल्पता का पता चला। योजनावार अल्पताओं का वर्णन अनुर्वर्ती कांडिकाओं में किया गया है।

3-5-10 *ogr fodkl dñh*

vi ; kÙr vk/kkj Hkr
I j puk ds dkj .k
dkb o- fo- ds
dk; j r ugha Fkk

पर्याप्त आधारभूत संरचना सुविधाओं सहित एक स्थान पर विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य में पाँच स्थानों को विकसित करने के लिए इस केन्द्रीय संपोषित योजना को लागू किया गया (I nHk % i fj f' k"V&XXXV)। संबंधित औ. प्र. वि. प्रा. के माध्यम से

इस योजना को लागू करना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) के दौरान 30 करोड़ रुपये की प्राककलित राशि की निधि भारत सरकार द्वारा (दस करोड़ रुपये) एवं राज्य सरकार द्वारा (पाँच करोड़ रुपये) देय थी। 15 करोड़ रुपये की शेष राशि का संसाधन वित्तीय संस्थाओं से ऋण (चार करोड़ रुपये) बैंक से (एक करोड़ रुपये) तथा बाजार से ऋण (दस करोड़ रुपये) के माध्यम से पूरा करना था।

यह पाया गया कि 21.13 करोड़ रुपये में से (केन्द्रीय : सात करोड़ रुपये (1997–98) तथा राज्य : 14.13 करोड़ रुपये तीन आई. ए. डी. ए., पटना, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा से प्राप्त) मेंगा विकास केन्द्रों के विकास हेतु प्राप्त किया गया। 13.48 करोड़ रुपये की लागत (निर्माण स्थल के विकास की लागत सहित) पर मात्र दो केन्द्रों (भागलपुर तथा बेगूसराय) के लिए 3645 एकड़ के लक्ष्य में से मात्र 817 एकड़ भू-अर्जन किया जा सका। दरभंगा, छपरा तथा मोतीपुर–मुजफ्फरपुर में केन्द्रों के विकास हेतु भू-अर्जन नहीं होने के कारण प्रगति नहीं हो सकी। औ. प्र. वि. प्रा. संसाधनों की उगाही वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा बाजार ऋणों के माध्यम से करने में विफल रहा। अतः मार्च 2004 तक 12 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद लक्षित पाँच केन्द्रों⁵ में से कोई पूरा नहीं हो सका। अपने उत्तर में विभाग ने कहा (फरवरी 2005) कि भू-अर्जन की प्रक्रिया प्रगति में थी।

मार्च 2004 तक औ. प्र. वि. प्रा., छपरा तथा मुजफ्फरपुर ने 19.28 लाख रुपये का व्यय वेतन तथा परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी आदि पर किया, जो केन्द्रों के विकास तथा भूमि के आवंटन से संबंधित नहीं थे। अपने उत्तर में (फरवरी 2005) विभाग ने सूचित किया कि दरभंगा, छपरा तथा मोतीपुर में मे. वि. के. के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया प्रगति पर थी एवं पुनः कहा कि बेगूसराय तथा भागलपुर में वु. वि. के. के लिए अर्जित भूमि पर आधारभूत संरचना के विकास हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

3-5-11 *y?kifodkl dññi*

भारत सरकार, राज्य सरकार तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भा. औ. वि. बै.) द्वारा समान रूप से वहन करने वाले छ: “लघु विकास केन्द्रों” की इस केन्द्र संपोषित योजना को छ: करोड़ रुपये की लागत पर 1986–87 में लागू की गयी। अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, का वहन राज्य सरकार को करना था। योजना के अन्तर्गत चार लघु विकास केन्द्रों⁶ की स्थापना औ. प्र. वि. प्रा., पटना एवं दो केन्द्रों⁷ की स्थापना औ. प्र. वि. प्रा., दरभंगा को करना था। किन्तु, जुलाई 2004 तक कोई लघु विकास केन्द्र कार्यकारी नहीं था। योजना में वर्णित संसाधनों को भा. औ. वि. बै. से उगाही करने में औ. प्र. वि. प्रा. विफल रहा। नालंदा तथा सहरसा में केन्द्रों की स्थापना हेतु निधि की उपलब्धता होने के बावजूद मार्च 2004 तक कोई राशि का व्यय नहीं किया गया। तथापि, गिर्वा (भोजपुर) तथा औरंगाबाद के लघु विकास केन्द्रों पर होने वाले 6.05 करोड़ रुपये में से आंशिक रूप से क्रियान्वित किया गया। अपने उत्तर में विभाग ने कहा (फरवरी 2005) कि पूर्णियाँ में लघु विकास केन्द्र पूर्णतः कार्यकारी था तथा सहरसा में योजना को छोड़ दिया गया। तथापि, पूर्णियाँ केन्द्र के कार्यकारी होने संबंधी अभिलेख जिसे अगस्त 2004 में माँगा गया था, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करया गया। योजनाओं के विवरण i f j f' k"V&XXXIII में दिये गये हैं।

⁵ भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, छपरा तथा दरभंगा

⁶ भोजपुर में गिर्वा, औरंगाबाद, खगड़िया, नालंदा।

⁷ पूर्णियाँ तथा सहरसा।

3-5-12 *fu; k̥ ck̥lur vks/kfxd m/ku /fu- ck̥s vks m-/*

इस केन्द्र संपोषित योजना (1993 में स्वीकृत) का लक्ष्य, राज्य में निर्यात प्रमुख उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु 11.50 करोड़ रुपये की प्राककलित लागत पर हाजीपुर में एक औद्योगिक उद्यान का निर्माण करना था जिसे 14.92 करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया (फरवरी 1999)। 75 : 25 प्रतिशत के अनुपात में लागत केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना था। उद्यमियों के लिए दुकान तथा आधारभूत संरचना सुविधाओं का प्रावधान उद्यान को करना था। बिहार राज्य निर्यात निगम (बि. रा. नि. नि.) द्वारा कार्य पूरा कराया जाना था। यह पाया गया कि 14.92 करोड़ रुपये में से (केन्द्रीय हिस्सा : दस करोड़ रुपये ; राज्य का हिस्सा : 4.92 करोड़ रुपये) 12.91 करोड़ रुपये (केन्द्रीय हिस्सा : आठ करोड़ रुपये तथा राज्य का हिस्सा : 4.91 करोड़ रुपये) का भुगतान 1999–2003 के दौरान बि. रा. नि. नि. को इस कार्य के लिए किया गया। किन्तु, पथों का निर्माण, चापाकल, पानी टंकी, निस्सरण जल नाला, चाहरदीवारी, निस्सरण पाइप लाइन, सामुदायिक भवन तथा स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण पर 11.81 करोड़ रुपये (फरवरी 2004 तक) के व्यय के बावजूद अबतक अधूरा था।

m | fe; k̥ dks ; kst uk
vklf"kl̥ ugha dj
| dk

तदन्तर, भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार उद्यमियों के लिए योजना को आकर्षक बनाने हेतु विक्रय मूल्य की गणना अथवा भू-खंडों/छावनियों के आवंटन से प्राप्त किराया में से केन्द्रीय अनुदानों के तत्त्व को हटा लेना था। इसके विपरीत राज्य सरकार ने केन्द्रीय अनुदान के तत्त्व को शामिल करते हुए भू-खंडों/छावनियों का विक्रय मूल्य तय कर दिया। अधूरा आधारभूत संरचना सुविधाओं तथा अनाकर्षित मूल्यांकन के कारण योजना जीवनदायी नहीं बन पाया। फलस्वरूप 55 के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 15 उद्यमियों ने मार्च 2004 तक छावनी/भू-खंडों हेतु आवेदन किया तथा तीन उद्यमियों को मात्र तीन भू-खंडों का आवंटन किया गया। परियोजना का भविष्य फीका पड़ गया क्योंकि बि. रा. नि. नि., इसकी एकमात्र एजेन्सी का अवसान मई 2004 में हो गया। अपने उत्तर में विभाग ने कहा (फरवरी 2005) कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बि. औ. क्षे. वि. प्रा.) को शेष कार्य को पूरा करने हेतु एकमात्र एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया तथा मामला के हल के लिए बि. रा. नि. नि./राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को सुपुर्द कर दिया गया।

3-5-13 */dVi/wk vklkjHkr / jpu k / ryu // a / vk- / a / a/ ; kst uk*

इस केन्द्र संपोषित योजना का उद्देश्य (राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा समान रूप से निधि प्रदत्त) हाजीपुर में निर्यात प्रोन्त औद्योगिक उद्यान की आधारभूत संरचना सुविधाओं के विकास 9.83 करोड़ रुपये की प्राककलित लागत पर 1999–2000 के दौरान स्वीकृत तथा दो वर्षों अर्थात् 2001–02 तक पूरा करने का था। बीच में योजना की प्राककलित लागत संशोधित कर दिया गया तथा 3.91 करोड़ रुपये तक कम कर दिया गया। 2000–2001 में केन्द्र सरकार ने 99.81 लाख रुपये मुक्त किया परन्तु राज्य सरकार द्वारा समान अनुदान को उपलब्ध नहीं कराने के कारण कार्य का प्रारम्भ नहीं हो सका।

वर्ष 2001–03 में 96.95 लाख रुपये बिहार राज्य निर्यात निगम को हाजीपुर में औद्योगिक उद्यान के विकास हेतु दिया गया। वर्ष 2002–03 में 54.66 लाख रुपये बिहार राज्य जल परिषद को बाह्य संचित जल के नाला हेतु एवं 77.31 लाख रुपये पथ निर्माण विभाग को हाजीपुर–जन्दाहा पथ के चौड़ीकरण हेतु भुगतान किया गया। न तो पथ निर्माण विभाग ने न ही जल परिषद ने ही अगस्त 2004 तक काम को पूरा किया तथा बिहार राज्य निर्यात निगम (96.95 लाख रुपये) को उपलब्ध कराई गयी निधियाँ

निष्फल साबित हुई क्योंकि बि. रा. नि. नि. निधि से कोई काम नहीं किया तथा बीच में ही उसका अवसान हो गया (मई 2004)।

3-5-14 *ç/kkueñh jkstxkj ; kstuk /i h- , e- vkj- okbə॥*

i h- , e- vkj- okbə dk
vçhkoh dk; klo; u

पी. एम. आर. वाई. को जि. औ. के. के माध्यम से लागू किया गया था। नये उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा स्व-रोजगार में उनकी सहायता हेतु बैंक से ऋण का इन्तजाम कराने के उद्देश्य से योजना का आरम्भ किया गया था। 1999–2004 के दौरान योजना का लक्ष्य बैंक ऋणों के माध्यम से 72,449 व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करना था किन्तु योजना के अन्तर्गत मात्र 24,985 (34 प्रतिशत) व्यक्ति ही लाभान्वित हो सके। बैंक की शर्तों को उद्यमियों द्वारा पूरा नहीं किये जाने के कारण तथा जि. उ. के. द्वारा बैंक को अनुशंसा करने में विलंब के कारण यह कमी रही।

3-5-15 *vks/kfxd {ks@fj; k1 rə /vks {ks fj-॥*

vks ç- fo- ck- e॥ 55
çfr'kr m | fe; k1 us
vi uh bdkb; k1 dks
cln dj fn; k

जल तथा बिजली आपूर्ति, सघन चिकित्सा, दूर संचार, औद्योगिक आवास, सामान्य सुविधाओं आदि जैसी आधारभूत संरचना सुविधाएँ राज्य के चयनित प्रक्षेत्रों में प्रदान करने के उद्देश्य से इस राज्य संपोषित योजना का आरम्भ (1972–76) किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत 44 औ. क्षे. रि. (पटना–21, मुजफ्फरपुर–8 तथा दरभंगा–15) के विकास हेतु पहचान किया गया तथा योजनाओं के कार्यान्वयन का भार क्रमशः तीन औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारणों (पटना, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा) को दिया गया। परन्तु, तीन औ. प्र. वि. प्रा. में कोई भी भू-खंड/छावनी का विकास 1999–2004 की अवधि के दौरान नहीं हो सका। तथापि, यह पाया गया कि 1,236 उद्यमियों में से (1999 से पूर्व औ. प्र. वि. प्रा. द्वारा विकसित भूमि पर जो कार्यरत थे), 675 उद्यमियों ने अपनी इकाइयों को मार्च 2004 तक बन्द कर चुके थे।

औ. प्र. वि. प्रा., दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में 10.08 करोड़ रुपये मूल्य की 178 एकड़ भूमि अनाबंटित रहीं (दिसम्बर 2004)।

औद्योगिक रियासत, रामनगर के लिए अर्जित 454 एकड़ भूमि में से शहतूत की खेती हेतु 1993 में 25 एकड़ भूमि सरकार ने आबंटित किया तथा 1993 में ही 60 एकड़ भूमि उद्यमियों के लिए उन्हें विकसित करने के बजाय चरवाहा विद्यालय को हस्तांतरित कर दिया।

3-5-16 *cplkj rFkk çdk'ku ; kstuk*

सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार के माध्यम से उद्यमियों (राज्य के बाहर तथा अन्दर के) को आकर्षित करने के उद्देश्य से इस राज्य संपोषित योजना का आरम्भ (1999) किया गया। बिहार राज्य उधार तथा निवेश निगम (बिसिको) को 95 लाख रुपये (मार्च 1999 तथा मई 2003 के मध्य) योजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराया गया। 95 लाख रुपये में से 61.20 लाख रुपये का व्यय किया गया (मार्च 2001) जिसका कोई अभिश्रव लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। शेष 33.80 लाख रुपये का विचलन किया गया तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के सर्वेक्षण कार्य पर (एक लाख रुपये), मॉरिशश में भोजपुरी सम्मेलन पर (2.70 लाख रुपये) तथा बिसिको के सभासद लागत एवं आकस्मिक व्यय पर (30.10 लाख रुपये) खर्च किया गया जिसका सम्बन्ध औद्योगिक विकास हेतु प्रचार तथा प्रकाशन से नहीं था।

3-5-17 *mi; kfxrk çek.ki = dk vçLrqhdj.k*

बोर्ड के स्थापना व्यय की पूर्ति हेतु सरकार ने 10.89 करोड़ रुपये की राशि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध कराया (1999–04)। किन्तु, निदेशक द्वारा राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किया गया। उन्होंने दो से 11 वर्षों के बाकी लेखे को अद्यतन करने हेतु 2001–02 में ऋण के रूप में 11 बोर्ड/निगमों/सरकार उपक्रमों/उद्यमों को उपलब्ध कराये गये 26.92 लाख रुपये के लिए भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया।

यह पाया गया कि छ: सहयोग समितियों तथा बिहार राज्य निर्यात निगम (बि. रा. नि. नि.) को 30.15 लाख रुपये 1998–2002 के दौरान परियोजना प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत हस्तकरघा बाजार के विकास हेतु सहाय्य के रूप में भुगतान किया गया किन्तु संबंधित समितियों तथा वि. रा. नि. नि. से मार्च 2004 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विभाग विफल रहा।

3-5-18 *fujFkld Ø;*

दरभंगा में (डायिंग एण्ड फिनिशिंग प्लान्ट) तथा बिहारशरीफ में (केन्द्रीय प्रक्रिया इकाई) अवस्थित कच्चे हस्तकरघा उत्पाद के दो प्रक्रिया इकाइयाँ भी 1997–98 में बन्द हो गयी। विभाग ने 1999–2004 के दौरान इन प्रक्रिया इकाइयों में पदस्थापित बेकार कर्मियों के वेतन तथा भत्ते पर 1.46 करोड़ रुपये का निर्धारक व्यय किया।

3-5-19 *Vkarfjd yqkkijh{kk*

उद्योग विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नहीं की गयी थी। तथापि, लेखा निरीक्षक का एक पद स्वीकृत था किन्तु 1999–2004 के दौरान पद खाली रहा।

3-5-20 *çHkkko fo'yskk.k*

कमजोर आधारभूत संरचना के कारण औद्योगिक विकास राज्य में घोषित सरकारी नीति के उद्देश्यों से काफी पीछे था। राज्य में केवल 20 प्रतिशत औद्योगिक इकाई कार्यरत थे।

घरेलू उद्योगों के अन्तर्गत निवेश आंशिक रूप से बढ़कर 37.24 करोड़ रुपये से 46.38 करोड़ रुपये 1999–2003 के दौरान हो गया जबकि रोजगार 15,475 से घटकर⁸ 13,622 इसी अवधि के दौरान हो गया।

2000–2004 के दौरान राज्य का कुल राजकीय घरेलू उत्पाद के प्रति निर्माण प्रक्षेत्र का अंशदान आंशिक था तथा यह मात्र तीन प्रतिशत रहा जो निम्नवत है :

<i>0"kl</i>	<i>fueklk ç{ks-*</i>	<i>dy th- , I - Mh- i h-**</i>	<i>i fr'krkk</i>
2000–01	1,362	49,383	3
2001–02	1,499	50,987	3
2002–03	1,561	56,688	3
2003–04	1,617	59,862	3

⁸ स्रोत : डाटा बैंक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना

स्रोत : * बिहार के उद्योग द्वारा स्थिर मूल्य (1993–94) के खंड लागत पर कुल राज्य घरेलू उत्पाद तथा
** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2003–04), बिहार सरकार का अध्याय—I।

3-5-21 *fu'd'॥*

राज्य के औद्योगीकरण की उन्नति हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचना सुविधाएँ प्रदान करने में उद्योग विभाग असफल रहा। उद्योगों से संबंधित विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन, उचित योजना का अभाव, दुरुपयोग, निधियों का विचलन तथा जमा एवं विभाग द्वारा अनुश्रवण की अनुपस्थिति से ग्रस्त था। अतएव, विभाग उद्योगों के विकास में वृद्धि या रोजगार उत्पन्न करने में कोई उल्लेखनीय प्राप्ति नहीं कर सका।

vujkd k

- ◆ उद्यमियों के उपयोग हेतु अर्जित भूमि के त्वरित विकास के लिए ओ. प्र. वि. प्रा. को एक स्पष्ट योजना के निर्माण की आवश्यकता है।
- ◆ वित्तीय प्रतिष्ठानों की अभिरुचि के अभाव में वृहत तथा लघु विकास केन्द्रों में निवेश संबंधी नीति के निर्माण की आवश्यकता है।
- ◆ उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु हाजीपुर में औद्योगिक उद्यान उचित आधारभूत संरचना सुविधाएँ के साथ प्रदान करने की आवश्यकता है।
- ◆ विभिन्न आधारभूत संरचना विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक कठोर कालबद्ध योजना बनाने की स्पष्ट आवश्यकता है।

बिन्दुएँ सरकार को संदर्भित की गयी (सितम्बर 2004) उनके उत्तर प्राप्त हो चुके हैं (फरवरी 2005) तथा उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है।

v/; k; &IV

I Ei knu ys[kki jh{kk

4-1 di Vi wkl fudkl h@nfofu; kstu@xcu@gkfu

xkeh. k fodkl foHkkx

4-1-1 I jdkjh jkf'k dk nfofu; kstu

vi ; kJr i ; bskdli; fu; #.k ds dkj.k 2-54 yk[k #i ; s ds nfofu; kstu ds
vykok 19-08 yk[k #i ; s ds vfxe dk vflkjok ds oxj / ek; kstuA

बिहार कोषागार संहिता भाग—I के नियम 86 में प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सरकार से प्राप्त की गई राशि को अविलम्ब रोकड़ पंजी में अंकित किया जाना चाहिए तथा कार्यालय प्रधान द्वारा जाँच के प्रमाणस्वरूप उसे अभिप्रमाणित होना चाहिए। रोकड़ पंजी प्रतिदिन बन्द होना चाहिए तथा अंतशेष दर्शाना चाहिए। कार्यालय प्रधान को रोकड़ पंजी के योगफलों तथा नकद अंतशेष का भौतिक सत्यापन कर प्रत्येक माह के अन्त में इसका प्रमाण पत्र देना चाहिए।

प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बी. डी. ओ.), फुलवारीशरीफ (अक्टूबर 2003) तथा फारबिसगंज (फरवरी/मई 2004) के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि इन प्रावधानों का अनुपालन बी. डी. ओ. द्वारा नहीं किया गया जिससे 2.54 लाख रुपये का दुर्विनियोजन तथा 19.08 लाख रुपये के अग्रिमों का अभिश्रवों के बगैर समायोजन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है :

dk; kly; dk uke	j kf'k %y[k[k #i ; s e%	vof/k	vH; fä
बी. डी. ओ. फुलवारीशरीफ	1.82	1999- 2003	1999-2003 के दौरान संग्रहित विभिन्न प्राप्तियों को रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं किया गया।
बी. डी. ओ. फारबिसगंज	0.72	2003	31 मार्च 2003 को दिखाए गए अंतशेष के अग्रिमों की मात्रा में 0.72 लाख रुपये कम आदि शेष (01 अप्रैल 2003) को दिखाया गया।
	18.05	1999	यद्यपि अग्रिम समायोजित किये गये ; अभिश्रव अनुपलब्ध थे।
	1.03	2001	
dky ; kx	21.62		

बी. डी. ओ. फुलवारीशरीफ ने बताया (सितम्बर 2004) कि 1.82 लाख रुपये की विभिन्न प्राप्तियों को जमा कराने हेतु रोकड़पाल को निर्देश दिया जा चुका था। बी. डी. ओ. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि दोषी खजांची एवं बी. डी. ओ. जो कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी थे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए थी। मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

i Fl fuelk foHkkx

4-1-2 dk;Z dk / ngkLin / Eiknu

nks foHkklu dk;Z ftZ ds vrxt cklDl es iFl I kefxz kd bMka vknf dks Hkjuk 'kkfey Fkk ds fy, 1-14 djkm+ #i;s dk Hkxrku fd;k x;k tcfd ckDI dkVus ds fy, feéti dh dVkbZ vkf'kd gpo FkhA

1/1 पटना जिला के दुलिहन बाजार—रानी तालाब, पाली—किंजर पथ के 34 कि. मी. के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 5.15 करोड़ रुपये में तथा 4.12 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा दी गयी (मई 1998)। कार्य को तीन भागों में विभक्त किया गया तथा दिसम्बर 1998 में निविदा आमंत्रित किया गया। इसे 4.62 करोड़ रुपये में अगस्त 1999 तथा फरवरी 2000 के मध्य पूरा करने हेतु तीन एजेन्सियों को दिया गया। प्रथम भाग का कार्य पूरा हो गया किन्तु अन्य दो भागों को प्रदत्त कार्य (1.54 करोड़ रुपये मूल्य के 9 से 20 कि.मी तक तथा 1.74 करोड़ रुपये मूल्य के 21 से 32 कि. मी. तक) फरवरी 2004 तक अपूर्ण था।

तकनीकी मानक के अनुसार पथ को 1.83 मी. (3.05 मी. से 4.88 मी.) चौड़ा करना था तथा बालू एवं अन्य पथ सामग्रियों से भरने हेतु मिट्टी काटने का कार्य करना था। पथ सामग्रियों को कटे हुए भाग में भरने के साथ—साथ बाकी खाली क्षेत्र में भी मिट्टी भरना था ताकि भरे हुए भाग को पथ रोलर से मजबूत किया जा सके।

यह पाया गया (फरवरी 2004) कि दूसरी एजेन्सी अनुमानित मात्रा के विरुद्ध मात्र 46 प्रतिशत तक कार्य पूरा किया, किन्तु आधार कार्य तथा ईंट बिछाने के अनुमानित मात्रा का 97 प्रतिशत कार्य किया गया। स्टोन मेटल ग्रेड (एस. एम. जी.) II तथा एस. एम. जी III कार्य अनुमानित मात्रा का 96 से 115 प्रतिशत किया गया। इसी प्रकार तीसरी एजेन्सी मिट्टी काटने का कार्य मात्र 39 प्रतिशत तक किया जबकि ईंट बिछाना तथा एस. एम. जी. II एवं एस. एम. जी. III का कार्य 92 से 112 प्रतिशत किया गया।

चूंकि, दो एजेन्सियों द्वारा आवश्यक मात्रा में मिट्टी काटने एवं उसे भरने का कार्य पूरा नहीं किया गया ; आधार कार्य, ईंट बिछाने का कार्य तथा पथर बिछाने कार्य उससे अधिक क्षेत्र में सम्भव नहीं था। फिर भी, दोनों एजेन्सियों को इन कार्यों के लिए 87.60 लाख रुपये का भुगतान (46.11 लाख रुपये + 41.49 लाख रुपये) किया गया (मार्च 2001)। इसके अलावे चूंकि मिट्टी एवं पथ सामग्रियों का मजबूतीकरण वाटर बाउन्ड मैकाडम के तैयार करने के पूर्व नहीं किया गया तथा खुदाई किए गए क्षेत्र में वांकित मिट्टी कार्य नहीं किया गया, दोनों एजेन्सियों द्वारा दर्शाया गया 2.10 करोड़ रुपये का 9 से 32 कि.मी. तक का कार्य (मार्च 2001) निश्चित रूप से निम्न स्तर का था।

कार्यपालक अभियंता ने उत्तर में बताया (जून 2004) कि पथ के चौड़ीकरण का कार्य पथ के दोनों ओर 0.915 मी. करना था इसलिए कटाई का कार्य दोनों ओर 0.915 मी. किया गया। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि तकनीकी ब्यूरा के अनुसार 2.15 मी. चौड़ा मिट्टी की कटाई होनी थी तथा रौलर से पथ के मजबूती के लिए 2.15 मीटर चौड़ाई की आवश्यकता थी।

2/ii इसी प्रकार मसौढ़ी—पितमास, नौबतपुर—खगौल पथ के चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण के कार्य 3.27 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति (जून 1998) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा दी गयी। कार्य

अप्रैल 1999 में निविदित हुआ तथा तीन एजेन्सियों को 3.65 करोड़ रुपये पर प्रदान किया गया (सितम्बर 2000)। मसौढ़ी ओर से 11 से 21 कि.मी. के मध्य पड़ने वाला कार्य एक एजेन्सी को 1.42 करोड़ रुपये पर नवम्बर 2001 तक पूरा करने के लिए आबंटित किया गया। तकनीकी ब्यौरा के अनुसार पथ को मिट्टी काटकर (16125 मी.³) तथा पथ सामग्रियों से भरकर (बालू ईंट एस.एम.जी. II एवं III) 3.65 मी. से 5.5 मी. तक चौड़ा करना था। खुदाई किये हुए क्षेत्र को खुदाई से निकले मिट्टी से भरना था। सामग्रियों तथा मिट्टी भराई कार्य, भरे हुए क्षेत्र का मजबूतीकरण करने के लिए साथ-साथ करना था।

फरवरी तथा मई 2004 में पाया गया कि आधार की तैयारी, ईंट सोलिंग तथा विभिन्न आकारों के पत्थरों के बिछाने का कार्य 91 से 97 प्रतिशत तक हुआ जबकि मिट्टी हटाने का कार्य तकनीकी स्वीकृति में उल्लिखित मात्रा का मात्र 44 प्रतिशत ही हुआ। चूँकि मिट्टी हटाये बगैर आधार कार्य तथा पत्थर बिछाने का कार्य नहीं किया जा सकता, 44 प्रतिशत से अधिक 26.66 लाख रुपये का बालू भरना, झामा ईंट बिछाना, एस. एम. जी. II तथा एस. एम. जी. III कार्य जिसका मूल्य 26.66 लाख रुपये था, सम्भव नहीं था। अतः 26.66 लाख रुपये के पथ चौड़ीकरण का निष्पादन तथा उसका भुगतान संदेहास्पद था।

इसके अलावा वाटर बाउंड मैकाडम के निर्माण के समय पत्थर डालकर रौलिंग नहीं चलाया गया तथा पथ के बड़ाये गये चौड़ाई में खोदी गयी मिट्टी नहीं डाली गई जिससे 89.76 लाख रुपये में किया गया संपूर्ण कार्य निम्नस्तरीय था।

कार्य के संदेहास्पद निष्पादन के लिए 26.66 लाख रुपये का भुगतान तथा 89.76 लाख रुपये के निम्नस्तरीय पथ कार्य के निष्पादन की जाँच की आवश्यकता थी।

कार्यपालक अभियंता ने उत्तर में बताया (जून 2004) कि पथ की चौड़ीकरण का कार्य पथ के दोनों किनारों पर 0.915 मी. चौड़ा करना था इसलिए पथ के दोनों ओर 0.915 मी. मिट्टी काटी गयी। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि तकनीकी ब्यौरा के अनुसार 2.15 मी. मिट्टी काट कर रौलर चलाना था जिससे पथ कार्य को मजबूत किया जा सके।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

xkeh.k fodkl foHkkx

4-1-3 I jdkjh /ku dk nfofu; kstu rFkk yslkkdj.k ugha fd; k tkuk

jksdM+ iath ds / zkkj.k / s / xf/kr fu; e ds ck0/kku ds vuqkyu e ch-
Mh- vksj pfd; k dh foQyrk ds QyLo: i 45-99 yk[k #i; s dk
nfofu; kstu gvk rFkk 1-02 djkm+ #i; s dk yslkkdj.k ugha fd; k x; kA

बिहार कोषागार सहिता भाग—I के नियम 86 में प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सरकार से प्राप्त की गई राशि को अविलम्ब रोकड़ पंजी में अंकित किया जाना चाहिए तथा कार्यालय प्रधान द्वारा जाँच के प्रमाणस्वरूप उसे अभिप्रामाणित होना चाहिए। रोकड़ पंजी प्रतिदिन बन्द कर अन्तशेष दर्शाना चाहिए। कार्यालय प्रधान को रोकड़ पंजी के योगफलों तथा नकद अन्त शेष का भौतिक सत्यापन कर प्रत्येक माह के अन्त में इसका प्रमाण पत्र अंकित करना चाहिए।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बी. डी. ओ.), चकिया (पूर्वी चम्पारण) की रोकड़पंजी तथा अन्य संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने 13.30 लाख रुपये नकद का संदेहात्मक दुर्विनियोजन तथा असमायोजित अभिश्रवों एवं अस्थायी अग्रिम पंजियों का अप्रस्तुतीकरण बताया (जनवरी 2002)। बी. डी. ओ. द्वारा मामले को जिलाधिकारी की जानकारी में लाया गया जिसने निदेशक, लेखा, प्रशासन तथा स्वरोजगार मोतिहारी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया (मार्च 2002)।

समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया। जिलाधिकारी, मोतिहारी ने पुनः उपसमाहर्ता, भूमि सुधार के नेतृत्व में एक अन्य समिति का गठन किया जिसने प्रतिवेदित किया (जून 2002) कि 36 उप-रोकड़ पंजियों में नकद अन्तर्शेष 1.48 करोड़ रुपये के विरुद्ध (11 फरवरी 2002 को) मात्र 1.02 करोड़ रुपये उपलब्ध थे जिससे 45.99 लाख रुपये के दुर्विनियोजन स्पष्ट था।

लेखापरीक्षा के पुनः जाँच (मई 2004) से ज्ञात हुआ कि 27.3.2002 से अगली रोकड़ पंजी का संधारण शून्य आदि शेष से आरम्भ हुआ। भौतिक रूप से सत्यापित नकद शेष 1.02 करोड़ रुपये को लिये बिना रोकड़ पंजी खोल दिया गया। फलस्वरूप उत्तर रकम का लेखाकरण नहीं हुआ। राशि को रोकड़ पंजी में लेखापित नहीं किया गया (मई 2004)।

पूर्व के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा रोकड़पाल के विरुद्ध 45.99 लाख रुपये के दुर्विनियोजन के लिए एक प्राथमिकी (अगस्त 2002) पुलिस में दायर किया गया। मामले पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई।

45.99 लाख रुपये के दुर्विनियोजन तथा 1.02 करोड़ रुपये के लेखाकरण नहीं किए जाने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व लगाने तथा दंडात्मक कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा जाँच की आवश्यकता थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

4-1-4 nfoffu; kstu] de ys[kkdj.k rFkk 0; ; dh vfu; fer çfof"V

jksdM+ iath rFkk vU; ys[kk vfHkys[kk ds vI dkkj.k l s 64-65 yk[k #i; s dk
nfoffu; kstu] de ys[kkdj.k rFkk 0; ; dh vfu; fer çfof"V gþA

नियम में प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सरकार की ओर से जो धन प्राप्त करता है, रोकड़ पंजी में तुरंत अंकित किया जाना चाहिए तथा कार्यालय प्रधान द्वारा जाँच के प्रमाणस्वरूप अभिप्रमाणित होना चाहिए। रोकड़ पंजी प्रतिदिन बन्द कर अंतर्शेष दर्शाना चाहिए। कार्यालय प्रधान को रोकड़ पंजी के योगफलों तथा नकद अन्तर्शेष का भौतिक सत्यापन कर प्रत्येक माह के अन्त में इसका प्रमाणपत्र दर्ज करना चाहिए।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बी. डी. ओ.), सोनपुर के रोकड़ पंजी तथा अन्य संबंधित अभिलेखों की जाँच (मार्च, मई 2004) के दौरान निम्नलिखित ज्ञात हुआ :

रोकड़पाल द्वारा पंचायतों से कमीशन तथा बकाया नकद अवकाश के अधिक भुगतान की वसूली के रूप में मार्च दिसम्बर 2002 के मध्य संग्रहित 0.74 लाख रुपये को न तो सामान्य रोकड़ पंजी में लेखापित किया गया न मई 2004 तक कोषागार में जमा ही किया गया।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) के सहायक रोकड़ पंजी में दर्शाया गया 4 जनवरी 2003 को 6.96 लाख रुपये की प्राप्तियों के विरुद्ध मात्र 2.71 लाख रुपये सामान्य रोकड़पंजी में लिया गया। इसके फलस्वरूप सामान्य रोकड़ पंजी में 4.25 लाख रुपये कम लेखापित किया गया।

मार्च 2002 से मार्च 2003 के दौरान 40.70 लाख रुपये के अल्प भुगतानों को जिनके अभिश्व अनुपलब्ध थे ; सामान्य रोकड़ पंजी से हटा दिये गये।

सामान्य रोकड़ पंजी के 31 मार्च 2004 का अंतशेष 18.96 लाख रुपये को विभिन्न विभागीय कार्यवाहकों को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया। अग्रिमों के भुगतान की स्वीकृति तथा प्राप्तकर्त्ताओं की पावति अभिलेख पर नहीं था।

इस प्रकार, रोकड़ पंजी तथा संबंधित अभिलेखों के संधारण पर अपर्याप्त नियंत्रण से 64.65 लाख रुपये का दुर्विनियोजन, कम लेखाकरण तथा अनुचित व्यय हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

xkeh.k fodkl foHkkx

xkE; vfHk; k. k | kBu

4-1-5 I jdkjh /ku dk ys[kkdj.k ugha gkuk

*mfpr dk; bkgh dks vunqkh rFkk vfxæ ds Hkxrkuks ij vi; kJr fu; #.k
I s 10 yk[k #i; s dk ys[kkdj.k ugha gkuk*

कार्यपालक अभियंता (का.अ.) ग्राम्य अभियंत्रण संगठन प्रमंडल, शेखपुरा के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (नवम्बर 2003) कि विभिन्न योजनाओं के कार्य निष्पादन हेतु जनवरी 2000 से जुलाई 2001 के दौरान का. अ. को उप विकास आयुक्त, शेखपुरा तथा लखीसराय से 67.59 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ। राशि को नियमानुसार कोषागार में सिविल जमा में रखने के बदले बचत बैंक खाता में रखा गया।

प्रमंडल को प्राप्त 67.59 करोड़ रुपये में से 14.18 लाख रुपये स्टोन एग्रीगेट्स के राजस्व के रूप में सरकार को जमा होना था। राशि को रोकड़ बही में सहायक अभियंताओं (स.अ.), शेखपुरा तथा बरबीघा को अग्रिम के रूप में मई 2000 (13.77 लाख रुपये) तथा अक्टूबर 2001 (0.41 लाख रुपये) क्रमशः अस्थायी अग्रिम के रूप में विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु दर्शाया गया। सहायक अभियंता, शेखपुरा ने अपने रोकड़ पंजी में मात्र 3.77 लाख रुपये लेखापित किया तथा उक्त रकम का समायोजन लेखा प्रस्तुत किया। शेष 10 लाख रुपये रोकड़ पंजी में लेखापित नहीं किया गया तथा स. अ. ने रकम की प्राप्ति से इन्कार किया।

अतः वित्तीय नियमों की अनदेखी तथा अग्रिम के भुगतानों पर अपर्याप्त नियंत्रण के फलस्वरूप विभागीय प्राप्तियों का व्यय हेतु विचलन तथा 10 लाख रुपये का लेखाकरण नहीं हुआ।

सरकार के सचिव, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, ग्रामीण विकास विभाग ने अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (कार्य) अंचल, भागलपुर को (फरवरी 2005) मामले की जाँच कर तुरंत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया। मामले में आगे प्रगति का इन्तजार था (फरवरी 2005)।

4-2 fu"Qy@0; FkI 0; ; , oa vf/kd Hkxrku

xkeh.k fodkl foHkkx

4-2-1 iEi gkm/ ds fuetkk ij fu"Qy 0; ;

iEi gkm/ dks /e; /s ijk gkus dks /fuf'pr djus es ch- Mh- vks/ ijf k
dh foQyrk /s 87-03 yk[k #i;s dk fu"Qy 0; ; gvkA

अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (दिसम्बर 2003, मई 2004) कि प्रखंड विकास पदाधिकारी (बी. डी. ओ.), परैया, गया ने मिलियन वेल्स स्कीम के अन्तर्गत 50 सामुदायिक नलकूप से संबंधित सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डी. आर. डी. ए.), गया से 89.25 लाख रुपये (जनवरी 1997 से जून 2003) प्राप्त किया।

उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (डी. डी. सी. कम सी. ई. ओ.) ने आदेश किया (नवम्बर 1996) कि कार्य (नलकूप/जेनरेटर/पम्प की आपूर्ति, छिद्रण, स्थापन तथा विद्युतीकरण) अग्रिम भुगतान के बांगे कराया जाय। पम्प हाउस का निर्माण लाभान्वितों द्वारा होना था। नलकूपों के विद्युतीकरण तथा 5000 गैलन प्रतिघंटा की दर से पानी निकलने पर ही एजेन्सियों तथा लाभान्वितों को भुगतान करना था तथा सहायक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.) तथा बी. डी. ओ. द्वारा उसके बाद प्रमाण पत्र निर्गत करना था। परियोजनाओं को 28 गाँव के 50 स्थानों पर वर्ष 1997—98 तथा वर्ष 1998—99 में लागू किया गया जिसे जून 1997 तथा जून 1998 तक पूरा कर लेना था।

योजना के अन्तर्गत अनुबंधों के विरुद्ध, बी. डी. ओ., परैया ने जनवरी 1999 तथा जून 2003 के मध्य आपूर्तिकर्त्ताओं/लाभान्वितों को 1.07 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में दिया। यह ज्ञात हुआ कि 50 नलकूपों तथा 50 पम्प हाउस का निर्माण (मई 2004) हुआ तथा 41 नलकूप निष्क्रिय रहे क्योंकि मई 2004 तक पम्प हाउस का निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। इसके परिणामस्वरूप 87.03 लाख रुपये का निष्फल व्यय अधूरे कार्यों पर किये जाने के अलावा समुदाय को सिंचाई की सुविधा से वंचित रखा गया।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2004); उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

ty l d k/ku foHkkx

4-2-2 ugj dk; l ij fu"Qy Ø; ;

fuf/k dh mi yC/krk dks l fuf/pr djus ds fy, mfor ; kstuk ds cxj dk; l vkjEHk fd; s tkus ds QyLo: i v/kjis dk; l ij 1-77 djklM+ #i; s dk fu"Qy Ø; ; gVKA

कार्यपालक अभियंता, बटाने शीर्ष कार्य प्रमंडल, हरिहरगंज शिविर अम्बा द्वारा जारी किये गये निविदाओं (मई 1997, अगस्त 1998 तथा जनवरी 1999) के आधार पर मुख्य अभियंता, औरंगाबाद ने सिंचाई क्षमता 0.06 लाख हेक्टेयर से 0.09 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने हेतु बटाने दाँया नहर के पुनर्नवीकरण का कार्य 3.69 करोड़ रुपये की लागत पर 30 एजेन्सियों (5+8+17) को आवंटित (मई 1997 से जनवरी 1999) किया। कार्य में एक्वाडक्ट का निर्माण, तिर्यक निकास तथा भालूएरी डिस्ट्रिब्यूटरी सम्मिलित था जिसे मार्च 2000 तक पूरा करना था।

मजबूत चट्टानों तथा उसे हटाने के लिए यांत्रिक साधन के उपयोग का प्रावधान अनुबंध में नहीं होने के कारण चेन 00 तथा 492 के मध्य कार्य नहीं किया जा सका। सरकार ने मिट्टी का काम बढ़ाने (25755 मी.³ से 114533 मी.³) तथा ढुलाई के लिए 0.78 करोड़ रुपये के संशोधित आकलन को अनुमोदन दिया (नवम्बर 2000) तथा मुख्य अभियंता को कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करने का निर्देश दिया। फिर भी, निधि के अभाव में निविदा जनवरी 2004 तक आमंत्रित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा की जाँच (अगस्त 2002) तथा अन्य सूचना से ज्ञात हुआ कि 1.77 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त करने के बाद निधि के अभाव के कारण एजेन्सियों ने काम बन्द कर दिया (मार्च 2001)। अतः निधि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बगैर तथा उचित योजना के बिना कार्य आरम्भ किये जाने के फलस्वरूप 1.77 करोड़ रुपये के अधूरे कार्य पर निष्फल व्यय किया गया। सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 0.03 लाख हेक्टेयर तक करने के वांकित उद्देश्य की भी प्राप्ति नहीं हुई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

ek/; fed] ckFkfed rFkk o; Ld f' k{k foHkkx

4-2-3 oru dk vf/kd Hkkxrku

I jdkj }jk fu.ki yus ds ckn ckFkfed rFkk e/; fo/ky; k ds f'k{kdk ds dh dkyc) i klufr ds orjku i kkuksa dks l ekIr djus e/ ftyk f'k{k v/kh{kdk] cDIj dh foQyrk ds QyLo: i 46-01 yk[k #i; s dk vf/kd HkkxrkuA

सरकार ने निर्णय लिया (फरवरी 1999) कि 1 जनवरी 1996 से कर्मचारियों के कालबद्ध तथा सेलेक्सन ग्रेड प्रोन्नतियों को समाप्त किया जाय। तदनुसार माध्यमिक, प्राथमिक तथा वयस्क शिक्षा विभाग अनुदेश जारी किया (जुलाई 2003) कि 31 दिसम्बर 1995 के बाद राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों को दी जा चुकी प्रोन्नतियों को निरस्त किया जाय तथा उनका वेतन निचले अथवा बेसिक ग्रेड में निर्धारित किया जाय। अधिक भुगतान वेतन एवं भत्तों की वसूली उनसे की जाय। फिर भी जिला शिक्षा

अधीक्षक, बक्सर ने दिसम्बर 2002 तथा जुलाई 2003 के मध्य अप्रैल 1997 से दिसम्बर 2000 के प्रभाव से 20 आदेशों के तहत राजकीयकृत, मध्य तथा प्राथमिक विद्यालयों के 436 शिक्षकों की कालबद्ध तथा सेलेक्शन ग्रेड प्रोन्नतियों की स्वीकृति प्रदान की।

436 शिक्षकों में से लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये 416 शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं तथा वेतन भुगतान अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (जनवरी तथा मई 2004) कि इनको कालबद्ध तथा सेलेक्शन ग्रेड प्रोन्नतियों की स्वीकृत दी गयी थी तथा फरवरी 2004 तक वे उच्च वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1997 से फरवरी 2004 के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक, बक्सर द्वारा इन शिक्षकों को वेतन तथा भत्ते के रूप में 46.01 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया। जून 2004 तक अधिक भुगतान की वसूली नहीं की गयी थी। वित्त विभाग के अनुदेशों के अनुसार कालबद्ध प्रोन्नतियों के वेतन निर्धारण की जाँच हेतु इन शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं को वित्त विभाग या जिला स्थापना समिति के पास भेजी भी नहीं गई।

इसप्रकार, प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की अनधिकृत प्रोन्नतियाँ एवं कालबद्ध तथा सेलेक्शन ग्रेड में गलत वेतन निर्धारण के कारण जिला शिक्षा अधीक्षक, बक्सर द्वारा 46.01 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे बताये जाने पर जिला शिक्षा स्थापना समिति में मामला पर वार्ता हुई जिसने उच्च वेतनमान में शिक्षकों के आगे की भुगतान पर रोक लगाने का निर्णय लिया (जनवरी 2004) तथा अधिक भुगतान की वसूली के निर्देश हेतु सरकार को संदर्भित किया गया (फरवरी 2004)।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

4-3 i f j gk; l@v kf/kD; @fu"Qy 0; ;

fof/k foHkkx

4-3-1 vfu; fer fu; p; dfez k dks vuf/kd'r Hkxrku

f t yk U; k; ky;] uoknk e o"kkh I s vLFkk; h : i I s fu; p; 124 dfez k ds
jgus ds QyLo: i 4-05 djM+ #i ; s dk vuf/kd'r Hkxrku gvkA

बिहार वित्त नियमावली भाग-I के नियम 80 के तहत सरकार की स्वीकृति के बगैर सरकार के अधीन स्थायी अथवा अस्थायी पदों का सृजन नहीं किया जा सकता तथा स्वीकृत बल से अधिक कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान करने की अनुमति नहीं है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डी. एस. जे.), नवादा के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (जनवरी 2004) कि विधि विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत 25 लिपिक, 3 आशुलिपिक, 21 चपरासी, 1 दफतरी तथा 5 वाहन चालक के पदों के अलावा 59 लिपिक, 12 आशुलिपिक तथा 53 चपरासी के पदों का सृजन किया गया तथा मार्च 1984 से जून 1998 के मध्य डी. एस. जे., नवादा द्वारा अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए भर्ती किया गया तथा सरकार की स्वीकृति के बगैर वर्षों तक रखा गया।

हालांकि अतिरिक्त कर्मियों के 124 पदों को नियमित करने हेतु सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डी. एस. जे., नवादा ने मामला को उच्च न्यायालय, पटना को भेजा (अगस्त 2000)। उच्च न्यायालय ने उन कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा (अगस्त 2000) जिसके तहत इन पदों का उपयोग किया गया तथा सरकार द्वारा पदों की स्वीकृति के बारे कर्मियों की नियुक्ति की गयी। अप्रैल 2004 तक उच्च न्यायालय को डी. एस. जे. द्वारा स्पष्टीकरण नहीं भेजा गया था।

इसप्रकार, वर्षों से अस्थायी रूप से नियुक्त 124 कर्मियों के अनधिकृत रूप से विद्यमान रहने के फलस्वरूप वर्ष 1999–2004 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर 4.05 करोड़ रुपये का अनधिकृत भुगतान हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

ek/; fed] ckFkfed rfkk o; Ld f' k{k foHkkX

4-3-2 vupku dk ifjgk; lHkxrku

86 v; k; / ldr fo/ky; k dks / e; ij vejj; djus e ch- , / - , / - ch-
ch foQyrk ds dkj.k muds f'k{k.k rFkk xj&f'k{k.k dfel k ds oru
Hkxrku ij 6-80 djkm+i;s dk ifjgk; l0; ; gmkA

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना तथा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (बी. एस. एस. बी.), पटना के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 1981 से पूर्व मान्यता प्राप्त 429 गैर सरकारी संस्कृत विद्यालयों का सरकार द्वारा अधिग्रहण (दिसम्बर 1989) किया गया। शिक्षण तथा गैर शिक्षण कर्मियों के वेतन का भुगतान सरकार से प्राप्त अनुदानों से किया गया।

1989 तथा 1995 के मध्य 13 जिलों¹ के जिलाधिकारियों/उपविकास आयुक्तों द्वारा इन विद्यालयों की स्थिति की जाँच से ज्ञात हुआ कि संस्कृत विद्यालयों की मान्यता के लिए आवश्यक शर्तों (भवन के लिए भूमि की उपलब्धता, छात्रों की संख्या, पुस्तकालय इत्यादि) को पूरा करने में 86 विद्यालय अक्षम रहे। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने दिसम्बर 1989 के प्रभाव से इन विद्यालयों के अनुदानों का भुगतान करना बन्द कर दिया (नवम्बर 1995)। फलस्वरूप उन विद्यालयों के शिक्षण/गैर शिक्षण कर्मियों को उसके बाद वेतन मिलना बन्द हो गया।

प्रभावित कर्मियों द्वारा दायर एक याचिका (1999) पर उच्च न्यायालय, पटना ने निर्णय दिया (अगस्त 2000) कि बी. एस. बी. द्वारा विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की तिथि तक उन कर्मियों को वेतन की सुविधा मिलेगी। जून 2002 में बी. एस. बी. ने 86 संस्कृत विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी। तदनुसार, राज्य सरकार ने दिसम्बर 1995 से 15 जून 2002 की अवधि के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से विद्यालय कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु बी. एस. एस. बी. को 6.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2003)। वर्ष 2003–04 के दौरान शिक्षकों का भुगतान कर दिया गया।

¹ बाँका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, सारण तथा शेखपुरा।

यदि बी. एस. एस. बी. द्वारा इन विद्यालयों की मान्यता 1995 में ही रद्द कर दी जाती तब 6.80 करोड़ रुपये की अनुदान राशि के भुगतान से बचा जा सकता था जबकि यह पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि वे भवन के लिए भूमि आदि आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते थे। यदि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ ही बी. एस. एस. बी. मान्यता समाप्त करने का आदेश अगस्त 2000 में निर्गत कर देता तब सितम्बर 2000 से जून 2002 के दौरान का वेतन 1.94 करोड़ रुपये बचाया जा सकता था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

xg ½dkjkh foHkkx

4-3-3 *LokLF; 1 j{kk ds / keku i j fu"Oy @;*

45-70 yk[k #i ; s eW; ds / keku dk ; k rks mi ; kx ugha fd; k x; k ; k vkkjkkur 1 jpuks vHkkko es; nk dnk mi ; kx es yk; k x; k ft / dkj.k dsfn; k ds LokLF; 1 j{kk es 1 qkkj 1 quf'pr ugha fd; k tk / dka

दसवें वित्त आयोग ने जेलों के अस्पतालों तथा दवाखाने में कैदियों के स्वास्थ्य संरक्षा में सुधार लाने हेतु उनके आधुनिकीकरण का सिफारिश किया (1995)। महानिरीक्षक, कारा ने अपने निविदित दरों पर 19 जेलों में 77.45 लाख रुपये मूल्य का रेडियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल तथा सरजिकल सामानों की आपूर्ति हेतु पटना के छ: फर्मों तथा गया के एक फर्म को क्रयादेश जारी (नवम्बर तथा दिसम्बर 1999) किया। फर्मों ने इन सामानों की आपूर्ति फरवरी तथा अप्रैल 2000 के मध्य किया एवं जेल अधीक्षकों द्वारा भुगतान (दिसम्बर 1999 – जून 2000) किया गया।

11 जेलों के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसम्बर 2003) के दौरान यह पाया गया कि वहाँ डाई रूम, प्रयोगशाला, त्रिधारी विद्युत संबंध आदि तथा एक्स–रे अथवा प्रयोगशाला के लिए तकनीशियन जैसे आधारभूत संरचना का अभाव था। फलस्वरूप 11 जेलों¹ को आपूरित 28.06 लाख रुपये मूल्य के सामानों का उपयोग नहीं किया जा सका। चार जेलों में (जिला जेल आरा, बेगूसराय, समस्तीपुर तथा विशेष केन्द्रीय कारा भागलपुर) 17.64 लाख रुपये मूल्य के सामान (एक्स–रे मशीन एवं पार्ट–पुर्जों) का उपयोग यदा कदा किया गया।

जाँच से तदन्तर ज्ञात हुआ कि यांत्रिक गड़बड़ी के कारण भी सामान बेकार पड़े हुए थे (महिला कारा भागलपुर तथा जिला कारा मुंगेर), निम्न श्रेणी का सामान (जिला कारा बेतिया) तथा कारा चिकित्सकों द्वारा सामानों की श्रेणी जाँच नहीं की गयी (जिला कारा, हाजीपुर तथा फुलवारीशरीफ)।

महानिरीक्षक, कारा ने सभी जेलों को आपूरित सामानों की गुणवत्ता जाँच हेतु अंचल² के केन्द्रीय कारा अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। फरवरी 2004 तक नमूना जाँच किये गये जिलों में उक्त समिति के द्वारा कोई जाँच नहीं की गयी।

¹ जिला जेल, आरा (0.96 लाख रुपये), बेगूसराय (1.05 लाख रुपये), बेतिया (4.36 लाख रुपये), हाजीपुर (3.22 लाख रुपये), मोतिहारी (3.22 लाख रुपये), मुंगेर (3.26 लाख रुपये), फुलवारीशरीफ (3.36 लाख रुपये), समस्तीपुर (1.05 लाख रुपये), सासाराम (4.21 लाख रुपये), जिला महिला कारा, भागलपुर (2.28 लाख रुपये) तथा विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर (1.09 लाख रुपये)।

² बेलर, भागलपुर, बक्सर तथा गया।

इसप्रकार, आधारभूत संरचना की सुविधा के अभाव में 11 जेलों के लिए 28.06 लाख रुपये की लागत पर क्रय किया गया स्वास्थ्य संरक्षा सामान अनुपयुक्त रहा। 17.64 लाख रुपये मूल्य का सामान का उपयोग यदा—कदा ही हुआ। दसवें वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुरूप कैदियों के स्वास्थ्य संरक्षा में सुधार की योजना भी प्राप्त नहीं हुई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

fot/k fotkkx

4-3-4 ftyk U; k; ky; k ds dEl; Wjhdj.k ij fu"Qy Ø; ;

uetuk tkp fd; s x; s l kr ftyk U; k; ky; k e vki jfr dEl; Wjk dks ; k rks ifr"Blfir ugha fd; s x; s ; k vuq; kxh jgs ft / i s 33-06 yk[k #i; s dkk fu"Qy Ø; ; gvkA

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन. आई. सी.), योजना आयोग, भारत सरकार तथा उच्च न्यायालय, पटना द्वारा हस्ताक्षरित (दिसम्बर 1996) ज्ञापन के आधार पर कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना हेतु बिहार के 28 जिला न्यायालयों को 72.32 लाख रुपये मूल्य का पार्ट—पुर्ज सहित कम्प्यूटर की आपूर्ति (अप्रैल 1997) एन. आई. सी. ने किया। सूचना केन्द्रों को प्रबन्धन सूचना पद्धति का विकास तथा सूचना संसाधनों को सुगम करना एवं जिला न्यायालयों में राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क का विकास करना था। प्रशिक्षणार्थियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रावधान एन.आई.सी. को करना था जबकि आधारभूत संरचना यथा फर्निचर, सिविल तथा विद्युत कार्य एवं टेलीफोन का प्रावधान राज्य सरकार को करना था। कम्प्यूटरीकरण का कार्य मई 1997 तक पूरा कर लिया था।

संवीक्षा (फरवरी—मार्च 2004) से ज्ञात हुआ कि मार्च 2004 तक आधारभूत संरचना पर राज्य सरकार ने 71.16 लाख रुपये खर्च किया किन्तु, निबंधक (प्रशासन) उच्च न्यायालय, पटना ने बताया (फरवरी 2004) कि कम्प्यूटर के उपयोग होने की तिथि तथा कम्प्यूटर केन्द्रों में कुशल कर्मियों की भर्ती की संख्या उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति, अबाधित विद्युत आपूर्ति (यू. पी. एस.), जिला न्यायालयों में स्थापित यू. पी. एस. के वार्षिक रख—रखाव करने वाले संवेदकों का अभाव, प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव, उपभोग सामग्रियों आदि पर होने वाले व्यय के लिए निधि का अभाव आदि कम्प्यूटर केन्द्रों की कम उपयोगिता के मुख्य कारण थे।

नमूना जाँच किये गये सात जिला न्यायालयों¹ में यह पाया गया (मार्च 2004) कि अप्रैल 1997 तक एन. आई. सी. द्वारा 18.08 लाख रुपये मूल्य के कम्प्यूटर सेट की आपूर्ति की गयी तथा आधारभूत संरचना के विकास पर 14.98 लाख रुपये² का व्यय किया गया जबकि कम्प्यूटर सेट पाँच जिला न्यायालयों में स्थापित नहीं किया गया। यद्यपि, नमूना जाँच किये गये सात जिलों में से दो में कम्प्यूटर स्थापित (अक्टूबर 1999 तथा अगस्त 2001) किया गया, फरवरी 2004 तक यू. पी. एस. के सी. वी. टी. में खराबी के कारण वे प्रारम्भ से ही कार्यरत नहीं थे। अतः इन सात जिलों में कम्प्यूटर सेट तथा आधारभूत संरचना पर 33.06 लाख रुपये का व्यय पूर्णतः निष्फल था।

¹ भागलपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना, सीतामढ़ी, समस्तीपुर

² फर्निचर (5.04 लाख रुपये), सिविल तथा विद्युत कार्य (9.56 लाख रुपये), सी. वी. टी. (0.33 लाख रुपये) तथा टेलीफोन (0.05 लाख रुपये)

तदन्तर, निबंधक (प्रशासन) उच्च न्यायालय, पटना ने बताया (अक्टूबर 2004) कि वर्ष 1996–97 में आपूर्ति कम्प्यूटर पुराने तथा अप्रचलित हो गया।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

vki nk çcikku foHkkx

4-3-5 / gk; rk dk;k dk nq i ; kx

f t yk f / kdkj h] ept / Qj i j } kjk 37 yk [k #i ; s ds çkdf rd vki nk / gk; rk dk;k dk nq i ; kx givka

जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (नवम्बर 2003) कि बाढ़, अग्नि, अकाल, तूफान, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, ठंड आदि से त्रस्त व्यक्तियों को भुगतान हेतु राज्य सरकार से वर्ष 2001–2004 के दौरान 12.58 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसमें से जिलाधिकारी ने 37 लाख रुपये (2001–04) वाहनों की मरम्मति तथा रख-रखाव, पेट्रोल, तेल तथा ल्यूबरिकैन्ट, स्टेशनरी, मजदूरी एवं विविध मदों पर खर्च कर इसका दुरुपयोग किया। विवरण निम्नवत था :

vof/k	nq i ; kf x r fuf/k; k / #i ; s yk [k e /	yfkk 'kh"kl				
	okguks dh ej Eefr rFkk j [k&j [kko , oai h- vks , y-	LVi kuj h	Jfedks dh etnij h	fofo/k 0; ;	; kx	
2001-04	2.28	9.43	9.31	11.33	32.35	2053- जिला प्रशासन
तथैव	0.79	0.23	0.43	0.51	1.96	2070- परिसदन
तथैव	0.45	1.14	0.55	0.51	2.65	2029- भू-राजस्व
तथैव	शून्य	0.16	शून्य	शून्य	0.16	2030- मुद्रांक
; kx	3.52	10.96	10.29	12.35	37.12	

इस प्रकार जिलाधिकारी द्वारा 37 लाख रुपये की निधि के दुरुपयोग से व्यय के बजटीय नियंत्रण में कमी परिलक्षित हुई चूँकि बजट में इस प्रकार के व्यय की स्वीकृति नहीं थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

jktLo , oa Hkfe I qkkj foHkkx

4-3-6 / jdkjh ckflr; k , oa vuqku dk vuf/kdr mi ; kx

I ekgUkky i Vuk us 1-34 djkm #i ; s dh jktLo ckflr; k@vuqku dk dk; kly; 0; ; ij vuf/kdr : i lsmi ; kx fd; k

बिहार वित्त नियमावली में प्रावधान है कि राजस्व प्राप्तियों को कोषागार में अविलम्ब जमा कराया जाना चाहिए तथा किसी भी हालत में इसे न तो सरकारी खाते से बाहर

रखा जा सकता है, न विभागीय व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग ही किया जा सकता है। नियम में यह भी प्रावधान है कि किसी एक वर्ष के व्यय को दूसरे वर्ष के अनुदानों पर भारित नहीं किया जा सकता।

जिला नजारत, पटना के अभिलेखों की जाँच (फरवरी/मई 2004) से ज्ञात हुआ कि 2000–03 के दौरान विभिन्न राजस्व प्राप्तियों से संग्रहित 41 लाख रुपये में से 20 लाख रुपये कोषागार में जमा करने के बदले कार्यालय व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग किया गया तथा शेष 1.14 करोड़ रुपये जो 2002–03 के दौरान विभिन्न लेखा शीर्षों से प्राप्त हुए थे; कार्यालय व्यय पर (97 लाख रुपये) एवं कार्यालय के समारोहों तथा वार्षिकोत्सव एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों के अंतिम संस्कार पर (17 लाख रुपये) व्यय की पूर्ति हेतु विचलन किया गया।

उक्त व्यय का विवरण निम्नवत है :

ठेकड़	y[k 'kh"kl	vof/k	dly ckIr	0; ;	vupku l s
			vupku	#i; s djklM+eik	vf/kd 0; ;
1.	2053- सामान्य प्रशासन	2000-03	1.23	2.31	1.08
2.	2029- भू-राजस्व	—तथैव—	0.21	0.30	0.09
3.	2070- राज्य उत्सव	—तथैव—	0.07	0.24	0.17
	; ksx		1.51	2.85	1.34

इसप्रकार, कार्यालय व्यय पर समाहर्ता, पटना द्वारा विविध राजस्व प्राप्तियाँ/अनुदानों के 1.34 करोड़ रुपये का अनधिकृत उपयोग किया गया। नियम के तहत विनियोग में वास्तविक व्यय के अनुपालन के मूलभूत मानदण्डों के विरुद्ध ऐसा किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसके बारे में पूछने पर उप-समाहर्ता, पटना ने बताया कि जून 2002 से मार्च 2003 के दौरान विचलित राशियों के समायोजन हेतु अतिरिक्त अनुदान के लिए सरकार से माँग की गयी थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2004); उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

i Fk fuekLk foHkkx

4-3-7 i Fk dk; l dk fuEuLrjh; fu"iknu

i Fk ØLV e[vko'; d oLrpku dk i ko/kku ugha gkus ds QyLo: i 1-94 djklM+#i; s dk i Fk dk; l fuEuLrjh; gmkA

पनसलवा—बैद्यनाथपुर पथ (12.2 कि.मी. से 22.2 कि.मी. के चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण के कार्य का प्रशासनिक अनुमोदन पथ निर्माण विभाग द्वारा 3.04 करोड़ रुपये (मार्च 1994) पर किया गया तथा मुख्य अभियंता (मु. अ.), केन्द्रीय रूपांकन संगठन (के. रु. सं.), पटना द्वारा 2.72 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति दी गयी (मार्च 1999)। अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा द्वारा 2.35 करोड़ रुपये के मात्रा विपत्र (बी ओ क्यू) का अनुमोदन किया गया (जनवरी 1999)। विभागीय निविदा समिति द्वारा 2.45 करोड़ रुपये (बी ओ क्यू) से 5 प्रतिशत अधिक) पर कार्य आवंटित (मार्च 1999) किया गया। तदनुसार, कार्यपालक अभियंता (का. अ.), पथ निर्माण प्रमंडल, सहरसा ने काम को मार्च 2000 तक पूरा करने के लिए एजेन्सी के साथ अनुबन्ध किया

(मार्च 1990)। जून 2001 में काम पूरा हो गया तथा जनवरी 2003 में 1.94 करोड़ रुपये का अन्तिम भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा की जाँच (नवम्बर 2003) से ज्ञात हुआ कि वह कार्य जो 2.45 करोड़ रुपये की लागत पर पूरा करने के लिए अनुबंधित था; वास्तव में 1.94 करोड़ रुपये की लागत पर पूरा कर लिया गया क्योंकि मिट्टी खुदाई का कार्य 28 प्रतिशत तथा पथ क्रस्ट प्राक्कलित मात्रा का 87 प्रतिशत ही किया गया।

मुख्य अभियंता, के. रु. सं., पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ने पथ पटल में 75 मि. मी. स्टोन मेटल ग्रेड III (2445 मी.³) बिछाने का प्रावधान किया था किन्तु अधीक्षण अभियंता ने बी ओ क्यू में स्टोन मेटल ग्रेड III का प्रावधान नहीं किया यद्यपि तकनीकी वर्णन के अनुसार पथ क्रस्ट के लिए यह आवश्यक था। इस परिवर्तन को मुख्य अभियंता, के. रु. सं., पटना ने फरवरी 2004 तक अनुमोदित नहीं किया था।

तदन्तर, तकनीकी स्वीकृति के अनुसार वाटर बाउंड मैकाडम (डब्ल्यू. बी. एम.) सतह की 100 मि. मी. की वांकित मोटाई के विरुद्ध मात्र 87.5 से 88.75 मि. मी. ही कार्य किया गया। इस कारण से 2.14 लाख रुपये अन्तिम विपत्र से काट लिया गया। अतः निम्नस्तरीय पथ कार्य का निष्पादन हुआ जिसपर 1.94 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

कार्यपालक अभियंता ने उत्तर में बताया कि कार्य का सम्पादन अनुमोदित मानक के अनुसार हुआ। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि मुख्य अभियंता, के. रु. सं. ने मानक में आवश्यक परिवर्तन का अनुमोदन नहीं किया था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

4-3-8 *i Flk fuelZk ij fu"Qy 0; ;*

=fVi wkl ; kstuk ds dkj.k i Flk ds fuelZk ij 1-54 djkm+ #i ; s dk fd;k X;k 0; ; fu"Qy Fkka

नरीरगिर—चम्पापुर—अदापुर पथ (1 से 14 कि.मी.) के चौड़ीकरण कार्य का प्रशासनिक अनुमोदन (अक्टूबर 2001) 1.50 करोड़ रुपये पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिया गया। मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन संगठन द्वारा 1.54 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति (दिसम्बर 2001) दी गयी। विभागीय निविदा कमिटी ने क्राउन कन्सट्रक्शन, मोतिहारी को प्राक्कलित लागत से 3.5 प्रतिशत अधिक पर निविदा का अनुमोदन (जनवरी 2004) किया। तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल (प. नि. प्र.) मोतिहारी ने क्राउन कन्सट्रक्शन के साथ जून 2002 तक काम पूरा करने हेतु (मार्च 2003 तक विस्तारित) अनुबंध किया (फरवरी 2002)। एजेन्सी ने काम पूरा किया (मार्च 2004) तथा 1.54 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त किया (मार्च 2004)।

लेखापरीक्षा की जाँच से ज्ञात हुआ कि चार पुल स्थल पथ के चौथे, सातवें, बारहवें तथा तेरहवें कि.मी. पर थे जिनमें से बारहवें कि.मी. पर स्थित पुल विधायक निधि के अन्तर्गत निर्माणाधीन था। काष्ठ पुल चौथे कि.मी. पर क्षतिग्रस्त अवस्था में था तथा इस पुल पर यातायात का आवागमन नहीं था जबकि सातवें एवं तेरहवें कि.मी. पर कोई पुल स्थित नहीं था। अतः इन चार पथ पुलों के निर्माण के बागेर नरीरगिर से अदापुर का

सम्बन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। किन्तु, कार्यपालक अभियंता, प. नि. वि., मोतिहारी द्वारा पुलों के निर्माण हेतु कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था।

कार्यपालक अभियंता, प. नि. प्रमंडल, मोतिहारी ने अपने उत्तर में कहा कि पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जाना था। उत्तर संतोषप्रद नहीं था। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पुलों के निर्माण हेतु एकमात्र कार्यकारी एजेन्सी है, प्राक्कलन तथा बजट प्रावधान पथ निर्माण विभाग को ही करना है।

इसप्रकार त्रुटिपूर्ण योजना तथा चौथे, सातवें तथा तेरहवें कि.मी. पर पुलों के अभाव के कारण इस पथ पर कोई गाड़ी नहीं चल रही थी तथा पथ के निर्माण पर 1.54 करोड़ रुपये का कुल व्यय निष्फल रहा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

Xg ॥vkJ {kh½ foHkkx

4-3-9 vf/kHkkj ds Hkxrku ij ifjgk; 10;

i fyl v/kh{kd] Hkxyijg }jk fctyh foi= ds Hkxrku es foyEc ds
QyLo#i 34-20 yk[k #i;s ds vf/kHkkj dk ifjgk; 1 Hkxrku gvkA

पुलिस अधीक्षक (एस. पी.), भागलपुर कार्यालय के अमिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (मई 2004) कि मई 1998 से मार्च 2004 की अवधि के 1.07 करोड़ रुपये के बिजली विपत्रों का भुगतान अक्टूबर 2002 से मार्च 2004 की अवधि में किया गया, बिजली विपत्रों के विलम्बित भुगतान के कारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि. रा. वि. बो.) द्वारा लगाया गया 34.20 लाख रुपये का अधिभार भी इसमें शामिल है।

एस. पी., भागलपुर ने पूछने पर बताया (मई 2004) कि विभाग द्वारा निधि के आवंटन में विलम्ब के कारण बिजली विपत्रों का भुगतान समय पर नहीं किया जा सका। उत्तर संतोषप्रद नहीं था क्योंकि एस. पी. द्वारा इसके लिए विभाग से निधि प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया।

अतः निधि प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहने में एस. पी. की विफलता के फलस्वरूप 34.20 लाख रुपये अधिभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितम्बर 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

4-4 fuf"Ø; fuoś k@ fuf"Ø; LFkki uk@fuf/k dk voj kš'ku

df"k foHkkx

4-4-1 vdk; Zkh y df"k ; kf=dh kVuf dkkuk dkj [kkuk

i Vuk ds , d vdk; Zkh y df"k kf=dh dkj [kkuk ij 2-61 djklM+ #i ; s dk
l; ; fd; k x; kA

कृषि यांत्रिकी (अनुसंधान) कारखाना, पटना की स्थापना (दिसम्बर 1954) कृषकों को समय—समय पर विभिन्न प्रकार के उच्च विकसित कृषि यंत्र के विषय में जानकारी देने हेतु की गयी थी ताकि राज्य के कृषि पैदावार में वृद्धि हो सके। कृषि यंत्रों की सफल उपयोगिता तथा देखभाल के लिए कारखाना कृषकों को प्रशिक्षण भी देता था। यह लेथ मशीन, मिल मशीन, ड्रिल मशीन, हक्सा मशीन, टूल ग्राइडिंग मशीन आदि से सुसज्जित होने के साथ—साथ एक बढ़ीईगिरि ईकाई से सुसज्जित था तथा विभागीय वाहनों की मरम्मति तथा रख—रखाव का कार्य भी सम्पादित करता था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ (अक्टूबर 2003) कि 1990 से कृषकों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रशिक्षण या सेमिनार का आयोजन नहीं किया गया। कृषि उप—निदेशक, कृषि यांत्रिकी कारखाना, पटना ने बताया (अक्टूबर 2003) कि अनुसंधान कार्य चलाने हेतु निधि का अभाव तथा प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव के कारण प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका। इसके फलस्वरूप 1990 से कारखाना में कार्यरत 39 बेकार कर्मियों के वेतन एवं भत्ते पर मार्च 2004 तक 2.61 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ। विभाग द्वारा न तो कारखाना को सक्रिय बनाने हेतु न कारखाना में बिना काम के कर्मियों की सेवा का अन्य विभाग में उपयोग में लेने का प्रयास ही किया गया।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मार्च 2004)। सरकार के अपर सचिव, कृषि विभाग ने बताया (फरवरी 2005) कि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता था तथा विभागीय वाहनों की मरम्मति तथा रखरखाव का कार्य कारखाना में किया जाता था। स्वीकृत बल भी घटाकर अब 32 कर दी गयी है। उत्तर संतोषप्रद नहीं हैं क्योंकि कारखाना के संचालन हेतु निधि की उपलब्धता नगण्य थी। निधि की स्वीकृति कारखाना के कर्मियों के सिर्फ वेतन एवं भत्ते हेतु दी जाती रही थी।

v/; k; &V

vkrfjd fu; =.k ç.kkyh

çkFfed , o a tu f' k{kk foHkkx

5 vkrfjd fu; =.k r= rFkk vkrfjd ys[kki jh{kk ç.kkyh

eq; kd"kk

आंतरिक नियंत्रण तंत्र प्रबंधन तकनीक का एक अभिन्न अंग है जिसके द्वारा संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाकलापों का प्रभावी ढंग से संचालन करती है। आंतरिक नियंत्रण में सन्निहित नियमों, विनियमों संहिताओं तथा अनुदेश पुस्तिकाओं के अनुपालन से त्रुटियों और अनियमितताओं की संभावना कम होता है। प्राथमिक और जन शिक्षा विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र के जाँच में पाया गया कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावशाली रूप से कार्यरत नहीं थी।

okLrfod t: jrks dks /; ku e j [ks fcuk o"kl 2000&04 ds ctV vuqku
cuk; s x; s FkA

%dflMdk 5-5-1½

I Ei wkl I k{kj rk vfk; ku vkj I o z f' k{kk vfk; ku ds dk; klo; u e vuqlo.k
vkj vkrfjd I ello; dk vHkkko FkA

%dflMdk 5-6-1½

fofgr fu; =.kks ds vuqkyu ugha gksus I s 2-62 yk[k #i ; s ds I j dkjh /ku
dk nfofu; kst u gqkA

%dflMdk 5-6-2½

vkrfjd ys[kki jh{kk }kjk o"kl 1999&2004 dh vof/k e foHkkx ds I Ei wkl
ys[kki jh{kr bdkb; k ds 0-18 cfr'kr gh ys[kki jh{kk fd; k x; kA fujh{k.k
çfronuka dh vuqUkhZ dkj bkbZ n; uh; FkA

%dflMdk 5-7½

5-1 çLrkouk

विभाग के लागू नियमों, विनियमों, संहिताओं और अनुदेश पुस्तिकाओं में आंतरिक नियंत्रण विहित है और विभागीय पदाधिकारियों द्वारा इसके अनुपालन से विभाग का समुचित परिचालन का यथोचित आश्वासन सुनिश्चित किया जाता है। नियंत्रण परिचालनात्मक और वित्तीय मामलों के त्रुटियों और अनियमितताओं के बचाव में मदद करता है।

5-2 I kaxBfud <kpk

विभाग सचिव द्वारा शीर्षित है और दो निदेशकों (प्राथमिक शिक्षा एवं जन शिक्षा प्रत्येक के लिए एक) से सहयोगित है। उनके सहयोग के लिए उप-निदेशक और सहायक

निदेशक हैं। 37 जिला शिक्षा अधीक्षक (डी एस ई) और 37 जिला जन शिक्षा पदाधिकारी (डी एम ई ओ) क्षेत्र में कार्यरत हैं।

5-3 *yqikkijh{k k dk dk; qk-*

विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा वर्ष 1999 से 2004 तक सचिवालय/निदेशालय तथा छ: डी एस ई और छ: डी एम ई ओ¹ के जुलाई 2004 से सितम्बर 2004 तक के अभिलेखों की नमूना जाँच से की गई।

5-4 *yqikkijh{k mís' ;*

समीक्षा का उद्देश्य निम्न जाँच करना था :

- विभाग में बजट और व्यय के नियंत्रण सहित वित्तीय प्रबंधन हेतु समुचित आंतरिक नियंत्रण था,
- योजनाओं के कार्यान्वयन एवं क्षेत्रिय कार्यालयों के कार्यचालन के अनुश्रवण के लिए मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रिय कार्यालयों का नियमित रूप से दौरा किया गया,
- विभागीय कार्य प्रणाली की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विकसित किये थे।

5-5 *foUkkh; fu; ≠.k*

5-5-1 *c t V vups'kk dk ikyu ugh fd; k tkuk*

बिहार बजट मैनुअल में बजट नियंत्रण अनुपालन के लिए अन्य बातों के अलावे प्रशासनिक विभाग द्वारा बजट तैयार करने के लिए नीचे स्तर से बजट अनुमानों को प्राप्त करना, आवंटित सीमाओं में व्यय करना वर्ष के अन्त में व्यय आधिकाय से बचना, और अनुमानित बचतों को समय से प्रत्यर्पण करना परिकल्पित है। मूल आवंटन अत्यल्प होने पर उन्हीं मामलों में अनुपूरक प्रावधानों द्वारा निधियों की मींग की जानी थी। अधीनस्थ कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी डी ओ) द्वारा मासिक व्ययों का निदेशालय द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जाना चाहिए था। प्रशासनिक विभाग द्वारा निदेशालय के व्यय का अनुश्रवण किया जाना था। रिक्त पदों के भरने से रोकने तथा उन रिक्त पदों के विरुद्ध बजट अनुमान को तैयार नहीं करने का स्पष्ट अनुदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए थे।

वर्ष 1999–2000 से 2003–04 तक के विनियोग लेखे से ज्ञात हुआ कि वर्ष दर वर्ष सतत बचत था जिससे निधियों के त्रुटिपूर्ण अनुमान तैयार करना परिलक्षित था। साथ ही अनुपूरक उपबन्ध प्रत्येक वर्ष अनावश्यक था।

¹ मुंगेर, परिचम चम्पारण, मधुबन्नी, नालन्दा, कटिहार और सिवान

वक्तव्य
क्षेत्र
वृक्षकुक्कु
दक्षिणांकुक्कु

वर्ष	एवं अनुपलब्ध		प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तीसरा वर्ष		चौथा वर्ष		पांचवां वर्ष		
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	
1999–2000 राजस्व	137.36	2677.79	54.19	4.34	11.17	14.92	180.38	2667.21	91.29	2539.95	(-) 89.09	(-) 127.20	7.60
2000–01 राजस्व	2724.52		0.02		234.78		2489.76		2123.42		366.34		14.71
2001–02 राजस्व पूँजीगत	111.51 47.21	1871.51 --	8.39 8.58	8.39 --	43.32 33.32	248.30 --	76.58 22.47	1632.05 --	47.68 19.67	1517.33 --	(-) 28.90 (-) 2.80	(-) 114.72 --	8.41 12.46
2002–03 राजस्व पूँजीगत	186.50 30.00	1844.56 --	74.91 34.00	0.07 --	149.38 17.37	266.71 --	112.03 46.69	1577.92 --	106.13 30.77	1580.72 --	(-) 5.90 (-) 15.92	(+) 2.80 --	0.18 34.10
2003–04 राजस्व पूँजीगत	228.97 54.86	2035.99 --	21.75 --	0.12 --	8.41 --	-- --	242.31 54.85	2036.11 --	178.80 43.35	1545.56 --	(-) 63.51 (-) 11.51	(-) 490.55 --	24.32 20.98

(वर्ष 2000–01 के योजना और गैर-योजना का अलग-अलग आँकड़ा अनुपलब्ध)

5-5-2 दृष्टि का एकलकु द्वारा दृष्टि का एकलकु

दृष्टि का एकलकु

बिहार वित्त नियमावली नियम 471 एवं 472 के अनुसार व्ययों का आंतरिक नियंत्रण के लिए निदेशक शिक्षा (प्राथमिक एवं जन शिक्षा) उत्तरदायी है। इसके अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी डी ओ) के लेखा अभिलेखों की आवधिक जाँच अपेक्षित है। यद्यपि, क्षेत्रीय कार्यालयों से मासिक व्यय विवरणी निदेशक को नहीं भेजा जाता था और न ही महालेखाकार के अभिलेखों से मिलान किया गया था। वार्षिक व्यय विवरणी क्षेत्रीय कार्यालयों से एक माह से आठ माह तक के विलम्ब से भेजा गया था।

5-5-3 ज्ञात दृष्टि का एकलकु

बिहार कोषागार संहिता भाग-I के नियम 86 के अनुसार सभी मौद्रिक लेनदेन जैसे ही हो रोकड़ बही में अंकित किया जाना चाहिए और कार्यालय प्रधान द्वारा जाँचोपरान्त अभिप्रामाणित किया जाना चाहिए।

दो जिला शिक्षा अधीक्षक² के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2003–04 के अन्तश्वेष 182.56 लाख रुपये का विस्तृत विवरण नहीं था। रोकड़ बही में मासिक अन्तश्वेष का विवरण अंकित नहीं था। परिणामस्वरूप अवधिवार और योजनावार अव्यवहृत अन्तश्वेष का विस्तृत विवरणी सुनिश्चित नहीं किया जा सका जिससे निधियों का अनधिकृत उद्देश्य के लिए विचलन एवं दुरुपयोग का बढ़ावा व्याप्त था।

कार्यालय प्रधान द्वारा रोकड़ बही का दैनिक सत्यापन, रोकड़ बही के दैनिक योग का सत्यापन ; प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ का भौतिक सत्यापन तथा रोकड़ का औचक सत्यापन नहीं किया गया था।

² सिवान : 79.82 लाख रुपये ; मुंगेर : 102.74 लाख रुपये

रोकड़ लेनदेन करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति बन्धपत्र जमा नहीं किया गया जो बिहार वित्त नियमावली नियम 435 के विरुद्ध था।

5-6 i ; b̄k̄ fu; ȏ.k

5-6-1 / Ei wkl / k{kjrk vfk̄ku vkf mūkj / k{kjrk dk; Øe dk
vdk; llo; u

j k"Vh; I k{kj rk
fe'ku fuf/k dk
mi ; kx ugh

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन एल एम) योजनान्तर्गत वर्ष 1991–2002 के दौरान पूर्ण साक्षरता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 11 जिलों में 44.87 लाख प्रशिक्षितों को प्राइमर III स्तर तक पूरा करने हेतु निर्धारित किये गये थे।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यान्वयन पर वाह्य मूल्यांकन अभिकरणों के प्रतिवेदन से पता चला कि 11 जिलों³ के लिए स्वीकृत राशि 34.36 करोड़ रुपये में से सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए 19.60 करोड़ रुपये (57 प्रतिशत) व्यय किये गये थे, किन्तु उन जिलों में मात्र 27 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त किया गया।

नौ जिलों⁴ में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम (टी एल सी / पी एल पी) के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996–2003 के दौरान 10.87 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये राशि में से, सितम्बर 2004 तक 8.13 करोड़ रुपये अव्यवहृत पड़ी रही। कार्यक्रम के अकार्यान्वयन के कारण लक्षित प्रशिक्षितों के सर्वेक्षण पर किया गया व्यय 2.74 करोड़ रुपये निष्फल हुआ ½ fj f' k"V&XXXIV½A प्रेरकों के बीच स्वप्रेरणा का अभाव अत्य उपलब्धि का मुख्य कारण था। कम व्यय से कार्यक्रम का आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण का अभाव परिलक्षित थे।

v//; ; u / kexhi vki frz ugha fd; k tkuk

नालन्दा जिला में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा गारंटी योजना के तहत पंचायतों को वर्ष 2003–04 के दौरान शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु 36.34 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये जिसमें से 13.69 लाख रुपये शिक्षण सामग्रियों के खरीद के लिये थे। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि शिक्षण सामग्रियों की खरीद नहीं की गई थी। तथापि, शिक्षकों के मानदेय हेतु 22.75 लाख रुपये भुगतान किये गये। लेकिन शिक्षण सामग्रियों के वितरण किये बिना अभिप्रेत उद्देश्य अप्राप्त था और उस हद तक व्यय निष्प्रभावी था। यह योजनाओं के प्रबंधन में आंतरिक समन्वय के अभाव का एक स्पष्ट मामला था।

5-6-2 fu/kfj r fu; ȏ.ks dks ikyu ugha djuk

e?; kḡtu Hkkst u
v̄lrxr fo | kfFk;k̄ ka
dh | ȏ; k c<kdj
fuf/k dk nfofu; kx

डी एस झ, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि विद्यार्थियों की वास्तविक नामांकन से अधिक वैसे विद्यार्थियों की संख्या थी जिसे मध्याह्न भोजन दिया गया, जिससे कि 2.62 लाख रुपये का दुर्विनियोजन (3.90 रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष x 672) हुआ। इससे बचा जा सकता था यदि मध्याह्न भोजन योजना का नियमित रूप से जिला समाहर्ता, जिला शिक्षा

³ मध्येपुरा, सहरसा, बेगूसराय, जहानाबाद, खगड़िया, दरभगा, सुपौल, मुंगेर, औरंगाबाद, सिवान, शिवहर

⁴ सिवान, औरंगाबाद, सारण, समस्तीपुर, नवादा, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, कैम्पुर और सुपौल

पदाधिकारी, डी एस ई और प्रखण्ड पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षित होता जैसा कि योजना में वांकित था।

fo ky; dk uke	d़y ukekdu	fo kfFk; k़ dh i frofnr f; k	vkf/kD;
राजकीय मध्य विद्यालय, शेखौना, वनकटवा प्रखण्ड	380	680	300
मध्य विद्यालय, वीजवनी, वनकटवा प्रखण्ड	386	758	372
; kx	766	1438	672

बिहार वित्त नियमावली के नियम 132 के अनुसार सभी खरीदी गई सामग्रियों का भंडार पंजी में दर्ज करना और नियम 143 तथा 144 के अनुसार भंडार का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। नमूना जाँच में पाया गया कि जिला साक्षरता समिति, पटना और बाँका में भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

जाँच के दौरान पाया गया कि नौ जिला साक्षरता समिति, एक डी एस ई और एक डी एम इओ कार्यालय में 3.73 लाख रुपये की खरीदी गई सामग्रियाँ लेखापित नहीं थी। इस प्रकार 3.73 लाख रुपये की भंडार सामग्रियों का दुर्विनियोजन हुआ।

5-6-3 vuψo.k r= dh foQyrk

foHkkxh;
i nkf/kdkfj ; k़ }kj k
: Xu fujh{k.k

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अप्रैल 1981 और मई 1995 के आदेशानुसार पर्यवेक्षी पदाधिकारियों द्वारा प्राथमिक और मध्य विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना था। निरीक्षण के लिए निर्धारित मानदण्डों⁵ के अनुसार क्षेत्रिय उप निदेशक (आर डी डी) को अपने क्षेत्राधिकार के प्रत्येक जिला के पाँच विद्यालयों और डी एस ई को अपने जिला के 20 विद्यालयों का मासिक निरीक्षण किया जाना चाहिए था। उनके निरीक्षण के एक सप्ताह के अन्दर निदेशक (शिक्षा) को निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करना था। नमूना जाँच में ज्ञात हुआ कि आर डी डी (शिक्षा), पटना द्वारा निर्धारित वार्षिक 360⁶ विद्यालयों के निरीक्षण के विरुद्ध वर्ष 1999–2004 के दौरान 0 से 12 विद्यालय ही प्रतिवर्ष निरीक्षित थे। इसी प्रकार डी एस ई, बेतिया द्वारा निर्धारित 240 निरीक्षण प्रतिवर्ष के विरुद्ध वर्ष 1999–2004 के अवधि में प्रतिवर्ष 0 से 35 विद्यालय ही निरीक्षित थे।

विभिन्न स्तरों पर सही निरीक्षणों के अभाव के कारण विभिन्न योजनाओं और कार्यकलापों का समुचित कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

⁵ बिहार सरकार के सचिव का पत्रांक 9/3-122/95 दिनांक 23.05.95

⁶ (6 जिलों x 5 विद्यालय x 12 महीना = 360) आर डी डी, पटना के क्षेत्राधिकार में 6 जिले थे।

5-7 *vkrfjd ys[lkijh{k dk cn'klu*

राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा कोषांग को मिलाकर वित्त विभाग के नियंत्रण में एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन (1953) किया। मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा शीर्षित आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा सचिव सह आयुक्त, वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। विभाग में अलग से आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं था।

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 1999–2004 अवधि में प्राथमिक शिक्षा विभाग के 1 से लेकर 18 लेखापरीक्षा इकाइयों का प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा किया गया जो सम्पूर्ण लेखापरीक्षित इकाइयों (9835) का 0.18 प्रतिशत था। अतः आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तार काफी अपर्याप्त था।

*vki f{lk; k; ds fu"i knu
gr{ vvu j.k e; deh*

विगत पाँच वर्षों में वित्त अंकेक्षण विभाग ने शिक्षा विभाग के 9835 वार्षिक लेखापरीक्षित इकाइयों के विरुद्ध 338 अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये थे। अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्ज आपत्तियों के अनुपालन में विभाग विफल रहा। फलतः सितम्बर 2004 तक कोई कंडिका निष्पादित नहीं था। मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग (फरवरी 2005) ने इस आँकड़े को स्वीकार किया तथा जवाब में बताया कि कंडिकाओं के निष्पादन के लिए प्रयासों में सफलता नहीं मिली है।

विगत पाँच वर्षों में आंतरिक लेखापरीक्षा अवलोकन की प्रकृति निम्नवत थी :—

<i>o"kl</i>	<i>dky fux{k vkbz v{kj dh l {k; k</i>	<i>xcu@ nfofu; kx jkf'k</i>	<i>oi y{h ; kx; jkf'k</i>	<i>cdk; k</i>	<i>vki f{lk vUrx{k jkf'k</i>	<i>gkf{u y{kLo{k</i>	<i>yfc{r vfx{e</i>	<i>; kx</i>
<i>##i; sy{k{k e{k</i>								
1999–00	39	0.38	22.50	7.59	458.40	0.09	15.94	504.90
2000–01	17	0.91	39.95	—	54.72	7.41	25.91	128.90
2001–02	148	4.21	86.08	0.23	653.52	92.44	183.39	1019.87
2002–03	65	17.30	167.33	0.30	319.78	2.32	243.49	750.52
2003–04	69	3.69	265.00	1.89	10849.89	2.75	212.28	11335.50
<i>; kx</i>	338	26.49	580.86	10.01	12336.30	105.01	681.02	13739.69

सचिव, वित्त विभाग के निदेशानुसार 500 रुपये से अधिक सरकारी धन का गबन/दुर्विनियोजन के मामले प्रभारी मंत्री को प्रतिवेदित किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया था।

5-8 *fu"d"kl*

विभाग में आंतरिक नियंत्रण यथा बजट नियंत्रण, व्यय नियंत्रण और पर्यवेक्षी नियंत्रण अपर्याप्त और अप्रभावी था, परिणामस्वरूप निधियों का अभ्यर्पण, आधिक्य व्यय हुआ और कार्यक्रमों के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तार अपर्याप्त था और लेखापरीक्षा अवलोकनों का अनुपालन भी दयनीय था।

vudkd k

- बजट अनुमान वास्तविकता के आधार पर बनाया जाना चाहिए।
- क्षेत्रिय संगठनों को नियमानुसार मासिक व्यय प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया जाना चाहिए।
- क्षेत्रिय उपनिदेशक शिक्षा और विभाग के अन्य पदाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से यथा अपेक्षित विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तार बढ़ाना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के अवलोकनों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। गबन/दुर्विनियोजन के मामलों की शीघ्र जाँच होनी चाहिए।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जनवरी 2004) ; उनके द्वारा प्राप्त उत्तर (फरवरी 2005) जहाँ आवश्यक है, शामिल कर लिया गया है।

i Vuk

*%oOe pln%
ç/kku egkys[kkdkj %y[ki j h{kk%*

çfrgLrk{kfj r

ubz fnYyh

*%ot; ñæ ukFk dkSy%
Hkkj r ds fu; &d&egkys[kki j h{kd*

i fj f' k"V&I

॥ nHK% dMdk 1-3 (i "B % 3&4॥

fcgkj I jdkj dh foUkh; fLFkfr dk I kj

kdjkM+ #i ; se

31 ekpl 2003 dks	nkf; Uo		31 ekpl 2004 rd
12471.62	vkrfjd __.k		16298.48
7083.31	व्याज सन्निहित बाजार ऋण	8901.09	
2.15	व्याज रहित बाजार ऋण	4.34	
13.78	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	13.67	
5372.38	अन्य संस्थानों आदि से ऋण	7379.38	
930.28	अर्थोपाय पेशगियाँ रिजर्व बैंक के पास जमा में कमी		747.99
11665.58	dJnI I jdkj I s __.k , oa i's kfx; k 	□	10105.59
529.29	1984-85 के पूर्व के ऋण	469.61	
2926.21	गैर-योजना ऋण	936.15	
8140.85	राज्य योजना कार्यक्रम हेतु ऋण	8631.38	
11.43	केन्द्रीय योजना कार्यक्रम हेतु ऋण	10.57	
14.74	केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम हेतु ऋण	14.92	
42.96	अर्थोपाय पेशगियाँ	42.96	
350.00	vkdfLekrk fuf/k		350.00
7879.24	y?kqcpri Hkfo"; fuf/k vkn		7997.21
2773.10	tek		2592.07
459.88	vkjf{kr fuf/k		459.88
-	çsk.k vr'ksk		-
-	mplUr , oa fofok vr'ksk		-
36529.70	; kx		38551.22
31 ekpl 2003 dks	i fj I a fUk; k 		31 ekpl 2004 rd
14330.98	I dy foUkh; i fj0; ;		15880.15
694.34	कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	700.01	
13636.64	अन्य पैंजीगत परिव्यय	15180.14	
8205.21	__.k , oa i's kfx; k 		10763.68
6138.58	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	8630.26	
1993.98	अन्य विकास ऋण	2066.59	
72.65	सरकारी सेवकों आदि को ऋण	66.83	
94.03	i's kfx; k 	□	145.84
1662.61	çsk.k vr'ksk		1649.15
864.13	mplUr , oa fofok vr'ksk		-888.37
1023.14	jkdM+		395.91
	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
75.26	विभागीय अंतशेष	91.70	
0.18	स्थायी रोकड़ अग्रदाय	0.18	
947.70	रोकड़ शेष का निवेश तथा अन्य आरक्षित निधि का निवेश	304.03	
	रिजर्व बैंक के पास जमा		
10349.60	I jdkjh ysks e1?kkV		10604.86
1286.71	(i) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	255.26	
9062.89	पूर्व वर्ष तक संचित घाटा विविध सरकारी लेखे	10349.60	
36529.70	; kx		38551.22

i f j f' k" V&II

*॥ nHk% dMdk 1-4 (i "B % 4&5%
o"kl 2003&04 dh ckflr; k, , oI forj.k dk I kj*

%djkM+ #i ; se

ckflr; k,			I forj.k						
2002-03		2003-2004	2002-03			xj&; kstuk	kstuk	2003-04	
	[km v % jktLo								
10968.42	I. jktLo ckflr; k,	12455.56	12255.13	I. jktLo 0;		11627.29	1083.54	12710.83	
2761.05	कर राजस्व	2889.69		I keklu; I ok, i		7151.13	24.33	7175.46	
260.82	करेतर राजस्व	320.38		I kekftd I ok, i		3367.15	666.28	4033.43	
6549.23	संधीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	7627.87		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति		2615.42	206.34	2821.76	
290.32	गैर योजना अनुदान	1617.62		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		331.11	203.14	534.25	
670.05	राज्य योजनागत योजना हेतु अनुदान			जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास		161.04	39.45	200.49	
436.95	केंद्रीय योजना एवं केन्द्र प्रयोजित योजनागत एवं योजना हेतु अनुदान			सूचना एवं प्रसारण		11.07	0.04	11.11	
			83.29	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित [*] जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण		65.01	16.72	81.73	
			72.36	श्रम एवं श्रम कल्याण		31.67	51.95	83.62	
			265.46	समाज कल्याण एवं पोषण		142.37	148.64	291.01	
			7.81	अन्य		9.46	--	9.46	
			1763.46	Vkfld I ok, i		1105.25	392.93	1498.18	
			249.29	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप		211.29	37.37	248.66	
			789.23	ग्रामीण विकास		334.55	289.68	624.23	
			356.74	कृषि एवं बाढ़ नियंत्रण		283.92	35.17	319.09	
			36.6	ऊर्जा		--	1.15	1.15	
			64.82	उद्योग एवं खनिज		19.63	11.87	31.50	
			194.08	परिवहन		203.90	0.71	204.61	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		--	--	-	
				सामान्य आर्थिक सेवाएँ		51.96	16.98	68.94	
			1.82	I gk; rkunku, oI vdknku		3.76	--	3.76	
1286.71	II- [km c eys tk, x, jktLo ?kVs	255.27*							
12255.13	; kx [km v	12710.83	12255.13					12710.83	
	[km c & vi;								
- 344.35	III Lfkk; h vfxekl rFkk j kdm+ 'k' fuos k dks 'k'fey djrs gq vkjflkd j kdm+ 'k'k	92.85	969.74	II. i pthxr i fj0;		56.30	1492.87	1549.17	
			80.92	I keklu; I ok, i		21.60	0.63	22.23	
			142.12	I kekftd I ok, i		34.70	128.74	163.44	
			46.69	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति		--	54.16	54.16	
			18.34	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		--	4.78	4.78	
			75.02	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास		34.70	41.04	75.74	
			2.07	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित [*] जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण		--	28.76	28.76	
				सामाजिक कल्याण एवं पोषण		--	--	-	
				अन्य		--	--	-	
			746.70	Vkfld I ok, i				1363.50	
			5.67	कृषि एवं तत्संबंधी कार्यकलाप		--	5.67	5.67	
			337.32	ग्रामीण विकास		--	470.74	470.74	
			309.88	कृषि एवं बाढ़ नियंत्रण		--	521.36	521.36	
			-	ऊर्जा		--	300.40	300.40	
			2.86	उद्योग एवं खनिज		--	1.80	1.80	
			90.97	परिवहन		--	61.53	61.53	
			नगण्य	सामान्य आर्थिक सेवाएँ		--	2.00	2.00	

* पूर्णांकित करने के कारण वृद्धि

çkflr; k̤			संवितरण				
2001-02		2002-03	2001-02		2002-03		
15.58	IV. i᳚ kfx; k᳚ dh ol w̤h ऊर्जा परियोजनाओं से		10.45	747.19	III. i᳚ .k , oa i᳚ kfx; k᳚ dk forj.k ऊर्जा परियोजनाओं हेतु		2568.92
8.70	सरकारी सेवकों से	7.77			सरकारी सेवकों को	1.94	
6.88	अन्य से	2.68			अन्य को	75.30	
			1286.71		IV. jkt Lo ?kkVs ea ykbz xbl deh		255.27
4189.80	V. ykdl __.k ckflr; k̤	5068.51	1526.35		V. ykdl __.k dk i᳚ kkxrku आंतरिक ऋण, अर्थोपाय पेशगियाँ एवं औवरड्रापटों के अलावा		2801.64
2934.64	आंतरिक ऋण, अर्थोपाय पेशगियाँ एवं औवरड्रापटों के अलावा	4248.80			आर्थोपाय पेशगियाँ एवं औवरड्रापटों के तहत कुल लेन-देन	-	
	अर्थोपाय पेशगियाँ एवं औवरड्रापटों के तहत कुल लेन-देन				केन्द्र सरकार को ऋण एवं पेशगियाँ का भुगतान	2379.70	
1255.16	केन्द्र सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ	819.71					
5584.15	VI. ykdl ys[kk ckflr; k̤		7440.06	4822.34	VI. ykdl ys[kk forj.k लधु बचतें, भविष्य निधि आदि		5788.95
963.20	लधु बचतें, भविष्य निधि आदि	986.74			लधु बचतें, भविष्य निधि आदि	868.76	
144.13	आरक्षित निधि	-			आरक्षित निधि	-	
3026.90	जमा एवं पेशगियाँ	3153.80			जमा एवं पेशगियाँ	3386.63	
333.26	उचन्त एवं विविध	2079.64			उचन्त एवं विविध	327.14	
1116.66	प्रेषण	1219.88			प्रेषण	1206.42	
			92.85		VII. jkdlM+vr'ksk कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		-352.08
					रिजर्व बैंक में जमा	.747.99	
					विभागीय रोकड़ शेष जिसमें स्थानीय अग्रिम शामिल हैं	91.88	
					रोकड़ अंतशेष निवेश	304.03	
5584.15	; kx & [kk ^C*		12611.87		; kx		12611.87

I f j f' k" V & III

*॥ nHk% dMdk 1-4 (i "B % 4&5%
fuf/k dk l ks , oa mi ; ks*

%djkM+ #i ; se

2002-2003	2001-2002	I ks	2003-2004
10968.42		jktLo ckflr; k;	12455.56
15.58		_k , oa i s kfx; k dh ol myh	10.45
2663.45		ykd _k e of)	2266.87
761.81		ykd ys[kk l s fuoy ckflr; k;	1651.11
	195.07	लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि में वृद्धि	117.98
	494.87	जमा एवं पेशागियों में वृद्धि	- 232.83
	12.35	आरक्षित निधियों में वृद्धि	-
	101.81	उचन्त एवं विविध लेनदेनों का निवल प्रभाव	1752.50
	- 42.29	प्रेषण लेनदेनों का निवल प्रभाव	13.46
		रोकड़ शेष में कमी	444.93
14409.26		dy	16828.92
2002-2003		mi ; ks	2003-2004
12255.13		jktLo 0; ;	12710.83
747.19		fodkl , oa vU; m i s ; ks ds fy, m/kkj nuk	2568.92
969.74		i pthxr 0; ;	1549.17
437.20		j kdm+ 'k'k e of)	-
14409.26		; ks	16828.92

fooj. kh I] II , oaIII ds fy, 0; k[; kRed fVIif.k; k;

दी जा रही विवरणियों में संक्षिप्त लेखा वित्त लेखे की टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़ी जानी है।

सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होने के कारण सरकारी खाते का घाटा जैसा कि प्रदर्श—I में दर्शाया गया है, रोकड़ आधार पर स्थिति बताता है जो कि बढ़ोत्तरी आधारित वाणिज्यिक लेखाकरण के विपरीत है। परिणामस्वरूप भुगतेय या प्राप्त मद अथवा मूल्य द्वास अथवा भंडार आँकड़ों में विविधता इत्यादि वाले मद लेखे में अंकित नहीं होते हैं।

प्रेषण, उचन्त एवं विविध शेषों में निर्गत किन्तु भुगतान न किए गए चेक, अच्य राज्य की ओर से किये गए भुगतान तथा अन्य लम्बित लेन-देनों का निपटारा आदि सम्मिलित है।

बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 (वर्ष 2000 का सं. 30) के तहत निर्धारित तिथि (15 नवम्बर 2000) के ठीक पहले संयुक्त बिहार राज्य के परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का बँटवारा तथा अन्य वित्तीय समायोजन अभी तक मात्र लोक ऋण एवं रोकड़ शेष के सम्बन्ध में किया गया है।

लेखा में दर्शाए गए आँकड़ों तथा आर. बी. आई. द्वारा सूचित 'रिजर्व बैंक के साथ जमा' शीर्ष के तहत आँकड़ों में 37.75 करोड़ रुपये (नामे) का अंतर था।

i fj f' k"V&IV

1/ nHk% dMdk 1-4] i "B 4&5%

jkt; I jdkj ds foÙk ds dkyc) vkdMs

1/ djkM+#i; se

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
[k. M v % ckflr; k]					
1- jktLo ckflr; k	10659	11177	9839	10968	12456
1/2 dj jktLo	3085(29)	2809(25)	2319(24)	2761(25)	2890(23)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2068(67)	1821(65)	1413(61)	1648(60)	1637(57)
राज्य उत्पाद	278(9)	243(9)	239(10)	242(9)	240(8)
वाहन पर कर	178(6)	224(8)	142(6)	178(6)	209(7)
मुद्रांक एवं निबंधक शुल्क	326(11)	302(11)	304(13)	348(13)	418(14)
भू-राजस्व	29(1)	34(1)	34(2)	36(1)	34(1)
अन्य कर	206(7)	185(7)	187(8)	309(11)	352(13)
1/2 djlkj jktLo	1166(11)	712(6)	287(3)	261(2)	320(3)
1/ii/ l kh; djk, oa'k vdk e s jkt; kd k	4962(46)	6576(59)	6177(63)	6549(60)	7628(61)
1/v/ Hkkjr l jdkj ls vupku	1446(14)	1080(10)	1057(11)	1397(13)	1618(13)
2- fofo/k i thxr ikflr; k	-	-	-	-	-
3- dly jktLo ,oa x &_.k i thxr ckflr; k/ \$2 1/2	10659	11177	9839	10968	12456
4- .k ,oa i s kfx; kd dh ol lyh	12	11	13	16	10
5- ykdl __.k ckflr; k	3473	3528	3758	4190	5069
आतंरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	427	2045	2681	2935	4249
अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्टों के तहत निवल लेनदेन	-	237	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ ¹	3046	1246	1077	1255	820
6- l fpr fuf/k e s dly ckflr; k 1/3\$4\$5 1/2	14144	14716	13619	15174	17535
7- vkdflLedrk fuf/k ckflr; k	3	-	-	-	-
8- ykdl y s ckflr; k	31087	10462	7719	5584	7440
9- jkt; dh dly ckflr; k 1/6\$7\$8 1/2	45234	25178	21329	20758	24975
[k. M ^c* & 0; ;					
10- jktLo 0; ;	14362(86)	13507(89)	11159(90)	12255(88)	12711
योजना	1541(11)	839(6)	867(8)	1354(11)	1084
गैर-योजना	12821(89)	12668(94)	10292(92)	10901(89)	11627
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	6505(45)	6983(52)	6323(57)	6574(54)	7176
आर्थिक सेवाएँ	2326(16)	1713(13)	1302(12)	1763(14)	1498
सामाजिक सेवाएँ	5483(38)	4809(35)	3532(31)	3916(32)	4033
सहायता अनुदान एवं अंशदान	48.06	1.96	1.82	1.82	4
11- i thxr 0; ;	1233	1076	742	970	1549
योजना	1233(100)	1076(100)	742(100)	970(100)	1493
गैर-योजना	Negligible	Neg.	Neg.	Negligible	56
सामान्य सेवाएँ	11(1)	9(1)	19(2)	81(8)	22
आर्थिक सेवाएँ	1125(91)	983(91)	680(92)	747(77)	1364
सामाजिक सेवाएँ	97(8)	84(8)	43(6)	142(15)	163
12- .k ,oa i s kfx; kd dk l forj.k	1072	680	534	747	2569
13- dly 1/10\$11\$12 1/2	16667	15263	12435	13972	16829
14- ykdl __.k dk i thxrku	799	807	624	1526	2802

¹ भारत सरकार से प्राप्त अर्थोपाय पेशगियाँ को शामिल करना है।

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियों एवं ओवरड्राफ्टों को छोड़कर)	240	71	96	145	422
अर्थोपाय पेशगियों एवं ओवरड्राफ्टों के तहत निवल लेन-देन	-	186	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ	559	550	528	1381	2380
15- v k d f L e d r k f u f / k l s f o f u ; k s t u	-	-	-	-	-
16- I f p r f u f / k l s d l y l f o r j . k 1/13\$14\$15½	17466	16070	13059	15498	19631
17- v k d f L e d r k f u f / k l f o r j . k	-	-	-	-	-
18- y k d y s [k k l f o r j . k	27533	8966	8060	4822	5789
19- j k T ; l j d k j } k j k d l y l f o r j . k 1/16\$17\$18½	44999	25036	21119	20320	25420
<i>[k] M & I % ? k V k</i>					
20- j k t L o ? k k V k 1/1&10½	3703	2330	1320	1287	255
21- j k t d k s k h ; ? k k V k 1/3\$4&13½	5996	4075	2583	2988	4363
22- c k j f l k d ? k k V k 1/8%@ v k f / k D ; 1/\$½ 1/21&23½	3129	933	(-) 46	(-) 34	1020
<i>[k] M & I % v l l ; v k d M</i>					
23- C ; k t H k p r k u 1/ j k t L o 0 ; e s ' k k f e y ½	2867	3142	2629	3022	3343
24- j k t L o v R ; f / k d c d k ; k 1/ d k s ' B d e s d j , o a d j l k j j k t L o c k f l r ; k a d k ç f r ' k r ½	2211 (52)	1012 (29)	2629 (47)	3022 (86.91)	N.A.
25- L F k k u h ; f u d k ; k a d k s f o û k h ; l g k ; r k	705	634	1237	NA	N.A.
26- m i ; k f x r v F k k l k ; i s k f x ; k @ v k o j M k l l V 1/f n u l ½	117	188	229	1	44
27- v F k k l k ; i s k f x ; k @ v k o j M k l l V i j C ; k t	NIL	12	12	Negligible	5
28- l d y j k T ; ? k j s y w m R i k n 1/ t h - , l - M h - i h - ½	72083	49383	50987	56688	*59862
29- j k t d k s k h ; n k f ; U o 1/0" k k l ½	30612	28444	31883	35249	37453
30- C ; k t l f g r y f c r i R ; k h k f r 1/0" k k l ½	172				
31- x k j 1/ h n h x ; h v f / k d r e j k f ' k 1/0" k k l ½	NA	NA	NA	NA	N.A.
32- v i w k l i f j ; k s t u k v k s d h l a ; k	23	23	22	22	22
33- v i w k l i f j ; k s t u k v k s e s v o :) i p t h	136	116	30	NIL	N.A.

टिप्पणी : कोष्ठक में अंक प्रत्येक उपशीर्ष के योग के प्रतिशत (पूर्ण अंक में) दर्शाते हैं।

* बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त अग्रिम अनुमानित आँकड़े।

i f'f' k"V&V

% dMdk 1-4 (i "B % 4&5%

v;/; k; &I e; c; Dr 'kCnkoyh rFkk muds x.kuk dk vk/kkj

'kCnkoyh	x.kuk dk vk/kkj
पैरामीटर की उत्पलावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
पैरामीटर (Y) की तुलना में पैरामीटर (X) की उत्पलावकता	पैरामीटर (X) की वृद्धि दर पैरामीटर (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (वृ. द.)	[(चालू वर्ष की राशि / पूर्व वर्ष की राशि) - 1] * 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ
भारित ब्याज दर (राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज)	ब्याज भुगतान / [(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्वों की राशि + चालू वर्ष का राजकोषीय दायित्व) / 2] * 100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि - भारित ब्याज दरें
दिए गए ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आर्भ शेष + ऋण एवं पेशगियों का अंतशेष / 2] * 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं पेशगियाँ - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियों में से सभी योजना अनुदान तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाकर जिसमें 2048-ऋण परिहार्य अथवा विनियोग को कमी के अंतर्गत उधार सम्मिलित नहीं है।

i f j f' k" V & VI

14 अप्रैल 2004 दिन का विवरण (1-7-2) / 14 अप्रैल 2004 का विवरण

ekpl 2004 rd Hkxrku fd, x, l gk; rk vupku ftuds mi ; kfxrk i ek.k i = fl rcj
2004 rd vcklr Fks

14-11-2000 rd 1 a Pr fcglj

Øe l a	fokkkx	o"kl ft l ds fy, vupku Hkxrku fd, x,	cdk; s mi ; kfxrk i ek.k i =	iklr mi ; kfxrk çek.k i =	mi ; kfxrk i ek.k i = çrhf{kr			
			l a; k	j kf' k	l a; k	j kf' k	l a; k	j kf' k

14-11-2000 rd 1 a भा fcglj

1.	पशुपालन	2000-2002 तक	511	1533.53	शून्य	शून्य	511	1533.53
2.	कृषि	2000-2002 तक	167	4811.84	शून्य	शून्य	167	4811.84
3.	सहकारिता	2000-2002 तक	471	7149.69	शून्य	शून्य	471	7149.69
4.	शिक्षा	2000-2002 तक	56	4214.91	शून्य	शून्य	56	4214.91
5.	आरक्षी	2000-2002 तक	6	559.94	शून्य	शून्य	6	559.94
6.	लोक कार्य	2000-2002 तक	555	512.12	शून्य	शून्य	555	512.12
7.	कल्याण	2000-2002 तक	1615	2909.22	शून्य	शून्य	1615	2909.22
8.	चिकित्सा	2000-2002 तक	778	2233.09	शून्य	शून्य	778	2233.09
9.	नगर विकास	2000-2002 तक	6852	22915.76	शून्य	शून्य	6852	22915.76
10.	उद्योग	2000-2002 तक	2495	33639.88	शून्य	शून्य	2495	33639.88
11.	अन्य	2000-2002 तक	6684	30702.84	शून्य	शून्य	6684	33702.84
	; kx		20190	111182.82	' kll;	' kll;	20190	111182.82

15-11-2000 1 s folkkfr fcglj

1.	पशुपालन	2001-2002	5	187.75	शून्य	शून्य	5	187.75
		2003-04	2	71.47	शून्य	शून्य	2	71.47
2.	कृषि	2003-04	2	597.05	शून्य	शून्य	2	597.05
3.	शिक्षा	2001-2002	30	7808.03	शून्य	शून्य	30	7808.03
		2002-03	21	1164.30	15	461.07	6	703.23
4.	कल्याण	2001-2002	28	1135.34	शून्य	शून्य	28	1135.34
		2002-03	6	7736.71	6	7736.71	शून्य	शून्य
5.	सहकारिता	2001-2002	6	152.25	शून्य	शून्य	6	152.25
		2003-04	1	75.00	शून्य	शून्य	1	75.00

॥४॥ #i ; se॥

०े ।।	folkkx	o"lī ft l ds fy, vupku Hkxrku fd, x,	cak; smi ; kfxrk i ek.k i =	iklr mi ; kfxrk çek.k i =	mi ; kfxrk i ek.k i = çrhf{kr			
			।। ; k	j kf' k	।। ; k	j kf' k	।। ; k	j kf' k
6.	लोक कार्य	2003-04	37	233.00	7	41.69	30	191.31
7.	उद्योग	2001- 2002	37	980.74	शून्य	शून्य	37	980.74
		2002-03	19	891.83	शून्य	शून्य	19	891.83
8.	नगर विकास	2001- 2002	207	1909.35	2	100.50	205	1808.85
		2002-03	18	3100.64	6	1577.93	12	1522.71
		2003-04	18	7865.68	शून्य	शून्य	18	7865.68
9.	अन्य	2001- 2002	141	14088.70	शून्य	शून्य	141	14088.70
		2002-03	6	756.48	3	446.58	3	309.90
		2003-04	6	6212.29	3	126.55	3	6085.74
	; kx	14-11-2000 तक	20190	111182.82	-	-	20190	111182.282
		2001-02	454	26262.16	2	100.50	452	26161.66
		2002-03	70	13649.96	30	10222.29	40	3427.67
		2003-04	73	15393.11	12	207.24	61	15185.87
	cl y ; kx			166488.04		10530.03		155958.01

i f'f' k"V&VII

॥ nHk% dMdk 1-7-3 (i "B % 14॥

Lok; ūk'kkI h fudk; k }kj k jkT; fo/kkf; dk dks I k's x, ys[kkvka dh
oLrfLFkfr dk fooj.k

०e l a	fudk; dk uke	fu-e-ysi - dks I k's x, ys[kk ds ys[kk i jh{kk dh vof/k	o"kl tc rd ds ys[kk cdk, g	o"kl tcrd ds ys[kk cLrfd, x,	o"kl tcrd ys[kk ijh{kk çfronu tkjh fd, x, g	o"kl tc rd ys[kki jh{kk çfronu jkT; fo/kkf; dk dks I k's x,	ys[kki jh{kk çfronu vi wkrk ds dkj .k
1.	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	1994-2004	1994-95 से 1998-99	1993-94	1993-94	1993-94	
2.	बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	1987-88 से 2002-2003	1987-88 से 2002-03	1986-87	1986-87	1986-87	
3.	बिहार राज्य वैधिक सेवा प्राधिकार, पटना	2002-03	2002-03	2001-02	2001-02	2001-02	

i f j f' k"V&VIII

॥ nHk% dMdk 1-8-1 (i "B % 15-॥

vi wkl fl pkbz i fj ; kstukvks dh l ph tgkj ogr i ph vo:) Fkh

०e l a	i fj ; kstuk@ ; kstuk dk uke	0; ; ॥#i ; k a e॥	v ru
		2002&03 rd	2003&04
1	पश्चिमी कोशी नहर परियोजना	3,33,42,53,952	शून्य
2	पूर्वी कोशी परियोजना फेज-II	55,99,59,036	शून्य
3	गंडक परियोजना फेज-II	47,49,77,945	शून्य
4	समेकित जल निस्सरण परियोजना	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5	उत्तर कोयल परियोजना	3,64,84,27,186	शून्य
6	कोणार सिंचाई परियोजना	70,64,21,627	शून्य
7	औरंग जलाशय परियोजना	36,52,74,217	शून्य
8	कदवाँ जलाशय	30,40,000	शून्य
9	दुर्गावती जलाशय	52,05,61,397	शून्य
10	सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना	74,68,36,314	शून्य
11	राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	; kx ॥d॥	10,35,97,51,674	शून्य
1	नकटी जलाशय योजना	14,01,03,285	शून्य
2	ऊपरी शंख जलाशय	11,53,52,305	शून्य
3	राम रेखा जलाशय	2,95,83,886	शून्य
4	पमेश खेरा जलाशय योजना	अनुपलब्ध	शून्य
5	कंस जलाशय योजना	8,65,89,490	शून्य
6	सोनुआ जलाशय योजना	24,52,39,163	शून्य
7	भेरवा जलाशय योजना	7,40,57,882	शून्य
8	केसो जलाशय योजना	3,22,10,882	शून्य
9	धानसिंह टोली जलाशय योजना	14,82,53,933	शून्य
10	कतरी जलाशय योजना	33,35,73,432	शून्य
11	कामसजोर जलाशय योजना	17,34,77,499	शून्य
	; kx ॥[k॥	1,37,84,41,757	शून्य
	dy ; kx ॥d\$[k॥	11,73,81,93,431	शून्य
			11,73,81,93,431

i f'f' k"V&IX

% dMdk 1-8-4 (i "B % 15%

*fokkxh; i cf/kr okf.kfT; d@v) &okf.kfT; d mi Øe] ftllgkus LFkki uk dky
I s gh ckQkekL ys[kk r§ kj ugha fd; k g§*

Øe a	okf.kfT; d@v) okf.kfT; d mi Øekas ds uke	bdkbz dh a; k	mi Øekas ds LFkki uk dh frfFk
	i 'kj kyu , oa eRL; foHkkx		
1	केन्द्रीय पौल्ट्री फार्म, पटना	1	दिसम्बर 1948
2	क्षेत्रीय पौल्ट्री फार्म, भागलपुर	1	दिसम्बर 1959
3	क्षेत्रीय पौल्ट्री फार्म, मुजफ्फरपुर	1	अक्टूबर 1971
	m kx foHkkx		
4	आदर्श लौह कार्यशाला	5	1956-61
5	आदर्श काष्ठ कार्यशाला	8	1956-64
6	अधिप्राप्ति केन्द्र	7	--
7	शोरा—शोधक कारखाना, महेशी, पूर्वी चम्पारण	1	1953
	mRi kn , oa e fu"lk foHkkx		
8	अफीम भंडार की खरीद एवं बिक्री	1	--
9	अनाज गोला	1	1947-48
	; kx	26	

i f'f' k"V&X

॥ nHz % dMdk 1-8-4 (i "B % 15&16॥

*foHkkx }kj k i cf/kr okf.kfT; d@v) l okf.kfT; d mi Øe ftuds ckQkekL yslks
cdk; k g§*

Øe a	okf.kfT; d@v) b kf.kfT; d mi Øek ds uke	ckQkekL yslks ds cdk; s dh vof/k
	df"l foHkkx	
1	राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णियाँ	1977 के बाद (नवंबर से अक्टूबर)
	xg ½dkj k½ foHkkx	
2	विनिर्माण विभाग, केन्द्रीय कारा, भागलपुर	1981 से 2002 (जनवरी से दिसंबर)
3	विनिर्माण विभाग, केन्द्रीय कारा, बक्सर	1987 से 2002 (जनवरी से दिसंबर)

टिप्पणी : राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णियाँ बंद कर दिया गया है।

i f'f' k"V&XI

% dMdk 2-3-1 (i "B % 24%

fu; eu dh vi \$kk okys vlf/kD; vupku@fofu; kst u dh fooj .k h

%djkM- #i ; se

Øe ।	vupku@fofu; kst u dh ; k , o a uke	dly vupku@ fofu; kst u %y + ij d%	okLrfod 0; ;	vlkf/kD; jkf'k %fr'kr e%	et; dkj.k
	jktLo nürer vupku				
1.	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	16.05	16.49	0.44 (3)	सुचित नहीं किया गया (नवंबर 2004)
2.	15- पेंशन	2207.19	2267.19	59.99 (3)	सुचित नहीं किया गया (नवंबर 2004)
	i thxr nürer vupku				
3.	10- ऊर्जा विभाग	1382.30	2792.23	1409.93 (162)	सुचित नहीं किया गया (नवंबर 2004)
4.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2.90	3.45	0.55 (19)	सुचित नहीं किया गया (नवंबर 2004)
5.	लघु सिंचाई विभाग	95.58	175.22	79.64 (83)	सुचित नहीं किया गया (नवंबर 2004)
	dly i thxr vupku	3704.03	5254.59	1550.55	
	jktLo Hkkfjr fofu; kst u				
6.	15 पेंशन	0.00	1.63	1.63 (46595)	सुचित नहीं किया गया (नवंबर 2004)
7.	32 विधान मंडल	0.16	0.17	0.01 (7)	सुचित नहीं किया गया (नवंबर 2004)
8.	50 लघु सिंचाई विभाग	0.02	0.62	0.60 (2462)	सुचित नहीं किया गया (नवंबर 2004)
	i thxr Hkkfjr fofu; kst u				
9.	14 लोक ऋण का पुर्णागतान	3423.42	5652.97	2229.55 (65)	सुचित नहीं किया गया (नवंबर 2004)
	dly Hkkfjr fofu; kst u	3423.60	5655.39	2231.79	
	dly ; kx	7127.64	10909.98	3782.34	

i fj f' k"V&XII

% dflmk 2-3-2 (i "B % 24%

{k= ft| e: eq; cpr gpl

(रुपये लाख में)

Øe l a	vupku l a @foHkkx	y{k 'kh"kl eq; @mi @y?kq	eq; cpr Vi fr' kr%
1.	2.	3.	4.
	jktLo nÜker		
	i pthxr nÜker		
I	3 Hkou fuekZk , oa vkokI foHkkx	4059 ykdl dk; le i pthxr ifj0; ;	
1.		0002- लघु कार्य 80 - 051 - 0002	15.00 (100)
2.		0003- कारा सुधार परियोजना 80 - 051 - 0003	34.13 (100)
3.		0103- भवन निर्माण (कल्याण विभाग) 80 - 051 - 0103	27.15 (100)
4.		0104- केन्द्रीय/प्रमण्डलीय/उप कारा भवनों का जिर्णधार एवं निर्माण 80 - 051 - 0104	5.52 (100)
		6216 Hkou fuekZk __.k	
5.		0003- भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त बकाए ऋण का भुगतान 02 - 201 - 0003	10.89 (100)
	jktLo nÜker		
II	20 LokLFk;] fpfdRI k f'k{k , oa i fj okj dY; k.k foHkkx	2210 fpfdRI k , oa ykdl LokLFk;	
6.		0002- जिला चिकित्सा पदाधिकारी 01 - 001 - 0002	5.91
7.		0013- सदर अस्पताल 01 - 110 - 0013	5.31
8.		0002- अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 - 101 - 0002	20.90
9.		0003- स्वास्थ्य उप केन्द्र 03 - 101 - 0003	16.74
10.		0101- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 - 103 - 0101	28.52
11.		0801- एलोपैथी 03 - 110 - 0801	17.81
		2211 i fj okj dY; k.k	
12.		0602- स्वास्थ्य उप केन्द्र 00 - 101 - 0602	48.34
13.		0601- क्षतिपूर्ति 00 - 105 - 0601	5.73

Øe । a	vupku a @foHkkx	yſ[kk 'kh"kl eſ; @mi @y?kq	eſ; cpr Vi fr'krh
1.	2.	3.	4.
	jktLo nÜker		
III	22 xg foHkkx	2055 iſyl	
14.		0003- केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्य 00 - 001 - 0003	13.37
15.		0002- अनमाउन्टेड मिलिट्री पोलिस 00 - 104 - 0002	18.83
16.		0001- जिला कार्यकारी बल 00 - 109 - 0001	64.09
17.		0001- चौकीदार, दफादार का स्थापना 00 - 110 - 0001	26.59
18.		0001- पूलिस आधुनिकरण योजना के तहत केन्द्र सरकार से समान राशि 00 - 115 - 0001	7.85
		2070 vU; iſkI fud ſk	
19.		0001- xg jſkk xkeh.k 00 - 107 - 0001	7.21
	iſthxr nÜker		
	22 xg foHkkx		
		4055 iſyl ij iſthxr ifj0;	
20		0001 पूलिस आधुनिकरण योजना के तहत केन्द्र सरकार से समान राशि (गैर योजना) 00-207-0001	100.00 (100)
IV	36 ykd LokLF; , oa vſlk; ſ. k foHkkx	4215 tysi frl , oa LoPNrk gſw iſthxr ifj0;	
21.		0602- केन्द्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 01 - 102 - 0602	67.64
22.		0603- त्वारित शहरी जलापूर्ति योजना 01 - 102 - 0603	10.00 (100)
23.		0101- ग्रामीण पाइप जलापूर्ति सामान्य 01 - 102 - 0101	8.53
24.		0103- ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना 01 - 102 - 0103	10.34
25.		0105- प्रधानमंत्री ग्रामीण उत्थान योजना। पुराने नलकुपों के बदले नये नलकुपों निर्माण (क) सामान्य 01 - 102 - 0105	6.84
26.		0106- प्राथमिक / माध्यमिक स्कूल में प्रधानमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति उत्थान योजना 01 - 102 - 0106	5.59
27.		0107- प्रधानमंत्री ग्रामीण उत्थान योजना— निर्माणान्तर्गत ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना 01 - 102 - 0107	16.00 (100)
28.		0602- केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण सफाई कार्यक्रम 02 - 106 - 0602	10.00 (100)

Øe I a	vupku l a @foHkkx	yſ[kk 'kh"kl eſ; @mi @y?kq	eſ; cpr Vi fr'kr%
1.	2.	3.	4.
	jktLo nük̥er		
V	42 xkeh.k fodkl foHkkx	2501 xkeh.k mRFkku ds fy, fo' kſk dk; bde	
29.		0102 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 01 - 800 - 0102	11.83
		2505 xkeh.k jkſt xkj	
30.		0107 इंदिरा आवास योजना 01 - 702 - 0107	49.39
31.		0110 सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना 01-702-0110	58.40
32.		2515- vſ; xkeh.k fodkl dk; bde 0003- जिला पंचायत स्थापना 00 - 001 - 0003	19.26
33.		0701 पंचायती राज संस्थान को अनुदान 00 - 001 - 0701	108.97
34.		0101 लघु निर्माण कार्य के लिए पोस्ट स्टेज प्रखंड मैनेज 00 - 102 - 0101	5.50
35.		0004 अधीक्षण अभियंता(आर.ई.ओ.) 00 - 800 – 0004	9.81
	iſthxr nük̥er		
		4515 vſ; xkeh.k fodkl dk; bde i j iſthxr iſj0; ;	
36.		0101 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 00 - 103 - 0101	68.51
37.		0109 विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों के अनुमोदन पर योजनाओं का कार्यान्वयन 00 - 103 - 0109	53.28
	jktLo nük̥er		
VI	44 ek/; fed] i kFfed , oa 0; Ld f'k{kk foHkkx	2202 l kekU; f'k{kk	
38.		0001 राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल 01 - 101 - 0001	490.71
39.		0801 राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल 01 - 102 - 0801	9.78
40.		0102 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत रोजगारोनुस्खी योजना 01 - 800 - 0002	35.16
41.		0111 सर्व शिक्षा अभियान 01 - 800 - 0111	13.82
42.		0001 अन्य स्कूल 02 - 109 - 0001	122.71
43.		0102 व्यस्क शिक्षा 04 - 800 - 0102	8.98

०१ । ॥	vupku a @foHkkx 1. i thxr nÜker	y kk 'kh"kl e ; @mi @y?kq 2. 49 ty dkk/ku foHkkx 3. 4701 ogr vkg e; fl pkbl ij i thxr ifj0;	e ; cpr i fr'kr%
VII			
44.		0117 दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी) 04 - 800 - 0117	188.10 (100)
45.		0118 उत्तर बिहार सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी) 04 - 800 - 0118	15.52
46.		0120 उत्तर बिहार सिंचाई परियोजना (नाबार्ड प्रायोजित परियोजना) 04 - 800 - 0120	25.00 (100)
47.		0121- दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना (नाबार्ड प्रायोजित परियोजना) 04-800-0121	65.00 (100)
48.		0126- राष्ट्रीय समेकित विकास कार्यक्रम (आतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) 80 - 800 - 0126	9.39
		4711 ck< fu; f.k ifj; kstukvk ij i thxr ifj0;	
49.		0108- गंगा नदी पर प्रतिक्षरण कार्य 01 - 001 - 0108	6.49
50.		0111- बाढ़ नियंत्रण तटबंध सड.क योजना (नाबार्ड प्रायोजित परियोजना) 01 - 001 - 0111	20.00 (100)
51.		0112- झेनेज परियोजना कार्य (नाबार्ड प्रायोजित परियोजना) 01 - 001 - 0112	15.00 (100)
52.		0601- चंपारण तटबंध के सुदृढीकरण एवं विस्तार योजना 01 - 800 - 0601	6.17 (100)
53.		0603- प्रतिक्षरण कार्य गंगा नदी को छोड़. कर (नेपाल भाग में कोसी नदी) (100% केन्द्रीय सहायता) 01 - 800 - 0603	5.00 (100)
54.		0604- कमला नदी का विस्तार (भारतीय अंश एवं सुदृढीकरण) (100% केन्द्रीय हिस्सा) 01 - 800 - 0604	10.00 (100)
55.		0606- उत्तर बिहार बाढ़. नियंत्रण परियोजना 01 - 800 - 0606	10.00 (100)
56.		0609- बागमती नदी के तटबंध का विस्तार एवं सुदृढीकरण 01 - 800 - 0609	15.00 (100)
57.		0610- गंगा नदी पर प्रतिक्षरण कार्य 01 - 800 - 0610	5.77 (100)
58.		0612- खांडो नदी का विस्तार (100% केन्द्रीय सहायता) 01 - 800 - 0612	5.00 (100)

Øe a	vupku a @foHkkx	yʃk 'kh"kl eʃ; @mi @y?kq	eʃ; cpr ʃi fr'krʃ
1.	2.	3.	4.
	jktLo nÜker		
VIII	50 y?kq fl pkbz folkkx	2702 y?kq fl pkbz	
59.		0001- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान 02 - 005 - 0001	6.34
60		0002- राज्य नलकृप 02 - 103 - 0002	17.38
61.		0105- राष्ट्रीय सम विकास कार्यक्रम 02 - 103 - 0105	144.57 (100)
IX	51 dY; k.k foHkkx	2225 vuʃ [pr tkfr] vuʃ [pr tutkfr ,oa vʃ; fi NM-s oxz dY; k.k	
62.		0003- आवासीय विद्यालय 01 - 277 - 0003	5.15
63.		0602- हरिजनों के बहुमुखी विकास के लिए विशेष समेकित योजना 01 - 793 - 0602	5.00 (100)
64.		0601- प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति 02 - 277 - 0601	5.00 (100)
65.		0002- विशेष पोषण योजना 02 - 102 - 0002	6.58
66.		0602- समग्र बाल विकास योजना 02 - 102 - 0602	91.73
67.		0603- वाहय प्रायोजित योजना (विश्व बैंक) समग्र प्रायोजित बाल विकास योजना 02 - 102 - 0603	25.53
68.		0605- महिला विकास परियोजना सहायता अनुदान 02 - 103 - 0605	10.24 (100)
		2236 i kʃk.k	
69.		0802- अल्प पोषित गर्भवती/प्रसवोपरांत महिलाएँ एवं अल्प व्यस्क बालिकाएँ हेतु खाद्यान्न वितरण के लिए विशेष कार्यक्रम 02 - 101 - 0802	7.70 (100)

i f j f' k" V & XIII

॥ nHk% dMdk 2-3-3(i "B % 25॥

ekeys tgkj 0; ; ctV i ko/kku l s #i ; s 2 djkm+ l s vf/kd l s de Fks rFkk
dly i ko/kku ds 10 i fr'kr l s Hkh vf/kd Fks

vunku@fofu; kstu dl l a; k vkJ uke	cpr dh jkf'k #i ; s dj km+ e cko/kku dk cfr'kr dk'sB e	I jdkj }kjk iLrt cpr ds eq; dkj.k
jktLo & nUker iHkkx		
1- वृषि विभाग	73.91 (35.18)	रूपये 73.91 करोड. के प्रत्याशित बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
2- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	23.05 (26.14)	रूपये 6.83 करोड. मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा जारी प्रतिबंध के कारण और शेष बचत राशि रूपये 22.02 करोड. रूपये और रूपये 6.80 करोड. के आधिक्य का कारण नहीं बताया गया।
4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	2.03 (28.70)	रूपये 2.23 करोड. का बचत मुख्यतः आर्थिक उपायों और महंगाई भत्ते के नहीं भुगतान के कारण था और 0.20 करोड. रूपये आधिक्य का कारण नहीं बताया गया।
6- निर्वाचन	22.26 (42.58)	रूपये 22.26 करोड. के बचत का कारण नहीं सूचित किया गया।
9- सहकारिता विभाग	10.57 (27.92)	रूपये 10.57 करोड. के बचत का कारण नहीं सूचित किया गया।
10- ऊर्जा विभाग	6.43 (42.98)	रूपये 6.43 करोड. के बचत का कारण नहीं सूचित किया गया।
12- वित्त विभाग	15.33 (24.93)	अन्तिम बचत रूपये 15.58 करोड. और रूपये 0.25 करोड. के आधिक्य का कारण नहीं बताया गया है।
18- खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	14.42 (26.42)	रूपये 0.63 करोड. के अधिक व्यय एवं 15.05 करोड. रूपये बचत का कारण नहीं सूचित किया गया है।
19- वन एवं पर्यावरण विभाग	21.14 (39.31)	रूपये 3.76 करोड. मुख्यतः योजना की नहीं स्वीकृति होने के कारण और 1.74 करोड. रूपये के अधिक व्यय तथा 19.12 करोड. रूपये के अन्तिम बचत का कारण नहीं सूचित किया गया।
20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	185.56 (25.90)	रूपये 46.66 करोड. के अधिक व्यय एवं 232.2 करोड. रूपये बचत का कारण नहीं सूचित किया गया है।
23- उद्योग विभाग	20.92 (44.49)	रूपये 0.69 करोड. के अधिक व्यय एवं 21.61 करोड. रूपये बचत का कारण नहीं सूचित किया गया है।
27 विधि विभाग	41.84 (28)	रूपये 1.28 करोड. के बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा बकाया भुगतान पर जारी प्रतिबंध और 0.42 करोड. रूपये रिक्त पदों के कारण तथा 0.40 करोड. के आधिक्य और 40.54 करोड. रूपये के अन्तिम बचत का कारण नहीं सूचित किया गया है।

vupku@fofu; kstu dh d; k vkj uke	cpr dh jkf'k /#i ; s dj KM+ e/ çko/kku dk çfr'kr dk\$B e	I jdkj }kj k iLrfr cpr ds e[; dkj .k
33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	7.04 (51.76)	रूपये 7.04 करोड. के अंतिम बचत का कारण नहीं सूचित किया गया है।
34- विहार लोक सेवा आयोग	3.17 (42.61)	अंतिम बचत का कारण नहीं सूचित किया गया है।
35- योजना एवं विकास विभाग	10.43 (34.58)	रूपये 0.68 करोड. के आधिक्य व्यय एवं 11.11 करोड. रूपये के बचत का कारण नहीं सूचित किया गया है।
39- सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	50.40 (47.38)	रूपये 6.98 करोड. के आधिक्य व्यय एवं 57.38 करोड. रूपये के बचत का कारण नहीं सूचित किया गया है।
40- राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग	53.42 (22.32)	53.42 करोड. रूपये के बचत का कारण नहीं सूचित किया गया है।
42- ग्रामीण विकास विभाग	287.84 (31.46)	मुख्यतः 44.25 करोड. रूपये केन्द्रीय एवं राज्यांश की अविमुक्ति 10.38 करोड. रूपये योजना परिव्यय में कमी, 148.62 करोड. रूपये आर्थिक उपायों एवं पद रिक्त रखने के कारण एवं भोजपुर एवं बक्सर में पंचायत निर्वाचन में कम व्यय के कारण
43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	26.22 (50.64)	26.22 करोड. रूपये के बचत का कारण नहीं सूचित किया गया है।
44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	696.75 (22.89)	मुख्यतः 126.51 करोड. रूपये पद रिक्त रखने एवं आर्थिक उपायों 3.38 करोड. रूपये योजना परिव्यय में कमी के कारण और अंतिम बचत रूपये 568.24 करोड. रूपये एवं आधिक्य 1.38 करोड. रूपये का कारण नहीं सूचित किया गया है।
45- गन्ना विभाग	3.30 (27.07)	1.12 करोड. रूपये का बचत योजना परिव्यय में कमी के कारण, 2.10 करोड. रूपये राज्य योजना की नहीं स्वीकृति 1.38 करोड. रूपये पद रिक्त रखने एवं आर्थिक उपायों के कारण था। 0.03 करोड. रूपये के बचत एवं 1.27 करोड. रूपये आधिक्य व्यय का कारण नहीं सूचित किया गया है।
46- पर्यटन विभाग	3.15 (43.60)	3.15 करोड. रूपये के बचत का कारण नहीं सूचित किया गया है।
48- शहरी विकास विभाग	43.55 (33.61)	43.55 करोड. के बचत में से 3.24 करोड. रूपये के बचत योजना परिव्यय में संशोधन, 1.72 करोड. रूपये राज्यांश की अविमुक्ति के कारण और शेष बचत 38.59 करोड. रूपये का कारण नहीं प्रस्तुत किया गया है।
50- लघु सिंचाई विभाग	169.37 (61.62)	मुख्यतः 17.10 करोड. रूपये निधि की निकासी पर प्रतिबंध, 3.59 करोड. रूपये योजना परिव्यय में कमी के कारण और शेष बचत 159.91 करोड. रूपये और आधिक्य व्यय 11.23 करोड रूपये का कारण नहीं प्रस्तुत किया गया है।
51- कल्याण विभाग	183.59 (41.51)	183.59 करोड. रूपये के बचत का मूर्त कारण सरकार द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया है।

vupku@fofu; kstu dh l d; k vkj uke	cpr dh jkf'k /#i ; s dj KM+ e# çko/kku dk çfr'kr dk\$B e#	I jdkj }kj k iLr cpr ds e#; dkj .k
52- युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	5.37 (28.11)	1.34 करोड. रुपये का बचत निधि की निकासी पर प्रतिबंध के कारण और अंतिम बचत रुपये 4.58 करोड. रुपये और 0.55 करोड. रुपये के आधिकय व्यय का कारण नहीं प्ररस्तुत किया गया है।
i pth nÜkeÜk [k. M		
3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	113.28 (73.66)	मुख्यतः प्रशासनिक विभाग द्वारा संशोधित स्वीकृति जारी नहीं किए जाने के कारण: रुपये 23.29 करोड. भूमि अधिग्रहण नहीं करने के कारण 1.48 करोड. रुपये रुपरेखा में परिवर्तन के कारण: रुपये 0.26 करोड. रुपये और शेष राशि 88.25 करोड. रुपये का कारण नहीं बताया गया है।
9 - सहकारिता विभाग	19.52 (52.74)	सरकार ने 19.52 करोड. रुपये के बचत के कारण नहीं सुचित किया गया है।
12- वित्त विभाग	10.64 (84.55)	10.64 करोड. रुपये के समस्त बचत का कारण नहीं सुचित किया गया है।
20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	25.33 (84.13)	मुख्यतः 1 करोड. रुपये योजना व्यय में कमी के कारण 2.80 करोड. रुपये वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध जारी करणे के कारण और 21.53 करोड. रुपये के अंतिम बचत का कारण नहीं सुचित किया गया है।
22 - गृह विभाग	102.24 (99.73)	102.24 करोड. रुपये के समस्त बचत का कारण नहीं सुचित किया गया है।
36- लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	113.78 (60.94)	मुख्यतः 24.79 करोड. रुपये योजना की नहीं स्वीकृति, 11.49 करोड. रुपये योजना परिव्यय में कमी, 6.65 करोड. रुपये कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं करने के कारण, 7.45 करोड. रुपये योजना को शामिल नहीं करने के कारण और 95.70 करोड. रुपये के अंतिम बचत तथा 32.30 करोड. रुपये आधिकय का कारण नहीं बताया गया है।
41- पथ निर्माण विभाग	69.64 (53.09)	मुख्यतः 59.12 करोड. रुपये योजना परिव्यय में कमी, के कारण तथा 10.52 करोड. रुपये के शेष बचत का कारण नहीं बताया गया है।
42- ग्रामीण विकास विभाग	120.21 (20.25)	127.46 करोड. रुपये के समस्त बचत और 7.25 करोड. रुपये आधिकय व्यय का कारण नहीं बताया गया है।
44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	12.11 (21.37)	12.11 करोड. रुपये के समस्त बचत का कारण नहीं बताया गया है।
45- गन्ना विभाग	2.10 (97.38)	2.10 करोड. रुपये के बचत का कारण विधि विभाग द्वारा असंस्वीकृति था।
47- परिवहन विभाग	3.30 (58.05)	3.30 करोड. रुपये के बचत का कारण राज्यांश की अविमुक्ति था।
48- शहरी विकास विभाग	8.30 (39.91)	8.30 करोड. रुपये के बचत के कारण योजना परिव्यय में संशोधन था।

vupku@fofu; kst u dh l d; k vkj uke	cpr dh jkf'k /#i ; s dj kM+ e# çko/kku dk çfr'kr dkkB e#	I j dkj }kj k iLr cpr ds e#; dkj.k
49- जल संशोधन विभाग	315.63 (47.69)	बचत का मुख्य कारण, योजना परिव्यय में संशोधन 162.74 करोड. रुपये, स्वीकृति की अप्राप्ति: 25.77 करोड. रुपये, निधि की बिलंबित विमुक्ति: रुपये 6.17 करोड. कार्य का प्रारंभ नहीं होना : रुपये 5.00 करोड. और 241.37 करोड. रुपये शेष बचत और 125.42 करोड. रुपये के आधिक्य व्यय का कारण नहीं सूचित किया गया है।
52- युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	3.82 (79.42)	3.82 करोड. रुपये के बचत का कारण नहीं सूचित किया गया है।
jktLo Hkkfjr [k.M		
28- fcgkj dk mPp U; k; ky;	5.66 (24.73)	5.66 करोड. रुपये बचत का कारण न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रुपये 5.53 करोड. और विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण : रुपये 0.13 करोड था।
34- fcgkj ykd l sk vk; kx	3.17 (42.61)	3.17 करोड. रुपये का बचत पद रिक्त रहने के कारण था।
dy	2909.79	

i f' k"V&XIV

% dMdk 2-3-4 (i "B % 25%

çR; sI ekeys e#i ; s 2 djkM+I s vf/kd yxkrkj cpr ds ekeys

०e । a	vunku@fofu; kstu dh I a; k , oa uke	cpr vj kf'k djkM+ #i ; s ea vks cko/kku I s bl dk çfr'kr dk;Bd e#	2001-2002	2002-03	2003-04
	jktLo nÜker				
1	1. कृषि विभाग	66.47(32)	89.07(39)	73.91(35)	
2	2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	47.65(43)	31.21(32)	23.05(26)	
3	6. नियाचन	3.03(36)	8.44(24)	22.26(43)	
4	9. सहकारिता विभाग	14.85(34)	8.11(22)	10.57(28)	
5	10. ऊर्जा विभाग	11.72(32)	78.18(62)	6.43(43)	
6	12. वित्त विभाग	321.65(87)	314.30(86)	15.33(25)	
7	18. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	4.91(11)	20.14(30)	14.42(26)	
8	19. वन एवं पर्यावरण विभाग	13.07(31)	14.89(33)	21.14(39)	
9	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	234.25(31)	207.48(27)	185.56(26)	
10	22. गृह विभाग	262.70(22)	262.02(22)	136.55(13)	
11	23. उद्योग विभाग	21.41(46)	16.43(29)	20.92(45)	
12	26. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	53.47(37)	45.44(24)	34.87(20)	
13	27. विधि विभाग	31.68(25)	31.73(24)	41.84(28)	
14	35. योजना एवं विकास विभाग	9.92(38)	9.94(34)	10.43(35)	
15	39. सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	67.19(37)	85.66(46)	50.40(35)	
16	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	40.71(20)	47.39(21)	53.42(22)	
17	41. पथ निर्माण विभाग	90.30(42)	32.98(15)	27.56(12)	
18	42. ग्रामीण विकास विभाग	252.67(34)	152.00(16)	287.84(31)	
19	43. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	5.08(25)	18.23(53)	26.22(51)	
20	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	511.08(19)	494.28(18)	696.75(23)	
21	46. पर्यटन विभाग	3.37(57)	2.58(47)	3.15(44)	
22	48. शहरी विकास विभाग	46.40(55)	35.70(26)	43.55(34)	
23	49. जल संसाधन विभाग	55.81(22)	38.36(16)	28.05(12)	
24	50. लघु सिंचाई विभाग	30.34(20)	24.42(15)	169.37(62)	
25	51. कल्याण विभाग	106.64(37)	109.80(32)	183.59(42)	
26	52. युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	7.00(34)	5.47(28)	5.37(28)	
	; kx	2313.37	2184.25	2192.55	
	i nth & nÜker				
1	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	24.85(69)	7.57(23)	113.28(74)	
2	9. सहकारिता विभाग	14.45(39)	9.86(32)	19.52(53)	
3	12. वित्त विभाग	6.94(50)	7.86(61)	10.64(85)	
4	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	84.27(86)	70.79(50)	113.78(61)	
5	41. पथ निर्माण विभाग	52.35(61)	39.08(31)	69.64(53)	
6	42. ग्रामीण विकास विभाग	277.07(45)	233.43(41)	120.21(20)	
7	49. जल संसाधन विभाग	351.02(55)	331.96(52)	315.63(48)	
8	52. युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	3.61(100)	2.21(58)	3.82(79)	
	; kx	814.56	702.76	766.52	

Øe I a	vunku@fofu; kst u dh I d; k , oa uke jktLo & Hkkfjr çHkkx	cpr vj kf'k dj kM+ #i ; s ei vks cko/kku ls bl dk cfr'kr dksBd e	2001-2002	2002-03	2003-04
1	28. बिहार का उच्च न्यायालय	9.76(42)	7.09(32)	5.66(25)	
2	34. बिहार लोक सेवा आयोग	2.39(32)	2.53(33)	3.17(43)	
	; ksx	12.15	9.62	8.83	
	dy ; ksx	3140.08	2896.63	2967.90	

i f' k" V&XV

॥ nHk% dMdk 2-3-5 (i "B % 25%

1977&78 | s 2002&03 rd vlf?kD;

o"kl	vupku@fofu; kst u dh d; k	vupku@fofu; kst u d; k	vlf/kD; dh j kf' k	j kf' k ft l ds fy, ih, lh dks Li "Vhdj .k çLrç ugha fd; k x; k
				1#i : s dj KM+etk
1977-78	4	4, 5, 9, 24	14.51	14.51
1978-79	4	4, 9, 17, 27	31.11	31.11
1979-80	4	3, 4, 6 17	34.50	34.50
1980-81	7	4, 6, 8, 10, 12, 16, 17	27.92	27.92
1981-82	14	1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24	80.30	80.30
1982-83	5	6, 8, 12, 16, 22	5.25	5.25
1983-84	4	6, 9, 11, 12	227.36	227.36
1984-85	4	3, 4, 8, 14	2.66	2.66
1985-86	4	4, 8, 10, 13	15.17	15.17
1986-87	3	4, 6, 13	87.43	87.43
1987-88	13	1, 4, 5, 9, 12, 14, 18, 19, 25, 31, 38, 42, 48	420.66	420.66
1988-89	6	4, 9, 12, 18, 25, 38	166.92	166.92
1989-90	6	4, 18, 25, 27, 38, 45	228.65	228.65
1990-91	8	12, 18, 36, 37, 38, 42, 43, 47	330.07	330.07
1991-92	8	1, 4, 6, 11, 12, 18, 38, 43	1228.67	1228.67
1992-93	6	1, 4, 12, 18, 25, 38	1462.10	1462.10
1993-94	4	12, 18, 25, 37	702.17	702.17
1994-95	2	12, 37	318.23	318.23
1995-96	5	4, 12, 25, 36, 37	405.08	405.08
1996-97	4	4, 12, 20, 23, 36, 37	256.38	256.38
1997-98	4	4, 7, 12, 15	12.19	12.19
1998-99	1	30	0.33	0.33
1999- 2000	5	10, 13, 14, 40, 50	196.23	196.23
2000- 2001	5	5, 13, 15, 25, 32	712.34	712.34
2001- 2002	1	15	491.24	491.24
2002- 2003	2	15, 47	10.15	10.15
2003-04	7	10, 11, 14, 15, 30, 32, 50	3782.34	3782.34
dy ; kx			11249.96	11249.96

i f' k"V&XVI

॥ nHk% dMdk 2-3-5 (i "B % 25%

y?kq 'kh"kk e@ i ko/kku l s vf/kd 0; ;
 ¼ i ; s 5 djkM- , oa vf/kd vkg dgy i ko/kku ds 50% l s Hkh vf/kd%

(रुपये करोड में)

०e । ०	vunku@ fofu; kst u dh l a; k , oa uke	y[kk 'kh"kk yogr@mi @y?kq 'kh"kk	i ko/kku	0; ;	vlf?kd; dk	vlf?kd; i fr'kr
1	अनुदान संख्या 3	2059-लोक कार्य 0008- ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र का रख-रखाव 01-053-0008	196.10	1729.60	1533.50	782
2		4059-लोक कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 0001-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 80-051-0001	63.22	2079.07	2015.85	3189
3	अनुदान संख्या 10	6801-ऊर्जा परियोजनाओं पर ऋण 0005-त्रिपक्षीय अनुबंध के अधीन ब्याज भुगतान हेतु 00-800-0005	20317.38	166124.46	145807.08	718
4	अनुदान संख्या 14	6004-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम 0002- 1984-85 से प्राप्त ऋण 01-102-0002	13079.39	25121.08	12041.69	92
5		0003-उच्च दर पर प्राप्त ऋण का पुनर्भुगतान (ऋण अदला-बदली) 6004-01-102-0003	50000.00	173520.00	123520.00	247
6		000115-15 वर्षीय समग्र प्रखण्ड ऋण 1990 6004-02-104-0001	2706.53	6089.70	3383.17	125
7	अनुदान संख्या 15	2071 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 0002-परवर्ती बिहार राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान 01-101-0002	9816.00	51167.62	41351.62	421
8		0002- परवर्ती बिहार राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भगुतान 2071-01-104-0002	20000.00	30383.84	10383.84	52
9		0002- परवर्ती बिहार राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधी परिवारिक पेंशन का भुगतान 2071-01-105-0002	1200.00	4339.65	3139.65	262
10		0001- 15.11.2000 से पहले सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को शेष उपार्जित	500.00	2029.11	1529.11	306

०े । ०	vunku@ fofu; kst u dh l t; k , oa uke	ys[kk 'kh"kl %ogr@mi @y?kq 'kh"klz	i ko/kku	०; ;	vkf?kD; vlf?kD;	vkf?kD; dk i fr'kr
		अवकास के समतुल्य अवकास नकदीकरण 2071-01-115-0001				
11		0002- 15.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त /मृत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को शेष उपार्जित अवकास के समतुल्य अवकास नकदीकरण 2071-01-115-0002	10000.00	16216.41	6216.41	62
12	अनुदान संख्या 20	2211- परिवार कल्याण 0101-ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र 2211-00- 101-0101	2670.72	6226.75	3556.03	133
13	अनुदान संख्या 22	2055 पुलिस 0001- घुड़.सवार सैन्य पुलिस 00-104-0001	262.07	2061.77	1799.70	687
14	अनुदान संख्या 36	2215- जलापूर्ति एवं सफाई 0001 सरकारी भवन में जलापूर्ति का रख रखाव 2215-01-800-0001	654.08	3895.62	3241.54	496
15		4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 0001- सरकारी भवनों में जलापूर्ति 01-800-0001	96.44	3189.24	3092.80	3207
16	अनुदान संख्या 41	3054- पथ एवं पुल 0001 निर्देशन 80-001-0001	463.92	1611.10	1147.18	247
17	अनुदान संख्या 42	2505- ग्रामीण नियोजन 0105- राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम- क्षत्रीय स्थापना 01-702-0105	1109.07	3035.12	1926.05	174
18		4515- अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 0101- न्यूनतम आवश्यकता योजना 00-103-0101	1065.25	1790.62	725.37	68
19	अनुदान संख्या 49	2701- वृहत एवं मध्यम सिंचाई 0002- मरम्मत एवं रख-रखाव कमला एवं उत्तर बिहार सिंचाई 03-115-0002	50.00	2972.01	2922.01	5844
20		2711- बाढ नियंत्रण एवं निकास 0001- निदेशक, क्रय एवं परिवहन 01-001-0001	20.53	1516.51	1495.98	7287
21		4701- वृहत एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 0110- दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना 04-800-0110	7190.94	14417.13	7226.19	100
22		0113- उत्तर बिहार सिंचाई	3339.88	6533.45	3193.57	96

०े । ऊ	vunku@ fofu; kst u dh । ल ; क , oa uke	yſ[kk 'kh"kl ।०gr@mi @y?kq 'kh"klz	i ko/kku	०; ;	vkf?kD; dk	vlf?kD; i fr'kr
		परियोजना 4701-04-800-0113				
23	अनुदान संख्या 50	2702- लघु सिंचाई 0102 लघु सिंचाई के अंतर्गत ई. आर.पी 01-102-0001	10.50	952.48	941.98	8971
24		4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 0101- नबार्ड से नलकुप योजनाओं के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु ऋण 00-102-0101	3072.78	17495.86	14423.08	469
		clv	147884.80	544498.20	396613.40	

। f j f' k" V & XVII

॥ nHkZ % dMdk 2-3-5 (i "B % 25%

fcuk ctV i ko/kku ds y?kq ' kh"kl e@ 0; ;

Øe I a	vunku@ fofu; kstu dh I [; k , oa ys[kk ' kh"kl	ys[kk ' kh"kl@mi @ y?kq ' kh"kl dk [kkrk@; kstu	okLrfod 0; ; %okLrfod + ij d%	okLrfod 0; ;	vkf/kD;
<i>॥ i ; s yk[k e@</i>					
1.	42 xkeh.k fodkl foHkkx	2515 अन्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 00 कार्यक्रम 101 पंचायती राज (गैर— योजना) 0005 पंचायती राज सहायक अनुदान	0.00	5.17	5.17
2.	25 I tFkkxr foUk , oa dk; Øe dk; klo; u foHkkx	5475 अन्य सामान्य— आर्थिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय 00 कार्यक्रम 800 अन्य व्यय (राज्य योजना) 0101 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेश हेतु राज्य सरकार का शेयर पूँजी में योगदान	0.00	0.42	0.42
3.	49 ty I d k/ku foHkkx	4701 वृहत एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य व्यय (राज्य योजना) 0126 राष्ट्रीय समेकित विकास कार्यक्रम (आतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	0.00	60.90	60.90
	dy nÜkeÜk vunku:		0.00	66.49	66.49
	i tthxr Hkkfjr fofu; kstu				
4.	14 I j dkjh dtz dk i pikkruk	6003 बिहार सरकार का आंतरिक ऋण 00 कार्यक्रम 101 बाजार ऋण (गैर— योजना) 0010- 14 % बिहार राज्य विकास ऋण, 2005 (सूद सहित)	0.00	184.53	184.53

Øe I a	vupku@ fofu; kst u dh I [; k , oa ys[kk 'kh"kl	ys[kk 'kh"kl@mi @ y?kq 'kh"kl dk [kkrk@; kst uk	okLrfod 0; ; %okLrfod + i j d½	okLrfod 0; ;	vkf/kD;
<i>#i ; s yk[k e#</i>					
5.	14 I j dkjh dtz dk i pikkxrku	6003 बिहार सरकार का आंतरिक कर्ज 00 कार्यक्रम 110 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अर्थोपाय पेशगीयाँ (गैर- योजना) 0002 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अर्थोपाय पेशगीयाँ कमी/ ओभरड्राफ्ट (गैर- योजना)	0.00	114289.27	114289.27
6.	14 I j dkjh dtz dk i pikkxrku	6003 बिहार सरकार का आंतरिक कर्ज 00 कार्यक्रम 111 केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को विशेष प्रतिभुतियों को जारी करना (गैर- योजना) 0001 केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को विशेष प्रतिभुतियों को जारी करना	0.00	10382.00	10382.00
	dy		0.00	124855.80	124855.80
	dy : kx :		0.00	124922.29	124922.29

। f j f' k" V&XVIII

॥ nHk% dMdk 2-3-8 (i "B % 26%

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए

<i>Øe l a</i>	<i>vupku@fofu; kst u dh l d; k , oa uke</i>	<i>okLrfod i ko/kku</i>	<i>vuj y d i ko/kku</i>	<i>dy</i>	<i>ø; ;</i>	<i>cpr</i>
1	2	3	4	5	6	7
अ.-jktLo i Hkkx						
1	1-कृषि विभाग	205.47	4.61	210.08	136.17	73.91
2	2- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	86.29	1.88	88.17	65.13	23.04
3	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	88.12	8.04	96.16	87.90	8.26
4	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	6.60	0.48	7.08	5.05	2.03
5	6- निर्वाचन	49.85	2.44	52.29	30.03	22.26
6	7- निगरानी	7.47	0.01	7.48	5.99	1.49
7	8- नागरिक उड्डयन विभाग	4.92	0.43	5.35	4.68	0.67
8	9- सहकारिता विभाग	37.27	0.58	37.85	27.28	10.57
9	10- ऊर्जा विभाग	14.11	0.85	14.96	8.53	6.43
10	12- वित्त विभाग	61.21	0.28	61.49	46.16	15.33
11	17- वित्त (वाणिज्यिक कर) विभाग	26.83	1.43	28.26	21.51	6.75
12	18-भोजन आपुर्ति एवं वाणिज्य विभाग	54.55	0.01	54.56	40.15	14.41
13	19-वन एवं पर्याटन विभाग	39.84	13.94	53.78	32.64	21.14
14	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	697.02	19.52	716.54	530.98	185.56
15	21-उच्चतर शिक्षा विभाग	469.12	1.12	470.24	435.16	35.08
16	22-गृह विभाग	1050.95	34.68	1085.63	949.08	136.55
17	23-उद्योग विभाग	43.33	3.68	47.01	26.09	20.92
18	24-सुचना एवं जनसम्पर्क विभाग	11.35	1.54	12.89	11.20	1.69
19	25-सांस्थानिक वित्त एवं कार्यन्वयन विभाग	3.08	0.04	3.12	1.64	1.48
20	27-विधि विभाग	148.16	0.27	148.43	106.59	41.84
21	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1.87	0.80	2.67	1.56	1.11
22	32-विधायिका	31.19	1.62	32.81	29.84	2.97
23	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	13.26	0.35	13.61	6.57	7.04

०१ १	vupku@fofu; kst u dhi l d; k , o a uke	okfLrfod i ko/kku	vuj j d i ko/kku	dy	०; ;	cpr
१	२	३	४	५	६	७
24	35-योजना एवं विकास विभाग	28.66	1.50	30.16	19.73	10.43
25	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	123.82	2.94	126.76	115.96	10.80
26	37-राजभाषा विभाग	13.54	0.08	13.62	11.65	1.97
27	38-निबंधन विभाग	22.56	2.06	24.62	22.52	2.10
28	39-सहाय्य एवं पुर्नवास विभाग	95.80	10.57	106.37	55.97	50.40
29	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	224.01	15.33	239.34	185.93	53.41
30	41-पथ निर्माण विभाग	228.12	2.11	230.23	202.66	27.57
31	42-ग्रामिण विकास विभाग	776.46	138.37	914.83	627.00	287.83
32	43-विज्ञान एवं तकनिकी विभाग	43.43	8.35	51.78	25.56	26.22
33	44-माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	3006.26	38.00	3044.26	2347.51	696.75
34	45- ईख विभाग	12.11	0.07	12.18	8.88	3.30
35	46-पर्यटन विभाग	6.85	0.36	7.21	4.07	3.14
36	47-परिवहन विभाग	6.26	0.03	6.29	4.35	1.94
37	48-नगर विकास विभाग	97.36	32.24	129.60	86.04	43.56
38	50-लघु सिंचाई विभाग	130.30	144.57	274.87	105.50	169.37
39	51-कल्याण विभाग	414.41	27.88	442.29	258.70	183.59
40	52-युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	17.93	1.17	19.10	13.73	5.37
	कुल	8399.74	524.23	8923.97	6705.69	2218.28

ब.- यूंजीगत प्रभाग

1	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	98.46	55.33	153.79	40.51	113.28
2	9- सहकारिता विभाग	34.12	2.90	37.02	17.49	19.53
3	12- वित्त विभाग	12.49	0.09	12.58	1.94	10.64
4	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	0.60	0.01	0.61	0.00	0.61
5	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	28.80	1.31	30.11	4.78	25.33
6	22-गृह विभाग	100.00	2.52	102.52	0.28	102.24
7	36-लोक स्वास्थ्य एवं तकनिकी विभाग	169.16	17.56	186.72	72.93	113.79
8	41-पथ निर्माण विभाग	118.66	12.51	131.17	61.53	69.64
9	47-परिवहन विभाग	5.60	0.09	5.69	2.39	3.30

१	२	३	४	५	६	७
10	48-नगर विकास विभाग	18.31	2.50	20.81	12.50	8.31
	49-जल संशाधन विभाग	650.77	10.99	661.76	346.13	315.63
12	52-युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	3.77	1.04	4.81	0.99	3.82
	Total:	1240.74	108.85	1347.59	561.47	786.12
स.- राजस्व प्रभाग-भारित						
1	12-वित्त विभाग	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03
2	13-सुद भुगतान	3416.83	1.44	3418.27	3343.05	75.22
3	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16
4	41-पथ निर्माण विभाग	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09
5	47-परिवाहन विभाग	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21
	n&imathxr Hkkfjr					
6	49-जल संशाधन विभाग	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08
	कुलः	3416.83	2.01	3418.84	3343.05	75.79
	कुल अ+ब+स+दः	13057.37	635.19	13692.56	10610.27	3082.29

i f' k"V&XIX

॥ nHk% dMdk 2-3-8 (i "B % 26॥

ekeys tgk_i vuqjd i ko/kku okLrfod vko'; drk l s vf/kd l kfcr gq
 ॥ R; d ekeys e 10 yk[k : i ; s l s vf/kd ॥

॥#i ; s djkm-e॥

Øe l a	vunku@fofu; kx dh l d; k , oa uke	okLrfod i ko/kku	vuqjd i ko/kku	dly	0; ;	cpr
1	2	3	4	5	6	7
1	16-राष्ट्रीय बचत	2.53	1.40	3.93	3.34	0.59
i thxr nukeUk						
1	2-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	0.00	2.79	2.79	2.11	0.68
2	23-उद्योग विभाग	1.50	29.28	30.78	29.28	1.50
3	42-ग्रामीण विकास विभाग	421.60	171.91	593.51	473.30	120.21
4	45- गन्ना विभाग	0.06	2.10	2.16	0.06	2.10
	dly	425.69	207.48	633.17	508.09	125.08

i f' k"V&XX

% dMdk 2-3-8 (i "B % 26%

ekeys tgk vuq j d i ko/kku okLrfod vko'; drk l s de l kfcr gq
v i R; s ekeys e 10 yk[k : i ; s l s vf/kd%
%#i ; sdjkM-e%

Øe l a	vunku@fofu; kx dh l q; k , oa uke	okLrfod i ko/kku	vuq j d i ko/kku	dly	0; ;	cpr
1	2	3	4	5	6	7
jktLo i Hkkx nukeÜk						
1	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	15.94	0.11	16.05	16.49	0.44
2	15- पैशान	2206	1.20	2207.20	2267.19	59.99
jktLo i Hkkx Hkkfjr						
3	50-लघु सिंचाई विभाग	0	0.02	0.02	0.62	0.60
i thxr i Hkkx nukeÜk						
1	10- ऊर्जा विभाग	1006.9	375.41	1382.31	2792.23	1409.92
2	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2.84	0.06	2.90	3.45	0.55
	dly	3231.68	376.80	3608.48	5079.98	1471.50

i f'f' k"V&XXI

॥ नहीं दमदक 2-3-9 (i "B % 27%)

fuf/k; ka ds vuko'; d i fufofu; kst u
½ i ; s 1 dj kM-I s vf/kd dk vkf/kD; ½

##i; s yk[k e#

०े ।।	vupku ।।	e[; 'kh"kh@mi 'khk ; kst uk + vuqijd	i ko/kku ey vH; I . k ॥ fufofu; kst u½	clv	॥ ;	vkf/kD;
1	1	2401- QI y ikyu				
		001-निर्देशन एवं प्रशासन 0001-निर्देशन	184.28	16.09	168.19	359.79
		गैर योजना 109-विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण 0003-कृषि सूचना सेवा	71.74	12.95	58.79	398.35
2	2	2403-i 'kj kyu				
		गैर योजना 102-पशु एवं भैंस विकास 0001- पशु प्रजनन फार्म	138.96	23.43	115.53	554.21
3	3	2059-ykd dk; l				
		गैर योजना 01-कार्यालय भवन 053-अनुरक्षण एवं मरम्मत 0008-ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/ उपकेन्द्र का रख-रखाव	200.00	3.90	196.10	1729.60
		4059-ykd dk; l ij i thxr ifj; ;				
		गैर योजना 80- सामान्य 051-निर्माण 0001-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	153.00	89.79	63.22	2079.07
		4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय				
		गैर योजना 01- सरकारी आवासीय भवन 700-अन्य आवास 0003-लोक कार्य	200.00	150.38	49.62	226.59
4	6	2015-fuokpu				
		गैर योजना 102- निर्वाचन पदाधिकारी 0001-मुख्यालय प्रभार एवं सामान्य स्थापना	304.52	24.61	279.91	406.60
		गैर योजना 103-निर्वाचक सूची को तैयारी एवं छपाई 0001-विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्वाचक सूची	501.00	32.29	468.71	786.74
5	10	6801- fo t i fj ; kst ukvka ds fy, __.k				
		गैर योजना 800-विद्युत बोर्डों को अन्य ऋण 0005-भारत सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रीय अनुदान के विरुद्ध विद्युत बोर्ड से काटी गई राशि की वापसी	22200.00	1882.62	20317.38	166124.46
						145807.08

०े ।।	vupku ।।	e[; 'kh"kh@mi 'khk ; kstuk	i ko/kku e[+ vu[jid	vH; i .k ॥ u& fofu; kstuk	dy	॥ ;	vkf/kD;
6	11	2039-jkT; mRi kn					
		गैर योजना 001- निर्देशन एवं प्रशासन 0002- जिला प्रभार	1418.39	224.26	1194.13	1455.02	260.89
7	14	6004-dJnI jdkj Is __.k , oa vfxe					
		गैर योजना 01-ऋण 102-लघु बचत संग्रह का अंश 0002- 84-85 से प्राप्त ऋण	13452.56	373.17	13079.3 9	25121.08	12041.69
8	15	2071 i[ku , oa vU; I okfuofRr					
		गैर योजना 01- सिविल 111- विधायकों को पेंशन 0002- विधान परिषद सदस्यों को पेंशन	68.00	8.65	59.35	180.53	121.18
9	20	2210- fpfdRI k , oa ykd LokLFk;					
		01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0103-जिला चिकित्सा पदाधिकारी	29.02	3.65	25.37	254.87	229.50
		गैर योजना 0002-दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	940.77	25.65	915.12	1090.67	175.55
		2211-i fjkj dy; k.k					
		गैर योजना 101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ 0101-ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	2692.70	21.98	2670.72	6226.75	3556.03
10	22	2055-i fyl					
		राज्य योजना 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0001-अधीक्षण	738.76	89.35	649.41	835.55	186.14
		गैर योजना 0002- हिन्दुस्तान-पाकिस्तान पासपोर्ट	7.29	0.07	7.22	132.05	124.83
		गैर योजना 104-विशेष पुलिस 0001-घुड.सवार सैन्य पुलिस	286.26	24.19	262.07	2061.77	1799.70
		गैर योजना 111-रेल पुलिस 0001-बेटिकट यात्रियों के विरुद्ध अभियान	110.13	17.76	92.37	324.01	231.64
11	26	2210-fpfdrI k , oa ykd LokLFk;					
		गैर योजना 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी 102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना 0101- कर्मचारी राज्य बीमा योजना	18.80	0.84	17.96	139.40	121.44

०े । ॥	vupku । ॥	e[; 'kh"kh@mi 'khk ; kst uk i ko/kku e[+ vupkj d	vH; i . k ॥ u& fofu; kst u॥	clv	॥ ;	vkf/kD;	
12	32	2011-संसद/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधायिका					
		राज्य योजना 02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधायिका 102-विधान परिषद 0005- विपक्ष का नेता	26.42	9.08	17.34	161.31	143.97
		गैर योजना 0006- सदस्य	382.30	62.54	319.76	494.84	175.08
13	36	2215-जलापूर्ति एवं सफाई					
		01- जलापूर्ति 800- अन्य व्यय 0001- सरकारी भवनों में जलापूर्ति का अनुरक्षण	660.00	5.92	654.08	3895.62	3241.54
		4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिव्यय					
		गैर योजना 01- जलापूर्ति 800-अन्य व्यय 0001-सरकारी भवनों में जलापूर्ति	650.00	553.56	96.44	3189.24	3092.80
14	38	2030-epkcl , o[fuc[ku					
		गैर योजना 01- मुद्रांक न्यायिक 101- मुद्रांक लागत 0001- केन्द्रीय मुद्रांक भण्डार, नासिक रोड से आपूरित मुद्रांक की लागत	75.00	13.11	61.89	315.18	253.29
15	39	2245-i kdfrd vki nkvk g[q gk; ;					
		गैर योजना 02-बाढ़, चक्रवात इत्यादि 101- 0003-प्रभवित परिवारों को सहायता अनुदान का भुगतान	200.00	36.45	163.55	441.53	277.98
16	41	3054-i Fk , o[i y					
		गैर योजना 80-सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0001- निर्देशन	482.72	18.80	463.92	1611.10	1147.18
		गैर योजना 0006- राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना निर्देशन	47.47	5.01	42.46	231.20	188.74
17	42	2505-xkeh.k j kst xkj					
		01- राष्ट्रीय योजना 702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 0102-मुख्यालय स्थापना	89.00	27.79	61.21	175.85	114.64
		राज्य योजना 0105-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना-क्षेत्रीय स्थापना	1400.00	290.93	1109.07	3035.12	1926.05

०े ।।	vupku ।०	e[; 'kh"kh@mi 'khk ; kstuk i ko/kku e[+ vupkjD	vH; i .k ॥५५८ fofu; kst uळ	dy	०; ;	vkf/kD;
		2515-v॥; xkeh.k fodkl ; kst uk				
		राज्य योजना 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0001-पंचायत मुख्यालय स्थापना	113.84	10.74	103.10	241.46
18	45	2401-QI y ikyu				
		108-वाणिज्यिक फसल गैर योजना 0108-राष्ट्रीय प्रमंडल गन्ना अपशिष्ट फसल योजना वृहत निधि राज्यांश 10:90	25.98	4.72	21.26	148.30
19	49	2701-oqr , oae/; e fl pkbl				
		राज्य योजना 80-सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0002- निर्देशक, राजस्व प्रशासन	8.51	2.98	5.53	299.98
		4701- oqr , oae/; e fl pkbl ij i ॥८५४५४५०; ;				
		गैर योजना 04-मध्यम सिंचाई-अव्यवसायिक 800-अन्य व्यय 0110-दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना	8605.34	1414.40	7190.94	14417.13
		राज्य योजना 0113- उत्तर बिहार सिंचाई परियोजना	4194.69	854.81	3339.88	6533.45
		4711-ck< fu; ॥.k ij fj ; kstukvka ij i ॥८५४५४५०; ij fj ॥; ;				
		01-बाढ नियंत्रण 001- निर्देशन एवं प्रशासन 0102- उत्तर बिहार बाढ नियंत्रण परियोजना	5651.69	122.70	5528.99	7178.72
20	50	2702 y?kq fl pkbl				
		राज्य योजना 02 -भूजल 103- नलकृप 0004- केन्द्रीय कार्यशाला विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना	65.04	0.88	64.16	244.89
		4702 -y?kq fl pkbl ij i ॥८५४५४५० ij fj ॥; ;				
		राज्य योजना 102 -भूजल 0101- नलकृप योजनाओं के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के नाबाड़ से ऋण	3908.00	835.22	3072.78	17495.86
		dy :	70302.18	7295.27	63006.91	270597.89
						207590.98

i f j f' k" V & XXII

॥ nHk% dMdk 2-3-9 (i "B % 27%

vf/kd vh; izk dh fooj . kh

%%i; s yk/fk e%

०e । a	vupku । d'; k	ed; 'kh"kl@ mi 'kh"kl ; kst uk	i ko/kku ey + ij d	vU; izk ॥ ufofu& ; kst u%	dy	0; ;	i ufofu; kst u ds ckn vkf/kD;
1	17	2040 विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर					
		गैर योजना 101 संग्रहण प्रभार 0001 जिला प्रभार	2298.17	741.46	1556.71	1965.32	408.61
2	20	2210 fpfdRI k , 08 ykd LokLF;					
		गैर योजना 03 ग्रामीण—स्वास्थ्य सेवाएं—एलोपैथी 101 स्वास्थ्य उपकरण 0001 ग्रामीण औषधालय	2454.57	540.67	1913.90	2202.93	289.03
3	39	2245 प्राकृतिक आपदाओं हेतु सहाय्य					
		गैर योजना 02 बाढ़ चक्रवात इत्यादि 112 आबादी खाली कराना 0002 आबादी विस्थापन	1000.00	542.53	457.47	712.85	255.38
4	42	4515 अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय					
		राज्य योजना 103 ग्रामीण विकास योजना 0101 न्यूनतम आवश्यकता योजना	8641.40	7576.15	1065.25	1790.62	725.37
5	49	4701 वृहत एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
		राज्य योजना 04 मध्यम सिंचाई अन्य व्यवसायिक 800 अन्य व्यय 0118 उत्तर बिहार सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी.)	6500.00	1963.00	4536.95	4948.44	411.49
		dy	20894.14	11363.81	9530.28	11620.16	2089.88

i f' k"V&XXIII

॥ nHk% dMdk 2-3-10 (i "B % 27॥

i R; kf' kr cpr vHk; fi r ugh fd, x; s

॥i'; s djM- e॥

Øe I a	vunku@ fofu; kx dh I a[; k , o ^a uke	dy vunku	cpr	vU; khkfi r cpr	cpr dk i fr' kr
jktLo i Hkx nUkeUk					
1	1-कृषि विभाग	210.08	73.91	35.58	48
2	2-पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग	88.17	23.05	1.67	7
3	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	7.08	2.03	1.16	57
4	9-सहकारिता विभाग	37.86	10.57	4.28	40
5	10- ऊर्जा विभाग	14.96	6.43	5.10	79
6	12-वित्त विभाग	61.49	15.33	3.02	20
7	18- खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	54.57	14.42	1.58	11
8	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	53.78	21.14	5.96	28
9	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	716.54	185.56	37.41	20
10	22- गृह विभाग	1085.64	136.55	17.95	13
11	23- उद्योग विभाग	47.01	20.92	9.45	45
12	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	176.15	34.87	10.10	29
13	27- विधि विभाग	148.44	41.84	16.27	39
14	33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	13.61	7.04	1.19	17
15	35- योजना एवं विकास विभाग	30.17	10.43	4.10	39
16	37- राजभाषा विभाग	13.62	1.98	1.44	73
17	39- सहाय्य एवं पुर्नवास विभाग	106.37	50.40	20.27	40
18	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	239.34	53.42	45.19	85
19	42- ग्रामीण विकास विभाग	914.83	287.84	132.37	46
20	43- विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग	51.78	26.22	26.22	100
21	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	3044.26	696.75	630.15	90
22	46- पर्यटन विभाग	7.22	3.15	2.41	77
23	48- नगर विकास विभाग	129.60	43.55	17.56	40
24	49- जल संसाधन विभाग	230.33	28.05	9.90	35
25	50- लघु सिंचाई विभाग	274.87	169.37	154.04	91
26	51- कल्याण विभाग	442.29	183.59	183.59	100
		dy	8200.06	2148.41	1377.96

Øe a	vumku@ fofu; kx dh a[; k , oa uke	dly vumku	cpr	vU; khkfj r cpr	cpr dk i fr'kr
i pthxr nUkeÜk i Hkkx					
1	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	153.78	113.28	8.13	7
2	8- नागरिक उड़डयन विभाग	1.00	1.00	1.00	100
3	9- सहकारिता विभाग	37.02	19.52	2.12	11
4	12- वित्त विभाग	12.58	10.64	1.46	14
5	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	30.11	25.33	15.32	60
6	22- गृह विभाग	102.52	102.24	27.20	27
7	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	186.72	113.78	17.79	16
8	42- ग्रामीण विकास विभाग	593.51	120.21	29.85	25
9	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	56.66	12.11	11.51	95
10	49- जल संशाधन विभाग	661.77	315.73	3.25	1
	dly	1835.67	833.84	117.63	
jktLo i Hkkfj r i Hkkx					
1	13- सुद भुगतान	3418.27	75.23	65.20	87
	dly	3418.27	75.23	65.20	
	dly ; kx	13454.00	3057.48	1560.79	

i f j f' k" V&XXIV

॥ nHk% dMdk 2-3-10 (i "B % 27॥

ekpl 2004 ekg ds vfre fnu vh; fi lr jkf' k

०१ ।।	vunku@fofu; lkx dk uke , oal l q; k jktLo çhkkx ॥kkfj r॥	ekpl 2004 ekg ds vfre fnu vh; fi lr jkf' k ॥#i ; s dj kM+ e॥
1	1. कृषि विभाग	38.33
2	2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	21.38
3	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	9.52
4	4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	0.87
5	6. निर्वाचन	23.03
6	7. सर्तकता	0.68
7	8. नागरिक उद्डयन विभाग	0.49
8	9. सहकारिता विभाग	6.29
9	10. ऊर्जा विभाग	1.33
10	11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2.70
11	12. वित्त विभाग	12.31
12	15. पेंशन	0.53
13	16. राष्ट्रीय बचत	0.55
14	17. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	10.70
15	18. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	12.84
16	19. बन एवं पर्यावरण विभाग	15.18
17	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	148.15
18	21. उच्चतर शिक्षा विभाग	34.13
19	22. गृह विभाग	118.60
20	23. उद्योग विभाग	11.46
21	24. सूचना एवं प्रायोगिकी विभाग	1.48
22	25. संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयित विभाग	1.32
23	26. अम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	24.77
24	27. विधि विभाग	25.57
25	29. खनिज एवं भूगर्भ विभाग	1.17
26	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	0.57
27	31. संसदीय कार्य विभाग	0.07
28	32. विधान मंडल	2.80
29	33. कर्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	5.85
30	35. योजना एवं विकास विभाग	6.34
31	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	18.89
32	37. राजभाषा विभाग	0.54
33	38. निबंधन विभाग	5.86
34	39. सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	30.13
35	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	8.23
36	41. पथ निर्माण विभाग	35.79
37	42. ग्रामीण विकास विभाग	155.47
38	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	66.60

39	45. गन्ना विभाग	2.99
40	46. पर्यटन विभाग	0.73
41	47. परिवहन विभाग	2.01
42	48. शहरी विकास विभाग	26.00
43	49. जल संसाधन विभाग	18.15
44	50. लघु सिंचाई विभाग	15.33
45	52. युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	4.69
	dy	930.42
jktLo Hkkfjr [k.M]		
1	5. गर्वनर का सचिवालय	0.18
2	13. ब्याज भुगतान	10.02
3	28. बिहार का उच्च न्यायालय	5.48
4	32. विधान सभा	0.02
5	34. बिहार लोक सेवा आयोग	3.14
	dy	18.84
i pth Hkkfjr [k.M]		
1	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	105.14
2	9. सहकारिता विभाग	17.40
3	10. ऊर्जा विभाग	183.25
4	12. वित्त विभाग	9.18
5	19. बन एवं पर्यावरण विभाग	0.60
6	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	10.02
7	22. गृह विभाग	75.04
8	23. उद्योग विभाग	1.50
9	25. संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयित विभाग	1.50
10	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	95.99
11	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	0.04
12	41. पथ निर्माण विभाग	69.13
13	42. ग्रामीण विकास विभाग	90.37
14	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	0.60
15	45. गन्ना विभाग	2.10
16	47. परिवहन विभाग	3.30
17	48. शहरी विकास विभाग	7.62
18	49. जल संसाधन विकास विभाग	312.38
19	50. लघु सिंचाई विभाग	62.77
20	52. युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	3.82
	dy	1051.75
i pth nUkeUk [k.M]		
1	14. ऋण का पुर्नभुगतान	296.45
	dy	296.45
	dy ; kx	2297.46

i f j f' k"V&XXV

1/ nHk% dMdk 2-3-11 (i "B % 27%

vunku ea okLrfod cpr I s vf/kd vH; i z k

Øe I a	fofu; kx@vunku dk uke , oa I a; k	dly vunku	cpr	i R; kf i r j kf' k	vf/kd j kf' k dk i R; ki z k
<i>jktLo çHkkx & Hkkfjr</i>					
1	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	96.16	8.27	9.52	1.25
2	6. निर्वाचन	52.29	22.26	23.03	0.77
3	17. वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	28.26	6.75	10.7	3.95
4	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	126.76	10.8	18.89	8.09
5	38. निबंधन विभाग	24.62	2.10	5.86	3.76
6	41. पथ निर्माण विभाग	230.22	27.56	35.79	8.23
7	47. परिवहन विभाग	6.29	1.94	2.01	0.07
	dly	564.60	79.68	105.80	26.12
<i>i pthxr i Hkkx & Hkkfjr</i>					
8	25-संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	1.5	1.49	1.5	0.01
	dly	566.10	81.17	107.30	26.13

i f j f' k"V&XXVI

॥ nHk% dMdk 2-3-11 (i "B % 27॥

fofukku vupuku@fofu; kstuks ds vrxi vfoodi wkl i pofu; kstu

(रूपये करोड. में)

Øe I a	fofu; kx@vupku dk uke , oa I q; k	dly i ko/kku ley + ij d%	okLrfod 0; ;	vf/kD;	vH; I . k Vi pofu; kstu%	i pofu; kstu ds ckn vkf/kD;
	jktLo nukeUk vupku					
1.	11 उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग	16.05	16.49	0.44	2.69	3.13
2.	15 पेशन	2207.20	2267.20	60.00	0.53	60.53
	i tthi nukeUk vupku					
3.	10 ऊर्जा विभाग	1382.31	2792.23	1409.92	183.25	1593.17
4.	50 लघु सिंचाई विभाग	95.58	175.22	79.64	62.77	142.41
	पूर्णी भारित अनुदान					
5.	14 लोकऋण की अदायगी	3423.42	5652.98	2229.56	296.45	2526.01
	dly	7124.56	10904.12	3779.56	545.69	4325.25

i f j f' k"V&XXVII

॥ nHk% dMdk 2-3-12 (i "B % 27॥

मार्च 2004 में व्यय की तीव्रता

dk"kkxkj ekg	jktLo 0; ;	i wthxr 0; ;	dly 0; ;	i R; d frekgh ei 0; ; dk ifr'kr	ekpl ekg ei 0; ; dk ifr'kr
अप्रैल 2003	431.83	11.56	443.39		
मई 2003	863.54	23.98	887.52		
जून 2003	497.04	41.52	538.56		
dly	1792.41	77.06	1869.47	13	
जुलाई 2003	741.80	50.68	792.48		
अगस्त 2003	1043.39	46.92	1090.31		
सितम्बर 2003	1179.28	58.18	1237.46		
dly	2964.47	155.78	3120.25	22	
अक्टुबर 2003	986.95	48.27	1035.22		
नवंबर 2003	689.92	56.40	746.32		
दिसंबर 2003	716.14	62.08	778.22		
dly	2393.01	166.75	2559.76	18	
जनवरी 2004	780.36	104.84	885.20		
फरवरी 2004	820.95	156.60	977.55		
मार्च 2004 (पी)	2424.75	441.86	2866.60		
मार्च 2004 (एस)	1534.88	446.29	1981.18		
dly	5560.94	1149.59	6710.53	47	34
dly ; lk	12710.83	1549.17	14260.00	100	

i f' k " V & XXVIII

1/1 nHk % dMdk 2-3-13 (i "B % 28½

असमाशोधित व्यय की विवरणी

वर्ष 2003–04 के दौरान निम्नलिखित लेखा में समाशोधित नहीं मिलान किया गया।

(करोड़ रुपये में)

ogÜk 'kh"kl	j kf' k
2202	2777.63
2203	25.30
2204	9.98
4202	54.16
2205	8.85
2210	388.02
4210	4.78
2055	825.11
2047	3.34
2058	8.16
2220	11.11
4702	175.22
2401	81.86
2405	8.14
2501	24.57
2404	3.63
2070	64.26
2701	150.45
3054	202.04
5054	61.53
2211	146.24
2071	2268.83
2702	106.12
2810	1.15
2851	17.40
2852	9.01

ogÜk 'kh"kl	j kf' k
3456	39.08
2039	16.19
2054	12.18
2245	54.39
3454	11.11
4711	83.45
2014	122.30
2045	0.46
2059	92.82
4216	2.53
4701	262.69
4801	300.39
2029	116.12
2049	3343.05
dy	11893.65

। फॉर्म वी & XXIX

॥ अन्तर्क्रम दस्तावेज़ 2-3-4 (इन्डियन बुक्स % 25%)

; क्षेत्रकार्य ; क्षेत्रकार्य दस्तावेज़ संग्रह संग्रह कार्यालय दस्तावेज़

विवरण			
क्षेत्रकार्य	दस्तावेज़ इकाई	कार्यालय दस्तावेज़	कार्यालय दस्तावेज़
राज्य योजना	3000.97	2545.27	455.70
केन्द्र योजना	3.78	2.39	1.39
केन्द्र प्रायोजित	521.72	221.89	299.83
दस्तावेज़	3526.47	2769.55	756.92

जटिल क्षेत्रकार्य दस्तावेज़ : दस्तावेज़ इकाई दस्तावेज़ कार्यालय दस्तावेज़

क्षेत्रकार्य	दस्तावेज़ इकाई	कार्यालय दस्तावेज़	कार्यालय दस्तावेज़	कार्यालय दस्तावेज़
1. विभागीय भवन निर्माण				
4059 लोक कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 60 अन्य भवने 800 अन्य व्यय 0103 महिला पुलिस हेतु सुविधाएँ (पुलिस भवन निर्माण निकाय)		2.47	0.00	2.47
80 सामान्य 051 निर्माण 0104 केन्द्रीय मंडल/उप-कारा का निर्माण एवं अनुरक्षण (XI वें वित्त आयोग के अनुशंसा के प्रकाश में)		4.05	0.00	4.05
0105 भवन निर्माण विभाग-न्यायिक भवनों का निर्माण (XI वें वित्त आयोग के अनुशंसा के प्रकाश में)		1.48	0.00	1.48
0107 पुरातत्व विरासत की सुरक्षा-कला भवनों एवं संग्रहालय का पुनरुद्धार एवं निर्माण और पुरातात्त्विक कृतियों का अनुरक्षण एवं सुरक्षा (XI वें वित्त आयोग के अनुशंसा के प्रकाश में)		1.52	0.00	1.52
0108 भवन निर्माण (सूचना एवं प्रसारण विभाग)	1.00	0.00	0.00	1.00
0110 न्यायिक भवन (भवन निर्माण विभाग)	2.97	0.00	0.00	2.97
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01 सरकारी आवासीय भवन 700 अन्य आवास 0101 अन्य आवास 0102 न्यायिक आवासीय भवन		1.74 2.33	0.00 0.00	1.74 2.33
दस्तावेज़	17.56	0.00	0.00	17.56

०े- िा	; kst uk dk uke	dy i ko/kku	okLrfod ०; ;	cpr
2.	vupku ꝑ; k . 8			
	5053 नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय 02 विमान प्रत्तन 102 हवाई अड्डा 0101 हवाई अड्डा	1.00	0.00	1.00
	dy	1.00	0.00	1.00
3.	vupku ꝑ; k . 20			
	4210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 0102 रेफरल अस्पताल के अर्द्ध निर्मित भवनों का निर्माण	9.00	0.00	9.00
	dy	9.00	0.00	9.00
4.	vupku ꝑ; k . 33			
	2053 जिला प्रशासन 093 जिला स्थापना 0102 प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र बिहार पटना	1.00	0.00	1.00
	dy	1.00	0.00	1.00
5.	vupku ꝑ; k . 36			
	4215 जलापूर्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01 जलापूर्ति 102 ग्रामीण जलापूर्ति 0107 प्रधानमंत्री ग्रामीण उत्थान योजना—निर्माणधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	6.95	0.00	6.95
	dy	6.95	0.00	6.95
6.	40. vupku ꝑ; k			
	2029 भू—राजस्व 800 अन्य व्यय 0102 भूमिहीनों के लिए संपर्क हेतु भू—अधिग्रहण लागत	2.00	0.00	2.00
	dy	2.00	0.00	2.00
7.	vupku ꝑ; k . 43			
	2203 तकनीकी शिक्षा 112 अभियंत्रण/तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्थान 0101 उपाधि एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	1.46	0.00	1.46
	004 अनुसंधान 0101 बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परिषद, पटना दूर संचेदी केन्द्र/इन्द्रिरा गांधी विज्ञान केन्द्र, तारामंडल, पटना	1.00	0.00	1.00
	dy	2.46	0.00	2.46

०े- ।।	; kst uk dk uke	dy i ko/kku	okLrfod 0; ;	cpr
8.	vupku ॥; k . 44			
	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्राथमिक शिक्षा 107 शिक्षक प्रशीक्षण 0101 शिक्षक प्रशीक्षण	1.50	0.00	
	<i>dy</i>	1.50	0.00	1.50
9.	vupku ॥; k . 48			
	2217 शहरी विकास 80 सामान्य 191 स्थानीय निकाय/निगम/शहरी विकास को सहायता 0101 सुधार न्यास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान	1.91	0.00	1.91
	192 नगरपालिका एवं नगर परिषद 0701 नगर निगम को निजी कार्य हेतु सहायता अनुदान	5.19	0.00	5.19
	193 नगर पंचायत एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति 0701 नगर निगम के निजी कार्य हेतु सहायता अनुदान	4.49	0.00	4.49
	<i>dy</i>	11.59	0.00	11.59
10.	vupku ॥; k . 49			
	4701 वृहत एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 04 मध्यम सिंचाई—अव्यवसायिक 800 अन्य व्यय 0120 उत्तर बिहार सिंचाई परियोजना (नाबाड प्रायोजित परियोजना)	2.46	0.00	2.46
	0121 दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना (नाबाड प्रायोजित परियोजना)	13.73	0.00	13.73
	<i>dy</i>	16.19	0.00	16.19
11.	vupku ॥; k . 50			
	2702 लघु सिंचाई 02 भू-जल 005 अनुसंधान 0105 राष्ट्रीय सम विकास योजना	144.57	0.00	144.57
	4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 102 भू-जल 0103 नये/अपूर्ण उच्च सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने हेतु नाबाड से ऋण	1.35	0.00	1.35
	<i>dy</i>	145.92	0.00	145.92

Øe- l a	; kstuk dk uke	dy i ko/kku	okLrfod 0; ;	cpr
12.	vupku a; k . 51			
	2225 अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजाति का कल्याण 277 शिक्षा 2236 पोषण 02 पोषक खाद्य एवं पेयों का वितरण 101 विशेष पोषण योजना 0802 अल्प पोषित गर्भवती/प्रसवात्तर महिला और किशोरी कन्याओं को खाद्य अनाज वितरण हेतु विषेष योजना	7.70	0.00	7.70
	<i>dy</i>	7.70	0.00	7.70
	dy: (jkT; ; kstuk)	222.87	0.00	222.87

dlnz i k; kftr ; kstuk ds vllrxtr , d djkm- vkg vf/kd dk l elr cpr

Øe- l a	; kstuk dk uke	dy i ko/kku	okLrfod 0; ;	cpr
1.	vupku a; k . 1			
	2401-फसल पालन 119 बागबानी एवं हरी सब्जी (सब्जी फसल) 0606 विकित्सकीय पौधे विकास योजना	1.52	0.00	1.52
	2415 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा 01 फसल पालन 004 अनुसंधान 0601 दियारा क्षेत्र विकास योजना	1.34	0.00	1.34
	<i>dy</i>	2.86	0.00	2.86
3.	vupku a; k . 3			
	4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01 सरकारी आवासीय भवन 700 अन्य आवास 0602 न्यायिक आवासीय भवन	1.86	0.00	1.86
	<i>dy</i>	1.86	0.00	1.86
3.	vupku a; k . 36			
	4215 जलापूर्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01 जलापूर्ति 102 ग्रामीण जलापूर्ति 0603 त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना	1.73	0.00	1.73
	<i>dy</i>	1.73	0.00	1.73

०े- िा	; kstuk dk uke	dy i ko/kku	okLrfod ०; ;	cpr
4.	vupku a; k . 49			
	4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियंत्रण 800 अन्य नियंत्रण 0601 चम्पारण तटबंध का विस्तार एवं सुदृढीकरण 0603 गंगा के अतिरिक्त अन्य नदी पर क्षरण रोधी कार्य (नेपाल क्षेत्र में कोसी नदी हेतु) 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता	3.49 2.69	0.00 0.00	3.49 2.69
	dy	6.18	0.00	6.18
6.	vupku a; k . 51			
	2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 01 अनुसूचित जाति कल्याण 277 शिक्षा 0602 छात्राओं हेतू छात्रावास—वृहत निर्माण कार्य	1.15	0.00	1.15
	0605 छात्रों हेतू छात्रावास—वृहत निर्माण कार्य	1.15	0.00	1.15
	0613 प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति	1.00	0.00	1.00
	793 अनुसूचित जाति हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता			
	0602 हरिजनों के बहुद्वेशीय विकास हेतू विशेष समेकित योजना— विशेष केन्द्रीय सहायता	5.00	0.00	5.00
	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 0601 प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति	5.00	0.00	5.00
	0602 पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति	1.55	0.00	1.55
	0606 छात्रों हेतू छात्रावास—वृहत निर्माण कार्य	2.30	0.00	2.30
	0607 छात्रों हेतू छात्रावास—वृहत निर्माण कार्य	1.15	0.00	1.15
	2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02 समाज कल्याण 103 महिला कल्याण 0605 बालिका समृद्धि योजना सहायता अनुदान	10.24	0.00	10.24
	dy	28.54	0.00	28.54
	; kx (केंप्रायो)	41.17	0.00	41.17
	; kx : (राया + केंप्रायो)	264.04	0.00	264.04

jkt; ; kstuk vJrxJr , d djkM- : i ; s , oafvf/kd dk fo'kky cpr

०e- l a	; kstuk dk uke	dly i klo/kku	okLrfod ०; ;	cpr
1.	vupku a; k . 1			
	2401-फसल पालन 109 प्रसार एवं प्रशिक्षण 0102 क्षेत्र विकास-कमान स्तर	27.53	13.88	13.65
	001 आयाकट विकास 0102-कृषि प्रसार सेवा	9.62	6.52	3.10
	dly	37.15	20.40	16.75
2.	vupku a; k . 3			
	4059 लोक कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01 कार्यालय भवन 051 निर्माण सामान्य कोटा समायोजन 0101 भवन	2.58	0.05	2.53
	dly	2.58	0.05	2.53
3.	vupku a; k . 10			
	2810 अपारंपरिक ऊर्जा श्रोत 60 अन्य 600 अन्य ऊर्जा श्रोत 0101 अपारंपरिक ऊर्जा श्रोत, सहायता अनुदान	3.94	1.15	2.79
	dly	3.94	1.15	2.79
4.	vupku a; k . 20			
	2810 अपारंपरिक ऊर्जा श्रोत 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 101 स्वास्थ्य उपकेन्द्र 0101 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	40.66	24.89	15.77
	110 अस्पताल एवं औषधालय 0801 एलोपैथी	12.08	9.40	2.68
	4210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 0701 अन्य व्यय	8.21	3.65	4.56
	dly	60.95	37.94	23.01
5.	vupku a; k . 23			
	2851 ग्रामीण एवं लघु उद्योग 102 लघु उद्योग 0103 जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना	9.86	5.61	4.25
	dly	9.86	5.61	4.25

०े- िा	; kstuk dk uke	d़y i ko/kku	okLrfod ०; ;	cpr
6.	vupku ꝑ; k . 26			
	2230 श्रम एवं नियोजन 02 रोजगार सेवा 800 अन्य व्यय 0102 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	52.47	45.34	7.13
	d़y	52.47	45.34	7.13
7.	vupku ꝑ; k . 27			
	2014 न्याय प्रशासन 105 सिविल एवं सत्र न्यायालय 0701 सिविल एवं सत्र न्यायालय	6.55	2.25	4.30
	d़y	6.55	2.25	4.30
8.	vupku ꝑ; k . 35			
	2053 जिला प्रशासन 800 अन्य व्यय 0102 योजना तंत्र का सुटूढीकरण	7.31	3.13	4.18
	d़y	7.31	3.13	4.18
9.	vupku ꝑ; k . 36			
	4215 जलापूर्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01 जलापूर्ति 102 ग्रामीण जलापूर्ति 0103 ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना	25.00	14.66	10.34
	d़y	25.00	14.66	10.34
	0105 प्रधानमंत्री ग्रामोउत्थान योजना—पुराने चापाकलों के स्थान पर नये नलकुपों का निर्माण (अ) सामान्य	17.09	10.45	6.64
	0106 प्रधानमंत्री ग्रामोउत्थान योजना—प्राथमिक मध्य विद्यालय में जलापूर्ति	5.70	0.12	5.58
	02 नाला एवं स्वच्छता 106 नाला सेवाएं 0101 ग्रामीण स्वच्छता—अतिरिक्त राज्य सहायता (जी०एस०एस)	2.80	1.73	1.07
	d़y	50.59	26.96	23.63
10.	vupku ꝑ; k . 40			
	2029 भुराजस्व 102 सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती अभियान 0101 पुनरीक्षण एवं सर्वेक्षण एवं बदोबस्ती अभियान	11.87	10.03	1.84
	d़y	11.87	10.03	1.84
	104 सरकारी संपत्तियों का प्रबेध 0701 XI वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर व्यय	5.02	3.64	1.38
	d़y	16.89	13.67	3.22

०े- िा	; kstuk dk uke	d़y i ko/kku	okLrfod ०; ;	cpr
11.	vupku ꝑ; k . 42			
	2501 ग्रामीण विकास हेतु विशेष योजना 01 समैक्यित ग्रामीण विकास योजना 800 अन्य व्यय 0102 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	28.08	23.20	4.88
	01 राष्ट्रीय योजना 0107 इन्दिरा आवास योजना	65.51	51.61	13.90
	0110 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	99.74	85.59	14.15
	2515 अन्य ग्रामीण विकास योजना 001 निर्देशन एवं प्रशासन 0701 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	108.97	0.07	108.90
	4515 अन्य ग्रामीण विकास योजना पर पूँजीगत परिव्यय 103 ग्रामीण विकास 0109 विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों की अनुशंसा पर योजना का कार्यान्वयन	458.33	419.45	38.88
	d़yk	760.63	579.92	180.71
12.	vupku ꝑ; k . 43			
	2203 तकनीकी शिक्षा 105 पोलिटेक्निक 0101 डिप्लोमा पाठ्यक्रम—विश्व बैंक अनुदानित पोलिटेक्निक शिक्षा सुट्रॉफिकरण परियोजना	2.69	0.83	1.86
	d़y	2.69	0.83	1.86
13.	vupku ꝑ; k . 44			
	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्राथमिक शिक्षा 102 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 0801 शासकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	25.71	24.34	1.37
	800 अन्य व्यय 0102 न्यूनतम प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के अन्तर्गत रोजगारोन्मुख आवश्यकता योजना के अन्तर्गत	116.33	81.17	35.16
	0109 बिहार शिक्षा परियोजना	6.00	3.33	2.67
	0111 सर्व शिक्षा अभियान 04 व्यस्क शिक्षा 800 अन्य व्यय	80.00	66.18	13.82
	0102 व्यस्क शिक्षा	12.77	3.78	8.99
	2205 कला एवं संस्कृति 105 लोक पुस्तकालय 0701 XI वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर लोक पुस्तकालय (सहायता अनुदान)	6.91	4.52	2.39

०े- िा	॒ क्षु उक् द्व उके	॒ ड्यि िो/क्कु	॒ ओल्रफोड ०; ;	॒ स्प्रि
	4202 शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 201 प्राथमिक शिक्षा 0701 प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण	25.40	15.88	9.52
	0801 प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण एवं पीने का पानी, शौचालय की व्यवस्था	27.21	23.78	3.43
	॒ ड्यि॑	300.33	222.98	77.35
14.	vupku ॥; क . 46			
	3452 पर्यटन 01 पर्यटक अंतसंरचना 101 पर्यटक केन्द्र 0101 पर्यटक सुचना केन्द्र का कम्प्यूटरीकरण	3.80	1.28	2.52
	॒ ड्यि॑	3.80	1.28	2.52
15.	vupku ॥; क . 48			
	2217 शहरी विकास 80 सामान्य 191 स्थानीय निकायों निगमों शहरी विकास प्राधिकरण का सहायता 0701 नगर निगम को निजी कार्य हेतु सहायता	11.13	7.40	3.73
	800 अन्य व्यय 0115 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हेतु सहायता अनुदान	3.14	1.42	1.72
	॒ ड्यि॑	14.27	8.82	5.45
16.	vupku ॥; क . 49			
	4701 बृहत एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 04 मध्यम सिंचाई—अव्यवसायिक 800 अन्य व्यय 0117 दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी.)	94.66	0.16	94.50
	4711 बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01 बाढ नियंत्रण 001 निर्देशन एवं प्रशासन 0108 गंगा नदी पर क्षरणरोधी कार्य	6.33	0.04	6.29
	॒ ड्यि॑	100.99	0.20	100.79

०े- िा	; kstuk dk uke	d़y i ko/kku	okLrfod ०; ;	cpr
17.	vupku a; k . 50			
	2702 लघु सिंचाई 02 भूजल 005 अनुसंधान 0101 सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	3.85	2.66	1.19
	103 नलकूप 0101 राज्य नलकूप	19.41	17.01	2.40
	d़y	23.26	19.67	3.59
18.	vupku a; k . 51			
	2225 अनुजाति/जन-जाति एवं अन्य पिछडे. वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जाति का कल्याण 277 शिक्षा 0101 शिक्षा	3.74	0.48	3.26
	02 अनुसूचित जनजाति का कल्याण 102 आर्थिक विकास 0102 अनुसूचित जनजाति हेतु केन्द्रीय सहायता	6.27	4.12	2.15
	03 पिछडे. वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 0101 शिक्षा	2.91	1.23	1.68
	0107 छात्रों हेतु छात्रावास वृहत निर्माण कार्य	2.30	0.07	2.23
	d़y	15.22	5.90	9.32
	d़y: (jkt; ; kstu)	1469.48	996.10	473.38

d़lnz i k; kstr ; kstukvka ds v/khu , d djkm- : i ; s vkj vf/kd dk fo'kky cpr

०े- िा	; kstuk dk uke	d़y i ko/kku	okLrfod ०; ;	cpr
1.	vupku a; k . 1			
	2401-फसल पालन 001 निर्देशन एवं प्रशासन 0602 कृषि बाजार (वृहत स्तर 10:90)	6.12	2.40	3.72
	2705 कमान क्षेत्र विकास 001 आयाकट विकास 0602 क्षेत्र विकास—कमान स्तर	10.52	0.92	9.60
	d़y	16.64	3.32	13.32
2.	vupku a; k . 20			
	2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—एलोपैथी 102 यूनानी 0602 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कालाजार	5.13	2.18	2.95

Øe- l a	; kst uk dk uke	dly i klo/kku	okLrfod 0; ;	cpr
	2211 परिवार कल्याण 001 निर्देशन एवं प्रशासन 0603 तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण जिला कल्याण ब्यूरो	7.99	6.41	1.58
	105 क्षतिपूर्ति 0601 क्षतिपूर्ति	6.51	2.77	3.74
	dly	19.63	11.36	8.27
3.	vupku ꝑ; k . 36			
	4215 जलापूर्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01 जलापूर्ति 102 ग्रामीण जलापूर्ति 0602 केन्द्रीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना	29.67	12.62	17.05
	dly	29.67	12.62	17.05
4.	vupku ꝑ; k . 45			
	2401 फसल पालन 108 व्यवसायिक फसल 0607 गन्ना अपशिष्ट फसल योजना का राष्ट्रीय विकास (वृहत प्रबंध)	1.91	0.46	1.45
	dly	1.91	0.46	1.45
5.	vupku ꝑ; k . 49			
	4711 बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01 बाढ नियंत्रण 800 अन्य व्यय 0610 गंगा नदी पर क्षरण रोधी कार्य	3.68	0.02	3.66
	dly	3.68	0.02	3.66
6.	vupku ꝑ; k . 51			
	2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02 सामाजिक कल्याण 102 बाल कल्याण 0602 समेकित बाल विकास योजना	149.45	57.72	91.73
	0603 वाह्य प्रायोजित योजना (विश्व बैंक प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना)	69.33	45.80	23.53
	103 महिला कल्याण 0602 इन्दिरा महिला सहायता अनुदान	5.57	1.07	4.50
	dly	224.35	104.59	119.76
	dly (केऽप्राऽयो)	295.88	132.37	163.51
	dly ; kx (राऽयो + केऽप्राऽयो)	1765.36	1128.47	636.89

i f'f' k"V&XXX

॥ nHk% dMdk 3-4-7 (i "B % 61॥

egkfo | kky; k| e| 'k| kfud de|pkfj ; k| dk Lohdr , o| i nLFkkfi r cy

egkfo ky; dk uke	i n	Hkk-vkSdsi @gks dsi i ko/kku	I j dkj }kj k i Lrkfor	dk; j r cy
राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटना	प्राध्यापक	12	10	1
स्नाकोत्तर विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय		उपलब्ध नहीं	1	शुन्य
राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बेगुसराय		12	10	शुन्य
एस.वाई.एन.ए आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भागलपुर		12	1	शुन्य
राजकीय तिब्बी महाविद्यालय, पटना		7	6	2
आर.बी.टी.एस राजकीय होमियोपेथिक स्वास्थ्य महाविद्यालय, मुज्जफरपुर		13	5	1
राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटना	रिडर	12	12	3
स्नाकोत्तर विभाग, पटना		उपलब्ध नहीं	2	1
आर.ए.एस आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भागलपुर		12	12	1
एस.वाई.एन.ए आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भागलपुर		12	2	1
राजकीय तिब्बी महाविद्यालय, पटना		7	6	शुन्य
आर.बी.टी.एस राजकीय होमियोपेथिक स्वास्थ्य महाविद्यालय, मुज्जफरपुर		15	4	3
राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटना	व्याख्याता	21	28	28
स्नाकोत्तर विभाग, पटना		उपलब्ध नहीं	3	3
आर.ए.एस आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भागलपुर		21	48	14
एस.वाई.एन.ए आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भागलपुर		21	10	6
राजकीय तिब्बी महाविद्यालय, पटना		20	11	10
आर.बी.टी.एस राजकीय होमियोपेथिक स्वास्थ्य महाविद्यालय, मुज्जफरपुर		15	24	20

i fj f' k"V&XXXI

॥ nHk% dMdk 3-4-7 (i "B % 61 ॥

egkfo | kky; ka e xj & 'kfkud depkfj ; ka dk Lohdr , oa inLFkkfi r cy

egkfo ky; dk uke	i n	Hkk-vkSdsi @gks dsi i ko/kku	I j dkj }kj k i Lrkfor	dk; j r cy
राजकीय आयुर्वेदिक महाविधालय, पटना	प्रयोगशाला सहायक	15	8	1
आर.बी.टी.एस मुज्जफरपुर		2	1	1
राजकीय तिब्बी महाविद्यालय, पटना		4	3	3
राजकीय आयुर्वेदिक महाविधालय, पटना	टंकक	13	3	3
आर.ए.एस.ए बेगुसराय		13	शुन्य	शुन्य
एस.वाई.एन.ए. भागलपुर		13	शुन्य	शुन्य
राजकीय तिब्बी महाविद्यालय, पटना		7	1	1
आर.बी.टी.एस मुज्जफरपुर		अनिर्णित	1	1
राजकीय आयुर्वेदिक महाविधालय, पटना	म्युजियम कीपर	9	4	3
आर.ए.एस.ए बेगुसराय		9	5	4
एस.वाई.एन.ए. भागलपुर		9	शुन्य	शुन्य
आर.बी.टी.एस मुज्जफरपुर		अनिर्णित	1	1
राजकीय आयुर्वेदिक महाविधालय, पटना	चपरासी	25	6	6
स्नाकोत्तर विभाग, पटना		उपलब्ध नहीं	1	शुन्य
आर.ए.एस.ए बेगुसराय		25	29	19
एस.वाई.एन.ए. भागलपुर		25	9	4
राजकीय तिब्बी महाविद्यालय, पटना		7	12	10
आर.बी.टी.एस मुज्जफरपुर		अनिर्णित	24	23
राजकीय आयुर्वेदिक महाविधालय, पटना	सफाईवाला	6	7	2
स्नाकोत्तर विभाग, पटना		उपलब्ध नहीं	1	शुन्य
आर.ए.एस.ए बेगुसराय		6	6	1
एस.वाई.एन.ए. भागलपुर		6	3	2
राजकीय तिब्बी महाविद्यालय, पटना		8	7	5
आर.बी.टी.एस मुज्जफरपुर		अनिर्णित	4	3

i f'f' k"V&XXXII

॥ nikk % dMdk 3-5-10 (i "B % 72॥

logr fodkl dñnl

31-03-2004 तक पाँच वृहत विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त निधि एवं व्यय की विवरणी

(रुपये लाख में)

०e ।।	ftyk dk uke tgkw ogr fodkl dñl LFkki r fd; k tkuk Fkk	dk; klo; ou@uks My vfkldj.k dk uke	vf/kxg.k gsw i lrfor dy ev; %, dM- e%	31.03.2004 rd dy vf/kxfhr Hkfe %, dM- e%	vupkfr vupkfr ykr	31.03.2004 rd i klr fuf/k			31.03.2004 rd gvk 0; ;					31.03.2004 vo'ksh rd	vll; fDr
						dñl;	jkt; I jdkj vñkrku	dy	Hkfe ,oa LFky fodkl	vks kfxd vr% l jpu	I kftd vr% l jpu	vll;	dy		
	भागलपुर	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय पटना	1111.44	424.45	3000.00	50.00	392.77	442.77	434.08	Nil	Nil	25.00	459.08	(-) 16.31	रुपये 16.31 लाख का व्यय प्राधिकरण के अपने संसाधन द्वारा हुआ।
	बेगुसराय	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा	1078.00	392.535	2475.00	500.00	697.75	1197.75	913.94	5.20	Nil	24.73	943.87	253.88	
	दरभंगा	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा	500.00	--	4113.00	50.00	142.50	192.50	--	--	--	--	--	192.50	
	मुजफ्फरपुर (मोतीपुर)	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर	456.32	--	3311.00	50.00	90.00	140.00	--	--	--	9.64	9.64	130.36	
	छपरा	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर	500.00	--	3511.00	50.00	90.00	140.00	--	--	--	9.64	9.64	130.36	
	योग		3645.76	816.985	16410.00	700.00	1413.02	2113.02	1348.02	5.20	Nil	69.01	1422.23	707.10	

i f j f' k" V & XXXIII

1/1 nHk% dMdk 3-5-11 (i "B % 73%

व्यापक विवरण

ठेकाना	केन्द्र जहाँ स्थित है	से प्राप्त राशि			व्यय					खर्च न हुई राशि	आधिक्य व्यय की राशि	
		अनुमानित लागत	केन्द्र	राज्य	कुल	भूमि का अधिग्रहण एवं स्थल विकास	औद्योगिक अतःसंरचना	सामाजिक अतःसंरचना	अन्य	कुल		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. fx/kk Hkkst ij	600.00	100	165	265	114.88	152.06	10.76	37.70	315.40	-	50.40	
2. vkgxkcln	600.00	-	165	165	128.97	133.31	1.55	26.08	289.91	-	124.91	
3. [lxFM;- k	600.00	50	165	215	55.00	-	-	5.82	60.82	154.18	-	
4. ukylnk	600.00	-	165	165	-	-	-	-	-	165.00	-	
5. i f. k k	600.00	50	200	250	117.00	64.00	-	-	181.00	69.00	-	
6. l gj l k	600.00	50	142.50	192.50	-	-	-	-	-	192.50	-	
	दूजी	3600.00	250	1002.50	1252.50	415.85	349.37	12.31	69.60	847.13	580.68	175.31

i f j f' k" V & XXXIV

॥ mHk% dMdk 5-6-1 (i "B % 96%

| Ei wkl | k{kj rk vflk; ku ds vllrxlr i klr fuf/k dk fooj . k

% i ; s yk[k e%

ftyk dk uke@ vupuknu dh frffk	dlni l jdkj l si klr	jkt; l jdkj l si klr	C; kt	dy	0; ;	'ksk	mi yfc/k		
							lokk.k	i kfkfed I	i kfkfed II
सीवान PH-II/ 10.08.01	50.00	25.00	4.09	79.09	0.58	78.51	3.45	शुन्य	शुन्य
औरंगाबाद PH-II, 18.02.03	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	0.86	शुन्य	1.56	शुन्य	शुन्य
सारण 06.02.96	257.97	128.99	0	386.96	46.74	340.22	2.62	शुन्य	शुन्य
समर्पित 06.2.96	78.00	37.50	6.05	121.55	47.79	73.76	2.83	शुन्य	शुन्य
नवादा 30.06.98	77.21	12.50	04.18	93.89	31.23	62.66	2.99	शुन्य	शुन्य
मुजफरपुर PH-II, 21.11.2002	99.97	13.61	-	113.58	47.96	65.62	2.33	शुन्य	शुन्य
शेखपुरा a16.10.02	49.25	24.63	1.23	75.11	36.46	38.65	1.40	शुन्य	शुन्य
I k{kj klr; dk; De									
सीवान PH-I 12.10.01	15.00	7.50	1.30	23.80	Nil	23.80	1.60	शुन्य	शुन्य
केमूर 19.10.01	44.95	8.55	0.14	53.64	1.16	52.48	1.50	शुन्य	शुन्य
औरंगाबाद 17.02.03	48.00	शुन्य	शुन्य	48.00	0.64	47.36	1.29	शुन्य	शुन्य
सुपाल 07.07.03	60.63	30.32	0.62	91.57	60.71	30.86	4.00	शुन्य	शुन्य
dy				1087.19	274.13	813.92			

i f'f' k"V&XXXV

1/1 nHk% dMdk 5-6-2 (i "B % 96%

Ø; I kext dk fooj .k

Ø- । a	fu-i-। a @o"k@dfMdः । a	y[ki fj {kr bdkbः dk uke	vki fRr dk fooj .k	j kf' k ॥ i ; ॥
1.	86/02-03 पारा 10	जि.शि.अ. पूर्णिया	क्रय लेखन सामग्री का अलेखाकरण	6114.00
2.	281/02-03 पारा 6	डी.एम.ई.ओ पूर्णिया	क्रय लेखन सामग्री का अलेखाकरण	86723.00
3.	264/03-04 पारा 17	जिला साक्षरता समिति जमुई	वर्दी, संगीत वाद्य एवं खेल सामग्री	38874.00
4.	172/03-04 पारा 12	जिला साक्षरता समिति बॉका	भोतिक सत्यापन नहीं हुआ	-
5.	272/03-04 पारा 3	जिला साक्षरता समिति बैगुसराय	सामग्री का कम लेखाकरण	16811.00
	पारा 11	जिला साक्षरता समिति बैगुसराय	सामग्री का कम लेखाकरण	
6.	265/03-04 पारा 5	जिला साक्षरता समिति भागलपुर	अनियमित अनुरक्षण के कारण हानि, भण्डार सामग्री की चोरी	57665.10
	पारा 8 (ii)	जिला साक्षरता समिति भागलपुर	भण्डार सामग्री की चोरी	31884.75
7.	226/03-04 पारा 3	जिला साक्षरता समिति नालन्दा	क्रय सामग्री का अलेखाकरण	1750.00
8.	110/03-04 पारा 9	जिला साक्षरता समिति पटना	भोतिक सत्यापन नहीं हुआ	-
9.	278/03-04 पारा 5	जिला साक्षरता समिति अररिया	क्रय सामग्री का अलेखाकरण	2253.00
10.	220/03-04 पारा 8	जिला साक्षरता समिति किसनगंज	भण्डार पंजी का अनियमित संधारण	
11.	193/03-04 पारा 5	जिला साक्षरता समिति खगड़ि. या	भण्डार सामग्री का अलेखाकरण	40000.00
	पारा 6	जिला साक्षरता समिति खगड़ि. या	भण्डार सामग्री का अलेखाकरण	6401.00
12.	188/03-04 पारा 4	जिला साक्षरता समिति आरा	कम लेखाकरण	18060.00
	पारा 17	जिला साक्षरता समिति आरा	अलेखाकरण	6547.00
		dy		373486.85